

प्रकाशक  
संस्कृति संस्थान वरेली  
(बलार-प्रदेश)

★

सम्पादक  
प श्रीराम शर्मा व्याख्यान

★

प्रथम संस्करण  
१९६४

★

मुद्रक  
कपशीरामदास करसिमा  
बम्बई भूषण प्रेस  
मथुरा

★

मूल्य  
४) रुपये

## मीमांसा

भारतीय दर्शनो मे 'मीमांसा' की स्थिति अन्य दर्शनो की अपेक्षा निराली है। यद्यपि यह पट-दर्शनो मे बहुत बढा है ( इसकी सूत्र सख्या २६४४ है जो शेष पांचो दर्शनो की सूत्रो की सम्मिलित सख्या के बराबर है ) और कितने ही लोगो की दृष्टि मे सब से अधिक महत्वपूर्ण भी है। इसमे वैदिक कर्मकाण्ड की समस्याओ और शक्त्याओ का समाधान किया गया है, जिनकी उपादेयता कितनी ही सम्प्रदायो के अनुयायियो की दृष्टि मे सर्वाधिक है। पर दूसरा पक्ष इसी विशेषता के कारण इसे 'दर्शन' मानने मे भी आनाकानी करता है। उनका कथन है कि इसमे सृष्टि, आत्मा, परमात्म, जीव, कर्म, अकर्म जैसे दार्शनिक विषयो पर नाम मात्र को विचार किया गया है और सारी शक्ति यज्ञो के कर्मकाण्ड सम्बन्धी वैदिक-वाक्यो का अर्थ समझाने मे लगा दी गई है। पर जैसा कि इस दर्शन के प्रथम सूत्र मे कहा गया है "अथातो धर्म जिज्ञासा" अर्थात् 'अब धर्म पर विचार किया जाता है।' यह ग्रन्थ लोक और परलोक मे कल्याण की प्राप्ति कराने वाले साधन 'धर्म' के सम्बन्ध मे विचार करता है। इस दृष्टि से इसे भी 'दर्शन' की सजा दी जा सकती है। धर्म-क्रियाओ की सार्थकता तथा प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुये इसमें ईश्वर, आत्मा, कर्म, मोक्ष आदि की भी कुछ चर्चा जहाँ-तहाँ आ गई है। उसी के आधार पर विद्वान भाष्यकारों ने 'मीमांसा' के दार्शनिक सिद्धान्तो का विवेचन किया है।

चूँकि मीमांसा-दर्शन मे यज्ञ-सम्बन्धी विषयो की चर्चा और निर्णय किया गया है और यज्ञ भारतीय-समाज की बहुत प्राचीन और मुख्य 'सस्था' है, इस आधार पर कुछ धार्मिक लेखक इसे सब से अधिक

प्राचीन मानते हैं। सम्भव है प्राचीन समय में इस दर्शन में प्रतिपादित सिद्धान्त किसी रूप में संग्रहीत रहे हों। पर वर्तमान समय में इसका जो रूप प्राप्त है वह बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के पश्चात् का ही है जैसा कि श्री शङ्कराचार्य ने अपने 'सर्व दर्शन संग्रह' में लिखा है—

बौद्धादिनास्तिकव्यस्त वेदमार्गं पुराकिलः ।

महाचार्यः कुमारिणः स्वापयामास भूतले ॥

अर्थात्—“जिस वेदमार्ग का बौद्ध आदि नास्तिक महात्मियों ने पुराने समय में विध्वंस कर दिया था उसी को कुमारिण महाचार्य ने फिर पृथ्वी पर स्थापित किया।”

कुमारिण मठ श्री शङ्कराचार्य के समकालीन माने जाते हैं और उनका समय सातवीं शताब्दी के लगभग स्वीकार किया गया है। वे 'मीमांसा शास्त्र' के बहुत प्रसिद्ध प्रचारक हुए हैं और इन्हीं के उद्योग से बौद्ध धर्म का पराभव होकर पुनः वैदिक-धर्म की बड़ बगने का सम्भव हुआ। यद्यपि मीमांसा-दर्शन के रचयिता महर्षि जैमिनि का समय इनसे कमभग एक हजार वर्ष या इससे भी कुछ पूर्व अधिक माना जाता है पर बौद्ध-धर्म की प्रबलता के कारण बहुत समय तक उक्त-दर्शन अज्ञात अवस्था में ही पड़ा रहा। उस पर सर्व प्रथम भद्र चरस्वामी ने लिखा जिसका समय ईसा की दूसरी शती बतलाया जाता है। कहते हैं कि इनका वास्तविक नाम आदित्यदेव था पर विरोधियों के डर से इनको बङ्गको भी भुग कर और भीड़ का रूप बना कर रखा गया था। इस धार्य को भी कुमारिण ने ही अपनी बृहत् टीका के साथ सर्व शास्त्रों में विद्वेष रूप से प्रकाशित और प्रचारित किया था। कुमारिण ने यह कीचक से बौद्धमत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और फिर उसका अन्तन करके वैदिक मत की स्थापना की। उस धर्म को उन्होंने अपने ग्रन्थ में भी इन शब्दों में प्रकट किया है—

प्रायेणैव हि मीमामा लोके लोकायतीकृता ।

तामास्तिक पथे कर्तुमथ यत्नः कृतोमया ॥

अर्थात्—“मीमासा-शास्त्र लोकायती ( भीतिकवादी अथवा नास्तिक ) लोगो के अधिकार में आ गया था, मैंने उसका उद्धार करके आस्तिक पथ पर लाने का प्रयत्न किया है ।”

कुमारिल की योग्यता और परिश्रम से इस शास्त्र को नव-जीवन प्राप्त हो गया । उन्होंने अन्य कितने ही प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपना शिष्य बना कर इसके विस्तार और प्रचार की भी उत्तम व्यवस्था की । इन शिष्यों में मडन मिश्र तथा प्रभाकर मिश्र के नाम अभी तक विद्वत् समाज में बड़े आदर के साथ लिये जाते हैं । मडन मिश्र तो कुछ समय बाद श्रीगङ्गाराचार्य से शास्त्रार्थ में परास्त होकर सुरेश्वराचार्य के नाम से उनके शिष्य बन गये, और प्रभाकर मिश्र ने शबरभाष्य पर दो नई टीकायें लिख कर अपना स्वतन्त्र सिद्धान्त ‘गुरु-मत’ के नाम से प्रचारित किया, जो आज कल मीमासा का सबसे अधिक प्रामाणिक और सुदृढ विवेचन स्वीकार किया जाता है ।

इस प्रकार कुमारिल और उनके शिष्यों के प्रयत्न से मीमासा का उद्धार और प्रचार धूमवाम के साथ हो गया, पर उसी समय जगद्गुरु शङ्कराचार्य जी का प्रादुर्भाव हो जाने और उनके अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त के सम्मुख आ जाने से मीमासा-पक्ष की सफलता अल्पकालीन और सीमित ही सिद्ध हो सकी । उसके पश्चात् वेदान्त ने ही विशेष रूप से जन जीवन को प्रभावित करना आरम्भ कर दिया और मीमासा कुछ पण्डितों और विद्वानों के पठन-पाठन तथा वादविवाद का विषय ही बन कर रह गया । इसका प्रचार विशेष रूप से मिथिला और आन्ध्रप्रान्त में ही सीमित रहा । कहा जाता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी में मिथिला के राजा भैरवसिंह ने एक पुष्करिणी का निर्माण कराके यज्ञ किया था, उसमें मीमासा-शास्त्र के जो विद्वान निमंत्रित किये गये थे उनकी संख्या १४ ही थी ।

## मीमांसा का सिद्धान्त—

मीमांसा-दर्शन में 'धर्म विज्ञासा' वाले प्रथम सूत्र के पर्याय ही धर्मिणि ने धर्म का अर्थ बतलाया है—“बोदनात्मकबोधोऽर्थो धर्मो” अर्थात्—“प्रेरणा या उपदेश वाला धर्म ही धर्म है।” इसका तात्पर्य यह है कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा या पसन्द पर निर्भर चीज नहीं है वरन् वह एक नैतिक नियम है जिसका पालन करना समाज में रहने वाले मनुष्य के लिये आवश्यक है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य को प्राकृतिक प्रेरणा से विवश होकर करने पड़ते हैं जैसे छाया पीना सोना खींच आदि। कुछ कार्य राज्य व्यवस्था धातन की बाधा से मानने पड़ते हैं जैसे किसी की वस्तु पर अपना अधिकार न जमाना पराई स्त्री के सम्पर्क न करना किसी को शारीरिक चोट न पहुँचाना आदि। तीसरे प्रकार के कार्य 'नैतिक नियमों' के अन्तर्गत आते हैं जिनके लिये मनुष्य पर प्राकृतिक और राज्य नियमों के समान बंधन तो नहीं रहता पर अपने और समाज के कल्याण की दृष्टि से जिन्हें उसे करने की प्रेरणा दी जाती है जैसे धर्म परीक्षण, उदारता संयम क्षमा आदि। इस लिये धर्मिणि ने धर्म का बो अर्थ बतलाया है वह बहुत मुक्तिमुक्त है कि जो कार्य महापुरुषों या लोकोपकारी उपदेशकों की प्रेरणा या आदेश को मान कर करने चाहिये वे ही धर्म हैं। इसलिये हम से यही कहा जाता है कि उनका करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।

### धर्म की परीक्षा—

अद्यपि मीमांसा भी प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थ को प्रमाण मानता है पर उसका कथन है कि धर्म का निर्णय प्रत्यक्ष और अनुभव द्वारा न होकर अर्थ द्वारा ही होना सम्भव है। सूत्र १५ में कहा गया है कि— 'प्रत्यक्ष ज्ञानं न ह्येवमुक्तं नो दृष्टिर्वा और आद्य पराधों के उपयोग से उत्पन्न होता है। यह ज्ञान मित्य नहीं अनित्य है और किसी समय भी परिवर्तित हो सकता है। दृष्टियों की शक्ति के शीन होने

को भ्रम हो जाना  
प्रमाण अथवा उसके  
नहीं दे सकता। वे  
ना विषय है जो न  
क्या जा सकता है।

और उसके द्वारा  
रु कर बैठता है।  
वे जिसमें भ्रम की  
त न आवे। मीमांसा  
हो सकते हैं। इस  
। गया है—

त्रक सम्बन्ध रखता  
। यह पत्यक्ष आदि  
रोध से मुक्त होता  
पनी अर्थ-सत्यता के

परीय आदेश मानने  
अनेक प्रकार की  
स्वय ही किया है।

कर्मकाण्ड सम्बन्धी  
ती बहुत से मन्त्र पाये  
र्गन है अथवा अन्य  
न्न अंशों को अप्रामा-  
; शब्दों और उनके  
ऐसे शब्द मिलते हैं  
तो समझे ही करते

## मीमांसा का सिद्धान्त—

मीमांसा-दर्शन में 'धर्म-विज्ञान' वाले प्रथम सूत्र के पर्याय ही अर्थ में धर्म का अर्थ बतलाया है— 'चोऽनाकृशपोऽर्धो धर्मः' अर्थात्— प्रेरणा या उपदेश वाला वह ही धर्म है। इसका तात्पर्य यह है कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा या पसन्द पर निर्भर नहीं है परन्तु वह एक नैतिक नियम है जिसका पालन करना समाज में रहने वाले मनुष्य के लिये आवश्यक है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य को प्राकृतिक प्रेरणा से विषय होकर करते पड़ते हैं जैसे पाना पीना सोना शौच आदि। कुछ कार्य राज्य व्यवस्था शासन की आज्ञा से मानने पड़ते हैं जैसे किसी की वस्तु पर करना अधिकार में अज्ञान पराई स्त्री के सम्पर्क न करना किसी को शारीरिक चोट न पहुँचाना आदि। तीसरे प्रकार के कार्य 'नैतिक नियमों' के अन्तर्गत आते हैं जिनके लिये मनुष्य पर प्राकृतिक और राज नैतिकों के समान बराब तो नहीं रहता पर अपने और समाज के कल्याण की दृष्टि से जिन्हें उसे करने की प्रेरणा दी जाती है जैसे ज्ञान परीक्षण, सदाचारता समान काम आदि। इस लिये अर्थ में धर्म का जो अर्थ बतलाया है वह बहुत सुष्ठु है कि जो कार्य महापुरुषों या कोशोपकारी उपदेशकों की प्रेरणा या आदेश से मान कर करने चाहिये वे ही धर्म हैं। इसके लिये हम से यही कहा जाता है कि उनका करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।

## धर्म की बरीबा—

बहुधा मीमांसा में प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थ को प्रमाण मानता है, पर उक्त बात यह है कि धर्म का निर्णय प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा न होकर 'अर्थ' द्वारा ही होता सम्भव है। सूत्र १४ में कहा गया है कि— 'प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो पुरुष को इन्द्रियों और बाह्य पदार्थों के संयोग से उत्पन्न होता है। यह ज्ञान नित्य नहीं अनित्य है और किसी समय भी परिवर्तित हो सकता है। इन्द्रियों की शक्ति के क्षीय होने

पर कुछ का कुछ समझ लेना और किसी भी इन्द्रिय को भ्रम हो जाना सम्भव है। इसलिये धर्म सम्बन्धी निर्णय में प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा उसके आधार पर उत्पन्न होने वाला अनुमान प्रमाण काम नहीं दे सकता। वे दोनों तथ्यों पर निर्भर रहते हैं जब कि धर्म, नीति का विषय है जो न प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और न जिसका अनुभव किया जा सकता है। फिर मनुष्य का इन्द्रियजन्य ज्ञान सीमित होता है और उसके द्वारा मनुष्य प्रायः अयथार्थ तत्त्व को यथार्थ समझने की भूल कर बैठता है। इसलिये धर्म का निर्णय ऐसे आधार पर होना चाहिये जिसमें भ्रम की गुञ्जायश न हो और जिसे बार-बार बदलने की नीवत न आवे। मीमांसा के मतानुसार ऐसे निर्णय और आदेश वेद के ही हो सकते हैं। इस सिद्धान्त को पाँचवे सूत्र में इस प्रकार उपस्थित किया गया है—

“वेद का प्रत्येक शब्द अपने अर्थ में स्वामाविक सम्बन्ध रखता है। यह ईश्वरोपदिष्ट धर्म का यथार्थ माधन है। यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा प्राप्त नहीं होता, इससे पारस्परिक विरोध से मुक्त होता है। आचार्य वादरायण के मतानुसार वेदादेश अपनी अर्थ-सत्यता के कारण स्वतः प्रमाण है।”

पर अन्य सब लोग वेद को इस प्रकार ईश्वरीय आदेश मानने को तुरन्त प्रस्तुत नहीं हो जाते। वे इस विषय में अनेक प्रकार की शङ्कयें करते हैं जिनका उल्लेख मीमांसकार ने स्वयं ही किया है। शङ्का करने वालों का कहना है कि वेद में केवल कर्मकाण्ड सम्बन्धी धार्मिक आदेशों का ही उल्लेख नहीं है, उसमें ऐसे भी बहुत से मन्त्र पाये जाते हैं जिनमें केवल परमात्मा की उपासना का वर्णन है अथवा अन्य सिद्धान्त बतलाये गये हैं। क्या ऐसे कर्मकाण्ड से भिन्न अंशों को अप्रामाणिक माना जाय? दूसरी बात यह है कि जो वेद के शब्दों और उनके अर्थों की नित्य बतलाया गया है, तो वेद में बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जो अर्थहीन हैं और उनका पाठ लोग बिना अर्थ को समझे ही करते



रहते हैं। क्या इस प्रकार पाठ करने से भी उनका फल मिलता रहेगा ? तीसरी बात यह है कि वेदों के मंत्रों के रचयिता मनुष्य ही थे और उसमें अनेक मनुष्यों तथा राजाओं का वर्णन भी पाया जाता है तब इन को ईश्वरीय आदेश कैसे मान लिया जाय ? चौथी बात यह कि वेदों में ऐसी घटनाओं का वर्णन भी पाया जाता है जो किसी विशेष काल में हुई हैं। ऐसी दशा में उनको अनादि और नित्य कैसे माना जा सकता है ?

पहली आपत्ति के विषय में श्रीमान्पाण्डर इस बात को स्वीकार करते हैं कि वेदों में उपासना के मंत्र और सिद्धान्त भी मिलते हैं पर वे सही समकालीन स्त्री धर्म के समर्पण और पुष्टि के लिये हैं। मानव-जीवन एक पक्षीय नहीं है परन्तु उसमें ज्ञान भावना और हिम्मा हीनों का मिश्रण होता है। जो मंत्र हम परमात्मा की उपासना के लिये पढ़ते हैं उससे भी प्रेरणा मिलती है कि हम उन धर्मकृत्यों को करें। सिद्धान्त सम्बन्धी मन्त्रों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे सिद्ध होता है कि उक्त धर्मकृत्य सिद्धान्तगत ठीक हैं। इस प्रकार जो वेद-वाक्य धर्मकाल से असम्बन्धित ज्ञान पढ़ते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रेरणा और पुष्टि का कार्य करते हैं और इस दृष्टि से समस्त वेद प्रामाणिक हैं।

दूसरी शका का उत्तर यह है कि वेद में कोई निरर्थक वाक्य नहीं है। हाँ कोई मोक्षता के अभाव से उन्हें न समझ सके यह और बात है। यह कहना कि वेद के मंत्रों का बिना समझे कुछ पाठ करने से भी फल मिल जायगा ठीक नहीं है। वेद वाक्य बाद-दोषों की उत्पत्ति नहीं हैं जो किसी भी तरह उत्पन्न कर देने पर अभिलाषित परिणाम उत्पन्न कर सकें। वेद वाक्य सभी धार्मिक हैं और उन्हें धर्म को समझते हुये ही पढ़ना चाहिये। इसी प्रकार वेदों का प्रयोग करने से मानव जीवन सफल हो सकता है। इस सम्बन्ध में क्या कहा है—

वेद मंत्रों का धर्म संहित स्वाध्याय करना चाहिये क्योंकि वेद मनुष्य के लिये पुरोचार्थ अदुष्टय (धर्म धर्म काम मोक्ष) का साधन

बतलाता है और उनका विवेचन करता है । प्रत्येक मंत्र मे ऋषियों का नाम पाये जाने से भी यही प्रकट होता है कि वेदों का पठन-पाठन अर्थ सहित हो होना चाहिये । वे ऋषि उन मंत्रों का विविध प्रचार करने वाले थे । ज्ञान को देने वाला शास्त्र भी एक मात्र वेद ही है । सृष्टि के आदि मे मनुष्य को उसी के द्वारा अपने कर्तव्यों का बोध हुआ । (अ० १ पा० २ सू० ३१, ३२, ३६) ।

तीसरी और चौथी आपत्ति का उत्तर देते हुये कहा गया है कि वेदों मे जहाँ कहीं कुछ व्यक्तियों के नाम अथवा घटनाओं का वर्णन पाया जाता है वह वास्तव मे वैसा नहीं है । वेद मे जो शब्द आये हैं वे सब यौगिक और सामान्य अर्थ वाले हैं । यह दूसरी बात है कि वे कुछ व्यक्तियों के नामों से मिलते जुलते हो और इससे लोगों को भ्रम हो जाय कि वे किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम हैं । भुज्य, तुग्र, सुदास आदि ऐसे ही नाम हैं । इनका अर्थ यौगिक रूप से करना चाहिये ।

इस प्रकार मीमांसा केवल वेद को ही धर्म के सम्बन्ध मे प्रमाण मानता है । कर्मकाण्ड का विस्तार के साथ वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों, कल्प सूत्रों और स्मृतियों मे भी पाया जाता है । वैदिक विधानों को समझने और उनकी विस्तृत व्याख्या करने के लिये इन ग्रन्थों का उपयोग किया जा सकता है, पर उनके वे ही अर्थ माननीय हैं जो वेदानुकूल हो । जो बातें वैदिक सिद्धान्तों से विपरीत पाई जायँ उनको अमान्य कर देना चाहिये । ऐसे प्रमाणों को वेदों की तरह स्वतन्त्र-प्रमाण नहीं कहा जाता, वरन् वेदों पर आश्रित होने से वे परत-प्रमाण कहे जाते हैं ।

तत्त्व-विचार—

मीमांसा-दर्शन भौतिक जगत् को नित्य मानता है । हमारी इन्द्रियाँ इस जगत् के पदार्थों को जिस रूप मे ग्रहण अथवा उपलब्ध करती हैं, उसी रूप मे जगत् सत्य है । मीमांसा-दर्शन, न्याय और वैशेषिक दर्शनों की तरह परमाणु की सत्ता को भी मानता है, पर वह अनुमान

का विषय नहीं करत बह उमे प्रायत ही मानता है । कुमारिक ने समार की रचना पाँच तर्कों से मानी है इत्यं पुनः कम सामान्य तथा अभाव । दूसरे आचार्य प्रभाकर इत्यं पुनः कम सामान्य परलम्बता तच्छि, गाह्यस्य और शंया इन आठ पदार्थों की शया स्वीकार करते हैं । तीसरे आचार्य मुरारी इत्यं अथ पाँच विधेय कम विजय आचार रिगेय और प्रदेश विधेय इन पाँच को मानते हैं । इनमे से मुख्य कम कम तथा सामान्य का कपतो अन्य दृशनों से मिलाता-सुमता ही है । परलम्बता से आशय समवाय पदार्थ से है जो वैधेयिक में बतयाया गया है । प्रभाकर ने तच्छि को एक स्वतंत्र तय दृशिये माना है कि उसक बिना कोई कार्य सम्पन्न होना संभव नहीं होता ।

मुरारी विध का मत भीमासा के अन्य सब भाष्यकारों ही से विभ्र नहीं है बरतु अन्य समस्त पागनिकों से भी बहुत बिलसाध है । वे मूळ रूप से एक मात्र बह की शया ही स्वीकार करते हैं पर व्यपहार की दृष्टि से चार पदार्थ और मानते हैं बनि ( घट ) घर्म ( घटक ) आचार ( घट का अनियत आसय ) तथा प्रदेश विधेय ( घट का अनियत स्थान ) इस प्रकार मुरारी अथ के अन्तर्गत इत्यं पुनः काय ब देय की बस्यता करते हैं ।

**अपूर्व का सिद्धान्त—**

भीमासा-वर्धन का 'अपूर्व सिद्धान्त एक ऐसा विषय है बिद्यता नाम भी किसी अन्य दर्शन मे नहीं पाया जाता । इसकी व्याख्या करते हुये एक लेखक ने कहा है— 'अपूर्व का आधिक्य अर्थ है 'पूर्व' अर्थात् कर्मों से तबीत उत्पन्न होने बाछा एक-याप तथा पुन्य रूप फल । भीमासा क कर्मबाही है । वे वेद द्वारा विहित कर्म को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं यह तो उनके कर्म-भीमासा' नामकरण से ही स्पष्ट है । परन्तु अज के अनुष्ठान मे एक विप्रपत्ति या परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई पड़ता है । वेद कहता है 'स्वर्गकायो बवेत्' अर्थात् स्वर्ग की कामता बाछा पत्ति

यज्ञ करे। इसका आशय यह है कि यज्ञानुष्ठान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस लिये यज्ञ करना चाहिये। पर विचारणीय प्रश्न यह है कि यज्ञ तो यजमान आज कर रहा है और उसे फल मिलेगा किसी भविष्य काल में। इसमें यह असंगति उत्पन्न होती है कि क्रिया तो हम आज कर रहे हैं और उसका फल मिलेगा वर्षों बाद जब वह कर्म भूतकाल की वस्तु बन चुकी होगी। यह स्पष्ट विरोध है। इसी विरोध का परिहार करने के निमित्त मीमासा ने 'अपूर्व' की कल्पना की है। इसका आशय यह कि यज्ञ से उत्पन्न होता है 'अपूर्व' (पुण्य) और अपूर्ण से उत्पन्न होता है स्वर्ग (फल)। इस प्रकार क्रिया और फल के बीच अपूर्व माध्यम का काम करता है। "जैसा ऊपर कहा गया है अन्य दर्शन-मार्गों के अनुयायी इस सिद्धान्त को इस आधार पर स्वीकार नहीं करते कि 'कर्म' तो जड हैं, वे किस प्रकार किसी आगामी समय में विना किसी की प्रेरणा के फल दे सकते हैं? उनके मतानुसार फल देने का काम ईश्वरीय शक्ति करती है।

#### प्रामाण्यवाद—

'प्रामाण्यवाद' भी मीमासा शास्त्र का एक ऐसा ही सिद्धान्त है जिसको मानने की आवश्यकता अन्य दार्शनिकों को नहीं होती। वे लोग प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों के आधार पर किसी पदार्थ का निर्णय करते हैं। पर मीमासक सिवाय 'शब्द प्रमाण' या 'आगम-प्रमाण' के और किसी प्रमाण को वास्तविक नहीं समझते। वे केवल वेद वाक्यों को ही स्वतः प्रमाण मानते हैं। इसलिये जब वे प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण की भी चर्चा करते हैं तो उसकी परीक्षा वेदों के प्रमाण के आधार पर करते हैं और उसके ठीक मालूम पडने पर उसे भी स्वतः प्रमाण की श्रेणी में ही मान लेते हैं।

मीमासकों का मत है कि हम इन्द्रियों द्वारा जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं वह यथार्थ है और उसे सत्य मान कर स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिये। उनका कथन है कि ज्ञान यदि यथार्थ न हो तो उसे ज्ञान कहना ही व्यर्थ है। एक ही वस्तुओं को 'ज्ञान' तथा 'मिथ्या'

बोनों तरह से कहना यह परस्पर विरोधी बात है। ज्ञान स्वयंप्रकाशित होने से ही स्वतः प्रामाण्य सिद्ध होता है।

**कर्म-सिद्धान्त —**

मीमांसा का मुख्य आधार 'कर्म सिद्धान्त' है और उसीका बिना कन तथा निश्चेप्य इस शास्त्र में पाया जाता है। कर्म से उनका अभिप्राय है वैदिक-यज्ञ सम्बन्धी कर्मकाण्ड का अनुष्ठान। इस प्रवृत्ति को देख कर एक निरपेक्ष विद्वान् ने समस्त दर्शनो का सार बतलाते हुये 'कर्मोक्ति मीमांसाका' कहा है। इसका आशय यह है कि मीमांसा की दृष्टि में सबसे बड़ा तत्त्व जो कि ईश्वर की समता कर सकता है कर्म ही है। इस कर्म सिद्धान्त की आलोचना करते हुये एक अन्य विद्वान् ने कहा है—

'कर्म-मीमांसा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राणी देव के द्वारा प्रतिपादित अभीष्ट-साधक कार्यों में कर्मे और अपना वास्तविक कल्याण साधन करे। यज्ञ-यागादि में किसी देवता विभेद ( जैसे इन्द्र विष्णु, ब्रह्म आदि ) को कर्ष्य करके आहुति दी जाती है। देवों में इन देवों के स्वस्व का पूरा वर्जन निरकृत है पर मीमांसा के मत में देवता' सम्मदान करके पूषक पद-मान है। इससे बचकर उसकी कुछ स्थिति नहीं। देवता मन्त्रात्मक होते हैं और देवताओं की पूषक सत्ता उन मंत्रों को छोड़ कर अक्षय नहीं होती। बिनके द्वारा उनके लिये होम का विधान होता है। तब प्रश्न होता है कि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किसे किये किया जाय ? इस सम्बन्ध में सामान्य मत तो यह है कि किसी कामना की पूर्ति के लिये। परन्तु विशेष मत यह है कि बिना किसी कामना के ही वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये। पशुपति ने अपनी ज्ञान-दृष्टि से जिस वैदिक मंत्रों द्वारा प्रतिपादित कर्म का हमें उपदेश दिया है उसका उद्देश्य हमारा आत्म-कल्याण ही है। इसके लिये उनका अनुष्ठान किसी विशेष प्रयोजन के सिद्धि की मांगना रहे बिना विना विना माय से ही करना चाहिये।

“वैदिक कर्मों का फल स्वर्ग प्राप्ति माना गया है । निरतिशय सुख का दूसरा नाम ही ‘स्वर्ग’ है । ‘स्वर्गकामोज्ज्वल’ वाक्य में यज्ञ कार्य के सम्पादन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्वर्ग की कामना बतला दिया गया है । परन्तु अन्य सब दशनों में मानव-जीवन का चरम लक्ष्य ‘मोक्ष’ ही बतलाया गया है । फलतः मीमांसा में भी मोक्ष की भावना ने प्रवेश किया । सकाम कर्मों के अनुष्ठान से तो पाप-पुण्य होते हैं, जिसने जीवात्मा सदैव बन्धनों में ही पड़ा रहता है । पर निष्काम धर्माचरण से तथा आत्मज्ञान के प्रभाव से पूर्व कर्मों के संचित सस्कार नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा पाकर दुःखों से निवृत्ति अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।”

अन्य मीमांसक विद्वानों ने कर्म का विभाजन तीन श्रेणियों में किया है—सहज-कर्म, जैव-कर्म, ऐश-कर्म । प्रकृति की आरम्भिक अवस्था में जो कर्म प्रकट होता है ब्रह्माण्ड और पचभूतों की उत्पत्ति, उद्भिज के रूप में जीव सृष्टि का आरम्भ होना सहज कर्म माने जाते हैं । मीमांसा इनको प्रकृति के कर्म मानता है । इसके पश्चात् जब उद्भिज से चलने-फिरने वाले प्राणी बन कर अन्त में मनुष्य का आविर्भाव हो जाता है तब जैव-कर्म का आरम्भ होता है । क्योंकि मनुष्य को बुद्धि, विवेक मिल जाने के कारण वह पाप-पुण्य का निर्णय कर सकता है और आप भी इच्छानुसार किसी भी मार्ग का अवलम्बन कर सकता है । इसी जैव-कर्म के फलस्वरूप मनुष्य प्रेतयोनि, स्वर्ग, नरक, मनुष्य लोक आदि में भ्रमण करता हुआ तरह-तरह की योनियों का अनुभव करता रहता है । इसी अवस्था में वह वेद, पुराण, धर्म ग्रन्थ आदि की सहायता से आत्मिक उन्नति के मार्ग में अग्रसर होता जाता है । ऐश-कर्म का सम्बन्ध मनुष्य लोक से उच्च स्थिति वाले देवलोक से है, पर मनुष्य लोक से भी उसका परोक्ष सम्बन्ध रहता है । इसी कर्म के प्रभाव से मनुष्य देव पदवी को प्राप्त करता है और निरन्तर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता रहता है । इस प्रकार कर्म की महिमा अपार है और चाहे

उसे मीमांसका की तरह सर्वोपरि माता वाय या न माता वाय पर इसमें संशय नहीं कि संसार में प्रत्यक्ष कर्ता भर्ता और फलदाता कर्म ही है। इस तत्त्व को समझ कर मोक्षरामी तुलसीदासजी ने भी 'रामायण' में कह दिया है कि—

कर्म प्रदान विद्वज्ज करि राज्ञा ।

जो जल करह सो तस फल जाबा ॥

संसार में विभिन्न जातियों के दो और व्यक्तियों की जैसी उन्नत या अवतल बसा बेसी जाती है, उसका मूल आधार कर्म ही है। किसी भी जाति का ऊँचा बढ़ना या गीना गिरना शक्तिशाली और स्वाधीन बनना बचका पराधीनता और शोषण की पवित्र अवस्था को प्राप्त हो जाना सब बातें कर्म के ही बनीं हैं।

मीमांसा और यज्ञ—

यज्ञ भारतीय जीवन का एक अति प्राचीन और सर्वव्यापी अङ्ग है। यह तो सभी जानते हैं और जानते हैं कि संसार का सब से पुराना शब्द 'यज्ञ' है और भारतीय धर्म का तो बड़ी मूल आधार है। यज्ञ से विहित होता है कि यज्ञ भारतीयों को न। सर्वोच्च धर्म था। वैदिक धर्म के समस्त उत्सवों तपोहारों और धार्मिक क्रियाओं की रचना यज्ञ को इतिहास रच कर ही की गई थी। एक हिन्दू के जीवन में यज्ञ से लेकर मरण तक अनेक संस्कार होते हैं उन सब में यज्ञ का किसी न किसी रूप में समावेश किया गया है। भगवद् गीता के अनुसार मनुष्य का जीवन ही यज्ञमय है—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा गुरोर्नाथ प्रजापतिः ।

जनेन प्रसविष्यन्भवेत् शान्तिवटकामयुक् ॥

प्रजापति ने सृष्टि के आदि में ही प्राणियों के साथ यज्ञों की भी उत्पत्ति की और कहा कि तुम इन यज्ञों के द्वारा पत्नी-पुत्रों और अपनी समस्त अधिजातियों की पुष्टि करो।

ऋग्वेद की पहली पक्ति में ही यज्ञ का उल्लेख किया गया है और उसे मनुष्यों के लोक-परलोक की सफलता का सर्वोपरि साधन बतलाया गया है—

अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतार रत्नघाततम् ।

“हम उन अग्निदेव की स्तुति करते हैं जो पुरोहित, ऋत्विज, यज्ञ के देवता तथा देवताओं के आह्वान हैं। वे रत्नों की खान हैं और हमें भी श्रेष्ठ रत्न प्रदान करें।”

इस मन्त्र का तात्पर्य यही है कि यज्ञ मनुष्य का सब प्रधान धर्म कृत्य है और उसीसे उसका जीवन सार्थक हो सकता है। जीवन का उत्थान देव शक्तियों की कृपा से ही हो सकता है और उनमें सम्बन्ध स्थापित करने का मुख्य साधन यज्ञ ही है। सासारिक परिस्थिति में रह कर जीवन निर्वाह करने वाले हिन्दू का देवाराधन मुख्य कर्तव्य है और उसका माध्यम यज्ञ है। गीता में भी यही कहा है कि यज्ञ के द्वारा देवता तुम से सन्तुष्ट रहेंगे और तुम्हारी उन्नति और कल्याण में सहयोग देंगे। यदि ऐसा न किया जायगा तो देव शक्तियाँ क्षीण हो जायेंगी और उनकी सहायता न मिलने पर तुम भी निर्बल और निस्तेज हो जाओगे।

इतना ही नहीं ‘भगवद्गीता’ के विविध वचनों का सामञ्जस्य करने और उनमें निहित आशय पर विचार करने से यह भी प्रकट होता है कि यद्यपि अग्निहोत्र मूलक यज्ञ वेदानुकूल थे, पर जैसे-जैसे ज्ञान-मार्ग का, ब्रह्म विद्या का प्रचार होता गया और उच्चकोटि के विद्वान् उपनिषदों की शिक्षा को कल्याणकारी समझकर स्वीकार करते गये, वैसे-वैसे ही कर्मकाण्डमूलक यज्ञों की स्थिति गौण होती चली गई। तब ‘यज्ञ’ का अर्थ केवल ‘दर्शपूर्णमास’ ‘ज्योतिष्टोम’ ‘अश्वमेध’ आदि दो-चार तरह के धूमधाम वाले क्रियाकाण्ड युक्त सामूहिक यज्ञ ही न रह गये, वरन् मानव-जीवन के सभी महत्वपूर्ण कर्तव्यों को ‘यज्ञ’ के नाम से ही ग्रहण



बिया जाने छया । गीता के सहयज्ञा प्रजा गृह्णा वाळे एसोक का मही ठात्स है कि प्रजा की प्रगति और बल्पाग के सभी कार्य यत्न्य हैं । चाहे वे पद्मिबजो द्वारा अग्निहोत्र के रूप में किन् बार्ये और चाहे नित्य प्रति क जीवन-निर्वाह क कठिन-वासन के रूप में । रही से स्मृ तियों में निरय करन के सिद्ध 'पच बृह यज्ञ' बतसाय गये । मनुस्मृति के मतानुसार 'वेशाध्ययन ब्रह्मयज्ञ है तर्पण पितृयज्ञ है, होम देवयज्ञ है बलि भूतयज्ञ है और अतिथि सम्पर्ण मनुष्य-यज्ञ है । इन पाँच यज्ञो द्वारा ऋषिया पितरो देवताया प्राणियो तथा मनुष्यों को पहले तृप्त करके तब बृहस्प को स्वय भोजन करना चाहिये । इन यज्ञो के कर देने पर जो अन्न बचता है वह 'अमृत' कहा गया है । पर जो केवल अपने पेट के लिये पनाता और खेका ही पाता है उसे सभी बर्म पन्थो से बचासी' ( पाप जाने बाछा ) कहा है ।

बर्म पन्थों के उपरोक्त विवेचन से यह भी प्रकट होता है कि यज्ञ बर्म केवल पाह्यो क लिये ही नहीं है बरम् वह मनुष्य मान का बर्म है । उपरोक्त पाँचों बर्मों में से कोई ऐसा नहीं है जिसे करने से किसी भी वर्ण या जाति के व्यक्ति को रोका जाय । ये ती मानवता के कर्तव्य हैं और जो इनको त्याग देवा या हमसे विपरीत भाव पर बलेया उसे मानवता से पतित माना जायगा । इसलिये धर्म शास्त्र ने प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ-कर्म का आदेश दिया है । हममें यह आश्चर्यक नहीं कि प्रत्येक मनुष्य सोम और पुरोडास द्वारा बड़े-बड़े यज्ञ करे और शुभर्ण की बक्षिणा दे । नही अपना जो कर्तव्य भगवान ने निबठ कर दिया है उसे छोडे हृदय से कर्तव्य समझते हुए अपनी सम्पूर्ण छति लगा कर करना ही वास्तविक यत्न है । हम सम्बन्ध में 'महाभारत का उपदेश है ।

यारम्भ यज्ञः अवापच हृदिर्पिता विरा स्मृत ।

परिचार यज्ञः शुश्राव्य अप्यज्ञा त्रिजगत्या च

सधिया के लिये उत्तम और पराक्रम करना यत्न है बीरयो के लिये अन्न भादि सामग्री का होम करना यत्न है पुरो के लिये उत्तम

प्रकार से सेवा करना यज्ञ है और ब्राह्मणों के लिये जप, परमात्मा का ध्यान व आत्म-तत्व के अनुकूल आचरण यज्ञ रूप है ।”

( महा० शान्ति पर्व २६७।१२ )

इस प्रकार सिद्ध होता है कि समाज की अस्तित्व रक्षा और प्रगति के लिये जितने आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य हैं वे यज्ञ रूप ही हैं । जहाँ इन कार्यों को सचाई और कर्तव्य की भावना से पूरा किया जायगा वहाँ उन्नति, कल्याण और सुख दिखाई पड़ेगा और जहाँ इनकी उपेक्षा की जायगी अथवा सामाजिक हित के वजाय इन्हे सकीर्ण स्वार्थ की दृष्टि से किया जायगा ( जैसा कि वर्तमान समय में विशेष रूप से दिखाई दे रहा है ) तो उससे सबका अहित होगा और अन्त में समाज का उच्छेद हो जाना भी सम्भव है ।

इस दृष्टि से ‘यज्ञ’ का विरोध कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता । साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि यज्ञ किसी एक ही क्रिया या कर्म-पद्धति का नाम नहीं है । अपनी-अपनी योग्यता, परिस्थिति और साधनों के अनुसार सभी उसे कर सकते हैं । मीमांसा के अनुसार अग्निहोत्र और ज्योतिष्टोम करना यज्ञ है, मनुस्मृति के अनुसार स्वाध्याय, तर्पण, अतिथि सत्कार भी यज्ञ है और महाभारत के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन भी ‘यज्ञ’ है । तुम इनमें से किसी भी प्रकार का यज्ञ करो पर उसे करते हुये गीता की इस शिक्षा का ध्यान रखो कि जो कुछ किया जाय फलाशा का त्याग कर निष्काम भावना से किया जाय । ऐसा करने से ही वह साधारण कर्म भी ‘यज्ञ’ बन जाता है और श्रेष्ठ फल प्रदान करता है । यही वह ‘यज्ञीय भावना’ है जिस पर गीता में बारम्बार जोर दिया गया है, और जिसके बिना बड़े से बड़ा लाखों रुपया खर्च करके किया हुआ विशाल महायज्ञ बन्धनकारक ही सिद्ध होता है । इसी से वृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है—

प्रप्याप्तं कर्मवस्तस्य परिक्रमेण करोत्ययम् ।  
तस्मात्सौक्यतुल्यैस्त्वै लोकाय कर्मणे ॥

“इस लोक में जो यज्ञ-याग आदि पुण्य कर्म किये जाते हैं उनका फल स्वर्ग-उपभोग करके समाप्त हो जाता है और तब यज्ञ करने वाले को पुनः स्वर्ग लोक से इसी कर्म-लोक में जाना पड़ता है ।

मीमांसा द्वारा विवेचना किये गये छोटे-बड़े आहुति वाले यज्ञ भी इसी दृष्टि से पुण्य कर्म माने गये कि 'यज्ञ में हुबन किये गये इन्द्र्य अग्नि द्वारा सूर्य को पहुँचते हैं सूर्य से पृथ्वी से पृथ्वी से अन्न और अन्न से प्रजा का पाठन होता है । (पीठा १ १४) यदि किसी को ऐसे व्यग्रव्याप्त यज्ञों की करने की सामर्थ्य न हो तो उसके किये गये किये जाने वाले 'पंच यज्ञ' भी बड़ी प्रतिकूल हो सकते हैं क्योंकि उनसे समाज में सब प्रभुत्वियों और अल्प भावनाओं का प्रसार होता है और मनुष्य परस्पर उद्दोष पूर्वक रहने की दिशा प्राप्त करते हैं । विशेष परिस्थिति का जाने के कारण यदि कोई पंच-यज्ञ भी न कर सके तो अपने वर्ग-वर्ग का हठता पूर्वक पाठन भी उसे बीच-गुप्त स्थिति तक पहुँचाने की सामर्थ्य रखता है । मुख्य बात भावना की है । जो भी कर्म 'यज्ञीय भावना' से स्वार्थ रहित होकर परांपकारार्थ किया जायगा वह मनुष्य को उत्थान-मार्ग में अग्रसर करेगा और सर्वत्र कर्मभावकारी सिद्ध होगा ।

पूर्व मीमांसा वर्तन में हमी उत्थान को अपना मुख्य आधार बनाया है और यज्ञ-यागादि को मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य बतलाकर उसकी महत्ता किया और विश्व की विवेचना पर सबसे अधिक ध्यान दिया है । यह सत्य है कि उत्तम कोष के अधिकारियों के लिये ज्ञान और मोक्ष के मार्ग का भी प्रतिपादन किया गया है पर इस तथ्य से कोई हल कार नहीं कर सकता कि उन मार्गों को स्वीकार करने वाले और उनका पाठन कर सकने वाले ही न से दो बार भी कठिनाता से निवृत्त होते हैं । जिन लोग जिनके स्वभाव में विरक्तता की भावना नहीं है और जो धर्मों

को ही ससार में जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य समझते हैं वे देवाराघन के कर्मकाण्ड द्वारा ही अपना लौकिक पारलौकिक बल्याण कर सकते हैं । इसी लिये महर्षि जैमिनि ने अपने 'दर्शन' का आरम्भ 'ब्रह्म जिज्ञासा' के बजाय 'धर्म-जिज्ञासा' से किया है । 'ब्रह्म' के मार्ग पर चलना योगियों और ज्ञानियों का काम है और कर्मकाण्ड मूलक धर्म जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिट्टे किये जाते हैं लौकिक पुरुषों के लिये उपयोगी हैं । इससे भी उत्तम और सर्वोपयोगी विधान इन दोनों मार्गों में सामञ्जस्य उत्पन्न करके कर्म और ज्ञान का यथायोग्य व्यवहार करना अर्थात् नियमानुसार कर्म में प्रवृत्त रहना पर फलाशा में आसक्त न होना, यही सब धर्म-शास्त्रों का सार है ।

### मीमांसा और ईश्वरवाद—

मीमांसा का ईश्वर के सम्बन्ध में क्या सिद्धान्त है यह एक बड़ा महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रश्न है । कितने ही विद्वान् तो उसे खुल्लम-खुल्ला अनीश्वरवादी बतलाते हैं । उनका कथन है कि मीमांसा ने ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में कहीं एक शब्द भी नहीं लिखा है और न उसकी पूजा, उपासना की कोई आवश्यकता प्रकट की है । जब हम मीमांसा के प्रमुख सिद्धान्तों पर विचार करते हैं तो इतना अवश्य प्रतीत होता है कि उनकी पूर्ति के लिये कहीं भी ईश्वर तत्त्व को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । मीमांसा ने जगत को इसी रूप में नित्य माना है, वेदों को भी वह एक ही रूप में सदा से स्थिर कहता है और जीवों को फल देने की सामर्थ्य भी कर्म में ही बतलाता है । इस प्रकार उसे सृष्टि निर्माण कर्मफल और वेदों की रचना आदि किसी भी कार्य के लिये ईश्वर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इसी आधार पर लोग उसे अनीश्वरवादी कहने लगते हैं ।

पर बात वास्तव में ऐसी नहीं है । यद्यपि कई भाष्यकारों ने कहीं-कहीं ईश्वर की चर्चा में खण्डनात्मक विचार प्रकट कर दिये हैं पर

मीमांसा के मूक सूत्रों में ऐसी कोई बात लिखाई नहीं पड़ती । उदाहरण के लिये १२१९ में पूर्व पक्ष की ओर से खड़ा उपस्थित की गई है कि—

“लोके कर्मणि वैदवस्तोऽभिपुत्र्य ज्ञानम् ।

अर्थात्—“लोक में भी वेद की तरह कर्म किये जाते हैं और उनसे भी परमात्मा का ज्ञान हो सकता है फिर वेद के मानने की क्या आवश्यकता है ? इसकी पुष्टि के लिये आगे कहा है—

अपराधेऽपि च तौ ज्ञास्वम् ।

अर्थात्—“कोई अपराध करने पर दुनियादार जाहमी भी अपराध का बन्ध विभाग कर देते हैं फिर इसके लिये वेद को मानने की क्या आवश्यकता है ?

इन तर्कों का उत्तर देते हुए मीमांसाकार ने ईश्वर-वत्त्व की प्राप्ति ही इसका हेतु बतकाया है—

“अज्ञानात्प्राप्तपदभ्याप्तिः प्रास्व स्यात्प्रत्यक्षप्रकल्पकं तत्प्रादुर्भवं पन्थेताप्राप्ते वा ज्ञास्वमर्षवत्, वैशतामये च ।

अर्थात्—“ज्ञान ( वेद ) को न माना जाय तो वेद परमात्मा की प्राप्ति उसका ज्ञान असम्भव हो जायगा । लौकिक साधनों से इन्द्रिय अपोचर पदार्थों की जानकारी संभव नहीं है । वेद ( परमात्मा ) के जानने से ही ज्ञान सार्थक हो सकता है ।”

इसके सिवाय भी स्वान-स्वान पर परमारमा की उपासना और प्राप्ति का उचित सूत्रों में किया गया है जैसे—

सर्वज्ञस्यै प्रवृत्ति स्यात्तया भूतोपदेशात् ।

‘सर्वे शक्तिमान् परमात्मा की प्राप्ति के लिये सब कर्मों में प्रवृत्ति होनी चाहिये ऐसा ही उपदेश शास्त्रों में दिया गया है ।

अपि चाप्येकैवेद्ये स्यात् प्रजापेक्षार्थनिवृत्तिषु अमात्रमितरत्तत्त्वं स्यात् ।

“कर्म प्रभु के एक देश से सम्बन्धित है और उसकी प्राप्ति के लिये इनका अनुष्ठान किया जाना आवश्यक है । अन्य पूजा, उपासना आदि बातें गौण हैं ।”

तदकर्मणि च दोषस्तस्मात्ततो विशेषः स्यात्प्रधानेनाऽपितम्ब-  
न्यात् ।

“जो कर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिये नहीं किया जाता, उससे उदासीन रह कर किया जाता है वह वेद के मत से सदोष और निष्फल होता है । वही कर्म उत्तम है जिसका सम्बन्ध परमात्मा से हो ।”

इन सब सूत्रों के होते हुये मीमासा के निरीश्वरवादी होने की शङ्का उठाना व्यर्थ है । वास्तविक तथ्य यह है कि मीमासा मुख्यतया कर्मकाण्ड मूलक दर्शन है, यज्ञ-महायज्ञ उसके प्रमुख विचारणीय विषय हैं, इसलिये उसमें उसी का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है । फिर भी उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है ये यज्ञ-यागादि काम्य-भाव से नहीं पर निष्काम भाव से करने चाहिये तभी उनका वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकता है । यो साधारणतः “स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे” अथवा दर्शपूर्णमाम’ यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसे विचार लोगों में प्रचलित हैं, पर इसके साथ में यह भी कहा गया है कि कामनायुक्त कर्म पाप-पुण्य का बन्धनकारक होता है और उसके करते रहने पर मोक्ष का मिलना संभव नहीं होता । इसलिये मोक्ष अथवा ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करने की अभिलाषा वाले को निष्काम भाव से ही कर्मकाण्ड का अनुष्ठान करना चाहिये ।

यह संभव है कि मीमासा-दर्शन के बहुसंख्यक भाष्यकारों ने अपने विचारानुसार उक्त सूत्रों का अर्थ भिन्न प्रकार से किया हो और उनमें ईश्वर की चर्चा न पाई जाती हो, फिर भी जहाँ तक मीमासा-साहित्य का अध्ययन किया गया है मीमासा में ईश्वर के खण्डन की बात कहीं नहीं मिलती । ऐसी दशा में यदि मीमासाकार ने अपना विवेचन

कर्मकाम्य तक ही सीमित रखा हो और विषयान्तर के क्याह से अन्य विषय की विधेय रूप से चर्चा न की हो तो यह कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे उसे ईश्वर विरोधी घोषित किया जा सके ।

मीमांसा के ईश्वरवादी होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि सर्वोपरि ईश्वरवादी वेदान्त-दर्शन ने मीमांसारों महर्षि जमिनि का प्रमाण ईश्वर सिद्धि के सम्बन्ध में दिया है । जीव की मुक्त-अवस्था का वर्णन करते हुये महर्षि वाचस्पयि कहते हैं—

ब्रह्म च वैमिनिवपन्यासादिभ्यः । ( वेद ४-४ ६ )

अर्थात्— वैमिनि आचार्य के मतानुसार मुक्त अवस्था में जीव ब्रह्म के आनन्द आदि गुणों को धारण करता है ।” इस कथन से स्पष्ट सिद्ध होता है कि मीमांसाकार महर्षि वैमिनि ईश्वर को मानते थे और उसके सच्चिदानन्द स्वस्व में विश्वास रखते थे । एक अन्य सूत्र में कहा गया है—

साक्षादप्यविरोधं वैमिनिः ।

अर्थात्— आचार्य वैमिनि साक्षात् ही ईश्वरानुभव के ईश्वर-बन्ध होने का अविरोध कथन करते हैं ।” इसका आशय यह है कि मीमांसा-दर्शन जमिनि को परमात्मा का स्वस्व ही मानता है ।

वेदान्त-दर्शन से यह भी सिद्ध होता है कि मीमांसाकार वैमिनि जीवात्मा और परमात्मा के सम्मिश्रण के विषय में भी एक-ही ही दृष्टि रखते हैं । इस सम्बन्ध में वेदान्त-दर्शन के चौथे अध्याय के बीसरे पाठ में तीन सूत्र दिये गये हैं—

अहं वैमिनिम् क्व त्वात् ॥१२०॥

दर्शनान्ध ॥१२१॥

न च कार्ये प्रतिपत्त्यमित्यभिः ॥१२२॥

इसका तात्पर्य यह है कि—“जीवात्मा जब ब्रह्मलोक को प्राप्त

होता है तो इसमें कुछ लोग शङ्का करते हैं कि वह जीवात्मा परब्रह्म ( निर्गुण ) को प्राप्त होता है अथवा कार्यब्रह्म ( सगुण ) को । इस विषय में जैमिनि का मत है कि मुख्य अथवा परम्ब्रह्म को ही प्राप्त होता है । किसी वचन में गीण अर्थ की कल्पना उस समय की जाती है जब कि मुख्य अर्थ की कोई उपयोगिता न हो । इसलिये जब परब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है और सब लोक उसी के रचे हैं तो 'ब्रह्म' शब्द से कार्य-ब्रह्म की कल्पना करना निरर्थक है ।”

दूसरे सूत्र में बतलाया गया है कि अध्यात्म विषयक अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों में भी जीवात्मा की ऐसी ही गति बतलाई गई है । छादोग्य उपनिषद् में कहा है कि—“मुक्तात्मा पुरुष सुषुम्णा नाडी द्वारा ऊपर चठ कर अमृतत्व को प्राप्त होता है ।” कठोपनिषद् में कहा है कि—“वह ससार-मार्ग से उस पार विष्णु के परमपद को प्राप्त होता है ।” इससे यही विदित होता है कि मुक्तात्मा कार्यब्रह्म के समीप नहीं वरन् परब्रह्म के लोक में ही पहुँचते हैं ।

तीसरे सूत्र में इसी मत को दृढ़ करते हुये कहा है कि—“जब मुक्तात्मा परब्रह्म की प्राप्ति के लिये ही साधना करते हैं और वही उनका लक्ष्य होता है तो कोई कारण नहीं कि उनकी गति कार्यब्रह्म तक मानी जाय । उपनिषदों में जीवात्मा के प्रजापति के समाभवन में पहुँचने का वर्णन मिलता है, पर उसका यह आशय नहीं कि वह वही रहने लगता है । उस वर्णन से यही प्रकट होता है कि जीवात्मा किस क्रम से ऊपर की ओर उठता जाता है और अन्त में अपने लक्ष्य-स्थान को प्राप्त होता है ।”

दूसरा प्रमाण यह भी है कि जब वे यज्ञ और महायज्ञों का इतना अधिक समर्थन करते हैं और यज्ञों का मुख्य उद्देश्य देवताओं के नाम पर बाहुतियाँ देना ही है, तो वे ईश्वर के विरोधी अथवा न मानने वाले कैसे हो सकते हैं ? वेदों में तो जगह-जगह यह कहा गया है कि



जिन्होंने देवता हैं वे सब एक परब्रह्म की शक्तियों के ही विभिन्न रूप हैं। उपनिषदों में कहा गया है इन्द्र अग्नि मातरिषा ( वायु ) ब्रह्म अस्विनीकुमार आदि सब एक ही परमात्मा के अलग-अलग नाम हैं। ऐसी दृष्टि में मीमांसा देवताओं की पूजा उपासना वा समर्पण करता हुआ ईश्वर को कैसे समझ कर सकता है ? यद्यपि नास्तिकता का विरोध है न कि नास्तिकता का। देवताओं और परमात्मा के मानने में कोई खास अन्तर नहीं और 'देव' शब्द ही परमात्मा के लिये सर्वत्र उपयोग किया ही जाता है।

मीमांसा शास्त्र के अग्य आचार्यों के बताने प्रत्नों से भी बड़ी प्रशंसा होता है कि उनमें ईश्वर का प्रसङ्ग ही नहीं उठाना गया है और समस्त शक्ति कमलाक्ष की सर्वोपरि महत्ता तथा तत्त्वबन्धी क्रियाओं के निरूपण पर ही अगारि परी है। कुमारिल ने अपने ग्रन्थ में सर्वज्ञता का अर्थन किया है, जिससे कुछ छोड़ उसे ईश्वर का अर्थन समझ लिये हैं। पर कुमारिल का अर्थन बौद्ध और जैन धर्म में वर्णित 'सर्वज्ञता' का अर्थन करने से है। कुमारिल के विषय प्रमाकर ने भी अनुमान द्वारा सिद्ध ईश्वर का अर्थन किया है। उनका मत है कि वेद में ईश्वर के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वही मास्य है। अग्य प्रमाओं तर्कों और अनुमान आदि द्वारा ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयत्न हास्यास्पद है। बाद के आचार्यों ने जीव की मोक्ष होने का वर्णन करते हुए यह माला है कि जब तक कर्मों को निष्काम भाव से करके उनका फल ईश्वरपक्ष न क्रिया आगया तब तक साधारण बन्धनों से अलग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता संभव नहीं। इस प्रकार मीमांसा में कभी भी ईश्वर के अर्थन की कोई बात बोलने में नहीं जाती बल्कि कर्म-फल के प्रसङ्ग में उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष बचना अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार ही किया गया है। इस विषय की व्याख्या में अचका अग्य वर्धनो से बीसा ही मतभेद है बीसा सब में एक दुसरे से पाया जाता है। जैसे विद्यान्त-वर्धन मोक्ष अद्वैता में जीवात्मा का परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन होना मानता

वितने देवता हैं वे सब एक परब्रह्म की शक्तियों के ही विभिन्न रूप हैं। उपनिषदों में कहा गया है इन्द्र इति मातरिश्वा ( वायु ) इत्य अग्निनीकुमार आदि सब एक ही परमात्मा क अक्षय-अक्षय नाम है। ऐसी रक्षा में मीमांसा देवताओं की पूजा उपासना का समर्पण करता हुआ ईश्वर को कैसे ब्रह्मत्व कर सकता है ? यह अस्तित्वता का सिद्ध है न कि नास्तिकता का। देवताओं और परमात्मा के मानने में कोई खास अन्तर नहीं और 'देव' शब्द तो परमात्मा के किये सर्वत्र उपयोक्त किया ही जाता है।

मीमांसा शास्त्र के अग्र आचार्यों के बनाने ग्रन्थों से भी नहीं प्रकट होता है कि उनमें ईश्वर का प्रसङ्ग ही नहीं बढाया गया है और समस्त अति कमकाष्ठ की सर्वोपरि महत्ता तथा तत्सम्बन्धी ठिंकाओं के निर्भय पर ही जगदी गई है। कुमारिल ने अपने ग्रन्थ में 'सर्वज्ञता' का अर्थ किया है, जिससे कुछ छोटे उभे ईश्वर का अर्थ समझ लेते हैं। पर कुमारिल का उद्देश्य बौद्ध और जैन धर्म में वर्णित 'सर्वज्ञता' का अर्थ करने से है। कुमारिल के शिष्य प्रमाकर ने भी अनुमान द्वारा सिद्ध ईश्वर का अर्थ किया है। उनका मत है कि यह में ईश्वर के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वही मान्य है। अन्य प्रमाणों तर्कों और अनुमान आदि द्वारा ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयत्न हास्यास्पद है। बाद के आचार्यों ने जीव की मोक्ष होना का वर्णन करते हुए यह माना है कि जब तक कर्मों को निष्काम धार से करके उनका फल ईश्वरपद न किया जायता तक तक साधारण बन्धनों से छूट कर मुक्ति प्राप्त कर उगना संभव नहीं। इस प्रकार मीमांसा में कहीं भी ईश्वर के अर्थ की कोई बात देखने में नहीं आती बल्कि कर्म-फल के प्रसङ्ग में उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष मयदा अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार ही किया गया है। इस विषय की व्याख्या में उसका अन्य वर्तनों से बीदा ही मतभेद है वही सब में एक बूटरे से पाया जाता है। जैसे देवाय-वर्धन मोक्ष अवस्था में जीवात्मा का परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन होगा मानता

है, पर जैमिनि का मत है कि “मुक्त-आत्मा ब्रह्म में लुप्त नहीं हो जाती, वरन् ब्रह्म के सदृश्य हो जाती है, उसका अपना अस्तित्व बना रहता है। उसमें ज्ञान के साथ अनुभूति का भाव भी रहता है।”

प्राचीन-ग्रन्थों में काल-प्रभाव से बहुत से मतभेदों और पाठान्तरों का हो जाना कोई असंभव या आश्चर्य की बात नहीं है। एक शब्द अनेक अर्थों का वाची होता है और एक वाक्य का अन्वय विद्वान् लोग तरह-तरह से कर सकते हैं। इसी के फलस्वरूप यह अन्तर धीरे-धीरे बढ़ता हुआ कुछ सौ वर्षों में इतना अधिक हो जाता है कि लोगों को एक ही ग्रन्थ अथवा एक ही लेखक की बातें एक दूसरे से प्रतिकूल जान पड़ने लगती हैं। तब इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि वास्तविकता को खोज कर उन विरोधों को दूर किया जाय। स्वयम् मीमांसा-दर्शन की रचना इसी प्रकार हुई है। जब वैदिक कर्मकाण्ड अनेक शाखाओं में बंट गया और लोग एक दूसरे से विपरीत विधान का प्रयोग करने लगे तब महर्षि जैमिनि ने अनेक प्रकार की क्रियाओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करके वेद-वाक्यों के वास्तविक आशय को प्रकट करने के लिये मीमांसा सूत्रों की रचना की।

### मीमांसा और पशु-बलिदान—

मीमांसा-दर्शन पर जो सब से बड़ा आक्षेप किया जाता है वह यह है कि उसमें यज्ञ में पशुओं को मार कर उनके अंग-प्रत्यंगों को हवन करने का विधान पाया जाता है। इस बात के कहने वाले साधारण अल्प बुद्धि वाले लोग नहीं हैं, वरन् बहुसंख्यक संस्कृतज्ञ पंडित और शास्त्रों का अभ्ययन करने वाले भी यही बात कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आजकल के पण्डित समुदाय में मीमांसा-दर्शन के प्रति एक प्रकार की विरक्तता का भाव उत्पन्न हो गया है और वे उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे हैं।

यह बात तो सभी इतिहासज्ञ कहते हैं कि मध्यकाल में यज्ञों में पशु हिंसा की प्रथा ही समाप्त हो गई थी और एक समय यह हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि मूक पशुओं के कर्म भीष्कार से महदय छल्लि का आसन भी हिल उठा था। इसी के परिणामस्वरूप गौर्षे अन्ततः भनवान् बुद्धदेव का आदिर्मान् हुमा जिन्होंने यह प्रयत्न और परिश्रम से इन क्रूरता का अन्त करवाया। यह बटना एक ऐतिहासिक तथ्य है, जिसे कोई निप्यथ व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता। पर प्रश्न यह है कि क्या यह पशु हिंसा यज्ञों में समाप्त होती आई थी और छात्रों में उसका स्पष्ट विधान है? इस सम्बन्ध में विद्वान्ओं का मत तो यह है जो पर जिन भारतीय विद्वान्ओं ने इस सम्बन्ध में आन्वीय बचनों पर विचार किया है उनका यही मत है कि यह हिंसा बाह्य में घूर्त और पाण्डित्यो से सम्बन्धित कर ही थी। महामारुत (शांति पर्व) में कहा गया है—

सुरा मत्स्यः पशोर्षातं द्विजातीनां पक्षिस्तथा ।

घूर्तं प्रवर्तितं यज्ञे नैतद् वेदेषु चक्ष्यते ॥

यर्षान् 'मत्स्य' मछली और पशुओं का मांस तथा द्विजातियों का अन्विान आदि घूर्त द्वारा यज्ञ में प्रवर्तित हुआ है। वेदों में मांस का विधान नहीं है।

वस्तु स्थिति यह है कि कर्मकाण्ड मूकक पर्व ३५ में प्राचीन काल से ही ऐसी और आसुरी-वैतो पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं। वेदा युग में राजा को वेदों का प्रकाण्ड पंडित माना गया था और उसने वेदों पर शास्य भी किया था। पर असुर होने के कारण उसने वेदों के अज्ञान यज्ञों का अर्थ हासपरक ही किया। रामायण से विदित होता है कि राम ने मेघनाथ आदि जितने यज्ञ करते थे उसमें वेदों को मारकर उनके मांस और रक्त आदि का हवन किया जाता था। इसलिये यदि आसुरी-वक्त यज्ञों में पशु बलिदान का समर्पण करता रहा और उसीके अनुषार यज्ञ रचता भी रहा तो इसमें अस्मन्व क्या है? तत्पश्चात् मध्यकाल में भी जिन प्रदेशों

अथवा जातियों में मासाहार का प्रचार बढ़ा उन्होंने प्राचीन आसुरी भाष्यों का आश्रय लेकर पशु बलिदान को उचित ठहरा दिया और जनता को बहका कर उसका अधिकाधिक प्रचार बढ़ा दिया। बुद्ध के श्राविर्भाव के बाद भी इस देश में जत्र वाम-मार्ग की प्रबलता हुई तो उन्होंने अपने स्वार्थ की दृष्टि से फिर वेदों और यज्ञों में पशु हिंसा के होने की बात उठाई और प्राचीन ग्रन्थों में जगह-जगह उसका समर्थन करने वाले नये वाक्य गूढ़ कर कर भी मिला दिये। इस प्रकार सर्वसाधारण में एक प्रकार का भ्रम फैल गया और मतभेद उत्पन्न हो गया। उनमें से कुछ पशु बलिदान को शास्त्र-सम्मत बतलाने लगे और कुछ उसे शास्त्र-विरुद्ध कहते रहे।

यज्ञ और हवनों में मांस आदि के उपयोग का भ्रम उत्पन्न होने का दूसरा कारण यह भी है कि कितने नाम ऐसे हैं जिनका अर्थ पशु-पक्षियों का भी निकलता है और उसी नाम की औषधियों का भी। हवन सामग्री में उन औषधियों का विधान देख कर मांस के पक्षपातियों ने उसका अर्थ पशुओं से लगा लिया। इसी प्रकार 'अज' का अर्थ पुराने चावलों का है। कुछ लोगों ने उसका आशय बकरा बतला कर उसको यज्ञ में काटना शुरू कर दिया। इसी प्रकार 'छाग' शब्द का अर्थ भी बदल दिया गया है।

यह बात सामान्य बुद्धि से भी प्रतीत होती है कि जब यज्ञ का एक मुख्य उद्देश्य वातावरण को शुद्ध तथा पवित्र करना होता है और उसके द्वारा वर्षा होने तथा प्रजा का पोषण होने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, तब उसमें मांस आदि जैसे दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले पदार्थों की आहुतियाँ कैसे दी जा सकती हैं? कहाँ तो शास्त्र में अगर, तगर, चन्दन कपूर, इलायची, जावित्री, शक्कर, घी, दूध, मधु आदि की आहुतियों का विधान किया है और कहाँ ये अन्य टीकाकार बकरा, भैंसा, घोड़ा, आदि काटकर उनके अङ्गों का हवन करने का अर्थ बतलाने लगे। हमें यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस प्रकार मारे हुये और जीवित

पशुओं को अग्नि कुण्ड में डालने का कार्य रासस प्रकृति के व्यक्ति ही कर सकते हैं, जो दिन रात मौसाहार करते हैं और जिनकी दृष्टि में वह एक बड़िया और पौष्टिक पदार्थ है। अन्य लोग तो ऐसे भीभ्रष्टकाण्ड के वर्धन से ही जुबा से भर जायेगे और नाक भी सिकोड़ने लगेंगे। ऐसी अवस्था में हिंसा वाले बड़ों को स्वाभाविक बचवा जनघन्यावकारी करने का साहस कोई बुद्धिमान नहीं कर सकता।

मीमांसा-वर्धन में कई जगह यज्ञ में मांस के उपयोग का निषेध स्पष्ट रूप से किया गया है। जैसे १२-२२ में कहा है 'मांस पाक प्रतिषेधश्च तद्वत्' और १२-२२६ में 'मांस पाको विहित प्रतिषेधः स्यात् बाहुवि संयोगात्'। इनका आशय यही है कि वैदिक यज्ञों में पशुहिंसा अपना किसी भी पशु के मांस खादि का प्रयोग वर्जित है। अब यह बात बूझती है कि जिस प्रकार वेद खादि सभी प्रान्तों में धीपाठानी करके टीकाकार लोग अपने अपने सम्प्रदाय अपना मत कि मनुकुण्ड अर्ध निराक केते हैं, उसी प्रकार मांस के पक्षपाती टीकाकारों और माप्यकाये ने मीमांसा के सूत्रों का अर्थ भी अपने मतानुसूत्र छिद्र कर दिया। पर इस प्रकार के विषयों में एक वाक्य बचवा शब्द के कई अर्थों में से अपनी पसन्द का अर्थ चुन देने से यह श्य पूरा नहीं हो सकता। इस प्रकार की पाछ छास्त्रार्थ बचवा दिबावो में काम मसे ही दे जाय पर भिन्नी के हृदय पर उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसके लिये तो सम्पूर्ण प्रान्त के समुपम रूप से आशय पर ध्यान देना ही आवश्यक है। इस दृष्टि से जब हम 'मीमांसा-वर्धन' पर विचार करते हैं तो उचना मूम उद्देश्य वेदों की प्रामाणिकता का प्रतिपादन और ठिद वेदों के सिद्धान्तानुसार यज्ञ सम्बन्धी विविध क्रियाओं के पदार्थ कर का निषय करना है। इसके लिये उगूँने जो १२ अध्याय किये हैं उनमे से कोई भी मांस क प्रयोग से सम्बन्ध नहीं रखता। हाँ जवम पशुओं का जिड बचरय निष्ठता है पर निहानों के मतानुसार उचना आशय पशुओं को बान बने से है, नाटने मारने से नहीं। जो वेद मनुष्या को उच्छतोदिना मास्यज्ञान और धेड

कर्तव्यो की शिक्षा देने के लिये प्रकट किये गये हैं, उनसे इस प्रकार के आसुरी सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना भी अनुनयुक्त जान पड़ता है ।  
मीमांसा और मोक्ष-साधन—

प्रत्येक दर्शन-शास्त्र का एक अङ्ग मोक्ष साधन के विषय में विचार करना भी होता है । जो दार्शनिक इस ससार को सर्वथा दुःख रूप नहीं मानते वे भी सुख के साथ दुःख की अधिकता तो बतलाते ही हैं । ऐसी अवस्था में उस दुःख से छुटकारा पाना प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का उद्देश्य होना ही चाहिये । पर इम सम्बन्ध में मीमांसा तथा अन्य दर्शनों में एक बड़ा भेद यह है कि जहाँ अधिकांश दर्शन कर्म को बन्धन-कारक मानते हैं और उसके लिये या तो वेदान्त की तरह कर्म-त्याग (संन्यास) की सम्मति देते हैं या गीता की तरह अनासक्त होकर कर्म करने (कर्म योग) या विधान बतलाते हैं, वहाँ मीमांसा कर्मकाण्ड द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करने की बात कहता है ।

मोक्ष के सम्बन्ध में मीमांसा में दो प्रकार के मत पाये जाते हैं जिनमें से एक प्रभाकर का है और दूसरा कुमारिल का । प्रभाकर कहते हैं कि “आत्मा में ज्ञान, सुख, दुःख अनेक विशेष गुण विद्यमान रहते हैं । जब इन विशेष गुणों का नाश सम्पन्न हो जाता है तब आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है और यही मोक्ष है । मोक्ष की दशा में आत्मा को आनन्द का अनुभव नहीं होता ।” इसका तात्पर्य यह है कि सुख-दुःख तथा अन्य प्रकार के अनुभव करना आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है वरन् वह शरीर के द्वारा ही इनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है । जब शरीर और आत्मा का सम्बन्ध समाप्त हो जाता है तो वह किसी प्रकार के दुःख-सुख का अनुभव नहीं कर सकता और यही उसका वास्तविक रूप है ।

पर कुमारिल भट्ट इस मत का विरोध यह कहकर करते हैं कि प्राणीमात्र का उद्देश्य सुख प्राप्ति के लिये प्रयत्न माना जाता है और

वहीके लिये वह पुनःपाप भी करता है । यदि मोक्ष में किसी प्रकार का आनन्द नहीं हो तो उसके लिये उद्योग करने की आवश्यकता ही क्या है ? इसलिये कुमारिल ने मोक्ष की व्याख्या इस प्रकार की है—

बुद्ध्यात्म्यं तमच्छेदे कति प्राप्तात्म बलिन ।

सुखस्य मनसा धूमितमुक्तिस्तता कुमारिलैः ॥

अर्थात् 'बुद्ध का अत्यन्त नाश हो जाने पर वात्सा न पहले से विद्यमान होने वाले सुख का जब मन के द्वारा उपभोग अवकाश अनुभव होने लगता है, वही मुक्तिवस्था है । इस प्रकार कुमारिल मुक्ति में आनन्द की अनुभूति मानते हैं, जब कि प्रभाकर श्याव और वैश्विक दर्शन की तरह उसे आनन्दानुभव से पूर्य बगछाते हैं ।

इन दो के अतिरिक्त कुछ मीमांसकों ने मुक्ति प्राप्त करने का एक अन्य सरल मार्ग ढूँढ लिया है । उसका वर्णन करते हुये 'गीता-रहस्य' में कहा गया है कि 'मीमांसकों की दृष्टि से समस्त कर्मों के नित्य नैमित्तिक काम्य और निश्चित ऐसे कार भेद होते हैं । इनमें से सम्प्राप्ति का नित्य-कर्मों का न करने से पाप कथता है और नैमित्तिक कर्म तभी करने पड़ते हैं जब उनके लिये कोई विशेष निमित्त उपस्थित हो । इसलिये मीमांसकों का कहना है कि इन दोनों कर्मों को करना ही चाहिये । बाकी रहे काम्य और निश्चित कर्म । इनमें से निश्चित कर्म करने से पाप कथता है इसलिये उनको नहीं करना चाहिये और काम्य कर्मों के करने से उनका फलको को भोगने के लिये फिर जन्म लेना पड़ता है इसलिये उन्हें भी नहीं करना चाहिये । इस प्रकार निश्चित कर्मों के तारतम्य का विचार करके यदि मनुष्य कुछ कर्मों की छोड़ दे और कुछ कर्मों को आस्तोक्त रीति से करता रहे तो वह आत ही भाव मुक्त हो जाता है । क्योंकि प्रारब्ध कर्मों का इस जन्म में उपभोग कर लेने पर उनका जन्म हो जाता है, और इस जन्म में सब नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते रहने से तथा निश्चित कर्मों से बचते रहने से तर्क नहीं आता पड़ता इसी प्रकार काम्य कर्मों को छोड़ देने से स्वर्ग जाने की भी आवश्यकता नहीं रहती ।



जब इस मार्ग से मृत्यु लोक, नरक और स्वर्ग ये तीनों गति छूट गई तो आत्मा के लिये मोक्ष के सिवा कोई दूसरी गति ही नहीं रह जाती।”

मीमांसको की उक्त व्याख्या तर्क की दृष्टि से तो ठीक जान पड़ती है, पर वेदान्त सिद्धान्त वाले इसे भ्रान्त बतला कर खण्डन करते हैं। उनका कहना है कि—“पहले तो सब निषिद्ध कर्मों का त्याग करना ही असम्भव है, और यदि कोई निषिद्ध कर्म हो जाता है तो केवल नैमित्तिक प्रायश्चित्त से उसके सब दोषों का नाश नहीं होता। यदि किसी प्रकार इस बात को सभव भी मान ले तो दूसरी आपत्ति यह है कि सब प्रारब्ध कर्मों का सग्रह एक जन्म में समाप्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि सचित्त कर्मों के फल प्रायः परस्पर विरोधी होते हैं। उदाहरणार्थ एक कर्म का फल स्वर्ग सुख और दूसरे का नरक-यातना हो तो दोनों को एक ही समय में और एक ही स्थान में कैसे भोगा जा सकता है? इस-लिये यदि मीमांसा के बतलाये अनुसार चारों प्रकार के कर्मों को ऊपर बतलाये ढङ्ग से करते भी रहे तो पहले के वचे हुये भले और बुरे प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ता है।”

इस दृष्टि से कोरे कर्मवाद द्वारा मोक्ष की समस्या हल नहीं हो सकती, वरन् उसके लिये कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय भी अनिवार्य है। अतः जब तक कर्म के साथ आत्मज्ञान प्राप्त न किया जायगा तथा शम, दम, तितिक्षा आदि गुणों पर आचरण न किया जायगा तब तक मोक्ष दूर ही बनी रहेगी।

×

×

×

“मीमांसा-दर्शन” की टीका तैयार हो जाने पर समस्त आस्तिक भारतीय दर्शनों के हिन्दी भाषान्तर का कार्य पूर्ण हो गया। निस्सन्देह इन सब में ‘मीमांसा’ का कार्य सर्वाधिक अडचनपूर्ण था, क्योंकि कई प्रकार की असुविधाओं के कारण वर्तमान समय में इसके ग्रन्थ और भाष्य बहुत कम मिलते हैं और जो हैं भी वे अपूर्ण हैं। इसका एक कारण, जैसा हम अग्य लिख चुके हैं, यह भी है कि वर्तमान समय में पुरा-

काशीन यज्ञों की परिपाटी का प्रामाण्य कोप हो गया है और इसलिये पाठकों की इस छात्र की ओर रुचि नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि यह वर्णन बहुत बड़ा है बितने सूत्र अन्य ५ वर्णनों में कुछ मिला कर पाये जाते हैं उसने अकेले इस वर्णन में है। इसलिये बड़ा अन्य वर्णनों में सूत्रों का भावार्थ विस्तारपूर्वक छिना है इसके सूत्रों का अर्थ बिल्कुल सक्षिप्त रूप में देना पड़ा है। यदि ऐसा न किया जाता तो यह कार्य वर्णनों से बौगुना अधिक हो जाता।

वर्णनों के इस भावान्तर-कार्य में हम को अपने सहयोगी श्री राठोरसाहब मुन्ध ( मधुरा ) से अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है। उनके सहयोग के बिना इस भारी कार्य का अकेले निर्वहण कर सकना कठिन था। इसके लिये गुस्ताबी हमारे हार्दिक अग्र्यवाद के अधिकारी हैं। पुस्तक के संशोधन और छपा कर सुन्दर रूप में तैयार करने का उत्तरदायित्व श्री सत्यमल्ल जी पर रहा है जिसका प्रतिफल इस प्रकाशन की उत्कृष्टता के रूप में पाठकों के सम्मुख उपस्थित है।

गायत्री तपोभूमि  
मधुरा।

—श्रीराम शर्मा व्याख्यान।

# मीमांसा-दर्शनम्

## प्रथमोऽध्यायः

### प्रथम पाद

[ महर्षि जैमिनि के 'मीमांसा-दर्शन' के इस प्रथम अध्याय का नाम "धर्म-विज्ञासा" है। इस सम्बन्ध में रचियता का सिद्धान्त है कि धर्म का प्रमुख साधन यज्ञ-यागादि (कर्मकाण्ड) हैं और वह एकमात्र वेद के आदेश तथा विधि के अनुकूल होना चाहिए। यह उद्देश्य अन्य किसी प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर सिद्ध नहीं हो सकता। वेद के प्रमाण को सत्य सिद्ध करने के लिए और किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अनादि और स्वतः प्रमाण है। वेदों के शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक और नित्य है, उसमें कभी किसी प्रकार का अन्तर पड़ना सम्भव नहीं। इसलिये जो मनुष्य जगत में आकर अम्युदय (सासारिक उन्नति) तथा निश्चयस(मोक्ष) की अभिलाषा रखता उसे वैदिक आदेश का ही पालन करना चाहिये। इसके लिए वेद का अर्थ सहित पठन-पाठन मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण-गन्थ, कल्प सूत्र, और स्मृतियाँ आदि भी धर्म का उपदेश देती हैं और इस कार्य में सहायक हैं, पर उनका मत वहीं तक मान्य है जहाँ तक वह वेदार्थ के अनुकूल हो। वेद के प्रतिकूल होने पर ब्राह्मण, कल्प आदि ग्रन्थों को नहीं माना जा सकता। इस दृष्टि से इस अध्याय में वेदानुकूल अग्निहोत्रादि कर्मों की आवश्यकता और प्रामाणिकता का

विषयन क्रिया ज ता है । इस सम्बन्ध में एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिये कि यह वर्तन 'व्याय-वर्तन' के कुछ भागों की तरह प्रकृत-व्यायमान के रूप में क्लृप्ता गया है । पहले वैदिक-विद्वान्त के सम्बन्ध में प्रतिपक्षियों के आक्षेपों का उल्लेख किया गया है और फिर एक या अधिक सूत्रों में इनका निराकरण और अपने मत का प्रतिपादन किया गया है । इस शैली के कारण अनेक स्वसो पर पाठकों को मीमांसा के वास्तविक सिद्धान्त का पता लगाने में कठिनाई उपस्थित हो जाती है । अतः इस वर्तन का अध्ययन विशेष सावधानी के साथ और सभी प्रकार समझकर किया जाना आवश्यक है । ]

अथातो धर्मविज्ञासा ॥१॥

शोचतालक्ष्णोऽर्धो धर्मः ॥२॥

तस्य निमित्तपरीष्टि ॥३॥

सत्सप्रयोगे पुस्त्यस्मेश्रियत्वा बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमनिमित्त  
विद्यमानोपरुम्भनत्वात् ॥४॥

ओत्पत्तिरस्तु लब्धस्यार्धेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानभूपदेशोऽप्य-  
तिरेकश्चाधेऽनुपलब्धे तत्प्रमाण वाचरामसत्यानपेक्षत्वात् ॥५॥

कर्मैके तत्र वर्तनात् ॥६॥

अस्मान्मात् ॥७॥

करोतिष्ठम्भात् ॥८॥

सत्वान्तरे च यौयपद्यात् ॥९॥

प्रकृतिविकृत्योत्पत्त ॥१०॥

अब धर्म की विज्ञासा होती है ॥१॥ विधान में धर्म को धर्म कहते हैं ॥२॥ उस वेदोक्त धर्म की प्रमाण परीक्षा है ॥३॥ इन्द्रिया के कार्य वस्तु से समुक्त होने पर पुस्त्य को धर्म माना जाता है, यही प्रत्यक्ष है । यह विद्यमान न पराधीन के इन्द्रियों से उपयोग प्राप्त करने के कारण धर्म में प्रमाण नहीं है ॥४॥ वेद के प्रत्येक पद का धर्म से स्वाभाविक सम्बन्ध

है धर्म के यथार्थ ज्ञान-साधन के ईश्वर द्वारा उपदिष्ट होने से तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अप्राप्त अव्यभिचारी और अविरोधी होने पर भी व्यास जी के मत में वह वाक्य अनपेक्षित होने से धर्म में स्वतः प्रमाण हैं ॥५॥ कोई-कोई विद्वान् शब्द को कार्य मानते हैं, क्योंकि शब्द में प्रयत्न माना जाता है ॥६॥ न ठहरने वाला होने से भी ॥७॥ शब्द करने के विषय व्यवहार से भी उसकी अनित्यता है ॥८॥ इस तथा और देशस्थ पुरुष में एक साथ पाये जाने से भी शब्द का अनित्य होना सिद्ध है ॥९॥ तथा प्रकृति और विकृति के कारण शब्द अनित्य है ॥१०॥

बुद्धिश्च कतू भूम्नाऽस्य ॥११॥

सम तु तत्र दर्शनम् ॥१२॥

सत परमदर्शन विषयानागमात् ॥१३॥

प्रयोगस्य परम् ॥१४॥

आदित्यवद्यौगपद्यम् ॥१५॥

वर्णान्तरमविकार ॥१६॥

नादवृद्धि परा ॥१७॥

नित्यस्तु स्याद्दर्शनस्य परार्थत्वात् ॥१८॥

सर्वत्र यौगपद्यात् ॥१९॥

सख्याभावात् ॥३०॥

तथा अधिक शब्द बोलने वालों में शब्द की वृद्धि होने से भी शब्द अनित्य है ॥११॥ किन्तु नित्य या अनित्य मानने वालों में शब्द के देखा जाना, समान है ॥१२॥ शब्द के होते हुए भी, जो दूसरे क्षण में दिखाई न देना है वह केवल शब्द के अव्यक्त होने से ही है ॥१३॥ किन्तु प्रयोग आदि के उच्चारण भाव से हैं ॥१४॥ एक शब्द का सब कालों में समान रूप से होना सूर्य के समान समझना चाहिए ॥१५॥ 'इ' के स्थान में 'य' विकार वश नहीं होता, क्योंकि यकार से वहाँ अन्य शब्द की प्रतीति होती है ॥१६॥ अधिक बोलने के कारण नाद की वृद्धि है,

सम्बन्धी नहीं ॥१७॥ शब्द का उच्चारण श्रोता के ज्ञान के बिन्दु होने से सम्बन्धित है अनित्य नहीं ॥१८॥ सब शब्दों में एक समय में ही प्रतिभिन्ना होने से ॥१९॥ संख्या के भाव से भी शब्द नित्य है ॥२०॥

अनपेक्षत्वात् ॥२१॥

प्रख्यानाभावाच्च योगस्य ॥२२॥

स्तिगवर्धनाच्च ॥२३॥

उत्पत्तौ वाञ्छनास्त्युर्यस्यातन्निमित्तत्वात् ॥२४॥

सङ्गसूतानां क्रियार्थेन समान्नायोर्ज्यस्य तन्निमित्तत्वात् ॥२५॥

लोकैः सन्नियमात्प्रयोगसन्निकर्षं स्यात् ॥२६॥

वेदावर्षके सन्निकर्षं पुर्यादध्या ॥२७॥

अनित्यवर्षनाच्च ॥२८॥

उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम् ॥२९॥

शब्दात्मा प्रवचनात् ॥३०॥

परन्तु द्युतिसामान्यमात्रम् ॥३१॥

कृते वा विनियोगस्स्यात्कर्मणस्सम्बन्धात् ॥३२॥

शब्द का नाश होने परन्तु उसके कारण न जानने से भी उसका नित्य होना ही सिद्ध होता है ॥२१॥ शब्द में वायु के अक्ष का कान से प्रत्यक्ष न होने से और लब्धा के द्वारा शब्द का स्पर्श प्रत्यक्ष न होने से भी बड़ी साम्यता ठीक है ॥२२॥ तथा वेदादि में शब्द के नित्यत्व का सिद्ध मिलने से भी नहीं सिद्ध होता है ॥२३॥ अथवा पूर्व पक्ष का स्थापक है । शब्द और उसके अर्थ का सम्बन्ध नित्य होने से वाक्यार्थ कहने वाले नहीं क्योंकि अर्थ का ज्ञान परों से नहीं वाक्य से होता है ॥२४॥ अपने अर्थों में अर्थमाल परों का क्रियावाची परों सहित पाठ होने से अर्थ समुदाय ही वाक्यार्थ ज्ञान होता है । अर्थ की उत्पत्ति में परार्थ ज्ञान ही एक कारण है ॥२५॥ जैसे लोक में नियम से सम्बन्ध होने से बँट्टे केर में भी पद-पर्याय सम्बन्ध के ज्ञान से वाक्यार्थ उत्पन्न होते हैं ॥२६॥ तथा

कोई-कोई विद्वान् वेदों को अनित्य मानते हुए, बनाने वाले पुरुषों के नाम का सम्बन्ध होने से ॥२७॥ और जन्म-मरण घर्म वाले पुरुषों के नाम वेदों में होने से वह पीर्योय है ॥२८॥ परन्तु, वेद रूप शब्द में नित्यत्व पहले ही कहा जा चुका है ॥२९॥ वेद में नाम आदि अध्ययन और अध्यापन के कारण हैं ॥३०॥ वेदों में तुग्र और भुज्यु शब्द केवल शब्द सामान्य मात्र हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है ॥३१॥ अथवा यज्ञ-कर्म के लिये प्रेरणा रूप है, क्योंकि यज्ञ रूप कर्म से सम्बन्धित है ॥३२॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शाना, तस्मादनित्य-  
मुच्यते ॥१॥

शास्त्रदृष्टविरोधाच्च ॥२॥

तथा फलाभावान् ॥३॥

अन्यानर्थक्यात् ॥४॥

अभागिप्रतिषेधाच्च ॥५॥

अनित्यसयोगात् ॥६॥

विधीना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीना स्यु ॥७॥

तुल्य च साम्प्रदायिकम् ॥८॥

अप्राप्ता चानुपपत्ति, प्रयोगे हि विरोधस्स्याच्छब्दार्थस्त्व-  
प्रयोगभूतस्तस्मादुपपद्ये त ॥९॥

गुणवादस्तु ॥१०॥

वेद कर्म का बोधक होने से, उसके विपरीत जो कर्मार्थ बोधक नहीं हैं, वह अर्थ-हीन हैं, अतः वह अनित्य कहे जाते हैं ॥१॥ शास्त्र में विरोध देखे जाने से भी ॥२॥ और फल का अभाव होने से भी प्रामाणिक

नहीं हैं ॥३॥ अर्च रहित होने से भी अप्रामाणिक है ॥४॥ अगति का निषेध करने से भी ॥५॥ अनित्य पदार्थों का वर्णन होने से भी ॥६॥ विधि वाक्यों की स्तुति के कारण विधि वाक्यों के साथ एकवाक्यता होने से स्तुति विधान शोचक विधि-वाक्य प्रमाण है ॥७॥ तथा सृष्टि काक से प्रारम्भ होता समाप्त ही है ॥८॥ स्वप्न दृष्टि से समझे जाने वाले अर्च में वाक्यार्थ की उपलब्धि से विरोध हो तो यह अर्च वाक्यार्थ विपन्न-हीन होने से अग्यार्थ का शोचक है । अतः वेद वाक्यों में पारस्परिक विरोध का अनुपपत्ति शोष न मिलने से भी उक्त वाक्य का अर्च विरोध-हीन है ॥९॥ परन्तु, स्तुतिवाद कहा है वह युगवाच है ॥१॥

क्यात्प्रायस्य ॥११॥

दुरभ्यस्तत्वात् ॥१२॥

अपराधात्कत् पुत्रवर्धनम् ॥१३॥

अन्कालिकेभ्यः ॥१४॥

विद्याप्रशंसा ॥१५॥

सर्वत्वमाधिकारिकम् ॥१६॥

फलस्य कर्मनिष्पत्तौस्तेषां लोकावद् परिमाणत फलविशेष  
स्यात् ॥१८॥

अत्ययोर्धर्मोक्तम् ॥१९॥

विधिर्वा स्मादपूर्वत्वाद्वाद्यमान ह्यनयकम् ॥१९॥

लोकवदिति चेत् ॥२०॥

माय-वेदों में अर्च से वर्णन हुआ है ॥११॥ स्वप्न अर्च करने से तेज और सूर्य की वृष्टि होने से कार्य कारणभाव नहीं बनता ॥१२॥ अपराध से अवाच्यता क्रिया के कर्ता पूर्वा का पुत्र रूप से और तेज का कारण रूप से वर्णन होता है ॥१३॥ एक अर्च में ही माविमान में लोक-प्राप्ति की इच्छा पायी जाने से ॥१४॥ विद्या का बल होने से ॥१५॥ ब्रह्म कर्म का सब को समाप्त अधिकार है ॥१६॥ फल विशेष की कर्म से सिद्धि



होने पर मृत्यु से नहीं बचता । उनके कर्मों का विशेष फल हैं । वह सासारिक कर्म से उत्पन्न फल के समान परिच्छिन्न और बदलने वाला है ॥१७॥ जिन पाँचवें और छठवें सूत्र में अन्त के दोनो पूर्व पक्षों का समाधान है, उत्ती प्रकार यहाँ भी जानें ॥१८॥ अथवा स्पष्ट अर्थ वाले वाक्यों में सिद्ध अर्थ का ज्ञान कराने वाली विधि है, क्योंकि उनका अपूर्व अर्थ विधिवाक्य जैसा ही है । यदि उन्हें सिद्ध अर्थ का बोध कराने वाला ही मानें तो वे प्रमाणित नहीं होंगे ॥१९॥ यदि, यह साधारिक कथन के समान है, ऐसा मानें ॥२०॥

न पूर्वत्वात् ॥२१॥

उक्त तु वाक्यशेषत्वम् ॥२२॥

विधिश्चार्थकं क्वचित्स्मात् स्तुतिं प्रतीयेत, तत्सामान्यादितरेषु तथात्वम् ॥२३॥

प्रकरणे सम्भवन्नपकर्षो न कल्प्येत विध्यानर्थवयं हित प्रति ॥२४॥

विधौ च वाक्यभेद स्यात् ॥२५॥

हेतुर्वा स्पादर्थवत्वोपपत्तिभ्याम् ॥२६॥

स्तुतिस्तु शब्दपूर्वत्वादचोदना च तस्य ॥२७॥

अथे स्तुतिरन्यायेति चेत् ॥२८॥

अर्थस्तु विधिशेषत्वाद्यथा लोके ॥२९॥

यदि च हेतुरवतिष्ठेत निर्देशात्सामान्यादिति चेदव्यवस्था विधीना स्यात् ॥३०॥

सासारिक स्तुत्य वाक्यों में प्रसिद्ध अर्थ ही कहा जाता है, कोई अपूर्व अर्थ नहीं कहा जाता ॥२१॥ परन्तु, ऐसे सिद्ध अर्थ वाले वाक्य विधि-वाक्यों के अङ्ग कहे गये हैं ॥२२॥ यदि उसे विधि-वाक्य मानें तो उनमें कहीं भी अर्थ नहीं मिलेगा, इसलिये सिद्ध अर्थ वाले वाक्यों से कहीं-कहीं स्पष्ट रूप से स्तुति मिलनी है । उसीके समान अन्य वाक्यों में भी स्तुति कल्पना ही उचित है ॥२३॥ प्रकरण के अनुसार स्तुति

मिथने से विधि-वाक्य की कल्पना ठीक नहीं क्योंकि स्तुति के सामने विधि-कल्पना व्यर्थ है ॥२४॥ और उन वाक्यों में विधि-कल्पना से अर्थ-भेद होने पर वाक्य-भेद ही जायगा ॥२५॥ अथवा हेतु से क्योंकि यह वाक्य अर्थ और उपपत्ति बाधा ही ही सफ़टा है ॥२६॥ परन्तु, स्तुति या महात्वात् सामन विधि के अनुकूल ही होगा और ऐसे वाक्यों में यह प्रेरणा नहीं होगी ॥२७॥ यदि कहो कि अर्थ से स्तुति न्यायनुक्त नहीं तो ऐसा कहना ठीक नहीं है ॥२८॥ परन्तु, ऐसे वाक्य विधि वाक्य के अर्थ ही हैं जैसे सामाजिक वाक्यों में होता है ॥२९॥ और उक्त हेतु वाक्य में सामान्य निर्देश से पूर्वोक्त अर्थ स्थिति मानें तो विधि की व्यर्थता ही होगी ॥३०॥

तदर्थात् ॥३१॥

वाक्यनियमात् ॥३२॥

शुद्धात् ॥३३॥

अविद्यमानवचनात् ॥३४॥

अभेदनेर्ध्वान्वयनात् ॥३५॥

अर्थ विप्रतिषेधात् ॥३६॥

स्वाभ्यायवद्वचनात् ॥३७॥

अभिज्ञेयात् ॥३८॥

अनित्यसंयोगात्प्रज्ञानात् ॥३९॥

अविशिष्टस्तु वाक्यार्थात् ॥४०॥

उक्त अर्थ प्राप्त से मनुष्य विवेचन करता है ॥३१॥ प्रत्येक अर्थ में अर्थ-वाक्य का नियम पाथ जाने से वैधान सहित स्वाभ्याय करे ॥३२॥ शुद्धि को वेद बाधा प्राप्त भेद ही है ॥३३॥ अविद्यमान वचार्थ का वर्णन होने से अवाच्यता ही पार्थक्य नहीं है ॥३४॥ अभेदने में अपने अर्थ-वचन के कारण भेद पढ़ने के योग्य नहीं है ॥३५॥ परन्तु विद्वत् अर्थ नहीं के कारण भी वेद का स्वाभ्याय निरर्थक है ॥३६॥

जिन वाक्यों में वेद के पठन-पाठन का उपदेश है, उनमें अर्थ सहित पाठ का विधान नहीं मिलता ॥३७॥ वेदों के अर्थ जानने योग्य न होने से भी व्यर्थ हैं ॥३८॥ अनित्य पदार्थों से सम्बन्धित होने के कारण वेद मन्त्रों का अर्थ सहित पाठ व्यर्थ है ॥३९॥ परन्तु, लोक और वेद में वाक्यार्थ का ज्ञान समान माना गया है ॥४०॥

गुणार्थेन पुन श्रुति ॥

परिसख्या ॥४२॥

अर्थवादो वा ॥४३॥

अविरुद्ध परम् ॥४४॥

सप्रैषे कर्मगर्हानुपलम्भ. सस्कारत्वात्

अभिधानेऽर्थवाद ॥४६॥

गुणादप्रतिषेधः स्यात् ॥४७॥

विद्यावचनमसयोगात् ॥४८॥

सत परमविज्ञानम् ॥४९॥

उक्तश्चाऽनित्यसयोग ॥५०॥

लिङ्गोपदेशश्च तदर्थत्वान् ॥५१॥

ऊह ॥५२॥

विधिशब्दाश्च ॥५३॥

वेद अनेक गुण वाले अर्थों से पूर्ण है ॥४१॥ वेद का अर्थ सहित पाठ त्याज्य-कर्मों का त्याग और ग्राह्य-कर्मों का ग्रहण कराता है ॥४२॥ अथवा, यह अर्थवाद शुभ कर्म से सुख और बुरे कर्म से दुःख होना कहता है ॥४३॥ शुभ-अशुभ कर्मों से सुख-दुःख का होना लोक में भी देखा जाता है, इसलिए वेद में विरुद्धता नहीं है ॥४४॥ वेद में सहस्र सिर और सहस्र नेत्र मनुष्य की बुद्धि को परिष्कृत करने के अर्थ में होने से दोष नहीं है ॥४५॥ अचेतन पदार्थों के सम्बन्ध में कहा है, उसमें तो अर्थवाद है ही ॥४६॥ गुणवृत्ति से अर्थों में परस्पर विरोध होना सिद्ध नहीं होता

॥४७॥ विधि में पठन-पाठन का अर्थ संहित उल्लेख न होता उसके अर्थ की अप्रति के कारण ही है ॥४८॥ यहाँ मन्त्रार्थ में अविद्यात् कर्म है, उसमें अर्थ अर्थ विद्यमान अर्थ का न समझता ही है ॥४९॥ और अन्वित्य संयोग वेद में है इसका समाधान पीछे कहा जा चुका है ॥५०॥ वेद मन्त्र में इत्तर के अर्थ कहे हैं और वे मन्त्र अर्थ वाले होने से पठनीय हैं ॥५१॥ अर्थ से भी यही सिद्ध होता है ॥५२॥ और विधि-वाक्य भी इसी पक्ष में है ॥५३॥

॥ द्वितीय पाद-प्रस्ताव ॥

## तृतीय पाद

धर्मस्य द्वाभ्यमुक्तत्वावशाद्दमपेक्ष्य स्यात् ॥१॥  
 अपि वा कर्तृसामान्यात्प्रमाणमनुमानं [स्यात् ॥२॥  
 विरोधे स्वनपेक्ष्यं स्यात्सति ह्यनुमानम् ॥३॥  
 हेतुवशमात्रम् ॥४॥  
 शिष्टाकोपेऽविच्छेदमिति चेत् ॥५॥  
 न चास्वपरिमाणत्वात् ॥६॥  
 अपि वा कारणप्रहृष्टे प्रमुक्तानि प्रतीयेत् ॥७॥  
 तेष्वदक्षमात्रिरोक्षस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात् ॥८॥  
 चास्वस्या वा तन्निमित्तत्वात् ॥९॥  
 चोदितं तु प्रतीयेताजविरोधात् प्रमाणेन ॥१०॥

धर्म में वेद ही प्रमाण है वेद से विद्य प्रत्य प्राधानिक नहीं हो सकते ॥१॥ महीषाद्य आदि के प्रमाणों को प्राधानिक सिद्ध करने में वेदानु-  
 कूल अनुमान प्रमाण है ॥२॥ वेद और आह्वान प्रमाणों के पारस्परिक  
 विरोध होने पर आह्वान प्रमाण नहीं वेद ही प्राधानिक है ॥३॥ और वेद  
 उन के हेतु हैं, इसलिए ही ॥४॥ अर्थों में ऐतरेयानि आह्वान प्रमाणों को

बिना विरोध स्वीकार कर उन्हें वेदों के अनुकूल माना है ॥५॥ ईश्वर-रचित होने से वेद हों स्वतः प्रमाण हैं, यह कहना ठीक नहीं है ॥६॥ अथवा वेद रूप कारण के बिना वे स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त प्रतीत नहीं होते । ७॥ ब्राह्मण ग्रन्थों में वेद का विरोध न होने से, वे ग्रन्थ वेद के समान ही पदार्थ विज्ञान हैं ॥८॥ अथवा ब्राह्मण ग्रन्थों का निमित्त वेद हैं ॥९॥ विधि से, वेद के विरुद्ध न होने से ब्राह्मण ग्रन्थ भी प्रमाण रूप हैं ॥१०॥

प्रयोगशास्त्रमिति चेत् ॥ ११ ॥

नाऽसन्नियमात् ॥ १२ ॥

अवाक्यशेषाच्च ॥ १३ ॥

सर्वत्र च प्रयोगात्सन्निधानशास्त्राच्च ॥ १४ ॥

अनुमानव्यवस्थानात् तत्सयुक्त प्रमाण स्यात् ॥ १५ ॥

अपि वा सर्वधर्म स्याद्यन्न्यायत्वाद्विधानस्य ॥ १६ ॥

दर्शनाद्विनियोगः स्यात् ॥ १७ ॥

लिङ्गाभावाच्च नित्यस्य ॥ १८ ॥

आख्या हि देशसयोगात् ॥ १९ ॥

न स्याद्देशान्तरेष्विति चेत् ॥ २० ॥

यदि कहो कि प्रयोगशास्त्र ( कल्प सूत्र ) भी तो वेद के समान ही स्वतः प्रमाण हैं ॥ ११ ॥ कल्प सूत्र वेद के समान प्रामाणिक नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें अवैदिक भाव भी हैं ॥ १२ ॥ और उनमें कोई विधि वाक्य या स्तुति-वाक्य भी नहीं मिलता ॥ १३ ॥ सभी कल्प सूत्रों में अर्थ योग्यता से अति निकटस्य वेदार्थ और उसके विरुद्ध अर्थ मिलने से, उन्हें वेद के समान प्रमाण नहीं मान सकते ॥ १४ ॥ अनुमान और व्यवस्थान से स्मृति और शिष्टाचार उसी देश काल आदि से सम्बन्धित होते हुए प्रमाण हो सकते हैं, परन्तु सबके लिये नहीं हो सकते ॥ १५ ॥ अथवा स्मृति और शिष्टाचार से प्रचलित धर्म सभी को समान रूप

से भाष्यरथीय है क्योंकि सिद्धा का भाष्यरथ सर्वा टीक है ॥ १९ ॥  
 विज्ञान से सिद्धापार का प्राप्त करना चाहिये ॥ १७ ॥ समाप्त के  
 बिनाय का कोई फल न होने से बरिच धर्म नित्य है ॥ १८ ॥ अस्त्य  
 ही नाम देव-सम्बन्धी है ॥ १९ ॥ यदि कह कि देवांतर में नहीं होना  
 चाहिये तो यह कहना ठीक नहीं है ॥ २ ॥

स्याद्योगास्या हि माधुरवत् ॥ २१ ॥

कमयर्मो वा प्रयणवत् ॥ २२ ॥

तुल्यं तु कर्तृ धर्मैः ॥ २३ ॥

प्रयागात्प्रत्ययास्त्रत्वाच्छब्देषु न भ्यवस्या स्यात् ॥ २४ ॥

शब्दे प्रयत्ननिष्पत्त रपरामस्य भागित्वम् ॥ २५ ॥

अभ्यायश्चामेकशब्दत्वम् ॥ २६ ॥

तत्र तस्वमभिमोगविधेपारस्यात् ॥ २७ ॥

तदशक्तिरूपानुस्यत्वात् ॥ २८ ॥

एकदेशत्वाच्च विभक्तिभ्यस्त्ययं स्यात् ॥ २९ ॥

प्रयोगघोदनाभावादर्थकत्वमभिभागान् ॥ ३० ॥

जैसे मधुरा निवासी मधुर रहे जाते हैं, उसी प्रकार वैदिक  
 धर्म प्राप्त न करके होने से भारत धर्म है ॥ २१ ॥ प्रथम के समाप्त  
 शक्तियों के नाम के साथ देवबोधक शब्द का योग देवोक्त धर्म का अङ्ग  
 है ॥ २२ ॥ परन्तु, देव विषय को धर्म का अङ्ग मानना काले श्वेत  
 आदि रङ्गों को यज्ञ-धर्म का धर्म मान लेने के समान ही है ॥ २२ ॥  
 कुछ पर सिद्ध करने का भाष्यकारण देव से उत्पन्न नहीं है इसलिये शब्दों  
 में कुछ प्रयोग की व्यवस्था नहीं है ॥ २४ ॥ कुछ शब्द का प्रयोग न  
 करने से अपराम का भाषी होना पड़ता है ॥ २५ ॥ और एक शब्द के  
 समाप्त धर्म वाले शब्दों को स्वीकार करना न्याय नहीं है ॥ २६ ॥  
 कुछ शब्द शब्दों में उत्पन्न भाष्यकारण आदि के अभ्यास से ही हो  
 पाता है ॥ २७ ॥ पद शब्द के लिये भाषी आदि अपराम शब्द शब्द

शब्दों की उत्पत्ति का कारण शुद्ध शब्द जानने की शक्ति न होना है और उसके अनुरूप होने से बोध कर लिया जाता है ॥ २८ ॥ तथा विभक्ति के बदलने पर भी शब्द अर्थ के बोधक होते हैं, वैसे ही अपभ्रंश शब्दों से अर्थ बोध होता है ॥ २९ ॥ शब्द के द्वारा अर्थ की प्रेरणा होने से, शुद्ध-शब्द और अपभ्रंश में समान अर्थ होता है ॥ ३० ॥

अद्रव्यशब्दत्वात् ॥ ३१ ॥

अन्यदर्शनाच्च ॥ ३२ ॥

आकृतिस्तु क्रियार्थत्वात् ॥ ३३ ॥

न क्रिया स्यादिति चेदर्थान्तरे विधान नः द्रव्यमिति चेत् ॥ ३४ ॥

तदर्थत्वात्प्रयोगस्याविभाग. ॥ ३५ ॥

यदि शब्दार्थ को जाति मान ले तो उसे द्रव्याश्रित वस्तुओं का वाचक नहीं मान सकते ॥ ३१ ॥ और ग्रहण-क्रिया के अन्य रूप में देखे जाने से, शब्द का अर्थ जाति नहीं है ॥ ३२ ॥ परन्तु, क्रियार्थत्व होने से शब्द व्यक्ति नहीं, जाति है ॥ ३३ ॥ जाति में दोष है कि उसके आकार-हीन होने से क्रिया नहीं होगी, और अन्य द्रव्य के स्थान में अन्य द्रव्य के ग्रहण का विधान और सख्यादि रूप व्यवहार नहीं होगा । यह मान्यता ठीक नहीं ॥ ३४ ॥ ब्रीह आदि पदों का प्रयोग ब्रीह आदि रूप अर्थ से सम्बन्धित है इसलिये जाति से अर्थ का विभाग नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥

॥ तृतीय पाद समाप्त ॥

## चतुर्थ पाद

उक्त समाप्तायैदमर्थ्यं, तस्मात्सर्वं तदर्थं स्यात् ॥ १ ॥

अपि वा नामधेय स्याद्यदुत्पत्तावपूर्वमविधायकत्वात्

॥ २ ॥

यस्मिन् गुणापदेश प्रधानतोऽभिसम्बन्ध ॥ ३ ॥  
 तत्प्रत्ययान्वयान्यथास्त्वम् ॥ ४ ॥  
 तद्व्यपदेशं च ॥ ५ ॥  
 नामयेय गुणयुते स्याद्विधानमिति चेत् ॥ ६ ॥  
 सुस्पत्वात् क्रिययोन ॥ ७ ॥  
 ऐक्यव्यये परार्थवत् ॥ ८ ॥  
 तद्व्युजास्तु विधीयेरन्नविमामाद्विधानार्थे न चेदन्येन  
 सिद्धा ॥ ९ ॥  
 वहिरान्ययोरसंस्कारे शब्दलाभादतच्छब्द ॥ १० ॥

वेद का विशेषार्थ म प्रमाण कहा है इसलिये यह शास्त्रार्थों में  
 कहा गया उम्हिरादि पर विशेषार्थ क लिये है ॥ १ ॥ अथवा सुते पर  
 जो पर पहिले स्त्री बुरे धर्म म प्रयुक्त न हुआ हो वह नामयेय है, वह  
 किसी गुण विशेष का कहने वाला नहीं ॥ २ ॥ जिस पर में गुणोपदेश  
 हो उसका प्रकृति के साथ अभिसम्बन्ध होना ठीक है ॥ ३ ॥ और जहाँ  
 गुण के कहने वाला अन्य शब्द विद्यमान है वहाँ नाम-विधि होती है  
 ॥ ४ ॥ तथा जिन वाक्यों में उपमान उपमेय भाष से निकस्य की उप  
 कवि हो नाम विधि है ॥ ५ ॥ नाम में गुण के सुते जाने से वाक्येय  
 शब्द से विधान है यदि ऐसा कहे तो ? ॥ ६ ॥ ऐसा नहीं कह सकते  
 क्योंकि गुण विधि मान लेने से वाक्येय यह और शब्दार्थमात्र यह की  
 क्रियात्म परस्पर समान हो जायेगी ॥ ७ ॥ एक वाक्य में गुण क्य अन्य  
 अर्थ का विधान स्वीकार करने से वाक्य भेदक्य दोष उपस्थित होता  
 है ॥ ८ ॥ परन्तु, ज्ञानेय ज्ञानि शब्द कर्म वाले कृत्तों का विधान करते  
 हैं । क्योंकि कर्म विधायक शब्दों में विभाग न होने से यह गुण किसी  
 अन्य वाक्य से उपलब्ध नहीं ॥ ९ ॥ कहीं-कहीं संस्कारहीन वस्तु में  
 वहि और वाक्य शब्द का प्रयोग मिलने से ज्ञात होता है कि वहि तथा  
 वाक्य कृत्त के पर्यायवाची नहीं हैं ॥ १ ॥



प्रोक्षणीष्वर्थसयोगात् ॥ ११ ॥

तथानिर्मन्थ्ये ॥ १२ ॥

वैश्वदेवे विकल्प इति चेत् ॥ १३ ॥

न वा प्रकरणात्प्रत्यक्षविधानाच्च, नहि प्रकरण द्रव्यस्य

॥ १४ ॥

मिथश्चानर्थ सम्बन्ध ॥ १५ ॥

परार्थत्वाद्गुणानाम् ॥ १६ ॥

पूर्ववन्तोऽविधानार्थास्तत्सामर्थ्यं समाप्ताये ॥ १७ ॥

गुणस्य तु विधानार्थे, तद्गुणा प्रयोगे स्युरनर्थका न हि,

त प्रत्यर्थवत्ताऽस्ति ॥ १८ ॥

तच्छेषो नोपपद्यते ॥ १९ ॥

अविभागाद्विधार्थे स्तुस्यर्थेनोपपद्येरन् ॥ २० ॥

प्रोक्षण वाले जलो मे ही प्रोक्षण शब्द का प्रयोग समझे, क्योंकि अर्थ के सयोग से प्रोक्षणी जल को ही कहते हैं ॥ ११ ॥ जैसे प्रोक्षणी शब्द योगिक है, वैसे ही निर्मन्थ्य शब्द भी योगिक ही है ॥ १२ ॥ यदि ऐसा कहे कि वैश्वदेव देवता रूप गुण का विकल्प है तो अनुचित नहीं होगा ॥ १३ ॥ वहाँ अग्नि आदि देवता का प्रकरण होने से और प्रत्यक्ष विधान से वैश्वदेव देवता हैं और द्रव्य का प्रकरण न होने से भी विकल्प सिद्ध नहीं होता ॥ १४ ॥ और परस्पर मे अर्थ सम्बन्ध भी नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ गुणो के पदार्थत्व से कर्म की आवृत्ति नहीं होती ॥ १६ ॥ अग्नि आदि गुण पूर्व होने से विधि का विधान करने मे गुण विधान का सामर्थ्य है ॥ १७ ॥ परन्तु, गुण के विधान करने वाले वचन के होते हुए अष्टकपाल आदि रूप गुणो का विधान नहीं होता । यज्ञ की अन्तर विधि मे भी उपयोग न होने से निष्फल होंगे तथा अर्थ-वाद के बिना प्रकृतियाग से उनका सम्बन्ध और प्रयोजन नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ अष्टकपाल, द्वादशकपाल का शेष है, ऐसा कहना सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १९ ॥ पूर्वोक्त सस्था मे आठ

आदि संस्था का अन्तर्भाव होने से स्तुति के अर्थ द्वारा उपपन्न हो सक्ते हैं ॥ २ ॥

कारणं स्थाविति चेत् ॥ २१ ॥

आनर्थाभ्यादकारणं क्तुहि कारणानि, गुणार्थो हि

विधीयते ॥ २२ ॥

तस्मिद्धिः ॥ २३ ॥

आति ॥ २४ ॥

साकृन्प्यात् ॥ २५ ॥

प्रसंसा ॥ २६ ॥

भूमा ॥ २७ ॥

स्मिद्धि गसमवायात् ॥ २८ ॥

सन्धिरधेषु वाक्यशेषात् ॥ २९ ॥

अर्थात्ता कल्पनेकदेशत्वान् ॥ ३० ॥

बहकपाठ आदि वाक्य पवित्र आदि फल के कारण पवित्रता के शोचक हैं, यदि ऐसा कहे तो ? ॥ २१ ॥ बहकपाठ आदि पवित्रता आदि में फल के कारण नहीं क्योंकि बहकपाठ यजमान को पवित्रता आदि फल मिलते हैं । अतः बहकपाठआदि से स्तुति का विनाश है भुज का नहीं ॥ २ ॥ कुष्ठमुद्धि आदि से यजमान के समान कार्य श्री सिद्धि होती है ॥ २३ ॥ अग्नि आदि संज्ञा से आह्वान आदि बर्णों को कर्त्तृ है यह पाठि है ॥ २४ ॥ साहस्य के कारण भुज को आदिस्थ और यजमान कर्त्ता गया है ॥ २५ ॥ पठ और बोधे के अतिरिक्त बकरे आदि उच अपसु है । इसमें पठ और बस्य की प्रसंसा हुई ॥ २६ ॥ सृष्टि कर्त्तव्य बाके मन्त्रों का भुजस्थ होने से जो सृष्टि कर्त्तव्यों से हीन है, उनका भी ग्रहण हो जाता है ॥ २७ ॥ कर्त्तव्य के कारण प्राणभूत मन्त्र से प्राणभूत और अप्राणभूत दोनों का ग्रहण हो जाता है ॥ २८ ॥ विहित अर्थों में अर्थ होने पर वाक्य शेष से निर्णय होता है ॥ २९ ॥ निर्णयक विधुओं

के अभाव में पदार्थों की योग्यता से ही कल्पना होती है, क्योंकि एक देश होने से कल्पना द्वारा भी अर्थ का निर्णय हो सकता है ॥ ३० ॥

[ “मीमांसा-दर्शन” के प्रवर्तक जैमिनि के मतानुसार कर्मकाण्ड ही धर्म का प्रधान अङ्ग है और वेदों में उसी का उपदेश किया गया है । उनमें केवल कर्मकाण्ड का विधान ही नहीं है वरन् तत्सम्बन्धी उपासना के मन्त्र तथा उनकी पुष्टि करने वाले सिद्धान्त भी सन्निहित हैं । जो लोग इन उपासना तथा सिद्धान्त के मन्त्रों को कर्मकाण्ड से भिन्न समझकर अप्रामाणिक मानते हैं वे गलती पर हैं । मानव-जीवन एक समग्र-वस्तु है और ज्ञान, भाव तथा क्रिया उसी के विभिन्न पहलू या अङ्ग हैं । इस दृष्टि से वेद का कोई भाग अप्रामाणिक अथवा कर्मकाण्ड रूपी धर्म से असम्बद्ध नहीं है । जो लोग वैदिक शब्दों का अर्थ और तात्पर्य न समझ कर उन्हें अर्थहीन बतलाते हैं वे इस विषय से अपरिचित हैं । कर्मकाण्ड के सब मन्त्रों का प्रयोग अर्थ समझकर करना ही उचित है । वेद ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन चतुष्टय को प्राप्त करने का एक मात्र साधन है । जो व्यक्ति अर्थ समझकर वेद के आशय को भली प्रकार हृदयगम कर लेता है उसे जीवन की सफलता का सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाता है ।

एक बहुत बड़ा आक्षेप वेदों पर यह किया जाता है कि उसके मन्त्रों के रचियता ऋषि थे । ये ऋषि मनुष्य ही थे और इसलिये उनके द्वारा रचे हुये वेदों को “अपौरुषेय” नहीं कहा जा सकता है । साथ ही यह भी कहा गया है कि वेदों में स्थान-स्थान पर अनेकों व्यक्तियों के नाम और ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण भी देखने में आता है इससे भी वे अनादि और परमात्मा के रचे हुये सिद्ध नहीं होते । यदि इन दो आक्षेपों को मान लिया जाय तो “मीमांसा-दर्शन” का मूल-आधार ही समाप्त हो जाता है । इस सम्बन्ध में महर्षि जैमिनि का कथन है कि वेद-मन्त्रों में जिन ऋषियों के नाम दिये गये हैं वे उन मन्त्रों के ‘कर्ता’ नहीं

वरम् श्रद्धा है। वे उन मन्त्रों के अर्थ पर विचार और उनका प्रचार करते थे। वेदों का श्रुति नाम भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है। इससे विदित होता है कि ऋषियों ने इन मन्त्रों को सुनकर संसार के हितार्थ प्रकट किया था वे उनके रचने वाले न थे। इसी प्रकार वेदों में व्यक्तियों के जो नाम मिलते हैं वे वास्तव किन्हीं विशेष व्यक्तियों के नहीं हैं, उनका यौगिक-अर्थ ही हमको ग्रहण करना चाहिये। वेदों में ऐतिहासिक घटनायें भी नहीं हैं जो कुछ ज्ञानों का अर्थ व्यक्तियाँ ही समझकर उनको इतिहास समझ लेते हैं। वेद वास्तव में कभी किसी के द्वारा रचे गये नहीं हैं वरम् अनादि काल से इसी रूप में बने आये हैं। उनका प्रत्येक अर्थ अनादि है और एक निश्चित अर्थ को ही प्रकट करता है। इसलिये धर्म का निर्णय और आचरण एक मात्र वेद के आचार पर ही करना अनिवार्य है।

अन्य दर्शनकारों से वैमिनि का इस सम्बन्ध में स्पष्ट मतभेद है। उन्होंने वेदों के प्रमाण को अन्तिम नहीं माना है वरम् ज्ञान विवेक और तर्क से ही सृष्टि जीव तथा ईश्वर विषयक समस्याओं को सुलझाने पर जोर दिया। वर्तमान समय में स्वामी ब्रह्मसंहिता वैमिनि के मत के समर्थक अवश्य हुये हैं। उन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान के रूप में अपौरुषेय माना है। पर वे भी वैमिनि की तरह वेदों के प्रत्येक अर्थ को अनादि मानते हैं इसमें शंका है। ]

# द्वितीयोऽध्याय

## प्रथम पाद

[ प्रथम अध्याय मे धर्म का आचरण करने के लिए वेद विहित कर्मों का महत्व बतलाया गया है । उनमे सिद्ध किया गया है कि वेद ही धर्म का निरूपण करने का एकमात्र साधन है और हम उन्ही के द्वारा अपने धार्मिक कर्तव्यों और कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । ये कर्म प्रधान और गौण इस भेद से दो प्रकार के होते हैं । वैदिक कर्मों मे मुख्य यज्ञ, होम और दान आदि हैं । इनके भी अनेक भेद हैं । उन सब मे गौण और प्रधान का भेद समझ लेना प्रत्येक आत्म-कल्याण के इच्छुक का कर्तव्य है । इनमे सर्वसाधारण के लिए सब प्रकार से उचित और आवश्यक अग्निहोत्र है । जो नित्य हवन करते रहते हैं वे धन, जन, शान्ति, सन्तोष की दृष्टि से सदैव सुखी जीवन व्यतीत करते हैं । ]

भावार्था कर्मशब्दास्तेभ्य क्रिया प्रतीयेतैप ह्यर्थो  
विधीयते ॥१॥

सर्वेषा भावोऽर्थ इति चेत् ॥२॥

येषामुत्पत्तौ स्वे प्रयोगे रूपोपलब्धिस्तानि नामानि, तस्मा-  
त्तेभ्य पराकाक्षाभूतत्वात्स्वे प्रयोगे ॥३॥

येषा तूत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न विद्यते, तान्याख्यातानि,  
तस्मात्तेभ्य प्रतीयेताऽऽश्रितत्वात् प्रयोगस्य ॥४॥

चोदना, पुनरारम्भ ॥५॥

तानि द्वैष गुणप्रधानभूतानि ॥६॥

येद्र्भ्यं न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूत-  
त्वात् ॥७॥

येस्तु द्रव्यं चिकीर्ष्यते, गुणस्तत्र प्रतीयेत तस्य द्रव्यप्रधान  
त्वात् ॥८॥

धर्ममात्रे तु कर्म स्यादनिर्दूरो प्रयाजवत् ॥९॥

तुल्यभूतित्वाद्द्वारे सधर्मः स्यात् ॥१०॥

यज्ञ होम बान आदि भावनावाची हैं यज्ञति पुहोति धारि  
क्रियावाची उनसे यज्ञ आदि की क्रिया का ज्ञान होता है और यही धर्म  
माना गया है ॥१॥ होम घृत आदि सब पदार्थों का प्रयोगन यज्ञ आदि  
की क्रिया कर्म है, यदि ऐसा कहे तो ( नहीं कह सकते ) ॥२॥ अपने  
धर्म में प्रमुक्त बिना पदों का उच्चारण करने पर स्वल्प उपलब्ध हो उनके  
नाम कहते हैं । इसलिये धर्म उपलब्ध होने के कारण वे पदार्थोंका नहीं  
रखते क्योंकि उच्चारण के समय उनके अपने धर्म विद्यमान रहते हैं  
॥३॥ परन्तु अपने धर्म में प्रमुक्त बिना पदों के उच्चारण समय धर्म की  
विद्यमानता न हो वे अस्युत हैं । इसलिये उनसे धर्म की प्रतीति होती  
है क्योंकि उनका प्रयोगन पुरुष के प्रयत्न पर आश्रित है ॥४॥ जिससे  
उक्त कर्मों की प्रेरणा मिलती है उन कर्मों से भविष्य में होने वाले फल  
का आरम्भ होता है ॥५॥ वे क्रियापद दो प्रकार के हैं । एक तो यौग  
पद के लक्षणक हैं और दूसरे प्रधान कर्म के ॥६॥ जो क्रिया पद संस्कार  
के लिये द्रव्य की अपेक्षा नहीं करते वे प्रधान कर्म हैं क्योंकि वही द्रव्य  
का मुलभूत है ॥७॥ तथा जो कर्म संस्कार आदि के लिये द्रव्य की अपेक्षा  
करने वाले हैं, वही यौगता है । क्योंकि, वे कर्म-द्रव्य प्रधान-वाची हैं  
॥८॥ परन्तु, प्रयाज के समान कृषा आदि कर्म धर्म भोगा आदि भी प्रधान  
कर्म हैं । उनसे किसी द्रव्य वस्तु का उत्पन्न होना सिद्ध नहीं होता ॥९॥  
अथवा भोगे आदि से अल्प कृष्टवा आदि पुण कर्म के समान धर्म हैं,  
क्योंकि दोनों का ही समान अपेक्षा है ॥१०॥

द्रव्योपदेश इति चेत् ॥११॥

न तदर्थत्वाल्लोकवत्तस्य च शेषभूतत्वात् ॥१२॥

स्तुतशस्त्रयोस्तु सस्कारो, याज्यावद्देवताभिधान-  
नत्वात् ॥१३॥

अर्थेन त्वपकृष्येत देवतानामचोदनार्थस्य गुणभूत-  
त्वात् ॥१४॥

वशावद्द्वऽगुणार्थं स्यात् ॥१५॥

न, श्रुतिसमवायित्वात् ॥१६॥

व्यपदेशभेदाच्च ॥१७॥

गुणश्चानर्थकं स्यात् ॥१८॥

तथा याज्यापुरोहो ॥१९॥

वशायामर्थसमवायात् ॥२०॥

यदि कहे कि 'स्रु च सम्माष्टि' मे द्रव्य का प्रधान रूप से है ( तो ऐसा नहीं कह सकते ) ॥११॥ गुण ह्रु से स्रुवा आदि \* का उपदेश नहीं हैं, क्योंकि लोक मे कही भी गौणकर्म मे द्वितीया २ होती ॥१२॥ याज्या ऋचा के समान स्तोत्र और शस्त्र दोनो ही सस्कार कर्म हैं । क्योंकि गुण कहने से देवता के गुणो को कहते हैं ॥१३॥ परन्तु, देवतारूप अर्थ के लिए मन्त्रो के गुणभूत होने से, यदि स्तोत्र और शस्त्र को गुण-कर्म मानें जिनमे देवताओं के नाम से स्तुति है तो उन मन्त्रों का अर्थ अनुकूल होने से अपकर्ष होगा ॥१४॥ वयवा वशा के समान, विशिष्ट गुण वाले इन्द्र के स्मरणार्थं निगुण शब्द वाला मन्त्र माहेन्द्रग्रहयाग की निरुत्ता मे पढा गया ॥१५॥ उन सूत्रो मे इन्द्रपद से सम्बन्ध है, महेन्द्र से नहीं । इसलिये, वह महेन्द्र के अभिवायक नहीं हो सकते ॥१६॥ और नाम का भिन्न प्रकार से कथन होने से भी इन्द्र और महेन्द्र मे भिन्नता है ॥१७॥ और इन्द्र तथा महेन्द्र दोनो को एक ही मान लें तो 'महान्' विशेषण ही व्यर्थ होजायगा ॥१८॥ यदि दोनो को एक ही

येद्व व्यं न विकीर्ष्यते तामि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूत-  
त्वात् ॥७॥

येस्तु द्रव्यं विकीर्ष्यते गुणस्तत्र प्रतीयेत तस्य द्रव्यप्रधान  
त्वात् ॥८॥

धर्ममात्रे तु कर्म स्मादनिर्मुं ले प्रयाजवत् ॥९॥

तुस्यभूतित्वाद् धर्मं सधर्मं स्यात् ॥१०॥

यज्ञ होम दान आदि भावनावाची हैं यज्ञति पुद्गोति आदि  
क्रियावाची उनसे बहू आदि की क्रिया का ज्ञान होता है और यही धर्म  
पाना यमा है ॥१॥ सोम बृह आदि सब पराशों का प्रयोजन यज्ञ आदि  
की क्रिया रूप है, यदि ऐसा कहे तो ( नहीं कह सकती ) ॥२॥ अपने  
धर्म में प्रयुक्त जिन पदों का उच्चारण करने पर स्वल्प उपलब्ध हो उनको  
नाम कहते हैं । इसलिये धर्म उपलब्ध होने के कारण वे परलक्षा नहीं  
रखते क्योंकि उच्चारण के समय उनके अपने धर्म विद्यमान रहते हैं  
॥३॥ परन्तु अपने धर्म में प्रयुक्त जिन पदों के उच्चारण समय धर्म की  
विद्यमानता न हो, वे अस्वात हैं । इसलिये उनसे धर्म की प्रतीति होती  
है क्योंकि इनका प्रयोजन मुख्य के प्रयत्न पर आश्रित है ॥४॥ जिससे  
उक्त कर्मों की प्रेरणा मिलती है उन कर्मों से भविष्य में होने वाले फल  
का आरम्भ होता है ॥५॥ वे क्रियापद दो प्रकार के हैं । एक तो पौत्र  
पद के निरूपक हैं और दूसरे प्रधान कर्म के ॥६॥ जो क्रिया पद संस्कार  
के लिये द्रव्य की अपेक्षा नहीं करते वे प्रधान कर्म हैं क्योंकि वही द्रव्य  
का गुणभूत है ॥७॥ तथा जो कर्म संस्कार आदि के लिये द्रव्य की अपेक्षा  
करने वाले हैं, वही शोचता है । क्योंकि वे कर्म द्रव्य प्रधान-वाची हैं  
॥ ॥ परन्तु प्रयाज के समान स वा आदि का धर्म धोना आदि भी प्रयाज  
कर्म हैं । उनसे किसी द्रव्य वस्तु का उत्पन्न होना विद्य नहीं होता ॥९॥  
अथवा सोने आदि से अग्न्य शूटना आदि कुछ कर्म के समान धर्म हैं,  
क्योंकि दोनों का ही समान उपदेश है ॥१०॥



द्रव्योपदेश इति चेत् ॥११॥

न तदर्थत्वाल्लोकवत्तस्य च शेषभूतत्वात् ॥१२॥

स्तुतशस्त्रयोस्तु सस्कारो, याज्यावद्देवताभिधानत्वात् ॥१३॥

अर्थेन त्वपकृष्येत देवतानामचोदनार्थस्य गुणभूतत्वात् ॥१४॥

वशावद्गुणार्थं स्यात् ॥१५॥

न, श्रुतिसमवायित्वात् ॥१६॥

व्यपदेशभेदान्च ॥१७॥

गुणश्चानर्थक. स्यात् ॥१८॥

तथा याज्यापुरोरुचो ॥१९॥

वशायामर्थसमवायात् ॥२०॥

यदि कहें कि 'स्रु च सम्माष्टि' मे द्रव्य का प्रधान रूप से उपदेश है ( तो ऐसा नहीं कह सकते ) ॥११॥ गुण रूप से स्रुवा आदि द्रव्यो का उपदेश नहीं है, क्योंकि लोक मे कही भी गौणकर्म मे द्वितीया नहीं होती ॥१२॥ याज्या ऋचा के समान स्तोत्र और शस्त्र दोनो ही सस्कार कर्म हैं । क्योंकि गुण कहने से देवता के गुणो को कहते हैं ॥१३॥ परन्तु, देवतारूप अर्थ के लिए मन्त्रो के गुणभूत होने से, यदि स्तोत्र और शस्त्र को गुण-कर्म मानें जिनमे देवताओं के नाम से स्तुति है तो उन मन्त्रो का अर्थ अनुकूल होने से अपकर्ष होगा ॥१४॥ अथवा वशा के समान, विशिष्ट गुण वाले इन्द्र के स्मरणार्थं निर्गुण शब्द वाला मन्त्र माहेन्द्रग्रहयाग को निकटता मे पढा गया ॥१५॥ उन सूत्रों मे इन्द्रपद से सम्बन्ध है, महेन्द्र से नहीं । इसलिये, वह महेन्द्र के अभिवायक नहीं हो सकते ॥१६॥ और नाम का भिन्न प्रकार से कथन होने से भी इन्द्र और महेन्द्र मे भिन्नता है ॥१७॥ और इन्द्र तथा महेन्द्र दोनो को एक ही मान लें तो 'महाव' विशेषण ही व्यर्थ होजायगा ॥१८॥ यदि दोनो को एक ही

पार्श्वे तो 'याम्या' और 'पुरोऽनुवाक्या' ऋचाओं में दोनों का भेद कदापि  
 भ्रम होना ॥१६॥ अथवा वे छात्र कम वर्ण का योग होने से पूर्व कदा  
 हुआ ह्यन्त हीक नहीं ॥२॥

यथेति वाऽर्चयत्स्वात् स्यात् ॥२१॥

न त्वाम्नातेषु ॥२२॥

दृश्यते ॥२३॥

अपि वा श्रुतिसंयोगात्प्रकरणे स्तौतिशक्तौ क्रियोत्पत्ति  
 विदध्याताम् ॥२४॥

सर्वप्रयत्नत्वात् ॥२५॥

अमर्षकं च तद्वचनम् ॥२६॥

अन्यवर्ष्यं प्रतीयते ॥२७॥

अभिधानं च कर्मवत् ॥२८॥

फलनिवृत्तिश्च ॥२९॥

विधिमन्त्रयोरेकार्थ्यमैकसम्भवात् ॥३०॥

अथवा अर्चयत्स्वात् इति हो वहाँ ऐन्द्रप्रवाह मन्त्रों का धाकर्षक  
 हो सकता है क्योंकि अर्चयत् हो सकता है ॥२१॥ ऐन्द्रप्रवाह मन्त्रों के  
 सिवाय 'याम्या' अर्चयत् इत्यादि मन्त्रों में अर्चयत् कर्म नहीं हो सकता  
 ॥२२॥ याम्यादि मन्त्र भी अर्चयत् अर्चयत् नामों में मिलते हैं ॥२३॥ मुख्यार्थ से  
 सम्बन्ध होने से स्तोत्र और अर्चयत् प्रकरण में ही स्तुति कम क्रिया का  
 विधान किया है ॥२४॥ और स्तोत्र तथा अर्चयत् में भेद होने से भी  
 अर्चयत् प्रमाण कर्म होना सिद्ध है ॥२५॥ और स्तोत्र तथा अर्चयत् दोनों का  
 एक फल स्वीकार करने से दोनों की विधि का अर्चयत् अर्चयत् हो जायगा  
 ॥२६॥ और प्रमाण कर्म मानने से अर्चयत् कर्म के सिवाय अर्चयत् अर्चयत्  
 फल प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ तथा प्रमाण कर्म के समान स्तोत्र अर्चयत् का  
 ही विधान है ॥२८॥ तथा स्तोत्र और अर्चयत् दोनों के फल मिलते हुए

गये हैं ॥२९॥ विधि और मन्त्र दोनो मे एक प्रकार के ही शब्द होने से विधि और मन्त्रो का एक ही अर्थ होता है ॥३०॥

अपि वा प्रयोगसामर्थ्यन्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात् ॥३१॥

तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ॥३२॥

शेषे ब्राह्मणशब्द ॥३३॥

अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमाम्नातेषु विभागः ॥३४॥

तेषामृग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था ॥३५॥

गीतिषु सामाख्या ॥३६॥

शेषे यजुः शब्द ॥३७॥

निगदो वा चतुर्थं स्याद्धर्मविशेषात् ॥३८॥

व्यपदेशाच्च ॥३९॥

यजू पि वा तद्रूपत्वात् ॥४०॥

अथवा कर्म के समय प्रयोग किये जाने से मन्त्र अभिधायक होते हैं ॥३१॥ अग्निहोत्र आदि के विधायक और सिद्ध अर्थ प्रतिपादक वेद वाक्यों की मन्त्र सज्ञा होती है ॥३२॥ मन्त्रो के व्याख्या रूप ब्राह्मण ग्रन्थ भी ब्राह्मण सज्ञा वाले हैं ॥३३॥ ऋषि प्रोक्त होने से ऐतरेय आदि ब्राह्मण मे वेदत्व नहीं है इसलिए उन्होंने छोडकर ईश्वरप्रदत्त मन्त्रो का विभाग कहते हैं ॥३४॥ यहाँ अर्थवश पादो की व्यवस्था है, उन मन्त्रो की ऋग्वेद सज्ञा मानी गई है ॥३५॥ जो मन्त्र गाये जा सकते हैं, उन मन्त्रों को साम सज्ञा वाले कहा गया है ॥३६॥ जो मन्त्र पादबद्ध नहीं तथा गाये भी नहीं जा सकते, वे सभी यजुर्वेद सज्ञक हैं ॥३७॥ अथवा जो मन्त्र छन्दोबद्ध और गाये जाने के योग्य हैं, उनके अतिरिक्त, स्पष्ट अर्थ वाले मन्त्र अथर्ववेद सज्ञक हैं । क्योंकि यजुर्वेद के घर्म से वे भिन्न घर्म वाले हैं ॥३८॥ और यह यजु है, यह निगद है, इस प्रकार व्यवहार मे भेद होने से भी निगद यजु नहीं माना जासकता है ॥३९॥ निगद मे यजु का लक्षण पाया जाता है, इसलिए निगद यजु ही है ॥४०॥

वचनादर्थविशेषः ॥४१॥

अर्थाच्च ॥४२॥

गुणार्थो व्यपदेश ॥४३॥

सर्वेषामिति चेत् ॥४४॥

न ऋभ्यपदेशात् ॥४५॥

अर्थकत्वादेक वाक्य साक्षात् चेत्, विभाग स्यात् ॥४६॥

समेषु वाक्यभेद स्यात् ॥४७॥

अनुपङ्गो वाक्यसमाप्तिः, सर्वेषु तुल्ययोगित्वात् ॥४८॥

व्यवायान्नानुपज्येत ॥४९॥

यन्तु और नियम में जो धर्म विशेष रूप भेद है वह पुर्यान्तर का भेद बताने के लिये है ॥४१॥ और नियम से यन्तु होने में जो धर्म विशेष कहा है वह पुर्यान्तर का धर्म रूप से बोधक कराने के लिये है ॥४२॥ यह यन्तु है, यह नियम है, ऐसा भेद व्यवहार सुधार से हुआ है ॥४३॥ यदि उच्चस्वर से बोधा वाले से नियम है तो ऋभेद भी नियम हो जायगा। इसलिये ऐसा मानना ठीक नहीं ॥४४॥ ऊँचे स्वर से बोधने के धर्म की समानता से ऋन् मन्त्रों में नियम का अन्तर्भाव नहीं होगा क्योंकि उनमें ऋभेद से निश्चय उपदेश किया गया है ॥४५॥ किया और कारक पदों में एकार्थ की प्रतीति होने से यदि उनमें से किसी भी एक पद को अलग करके तो उसकी आक्षेपा वाले अन्य पद एक वाक्य रूप होंगे ॥४६॥ निराकांक्ष पदों में प्रति समूह वाक्य भेद है ॥४७॥ वाक्य की समाप्ति के लिए, पदान्तर का योग बिन वाक्यों में अपेक्षित हो उसका व्यवहार करने को कि उक्तका सबसे समान सम्बन्ध है ॥४८॥ धर्म में अन्तर होने से अनुपङ्ग नहीं होता ॥४९॥

॥ प्रथमपाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

शब्दान्तरे कमभेद इत्यानुबन्धत्वात् ॥१॥

एकस्यैवं पुन श्रुतिरविशेषादनर्थकं हि स्यात् ॥२॥

प्रकरण तु पौर्णमास्या रूपावचनात् ॥३॥

विशेषदर्शनाच्च सर्वेषा समेषु ह्यप्रवृत्तिः स्यात् ॥४॥

गुणस्तु श्रुतिसयोगात् ॥५॥

चोदना वा गुणाना युगपच्छास्त्रात्, चोदिते हि तदर्थत्वा-  
त्तस्य तस्योपदिश्येत् ॥६॥

व्यपदेशश्च तद्वत् ॥७॥

लिङ्गदर्शनाच्च ॥८॥

पौर्णमासीवदुपाशुयाजः स्यात् ॥९॥

चोदना वाऽप्रकृतत्वात् ॥१०॥

शब्दान्तर होने से कर्म का भेद है । क्योंकि, आख्यात भेद से कर्मभेद का सम्बन्ध निश्चित है ॥१॥ एक अख्यात पद का, पुन सुनना इसी प्रकार भेदयुक्त है । क्योंकि, कर्म भेद न मानें तो एक प्रयोग का बारम्बार पाठ व्यर्थ होजायगा ॥२॥ परन्तु, पौर्णमासी वाले प्रकरण में पढ़े गये वाक्य याग के अनुवाद हैं, विधायक नहीं । क्योंकि, उसके याग के रूप का देवना आदि का ज्ञान नहीं होता ॥३॥ समान भाव से प्रकृत सब यागो के अनुवाद की, विद्वत् वाक्य की प्रवृत्ति नहीं होती । क्योंकि आग्नेय आदि में काल-सम्बन्ध की अधिकता है और वह प्रयाज आदि में उपलब्ध नहीं है ॥४॥ परन्तु, उस कर्म में देवता रूप गुण का विधान, उनका सयोग सुना जाने से है ॥५॥ कर्मविधि वाक्य गुणविधि के विधायक नहीं हैं । क्योंकि, गुणों का एककालीन शासन कहा है । वाक्यान्तर से विहित कर्म में उपदेश किया जाने से वे बतलाये हुए कर्म के लिए हैं ॥६॥ जैसे द्रव्य, देव रूप गुणों का एक साथ विधान गुण-विधि को सिद्ध नहीं करता, वैसे ही समुच्चय व्यपदेश भी गुण विधि का समर्थन नहीं करता ॥७॥ और 'चतुर्दश पौर्णमास्याम्' ऐसा संकेत मिलने से भी 'यद्वाग्नेय' इत्यादि वाक्य कर्मविधि ही हैं ॥८॥ 'पौर्णमासी के समान ही उपाशुयाज भी समझना चाहिये ॥९॥ यह कर्म विधायक है, अनुवादक नहीं । क्योंकि, प्रकृतयाग का अभाव है ॥१०॥

गुणापबन्धात् ॥११॥

प्राये वचनाच्च ॥१२॥

आधाराग्निहोत्रमस्मत्त्वात् ॥१३॥

संज्ञोपघन्वात् ॥१४॥

अप्रकृतस्याच्च ॥१५॥

बोधना वा अन्वयार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्तत्सन्निधेर्मुंकार्थेन  
पुनः श्रुति ॥१६॥

द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयो प्रकरस्थे ह्यनर्थको द्रव्य  
संयोगो न हि तस्य गुणार्थेन ॥१७॥

अचोदकात्स संस्कारात् ॥१८॥

तद्भेदात्कर्मणोऽभ्यासो द्रव्यपृथक्त्वादनर्थकं हि स्याद्भेदो  
द्रव्यगुणीभावात् ॥१९॥

संस्कारस्तु न भिद्यत परार्थत्वाद्, द्रव्यस्य गुणभूत  
त्वात् ॥२०॥

पुन के उपबन्ध से उक्त कर्म की संज्ञा जपायु है ॥११॥ प्रधान  
कर्मों में पाठ पाया जाने से वे प्रधान हैं ॥१२॥ मान का स्वल्प उप  
लब्ध कराने वाले न होने से आचार और अग्निहोत्र वाक्य अनुवादक  
हैं ॥१३॥ उक्त वाक्यों से संज्ञा का सम्बन्ध भिद्यता है। इसलिये वे  
विधायक नहीं हो सकते ॥१४॥ तथा प्रकरण में आये वाक्यों में भी द्रव्य  
वेद्यता की प्राप्ति ही होती ॥१५॥ अथवा अग्निहोत्र और आचार रूप  
शब्द का प्रयोग होने से उनके समीप पठित वाक्य कुछ विधि हैं ॥१६॥  
द्रव्य समीप होने से 'सोमेन यजेत' और 'अग्नीषोमीर्यपशुमाहवेत' वाक्य  
अपूर्वकर्म से विधायक हैं। यदि 'ऐन्द्रवाजवादि' को विधायक मानें तो  
द्रव्य संयोग व्यर्थ होगा। इसलिये उक्त धुनता पुन रूप से भी नहीं  
मान सकते ॥१७॥ तथा अपूर्व कर्म के विधायक नहीं किन्तु पशु और  
सोम रूप द्रव्य का संस्कार कहन वाले हैं ॥१८॥ पापभेद से द्रव्यभेद होने

पर सोमयाग की आवृत्ति है । यदि कर्मवृत्ति न हो तो पात्रभेद व्यर्थ होगा और सोमरूप द्रव्य मे गुणी भाव होने से उसकी आवृत्ति स्वयं होजायगी ॥१६॥ यूप का पशु बन्धन के लिये होने से तथा गौण होने से, पशुबन्धन रूप सस्कार की यूप भेद के कारण भी आवृत्ति नहीं होसकती ॥२०॥

पृथक्त्वनिवेशात्सख्यया कर्मभेद स्यात् ॥२१॥

सज्ञा चोत्पत्तिसयोगात् ॥२२॥

गुणश्चाऽपूर्वसयोगे, वाक्ययो समत्वात् ॥२३॥

अगुरो तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत् ॥२४॥

फलश्रुतेस्तु कर्म स्यात्, फलस्य कर्मयोगित्वात् ॥२५॥

अतुल्यत्वात्, वाक्योगुरो तस्य प्रतीयेत् ॥२६॥

समेषु कर्मयुक्त स्यात् ॥२७॥

सौभरे, पुरुषश्रुतेर्निघन, कामसयोग ॥२८॥

सर्वस्य वोक्तकामत्वात्तस्मिन्कामश्रुति. स्यान्निघानार्था पुन.

श्रुति ॥२८॥

पृथक्त्व का निवेश होने से, सख्या भेद के कारण कर्म का भेद बनता है ॥२१॥ और उत्पत्ति-सयोग से, नाम भी कर्म भेद करने वाला कहा गया है ॥२२॥ और प्रकृत देवता से सम्बन्ध न होने से गुण, कर्म का भेदक है, क्योंकि पूर्व और उत्तर दोनो वाक्य समान हैं ॥२३॥ अपूर्वकर्म का विधान करने वाला वाक्य गुण-रहित कर्म का विधायक है । वहाँ, उस वाक्य द्वारा कहे हुए कर्म में वाक्यान्तर से गुण का विधान होता है ॥२४॥ दधि-वाक्य अपूर्व कर्म का विधायक है, क्योंकि, उसका फल सुना जाता है और फल से कर्म का निश्चित सम्बन्ध है ॥२५॥ अग्निहोत्र और दध्नेन्द्रिय इन दोनो वाक्यो मे असमानता है । इसलिए अग्निहोत्र में फल विशेष के गुण का विधान है ॥२६॥ समान वाक्यो मे अपूर्व कर्म से फल का सम्बन्ध होता है ॥२७॥ सौभर सम्बन्धी निघन में पुरुष प्रयत्न का उपदेश होने से, वह निघन फल वाला है ॥२८॥ सब साम वृष्टि आदि

फल के हेतु हैं इसलिये हीपर में फल धरम है, तथा निबन वाक्य में फल धरम व्यवस्था बाका है ॥२१॥

॥ द्वितीय पाद समाप्त ॥

## तृतीय पाद

गुणस्तु ऋसुसंयोगात्कर्मन्तरं प्रयोजयेत्संयोगस्याक्षेपभू  
त्वात् ॥१॥

एकस्य तु सिङ्गभेदात् प्रयोजनार्थमुच्येत्कर्मं गुणवाक्य  
त्वात् ॥२॥

अवेष्टी यज्ञसंयोगात्प्रधानमुच्यते ॥३॥

आधाने सर्वशेषत्वात् ॥४॥

अयनेषु षोडशान्तरं संज्ञोपबन्धात् ॥५॥

अमुष्मा च कर्मषोडशा ॥६॥

समाप्त च फले वाक्यम् ॥७॥

विकारो वा प्रकरणात् ॥८॥

सिङ्गवदरानाप्त्वा ॥९॥

संघातसंज्ञोपबन्ध ॥१०॥

रन्तर आदि सामान्य गुण के सुनने से वाक्य कर्म का प्रेरक है । क्योंकि सबका अल्प कर्म से संयोग है और यह संयोग मुख्य कर्म से पूरक करता है ॥१॥ एक ही ज्योतिष्मोम वायु के अन्तर्गत भेद से प्रयोजनीय कर्म के निमित्त वे वाक्य कहे हैं । अतः यह-यह-यह-यह गुण विशेष का विषयक होने से जगने एकता है ॥२॥ अवेष्टि नामक वायु अपूर्ण कर्म का विषयक कहा है । क्योंकि अधिप का संयोग है ॥३॥ अम्प्यादान और यज्ञोपवीत में विधि है, क्योंकि यह दोनों सब को पहूँछे से उपलब्ध नहीं है ॥४॥ हास्यनादि वाक्य में कर्मन्तर की विधि है । क्योंकि जगमें कर्म संज्ञा का बन्धन पिकता है ॥५॥ और अल्प गुण का सम्बन्ध न होने से कर्ममात्र का विधान मिलता है ॥६॥ तथा यह वाक्य प्रजा आदि फल से



कर्म का सम्बन्ध कहने मात्र से ही निराकाक्ष है ॥७॥ दाक्षायण यज्ञ  
आदि दर्शपूर्णमास यज्ञ का ही विचार है, क्योंकि, यह उसी प्रकरण में  
पढा जाता है ॥८॥ तथा लक्षण देखने से भी वह वाक्य गुण विधायक  
सिद्ध होता है ॥९॥ रूप गुण के वारम्बार कहे जाने से याग की दाक्षा-  
यण सजा कही जाती है ॥१०॥

समाप्तिरविशिष्टा ॥११॥

सस्कारश्चाप्रकरणेऽकर्मशब्दत्वात् ॥१२॥

यावदुक्तं वा कर्मण श्रुतिमूलत्वात् ॥१३॥

यजतिस्तु द्रव्यफलभोक्तृसयोगादेतेषा कर्मसम्बन्धात् ॥१४॥

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१५॥

विषये प्रायदर्शनात् ॥१६॥

अर्थवादोपपत्तेश्च ॥१७॥

सयुक्तस्त्वर्थशब्देन तदर्थं श्रुतिसयोगात् ॥१८॥

पात्नीवते तु पूर्वत्वादवच्छेद ॥१९॥

अद्रव्यत्वात्केवले कर्मशेष स्यात् ॥२०॥

उस वाक्य का निराकाक्ष होना गुणफल का सम्बन्ध कहने के  
समान है ॥११॥ प्रकरण में न होने पर भी 'वायव्यश्चेतम्' आदि वाक्य  
स्पर्शरूप सस्कार गुण के विधायक हैं, क्योंकि, उनमें कर्म वाचक शब्द  
नहीं मिलता ॥१२॥ श्रुतिमूलक होने से उन वाक्यों में स्पर्श तथा निर्व्ययण  
मात्र कर्म का विधान है ॥१३॥ परन्तु, यह वाक्य प्रधान कर्म के विधा-  
यक हैं, क्योंकि द्रव्य, फल और देवता का सम्बन्ध उनमें मिलता है।  
तथा इन तीनों का नियत सम्बन्ध प्रधान कर्म के साथ है ॥१४॥ और  
लक्षण देखे जाने से भी पूर्व मान्यता ठीक नहीं है ॥१५॥ प्रकरण को  
देखकर यागविधि है या सस्कार विधि इसका निर्णय करे ॥१६॥ अर्थवाद  
से भी वैसा ही अर्थ बनता है ॥१७॥ श्रुति-सयोग से अर्थ शब्द वाली  
क्रिया के साथ नियोजित चरु उपाधान के निमित्त है, याग के निमित्त

नही ॥१८॥ पालीबते माय में इन्द्र्य संस्कार का विधान है, अपूर्व माय का नहीं क्योंकि माय पर पहले ही आधुका है ॥१९॥ इन्द्र्य और देवता के न होने से केवल अदाम्य और अंतुपहृण मुने जाने से माय विधान की कल्पना शीक नहीं । क्योंकि यह प्रधान कर्म का अङ्ग नहीं ज्योतिषोम का है ॥२०॥

अग्निस्तु लिङ्ग गवक्षन त्कृणुष्व प्रतीयेत् ॥२१॥

द्रव्यं वा स्याच्छोदनायास्तदवर्षत्वाद् ॥२२॥

तत्सयोगात्कृणुस्त्वदाद्य स्यारोन धर्मविधानानि ॥२३॥

प्रकरणास्तरे प्रयोजनात्म्यत्वम् ॥२४॥

फलं चाकर्मसन्निधौ ॥२५॥

सन्निधौ त्वविभागात्फलार्थेन पुनः श्रुतिः ॥२६॥

आग्नेयसूक्तहेतुत्वावस्थासेन प्रतीयेत् ॥२७॥

अविभागात् कर्मणो द्विस्तेन विधीयते ॥२८॥

अन्याथा वा पुनः श्रुतिः ॥२९॥

कथन देवे जाने से अग्नि' वाक्य माय का नाम ही समझना चाहिये ॥२१॥ अथवा प्रेरणा से अग्नि स्थापनाई होने से अग्नि शब्द से अग्नि इन्द्र्य का विधान हुआ ॥२२॥ यज्ञ से अग्नि का सम्बन्ध होने से अग्नि पर ज्योतिषोम यज्ञ का वाचक है । इसलिये वह वाक्य माय में स्तोत्र और अस्त्रक्य मुन का विधान है ॥२३॥ नित्य अग्निहोष से मासाग्निहोष निश्च है क्योंकि यह अग्य प्रकरण में कथ्य पमा है ॥२४॥ तथा कर्म की समीपता से अक्षय पड़ा हुआ एक प्रकरणास्तर से कर्म भेद करता है ॥२५॥ अवेदि यज्ञ की समीपता बाका 'एतया' वाक्यफल के सम्बन्ध से अवेदि माय के बारम्बार करने का निर्दोष करता है । विधान न होने से कर्मास्तर का निर्दोष नहीं करता ॥२६॥ आग्नेय वादि में बारम्बार आग्नेय माय के अथवा से पुनः-पुनः अनुष्ठान करे । क्योंकि पुनः-पुनः पढ़ना कर्म भेद को सिद्ध करता है ॥२७॥ फिर फिरकर कथने से

भी उक्त वाक्य मे कर्मान्तर का विधान नहीं है । क्योकि, पूर्व वाक्य विहित कर्म में, इस वाक्य वाले कर्म की एकता नहीं बनती ॥२८॥ आग्नेय याग का वारम्भवार श्रवण ऐन्द्रयाग का स्तावक है ॥२९॥

॥ तृतीय पाद समाप्त ॥

## चतुर्थ पाद

यावज्जीविकोऽभ्यास कर्मधर्मं प्रकरणात् ॥१॥

कर्तुर्वा श्रुतिसयोगात् ॥२॥

लिङ्गदर्शनाच्च कर्मधर्मो हि प्रक्रमेण नियम्येत, तत्रानर्थ-  
कमन्यत् स्यात् ॥३॥

व्यपवर्गं च दर्शयति, कालश्चेत्, कर्मभेद स्यात् ॥४॥

अनित्यत्वात् नैव स्यात् ॥५॥

विरोधश्चापि पूर्ववत् ॥६॥

कर्तुंस्तु, धर्मनियमात्, कालशास्त्र निमित्ता स्यात् ॥७॥

नामरूपधर्मविशेषपुनरुक्तिनिन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचनप्रायश्चित्ताऽन्यार्थदर्शनाच्छाखान्तरेषु कर्मभेदः स्यात् ॥८॥

एक वा सयोगरूपचोदनाख्याविशेषात् ॥९॥

न नाम्ना स्यादचोदनाभिधानत्वान् ॥१०॥

कर्म का प्रकरण होने से जीवन पर्यन्त अनुष्ठान का अभ्यास अग्निहोत्र कर्म का धर्म है ॥१॥ अथवा श्रुति सयोग से 'यावज्जीव' पुरुष का धर्म है ॥२॥ लक्षण देखे जाने से, कर्म का धर्म होने पर कर्म का आरम्भ होने पर मरण पर्यन्त समाप्त करने का नियम है । परन्तु, ऐसा, मानने पर फलक्षय श्रवण व्यर्थ हो जाता है ॥३॥ दर्श आदि कर्म की समाप्ति और कर्मान्तर विधि वाक्यान्तर मे मिलती हैं । यदि इसके पश्चात् काल शेष हो तो कर्म विशेष का विधान हो सकता है ॥४॥ अनित्य होने से सामान्य अग्निहोत्रादि काम्य-कर्म जरा, मृत्यु की अवधि वाला नहीं होता ॥५॥ और पूर्व कथित दोषो के समान अनुष्ठान न करना रूप दोष

भी होता है ॥१॥ काक शास्त्र के समान 'याज्ञिकजीवन' वाक्य जीवन रूप निमित्त का बोधक है । क्योंकि कर्त्ता के कर्म का नियम माना जाता है ॥७॥ विभिन्न शास्त्रों में कर्मों का परस्पर भेद है । क्योंकि नाम रूप वर्य विशेष पुनश्चित्ति निम्ना वासक्ति, समाप्तिवचन प्रायश्चित्त बन्ध्यार्थ वसंत आदि भेद मिळते हैं ॥८॥ प्रतिष्ठाया मे प्रति ब्राह्मण बन्धिहोत्रादि कर्म में भेद नहीं है । क्योंकि फल स्वल्प प्रेरणा और गाम में आन्तर नहीं मिळता ॥९॥ नाम भेद से बन्धिहोत्र कर्मों का भेद नहीं होता । क्योंकि उनकी विधि का विधान पुनक नहीं है ॥१॥

सर्वेषां चैककर्म्यं स्यात् ॥११॥

कृत्तकं चाभिधानम् ॥१२॥

एकत्वेऽपि परम् ॥१३॥

विद्यायां धर्मशास्त्रम् ॥१४॥

आग्नेयवत्पुनवचनम् ॥१५॥

द्विवचनं वा श्रुतिसंयोगाविशेषात् ॥१६॥

वाक्यासमवायात् अर्थावशिष्येषु ॥१७॥

न चैक प्रतिशिष्यते ॥१८॥

समाप्तिवचन संप्रिक्षा ॥१९॥

एकत्वेऽपि पराणि निन्वाशक्तिसमाप्तिवचनानि ॥२०॥

और सभी यान एक कठशाखा द्वारा कहे जाने से एक ही कर्म क्यों न मान लिये जाय ॥११॥ तथा नाम भेद बनामटी है ॥१२॥ प्रतिष्ठाया प्रति ब्राह्मण कर्म की एकता से भी एकावयव और द्वादशकपाल रूप भेद तो भिन्न कर्म के आधार पर होता ॥१३॥ विद्या के अध्ययन काल में भूमि पर मोहन करना आदि बन्ध है, कर्म न नहीं ॥१४॥ आग्नेयवत् के समान पुनवचन है ॥१५॥ अथवा ब्राह्मण बन्ध और शाखा से पुनश्चित्ति नहीं है । क्योंकि वेद का समान सर्वत्र समान रूप से है ॥१६॥ एक शाखा में सम्पूर्ण धान न आने से उसे शाखान्तर से कह देना

पुनरुक्ति नहीं हो सकती ॥१७॥ एक ब्राह्मण या शाखा में कहे कर्म का सभी ब्राह्मण और शाखा वाले पुरुषों में विधान है ॥ १८॥ और कर्म-समाप्ति सूचक वचन होने से भी प्रति ब्राह्मण या प्रति-शाखा में कर्म-भेद नहीं है ॥१९॥ प्रति ब्राह्मण और प्रति शाखा में एक अग्निहोत्र कहा जाने पर भी निन्दा, अशक्ति और समाप्ति वचन मिलते हैं ॥२०॥

प्रायश्चित्त निमित्तेन ॥२१॥

प्रक्रमाद्वा नियोगेन ॥२२॥

समाप्ति पूर्वदत्त्वाद्यथाज्ञाते प्रतीयेत ॥२३॥

लिंगमविशिष्ट सर्वशेषत्वान्न हि तत्र कर्मचोदना तस्माद्  
द्वादशाहस्याहारव्यपदेश स्यात् ॥२४॥

द्रव्ये चाचोदितत्वाद्धिवीनामव्यवस्था स्यान्नर्देशाद्व्यवति-  
ष्ठेत तस्मान्नित्यानुवाद स्यात् ॥२५॥

विहितप्रतिषेधात् पक्षेऽतिरेक स्यात् ॥२६॥

सारस्वते विप्रतिषेधाद्यदेति स्यात् ॥२७॥

उपह्वयेऽप्रतिप्रसव ॥२८॥

गुणार्था वा पुन श्रुति ॥२९॥

प्रत्यय चापि दर्शयति ॥३०॥

अपि वा क्रमसयोगाद्धिघिपृथक्त्वमेकस्या व्यवतिष्ठेत ।३१।

विरोधिना त्वसयोगादैककर्म्ये, तत्सयोगाद्धिघीना सर्वकर्म-  
प्रत्यय. स्यात् ॥३२॥

उदित या अनुदित होम के समय प्रायश्चित्त किया हुआ कर्म भेद-पक्ष को सिद्ध करता है ॥२१॥ उदित या अनुदित होम की प्रतिज्ञा का नियम करके फिर उसके विपरीत करने पर प्रायश्चित्त कहा है ॥२२॥ समाप्ति पूर्व निश्चित होने से प्रतिज्ञा अनुकूल समझनी चाहिये ॥२३॥ लक्षण के समान होने से कर्म में भेद नहीं है । सभी में ज्योतिष्ठोम पहिले होता है, वहाँ कर्म-प्रेरणा-विधि नहीं मानते, इसलिये द्वादशाह का आहार

व्यपदेश है ॥२७॥ अग्निरूप इन्द्र के समय में एकादशिनी याग का उप-  
 वेध न होने से विधि-वाक्यों का व्यतिक्रम होता है । फिर भी 'वाक्-  
 स्तोम' याग में एकादश भूप विधि के निर्बल से विधि-व्यवस्था हो सकती  
 है । इसलिये वह विधि-वाक्यों का अनुवाद है ॥२४॥ अतिराम याग में  
 षोडशी पात्र के ग्रहण या निवेश की विधि के पक्ष में अतिरेक हो सकता  
 है ॥२५॥ सारस्वत पत्र में विप्रतिषेध होने से जो विरोध जाता है उसका  
 निराकरण 'यदा' पद के व्यापार से होता है ॥२७॥ उपहृष्य याग में  
 बृहस्प और रश्मि साम का विधान व्यर्थ है । क्योंकि वह स्वभाव से ही  
 उत्पन्न है ॥२८॥ प्रकृति याग से प्राप्त होने पर भी बृहस्पाम और रश्मि  
 साम का पुनर्विधान युग विशेष सम्बन्धी नियम के लिये है ॥२९॥ एक  
 का विधान दूसरी शाखा में मिश्रण से भी प्रति शाखाय और प्रतिशाखा में  
 अग्निहोम कर्म भेद रहित है ॥३०॥ प्रत्येक शाखा में अनुष्ठान भेद से ही  
 व्यवस्था होगी चाहे क्योंकि कर्म का सम्बन्ध प्रत्येक शाखा में विद्य  
 है ॥३१॥ अनुष्ठान कर्म के विरोधी पाठ से अङ्ग-अनुष्ठान का सम्बन्ध  
 नहीं है । क्योंकि सभी शाखाय या शाखा में एकता सिद्ध होने पर कर्मा-  
 नुसार अमानुष्ठान होता है ॥३२॥

[ कर्म भेद पर विचार करते हुए भीमासत धर्मिक धर्मों के तीन  
 विभाग माने हैं—निरव नैमित्तिक और काम्य । निरव से मतलब उन  
 अग्निहोम आदि से है जिनको निरवप्रति करने का आदेश वेदों में दिया गया  
 है । नैमित्तिक कर्म त्यौहारों तथा विधाय अवसरों पर किये जाते हैं पक्षे  
 ध्यावधी आदि । काम्य किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिये किये जाते  
 हैं । इन समस्त कर्मों में कुछ अंध प्रमाण होते हैं कुछ यौग्य । जमिनि के  
 मतानुसार यज्ञ-धाम में दो प्रमाण अंध हैं—एक इन्द्र या सामग्री का त्याग  
 और दूसरे वेद के यज्ञ-क्रिया आदि धर्मों का पाठ । इन दोनों में से  
 अगर किसी एक बात की कमी रह जाय तो बहुयज्ञ-याग न रहकर शाखा  
 रूप सामग्री का अग्नि में जलाकर वायु को शुद्ध करने की प्रक्रिया अथवा  
 वेद-याग का पाठ कर लेना बाध रह जायगा । धर्म की प्राप्ति सभी

सम्भव है यज्ञ मन्त्रों सहित सामग्री की आहुतियों द्वारा देवताओं को मन्तुष्ट किया जाय ।

एक स्थान पर यह शङ्का की गई है कि द्रव्य का त्याग अथवा हवन क्रिया ही मुख्य है, मन्त्रों का पाठ तो उसका सहायक कर्म या गौण क्रिया है । पर मीमांसाकार इस मत से सहमत नहीं । वे इन दोनों को समान स्तर का बतलाते हैं और इनमें से किसी एक का अभाव होने से प्रयत्न के निष्फल जाने की बात कहते हैं ।

द्रव्य या सामग्री के 'गुण' के साथ ही जमिनि ने उसके सस्कार पर भी जोर दिया है । यदि सामग्री उत्तम है, पर उसे भली प्रकार शुद्ध नहीं किया गया है तो भी वह उचित प्रतिफल नहीं देगी । उसमें किसी प्रकार की अशुद्धता रहने में यज्ञ में दोष उत्पन्न हो जायगा । अतः सामग्री का 'सस्कार' भी एक आवश्यक विषय है ।

तब 'गौण' कर्म कौन से हैं ? यज्ञ-शाला की सजावट, वहाँ पर सुख-सुविधा की व्यवस्था, उममें इष्ट-मित्रों तथा परिचितों का निमन्त्रण और उनका आदर सत्कार आदि बातें गौण हैं । इनको कर्म या अविक्रमात्रा में सुविधा और परिस्थिति के अनुसार किया जा सकता है । यज्ञ-फल पर, जो कि अधिकांश में अदृष्ट होता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

इस अध्याय में एक विचारणीय विषय यह है कि द्रव्य का क्या आशय ग्रहण किया जाय ? विभिन्न सम्प्रदायों में इस विषय पर बहुत मतभेद है । कुछ लोगों का कथन है कि यज्ञ में अन्य सामग्री के साथ जो पशु लाये जाते हैं वे भी एक 'द्रव्य' ही होते हैं और उनका भी हवन एक-एक अङ्ग पृथक् करके किये जाने का विधान है । पर दूसरे पक्ष वालों का मत है कि वे पशु दान के लिये लाए जाते हैं और उनके 'सस्कार' का अर्थ यही है कि उन्हें भली प्रकार साफ करके और सजाकर यज्ञ-स्थल पर लाया जाय । इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि वे पशु बीमार,

मुझे मजबूत खबर न हों। बरत उतम सेनी के युवा और सब प्रकार से उपयोगी पदुओं का वान करना ही धार्मिक माना गया है।

आगे चल कर छाया भेद से प्योतिष्ठोम रघुन्तर-छाम अतिउच्च सारस्वत उपहृष्य नामक विभिन्न प्रकार के यारों से छियाओं के भेदों पर विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रतिपक्षी का कहना है कि छाया और प्रतिछाया की हृष्टि से वैदिक कर्मों में भेद है, एक्य नहीं है। उन्होंने इस भेद के लौ कारण भी बताये हैं यथा नाम-भेद रूप भेद धर्म भेद पुनरुक्ति, निम्दा अघाति समाप्ति बचन प्रायश्चित्त तथा अभ्यास वर्धन। इन विषयों में विभिन्न वैदिक शास्त्राओं के ग्रन्थों में विनक्षी संख्या ११ ७ मानी गई है, विभिन्न प्रकार की परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं। पर भीमासाकार ने इस सङ्ग को निराधार मानकर कहा है कि फलस्वरूप और प्रेरणा की हृष्टि से सब छायाओं के यज्ञ कर्म एक ही होते हैं इसलिये ऊपरी विघटताओं के कारण उन्हें पृथक् नहीं माना जा सकता।

भीमासा वर्षण में अग्निहोत्र कर्म को मनुष्य का अग्निधर्म कर्म माना है और लिखा है कि जब तक जीवित रहे तब तक इस यज्ञ-कर्म को सर्वत्र करता रहे कभी इसमें छिन्निकटा न आने दे। जब अत्यन्त बराधीन अथवा बीमारी से असक्त हो जाय तब समय विवक्षता के रूप में उसे स्वगित किया जा सकता है अभ्यसा जीवन के अन्त समय अग्नि होत्र और वर्धपुर्वमास आदि कर्म नियमित रूप से अडासहित करने से ही आत्मकल्याण साधित हो सकता है। जो जोय प्रमादबद्ध अथवा किसी क्षम्य स्वार्थबद्ध इस कर्म को त्याग देते हैं या उसमें लासा करते हैं उनका लौकिक और पारलौकिक सुख क्षीय हो जाता है। इस प्रकार निस्व-कर्मों से मनुष्य का कुटकारण किसी काल में नहीं है। यही भेद ही छाया है। यजुर्वेद के अन्तिम अभ्यास (ईधनास्योपनिषद्) में कहा गया है—

पुर्वलौक्ये वैह कर्मानि विधीयिष्येच्छतः ।

एवं त्वमिदं त्वत्तन्मन्वेतोऽस्ति य कर्म लिप्यते नरे ॥



इस वेद-मन्त्र में 'कर्माणि' शब्द का अर्थ मीमासा दर्शन में अग्नि-होत्रादि वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का ही बतलाया गया है। अर्थात् मनुष्य को नित्य अग्निहोत्र तथा पचयज्ञ करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वह दोषी नहीं बनता और कर्म-बन्धन में नहीं पडना। जो शास्त्र या उपनिषद् आदि ज्ञान-मार्ग के ग्रन्थ ज्ञान उत्पन्न हो जाने के पश्चात् कर्म-काण्ड सम्बन्धी क्रियाओं को त्यागने का विधान करते हैं, वे मीमासा की दृष्टि से भूलवश पुण्य-मार्ग से वंचित हो जाते हैं।

कमकाण्ड में यज्ञों की आहुतियाँ जिन देवताओं को देने का विधान है उनकी विवेचना करते हुए इस दर्शन में एक मुख्य बात यह कही गई है कि देवता का अर्थ किसी दूरवर्ती लोक में बैठे हुये सूक्ष्म या स्थूल शरीरवारी विशेष व्यक्तियों से नहीं है, वरन् परमात्मा की विभिन्न शक्तियों तथा जिन पदार्थों अथवा जीवों में उन शक्तियों का विशेष रूप से विकास हुआ है उनसे है। इन्द्र, अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्र, सोम, अश्वनी, वरुण प्रजापति आदि जिन देवताओं का उल्लेख वेदों में बार-बार मिलता है, वे परमात्मा की विभिन्न शक्तियाँ ही हैं। ये शक्तियाँ विभिन्न पदार्थों और जीवों में विशेष गुणों के रूप में प्रकट होती हैं जिससे उनको भी 'देवता' कहा जा सकता है। जैसे वेग और शीघ्रता का गुण अश्व अथवा 'वाजी' में प्रकट हुआ है तो उसका वर्णन भी 'सा वैश्य-देव्यामिक्षा वाजिम्योवाजिनम्' वाक्य में किया गया है। इसमें कहा गया है कि दूध से बनाये गये पदार्थों में से 'अमिक्षा' विश्वेदेवों के लिए और 'वाजिन' वाजी देवता के लिये दिया जाय। तात्पर्य यही है कि यह समस्त विश्व परमात्मा का ही विराट रूप है और इसमें जहाँ कहीं कोई विशेष गुण या शक्ति दिखाई दे उसे परमात्मा की विभूति मानकर सम्मान करना मनुष्य का कर्तव्य है। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा के स्वरूप को समझ कर उसका सान्निध्य प्राप्त कर सकता है।

## तृतीय अध्याय

### प्रथम पाद

[ तृतीय अध्याय में कर्मों के भेद का विवेचन करने के परंपराय इस तीसरे शेषशेषिभाष्य शीर्षक अध्याय में यह विचार किया गया है कि यज्ञ संबन्धी सब प्रकार के कर्मों में कौन श्रेय और कौन दोषी है। इसका ज्ञापन यह है कि प्रत्येक कर्म तृतीय अध्याय प्रथम कर्म का सहायक अथवा पूर्ति करने वाला होता है। फिर उस 'शेष कर्म' के सहायक अथवा पूर्ति करने वाले अन्य कर्म होते हैं। इस प्रकार प्रथम और उसकी पूर्ति में सहायक कर्मों की एक शृंखला बन जाती है जिससे एक से दूसरा प्रथम सिद्ध होता जाता है। विभिन्न प्रकार के यामों तथा उनके अङ्गों में कौन किस कर्म का है इसी का परिचय इस अध्याय से प्राप्त हो सकेगा। ]

अथात शेषलक्षणम् ॥१॥

शेषः परार्थत्वात् ॥२॥

ब्रह्मगुणसंस्कारेषु भावति ॥३॥

कर्मण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात् ॥४॥

फलं च पुरुषार्थत्वात् ॥५॥

पुरुषश्च कर्मार्थत्वात् ॥६॥

तेषामर्थेन सम्बन्ध ॥७॥

विहितस्तु सर्वधर्म स्यात्, संयोगतोऽभिधेयात्प्रकरणादि  
शेषाच्च ॥८॥

अर्थलोपायकर्म स्यात् ॥९॥

फलं तु सह चैष्टया धर्मार्थोऽभावादिप्रयोगे स्यात् ॥१०॥

अब शेष का लक्षण कहते हैं ॥१॥ दूसरे के लिए होने वाला

शेष है ॥२॥ वादरि आचार्य के मत में द्रव्य, गुण तथा सस्कारमें शेष की प्रवृत्ति होती है ॥३॥ फल के लिये होने से यज्ञ, दान आदि भी शेष हैं, यह आचार्य जैमिनी का मत है ॥४॥ और पुरुषार्थ के लिए होने से द्रव्य, गुण, सस्कार और कर्म के समान ही फल शेष है ॥५॥ और कर्म का निमित्त होने से पुरुष भी द्रव्य के समान ही शेष है ॥६॥ उन धर्मों का दृष्ट फल के अनुसार व्रीहि आदि के साथ शेष-शेषि-भाव सम्बन्ध है ॥७॥ शास्त्रोक्त अवहनन आदि कर्म सभी के धर्म हो सकते हैं । क्योंकि प्रधान कर्म के साथ उनका सयोग और प्रकरण समान है ॥८॥ फल दिखाई न देने से सब द्रव्यों में सभी कर्म नहीं हो सकते, उन्हें प्रति द्रव्य के लिये समझना चाहिये ॥९॥ परन्तु, अवहनन क्रिया से तुषविमोक आदि रूप प्रयोजन शब्द का भाव है । फल न होने पर अवहनन आदि का अभाव है ॥१०॥

द्रव्य चोत्पत्तिसयोगात्तदर्थमेव चोद्येत ॥११॥

अर्थकत्वे द्रव्यगुणयोरैककर्म्यान्नियमः स्यात् ॥१२॥

एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसयोगात् ॥१॥

सर्वेषां वा लक्षणत्वादविशिष्टं हि लक्षणम् ॥१४॥

चोदिते तु परार्थत्वाच्चथाश्रुति प्रतीयेत ॥१५॥

सस्काराद्वा गुणानामव्यवस्था स्यात् ॥१६॥

व्यवस्था वाच्यस्य श्रुतिसयोगात्, तस्य शब्दप्रनाणत्वात्

॥१७॥

आनर्थक्यात्तदङ्गेषु ॥१८॥

कर्तृगुणौ तु कर्मासमवायाद्वाक्यभेदः स्यात् ॥१९॥

साकाक्षत्वेकवाक्यस्यादसमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥

और द्रव्यों का उत्पत्ति सयोग होने से और उसी क्रिया के निमित्त से विधान किए गये हैं ॥११॥ एक वाक्यार्थ में द्रव्य और गुण के परस्पर योग का नियम है । क्योंकि, दोनों का कर्म समान है ॥१२॥

ग्रह आदि का सम्मार्जन एक बार होता है, क्योंकि ग्रहों में एक बचन सुना जाता है और उसका सम्मार्जन से सम्बन्ध है ॥१९॥ अपना सभी से सम्मार्जन आदि विहित है । क्योंकि सम्मार्जन का उपग्राह्य महत्त्व पाठि के अभिप्राय से है । इसलिये कल्प सब में समान है ॥१७॥ वायु से बिलनी सस्या का विभाग हुआ है । उसी का ग्रहण करे । क्योंकि वह परार्थ होने से शोक है ॥१९॥ बचन मुक्त आदि की व्यवस्था है । क्योंकि वह संस्कार कर्म है ॥१९॥ ग्रह का मार्जन होता है । जमरा का नहीं । क्योंकि ग्रहों का सम्मार्जन से प्रम-विभाज सम्बन्ध है और उसमें सम्म प्रमाण है ॥१७॥ उसका बन्ध होने से निरर्थक होना सिद्ध है ॥१८॥ उसमें वाक्य भेद है । क्योंकि कर्ता के लुप्त अभिप्राय का क्रिया से सम्-बाध-सम्बन्ध नहीं है ॥१९॥ परन्तु, 'अभिकामनुहोति' एक नाम है और विभाज करने पर परस्पर साधेय हो जाते हैं । केवल 'अभिकाम' पर से वाक्य पूरा नहीं हो सकता ॥२॥

सन्दिग्धे तु व्यवसायाद्वाक्यभेद स्यात् ॥२१॥

गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्ध समत्वात्स्यात् ॥२२॥

मिषदधानर्षिसम्बन्धात् ॥२३॥

धानन्तर्यमशोभना ॥२४॥

वाक्यानां च समासत्वात् ॥२५॥

शेषस्तु गुणसंयुक्त साधारण प्रतीयेऽ मिषस्तपामसम्बन्धात् ॥२६॥

व्यवस्था वाऽर्षिसयोगास्त्रिङ्गस्यार्धेन सम्बन्धस्त्वक्षयार्था गुणयुति ॥२७॥

उपनीत वाक्य सामर्थ्यी का बन्ध नहीं है । क्योंकि 'मिषि' नामक मन्त्रों का व्यवधान है ॥२१॥ तथा सामर्थ्यी और मिषि मन्त्र परार्थ में होने से और समान होने से परस्पर बन्धुत्वि भाव बाधे नहीं हो सकते ॥२२॥ वाऽर्ष्यी और बुधगती का सब कर्मों से सम्बन्ध नहीं ।

क्योकि वह अर्थ-सम्बन्ध से परे हैं ॥२३॥ केवल आनन्तर्य मात्र अङ्ग-  
अङ्गी भाव सम्बन्ध का विधान करने वाला नहीं है ॥२४॥ और उदाहृत  
वाक्य परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं, क्योकि अपने पदों द्वारा अपना अर्थ  
कहने में ही उनका कार्य समाप्त हो जाता है ॥२५॥ आग्नेय सबधी चार  
भाग करना सर्व पुरोडाश का अङ्ग है । क्योकि अग्नि और चार भाग का  
परस्पर में सम्बन्ध नहीं है ॥२६॥ चार भाग करना आग्नेय पुरोडाश का  
ही धर्म है । क्योकि, अग्नि का पुरोडाश से सम्बन्ध होता है और इनका  
यह पारस्परिक सम्बन्ध पुरोडाशान्तर से अलग करने के लिये है ॥२७॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

अर्थाभिधानसामर्थ्यान्मन्त्रेषु शेषभाव स्यात्तस्मादुत्पत्ति-  
सम्बन्धोऽर्थेन नित्यसयोगात् ॥१॥  
सस्कारकत्वादचोदिते न स्यात् ॥२॥  
वचनात्त्वयथार्थमैन्द्री स्यात् ॥३॥  
गुणाद्वाऽप्यभिधान स्यात्सम्बन्धस्याशास्त्रहेतुत्वात् ॥४॥  
तथाह्वानमपीति चेत् ॥५॥  
न कालविधिश्चोदितत्वात् ॥६॥  
गुणाभावान् ॥७॥  
लिङ्गान्च ॥८॥  
विधिकोपश्चोपदेशे स्यात् ॥९॥  
तथोत्थानविसर्जने ॥१०॥

मन्त्र जिस अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है, उस अर्थ के प्रति मन्त्र  
में शेषता होती है । इसलिये मन्त्रस्थ पदों का अर्थ से नित्य सम्बन्ध है ॥१॥  
अविहित कर्म में मन्त्र का विनियोग नहीं होता, क्योकि, विहित कर्म के

ग्रह आदि का सम्मार्जन एक बार होता है क्योंकि ग्रहम् में एक बचन सुना जाता है और उसका सम्मार्जन से सम्बन्ध है ॥१३॥ अथवा उची में सम्मार्जन आदि विहित है । क्योंकि अन्न का उपन्यास महत्त्व जाति के अभिप्राय से है इसलिए सत्त्व सब में समान है ॥१४॥ याव में जितनी संख्या का विधान हुआ है उची का रहन करे । क्योंकि वह पराश्रमे होने से भीन है ॥१५॥ अथवा भुप आदि की व्यवस्था है । क्योंकि वह संस्कार कर्म है ॥१६॥ ग्रह का मार्जन होता है अमस का नहीं । क्योंकि ग्रहों का सम्मार्जन से कर्म-व्यभिचार सम्बन्ध है और उसमें सम्बन्ध प्रमाण है ॥१७॥ उसका अङ्ग होने से निरर्थक होना सिद्ध है ॥१८॥ उसमें वाक्य भेद है क्योंकि कर्ता के गुण अधिकमप्य का क्रिया से सम्बन्ध-सम्बन्ध नहीं है ॥१९॥ परन्तु, अत्रिकामनुहोति' एक पात्र है और विभाष करने पर परस्पर साक्षेप हो जाते हैं । केवल अधिकाम' पर से वाक्य पूरा नहीं हो सकता ॥२॥

सम्बन्धे तु व्यवायाहान्यभेद स्यात् ॥२१॥

गुणानां च परार्थत्वावसम्बन्ध समत्वात्स्यात् ॥२२॥

मिषदवानर्षसम्बन्धात् ॥२३॥

आनन्तर्यमपोदना ॥२४॥

वाक्यानां च समासत्वात् ॥२५॥

शेषस्तु गुणसंयुक्त साधारण प्रतीयेत मिषस्तेषामसम्बन्धात् ॥ ६॥

व्यवस्था वाऽर्षसंयोगास्मिङ्गस्यार्धेन सम्बन्धस्मक्षणायां गुणधृति ॥२७॥

उपरीत वाक्य कामिनी का अङ्ग नहीं है क्योंकि निबिद्' नामक मन्त्रों का व्यवधान है ॥२१॥ तथा कामिनी और निबिद् मन्त्र परार्थ में होने से और समान होने से परस्पर अङ्गाङ्गि भाव जाते नहीं हो सकते ॥२२॥ आर्षिणी और वृषग्वती का सब कर्मों से सम्बन्ध नहीं ।

क्योकि वह अर्थ-सम्बन्ध से परे है ॥२३॥ केवल आनन्तर्य मात्र अङ्ग-  
अङ्गी भाव सबन्ध का विधान करने वाला नहीं है ॥२४॥ और उदाहृत  
वाक्य परस्पर सन्नधिगत नहीं है, क्योकि अपने पदों द्वारा अपना अर्थ  
कहने में ही उनका कार्य समाप्त हो जाता है ॥२५॥ आग्नेय सबंधी चार  
भाग करना सर्वं पुरोडाश का अङ्ग है । क्योकि अग्नि और चार भाग का  
परस्पर में सबंध नहीं है ॥२६॥ चार भाग करना आग्नेय पुरोडाश का  
ही धर्म है । क्योकि, अग्नि का पुरोडाश से सबंध होता है और इनका  
यह पारस्परिक सबंध पुरोडाशान्तर से अलग करने के लिये है ॥२७॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

अर्थाभिधानसामर्थ्यान्मन्त्रेषु शेषभाव स्यात्तस्मादुत्पत्ति-  
सम्बन्धोऽर्थेन नित्यसयोगात् ॥१॥

सस्कारकत्वादचोदिते न स्यान् ॥२॥

वचनात्त्वयथार्थमैन्द्री स्यात् ॥३॥

गुणाद्वाऽप्यभिधान स्यात्सम्बन्धस्याशास्त्रहेतुत्वात् ॥४॥

तथाह्वानमपोति चेत् ॥५॥

न कालविधिश्चोदितत्वात् ॥६॥

गुणाभावान् ॥७॥

लिङ्गाच्च ॥८॥

विधिकोपश्चोपदेशे स्यात् ॥९॥

तथोत्थानविसर्जने ॥१०॥

मन्त्र जिस अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है, उस अर्थ के प्रति मन्त्र  
में धोपता होती है । इसलिये मन्त्रस्य पदों का अर्थ से नित्य सबंध है ॥१॥  
अविहित कर्म में मन्त्र का विनियोग नहीं होता, क्योकि, विहित कर्म के

संस्कारक मंत्र है ॥२॥ इन्द्र को बतलाने वाले मन्त्र का उक्तत्व से विनियोग नहीं होता किन्तु वाक्य विशेष से होता है ॥३॥ पुनः-सम्बन्ध से 'इन्द्र' शब्द से मार्हपरय अग्नि का अभिधान होता है । क्योंकि पशुर्ष का सम्बन्ध आसुरहेतुक नहीं है ॥४॥ यदि कही कि 'निवेक्षण' इत्यादि मंत्र मार्हपरय के किये हैं और 'हविष्कृत्' इत्यादि भी ब्रह्महन्त आदि के किये हैं तो यह ठीक नहीं ॥५॥ 'अवप्यन्' पद वाक्य का विधायक है । क्योंकि यह 'वीहीमवहन्ति' वाक्य से पूर्व ही विहित है । इसलिये उस वाक्य से ब्रह्महन्त किये में विनियोग नहीं हो सकता ॥६॥ पुनः का सम्बन्ध न मिळने से ऐहि' मंत्र ब्रह्महन्त का प्रकाश नहीं कर सकता ॥७॥ और कसल पावे जाने से ब्रह्महन्त 'हविष्कृत्' पद का अर्थ भी नहीं हो सकता ॥८॥ यदि 'अवप्यन्' पद से उस कर्म की विधि मानें तो विधान किया गया 'घृ' प्रत्यय उपपन्न नहीं होगा ॥९॥ तथा उत्तिङ्त् और विभूयति पद सत्त्वान-काण और विसर्जत-काण का बोध कराते हैं ॥१॥

सुप्तवाके च कालविधि परापर्यात् ॥११॥

उपदेशो वा याज्याऽश्वो हि नाकस्मात् ॥१२॥

स देवतार्थस्तरसंयोगात् ॥१३॥

प्रतिपत्तिरिति चत्स्विष्टकृत्पुनःसंस्कारः स्यात् ॥१४॥

हृत्स्नोपदेशावुभयत्र समवचनम् ॥१५॥

यशार्थं वा शेषमूतसंस्कारात् ॥१६॥

वचनाविति चेत् ॥१७॥

प्रकरणाभिभागावुभे प्रति हृत्स्नशब्द ॥१८॥

सिद्धगणमसमाख्यानात्काम्यमुक्त समाम्नानम् ॥१९॥

अभिद्वारे च मन्त्राभिस्तवाक्येषु शिष्टैवात् ॥२०॥

और परार्थ होने से मूतस्य वाक्य में भी अक का ही विधान मानना ठीक है ॥११॥ अथवा उपदेश से ही यह शब्द याप सम्बन्धी वेदना का चोख है विहित रहित प्रहरण का अर्थ नहीं है ॥१२॥



देवता से प्रस्तर का संयोग होने से सूक्तवाक देवता के लिये होने पर भी प्रस्तर का अङ्ग है ॥१३॥ यदि कहो कि प्रस्तर प्रहरण प्रतिपत्ति रूप सस्कार का कर्म है तो यह ठीक नहीं । क्योंकि स्विष्टकृत् कर्म के समान दोनों सस्कार होते हैं ॥१४॥ 'सूक्तवाक' के ग्रहण से सब मन्त्रों का प्रहरण अङ्ग होने का उपदेश मिलने से दश और पूर्णमास यज्ञ में 'सूक्तवाक' मन्त्रों का पाठ करना कहा है ॥१५॥ अथवा यज्ञ के शेषभूत सस्कार होने से सूक्तवाक मन्त्रों का विनियोग होता है ॥१६॥ 'सूक्तवाकेन' इत्यादि वाक्य से सूक्तवाक का मन्त्र का विनियोग उचित नहीं मान सकते ॥१७॥ सूक्तवाक शब्द का ग्रहण दश और पूर्णमास दोनों यज्ञों के लिये है । क्योंकि दोनों का प्रकरण एक ही है ॥१८॥ 'काम्या याज्यानुवाक्या' का विनियोग काम्येष्टियों में ही है, यष्टि मात्र में नहीं । क्योंकि, क्रम और समाल्या सहित ऐसे ही लक्षण मिलते हैं ॥१९॥ ज्योतिष्टोम योग के अधिकार में जो मन्त्र विधि है, वह तदाख्या रहितो में है । क्योंकि यह साधारण रूप से कहा गया है ॥२०॥

तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम् ॥२१॥

अनर्थकश्चोपदेशः स्यादसम्बन्धात्फलवता ॥२२॥

सर्वेषां चोपदिष्टत्वात् ॥२३॥

लिङ्गसमाख्यानाभ्यां भक्षार्थताऽनुवाकस्य ॥२४॥

तस्य रूपोपदेशाभ्यामपकर्षोऽर्थस्य, चोदितत्वात् ॥२५॥

गुणाभिधानान्मन्द्रादिरेकमन्त्रं स्यात्तयोरेकार्थसयोगात् ॥२६॥

लिङ्गविशेषनिर्देशात्समानविधानेष्वनैन्द्राणा-

ममन्त्रत्वम् ॥२७॥

यथादेवतं वा तत्प्रकृतित्वं हि दर्शयति ॥२८॥

पुनरभ्युत्थितेषु सर्वेषामुपलक्षणं, द्विशेषत्वात् ॥२९॥

अपनयाद्वा पूर्वस्याऽनुपलक्षणम् ॥३०॥

जिन मन्त्रों को प्रकरण में देखा गया है, उन्हीं का विनियोग है ।

यही बात प्रहरण और युक्ति से सिद्ध है ॥२॥ यदि अराह्य मन्त्रों का विनियोग मान लो उपर्युक्त विधि निष्कृत हो जायगा और कतिपय ग्रीति होम के साथ सम्बन्ध में ज्ञान के दिन स्वायत्त सम्प्रदाय है यह कथन प्रकृत नहीं है ॥ २॥ भाष्यः सोम याम में एव मन्त्रों के विनियोग का उपदेश होने से विनियोग क्रि. पुत्र का क्रि. विनियोग करने में जोर नहीं ॥२३॥ मनुष्य का भाष्य में हो प्रयोग होने का विनियोग है यह उक्त और उपासना से सिद्ध होता है ॥२४॥ भद्रानुष्ठान का अनुष्ठान आदि में भी विनियोग है। कथ आदि का विधान होने से प्रहृण आदि का अनुष्ठान विधान का विधि से ही कदा ज्ञान अनन्तता आदि ॥२५॥ मंत्र आदि सम्पूर्ण मंत्र मन्त्र का अन्तर्भाव है नृत्ति का नहीं। क्योंकि नृत्ति का गीत रूप से कथन है। मन्त्र के वाच्य भाष्यों में प्रायः मन्त्रोपदेश है ॥२॥ समान विधान में जो ऐन्द्र पर ईश्वर के लिये नहीं है उनके अर्थ में मन्त्र का विनियोग नहीं है। क्योंकि उक्त उक्त विधान का निर्देश मिलता ॥२७॥ अथवा वेदों के अनुसार ही मन्त्र का विनियोग होता आदि। क्योंकि इन्द्र और इन्द्र से मन्त्र का विनियोग वेदापात्त है ॥२८॥ प्रहृण मन्त्र का मन्त्र सोमरस के अर्थ में इन्द्र और मन्त्रावस्था आदि सबकी उद्घाटनी पाहिये। क्योंकि यह सोम अर्थ में प्रायः मन्त्रोपदेश है ॥२९॥ अथवा पहिले आदि वेदों की मन्त्र मन्त्र में उद्घाटनी होती। क्योंकि मन्त्रोपदेश से उक्त सम्बन्ध नहीं रहता ॥३॥ ॥

ग्रहणाद्वाऽप्याय स्यात् ॥३१॥

पालीवधे तु पूर्ववत् ॥३२॥

ग्रहणाद्वाऽप्यर्थात् स्यात् ॥३३॥

स्वष्टारं सुप-अयेत्यानात् ॥३४॥

अतुस्यत्वात् नैव स्यात् ॥३५॥

विद्युत्प परार्थत्वात् ॥३६॥

वपट्कारश्च कर्तव्यत् ॥३७॥

छन्द प्रतिषेधस्तु सर्वगामित्वात् ॥३८॥  
 ऐन्द्राग्ने तु लिङ्गभावात्स्यात् ॥३९॥  
 एकस्मिन्वा देवतान्तराद्विभागवत् ॥४०॥  
 छन्दश्च देवतावत् ॥४१॥  
 सर्वेषु वाऽभावादेकच्छन्दस ॥४२॥  
 सर्वेषा वैकमत्र्यमैतिशातनस्य  
 भवित्पानत्वात्सवनाधिकारो हि ॥४३॥

इन्द्र-सम्बन्ध का विच्छेद नहीं होता, क्योंकि उसका ग्रहण पाया जाता है। इसलिये पूर्व पक्ष नहीं माना जा सकता ॥३१॥ पात्नीवत का होम शेष भक्षण के समय भक्ष-मन्त्र में पहिले की भाँति ऊहा करनी चाहिये ॥३२॥ पात्नीवत पात्र के शेष में इन्द्र-वायु के सम्बन्ध का विच्छेद है। क्योंकि, उसमें पूर्व देवता-रहित आग्रयण स्थाली से निकाले हुए का ग्रहण होता है ॥ ३॥ त्वष्टा की पात्नीवत शेष-भक्षण में ऊहा होनी चाहिये। क्योंकि सोम-पान कहा गया है ॥३४॥ इस प्रकार पात्नीवत से त्वष्टा की ऊहा नहीं होती। क्योंकि, सोम-ग्रहण में, दोनों में समानता नहीं है ॥३५॥ तथा परार्थ होने से तैत्तिरीय देवताओं की ऊहा नहीं हो सकती ॥३६॥ और षड्वयुं आदि की यश मन्त्र में प्राप्ति न होने के समान अनुषट्कार के देवता अग्नि की भी प्राप्ति नहीं होती ॥३७॥ जगती छन्द के निषेध से अनुष्टुप् छन्द की ऊहा प्रमाण नहीं। क्योंकि, ज्योतिष्ठीम के एक होने से सोम और उसके अन्य घम का साभिष्य समान ही है ॥३८॥ ऐन्द्राग्ने नामक ग्रह-शेष के भक्षण में, विनियोजक लिंग की विद्यमानता में, भक्ष-मन्त्र का विनियोग है ॥३९॥ एक सोम भक्षण में ही चार भाग करने से इन्द्र और इन्द्राग्नि देवता में भिन्नता है ॥४०॥ जैसे इन्द्र को देकर वचे हुए शेष सोम के भक्षण में भक्ष-मन्त्र का प्रयोग है, वैसे ही गायत्री छन्द वाले शेष सोम भक्षण में भी उस मन्त्र का विनियोग उचित है ॥४१॥ ऐन्द्र सोम के एक छन्द वाला न होने से, अनेक

छन्द वाक्यों में भी भय मंत्र का विनियोग होता है ॥४२॥ परन्तु, छन्द मन्त्रों में सभी शेष मन्त्रों में एक ही भय मन्त्र का विनियोग है । क्योंकि ऐतिहासिक ऋषि के मत में 'वा वागु के अर्थ में पा' का प्रयोग कर बहुत ही ही समास से मन्त्रात्मकता के आशय से 'सर्व' अर्थ दिया है ॥४३॥

। द्वितीय पाद समाप्त ॥

## तृतीय पाद

धृतेर्भाताधिकार स्यात् ॥१॥

वेदो वा प्रायश्चनात् ॥२॥

लिङ्माञ्च ॥३॥

धर्मोपदेशाच्च न हि द्रव्येण सम्बन्ध ॥४॥

अग्नीविद्याया च तद्विधि ॥५॥

व्यतिक्रमे यथाप्युतीति चेत् ॥६॥

न सर्वस्मिन्निवेष्टान् ॥७॥

वेदसंयोगात् प्रकरणेन चाप्यते ॥८॥

गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदपरवाग्मुख्येन वेदसंयोग ॥९॥

भूयस्त्वेगोभयभूति ॥१०॥

धर्म विधि मन्त्रों में 'उर्ध्वस्त्व' आदि धर्म हैं । क्योंकि उनके विधायक वाक्यों में मन्त्र वाचक 'ऋचा' आदि का उपदेश मिलता है ॥१॥ पूर्वोक्त वाक्यों में 'ऋचा' आदि धर्म उपदेश आदि के वाचक हैं । क्योंकि वेदा के उपक्रम से यह पर प्रयुक्त हुए हैं ॥२॥ तथा उक्त कर्मण पासे जाने से भी यही ठीक है ॥४॥ और धर्म का उपदेश होने से ही साम द्रव्य से उर्ध्वस्त्व धर्म का सम्बन्ध नहीं बनता ॥४॥ तथा तीनों वेद के ज्ञाता में अग्नीविद्या नामक प्रवृत्ति मिलती है अतएव भी यही सिद्ध होता है ॥५॥ यदि कहे कि व्यतिक्रम होने पर अति के अनुसूक्त

धर्म की कल्पना करे, इससे ऋचादि को वेदवाची मानना ठीक नहीं ॥६॥  
 उस धर्म का सम्पूर्ण वेद में निवेश होने से ऋचा-पाठ के व्यतिक्रम से  
 धर्म का व्यतिक्रम होने में कोई दोष नहीं है ॥७॥ वेद का सम्बन्ध होने  
 से 'उच्चैस्त्व' आदि का नियम है । प्रकरण से उसकी बाधा नहीं होती  
 ॥८॥ गुण और मुख्य में आशंका होने पर मुख्य के साथ ही वेद धर्म  
 का सम्बन्ध है । क्योंकि गुण और धर्म का सम्बन्ध मुख से ही है ॥९॥  
 दो वेदों में सुने कर्म का विधान अगो की अधिकता पर निर्भर है ॥१०॥

असयुक्त प्रकरणादितिकर्तव्यतार्थित्वात् ॥११॥

क्रमश्च देशसामान्यात् ॥१२॥

आख्या चैव तदर्थत्वात् ॥१३॥

श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्याना समवाये पार-  
 दौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात् ॥१४॥

अहीनो वा प्रकरणाद्गौण ॥१५॥

असयोगात् मुख्यस्य तस्मादपकृष्यते ॥१६॥

द्वित्वबहुत्वयुक्त वा चोदनात्तस्य ॥१७॥

पक्षेणार्थकृतस्येति चेत् ॥१८॥

न प्रकृतेरेकसयोगात् ॥१९॥

जाघनी चैकदेशत्वात् ॥२०॥

श्रुति, लक्षण और वाक्य से जिसका विनियोग न हो, उसका  
 विनियोग प्रकरण से समझे । क्योंकि, प्रधान को अग-विनियोग की  
 आकाक्षा है ॥११॥ अनुमन्त्रण-मन्त्र और उपाशुयाग का एक ही स्थान  
 होने से उनका अग-अगो भाव सम्बन्ध बनता है ॥१२॥ व्युत्पत्ति द्वारा  
 कर्त्ता-क्रिया का योग होने से समाख्या भी विनियोजक ही है ॥१३॥  
 श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यान इन छहों के मिलने पर  
 पहिला प्रबल और बाद का निर्बल होता है । क्योंकि पहिले से जल्दी  
 और बाद के से देर से विनियोग होता है ॥१४॥ 'अहीन' ज्योतिष्टोम

की नीच सजा है, प्रकरण में उसका पाठ मिलता है ॥१५॥ 'बहीन संज्ञक यामांतर मे द्वावद्य 'उपसर्' का अपवर्ण रूप सम्बन्ध है । क्योंकि मुख्य वृत्ति द्वारा बहीन का अर्थयोग है ॥१६॥ अपवा द्विवचन और बहु वचन वाले मन्त्रों को ज्योतिष्टोम से अलग कर कुत्साम् आदि में विनियुक्त करे । क्योंकि ज्योतिष्टोम में यजमान को प्रेरणा नहीं है ॥१७॥ यदि कहे कि यजमान के असमर्थ होने से ज्योतिष्टोम में भी अर्थ कारण से एक या दो यजमान हों तो यह ठीक नहीं है ॥१८॥ ज्योतिष्टोम में एक यजमान का ही विधान होने से उक्त कथन ठीक नहीं ॥१९॥ वाचनी का पशुयाग में उत्सर्ग रूप सम्बन्ध है और उक्त पशु उद्योग का अर्थ है ॥२०॥

चोदना वाऽपूर्यत्वात् ॥२१॥

एकवेद्य इति चेत् ॥२२॥

न प्रकृतेरद्यास्त्रनिष्पत्तो ॥२३॥

सन्तर्वनं प्रकृतौ ऋण्यवदमर्थलोपात् स्यात् ॥२४॥

उत्कर्षो वा ग्रहपाद्विषयस्य ॥२५॥

कर्तृतो वा विक्षेपस्य अग्निमित्तत्वात् ॥२६॥

ऋतुतो वाऽभवावानुपपत्तो स्यात् ॥२७॥

सस्याश्च कर्तृबद्धारणार्थाविक्षेपात् ॥२८॥

उभय्यादिषु वाऽप्यस्य विद्यमानत्वान् ॥२९॥

अविक्षेपास्तुतिर्भ्यर्षेति चेत् ॥३०॥

'पत्नीसंयाज' के अर्थ रूप से वाचनी का विधान है । इससे अपूर्ण काम होता है और पशु-अथ वाचनी की प्राप्ति होती है यह कथना ठीक नहीं है ॥२१॥ यदि कहे कि वाचनी एक अणु होने से पशुयाग में ही सम्भव है ॥२२॥ प्रकृत पाग में वाचनी का सम्बन्ध स्वीकार करें तो द्वावद्य विच्छेद हिंसा करनी होगी ॥२३॥ सन्तर्वन का अग्निष्टोम में पाठ है । ऐसा करने से वाचवर्ष का कोप नहीं होगा और उद्योग रूप करने

के साधन स्वर्ण के समान उसका भी विधान हो सक्ता है ॥२४॥ किन्तु, अग्निष्टोम प्रकृति में सन्तर्दन का उत्कर्ष है । उस वाक्य में ज्योतिष्टोम का दीर्घ सोम रूप विशेषण ग्रहण हुआ है ॥२५॥ यजमान के सम्बन्ध से ही विशेषण है, क्योंकि दीर्घ शब्द यजमान के लिये है ॥२६॥ याग सम्बन्ध में विशेषण मानने से 'धृत्यं' से सन्तर्दन का सोम धारण रूप फल सिद्ध नहीं होता ॥२७॥ ज्योतिष्टोम के कर्त्ता के निवेश के समान सन्तर्दन का भी निवेश है, क्योंकि सोम धारण सब में समान है ॥२८॥ उक्थ्य में सन्तर्दन का फल विद्यमान होने से उसी में सम्बन्ध मानना चाहिये ॥२९॥ उक्थ्यादि की प्रशंसा व्यर्थ है । क्योंकि अग्निष्टोम की सब मस्थाओं में सोम समान है, ऐसा कथन ठीक नहीं ॥३०॥

स्यादनित्यत्वान् ॥३१॥

सङ्ख्यायुक्त क्रतो प्रकरणात् स्यात् ॥३२॥

नैमित्तिक वा कर्तृसयोगाल्लिङ्गस्य तन्निमित्तत्वात् ॥३३॥

पौष्ण पेपण विकृतौ प्रतीयेताऽचोदनात्प्रकृतौ ॥३४॥

तत्सर्वार्थमविशेषान् ॥३५॥

चरौ वाऽर्थोक्त. पुरोडाशेऽर्थविप्रतिषेधात् पशौ न स्यात् ॥३६॥

चरावपीति चेत् ॥३७॥

न पक्तिनामत्वात् ॥३८॥

एकस्मिन्नेकसयोगात् ॥३९॥

धर्मविप्रतिषेधाच्च ॥४०॥

दश मुट्ठी परिमाण के विधायक शास्त्र के अनित्य होने से उक्थ्यादि में सोम की अधिकता है ॥३१॥ सख्या-वाची वाक्य कर्म का निषेचक है । क्योंकि उक्त प्रकरण में उसका पाठ है ॥३२॥ कर्त्ता की प्रथम प्रवृत्ति के लिये ज्योतिष्टोम का प्रथम नाम कहा है, क्योंकि लोक में ऐसा ही देखा जाता है ॥३३॥ पुष्टिकारक पदार्थों को पीस कर प्रदान

करना पूजा के विद्वत्तियाय में है । क्योंकि दशपूर्वमास में पूजा की विधि नहीं है ॥१४॥ समस्त रूप से विधान होने के कारण वह वेपथ ईस्वरा निमित्त पशुओं से सम्बन्ध होना चाहिये ॥१५॥ केवल चर के वेपथ का सम्बन्ध है पुरोडास में वह पूर्व अर्घ्य से सम्बन्धित है । पीसने रूप अर्घ्य के विप्रतिषेध से पशु में न होना ही सिद्ध होता है ॥१६॥ यदि वह कि चर में भी चित्तार्थ सम्भव नहीं तो वह कथन नहीं मान सकते ॥१७॥ पशु के मात को चर कहते हैं इसलिये वह कथन ठीक नहीं ॥१८॥ एक-देवतापरक-याप सम्बन्धी चर में वेपथ का निषेध है परन्तु दो देवता परक-याप के चर में नहीं ॥१९॥ तथा बोनो के घर्षों का विरोध होने से भी दो देवता वाले चर में वेपथ का निषेध नहीं होता ॥२०॥

अपि वा सद्धितीये स्याद्देवतानिमित्तत्वात् ॥४१॥

लिङ्गवधानाच्च ॥४२॥

वधनात्सर्ववेपथ, स प्रति सास्त्रवत्त्वादपानिवादि चरा  
वपेषण भवति ॥४३॥

एकस्मिन्वाग्धर्मत्वादेन्द्राम्नावतुमयोर्न स्यावचोदितत्वात्  
॥४४॥

हेतुमात्रमदन्तत्त्वम् ॥४५॥

वचन परम् ॥४६॥

दो देवता वाले चर में भी वेपथ-सम्बन्ध होना चाहिये । क्योंकि देवता उसमें निमित्त है ॥४१॥ और अथर्व वेद के बाने से भी बड़ी सिद्ध होता है ॥४२॥ पशु पुरोडास और चर इन सब में वेपथ मानने से उसके प्रति वह वाक्य अर्थ बाधा होता है । फल का अभाव होने से यदि पशु पुरोडास उस वेपथ को न मानें तो सौमापोष्ण चर में भी वह नहीं होमा । ४३॥ ऐन्द्राम्न के समान एक देवतापरक पीष्ण चर में ही वेपथ का निषेध है । दो देवतापरक बोनो में नहीं । क्योंकि अर्घ्य अर्पण होने से उसका सौमापोष्ण बाध में विधान नहीं ॥४४॥ उसमें 'वदन्त्य'



कथन देवता मात्र के शरीर हीन होने का कारण है ॥४५॥ यह विधि वाक्य है और विधि-वाक्य लक्षण नहीं होता ॥४६॥

॥ तृतीय पाद समाप्त ॥

## चतुर्थ पाद

निवीतमिति मनुष्यधर्मं शब्दस्य तत्प्रधानत्वात् ॥१॥

अपदेशो वाऽर्थस्य विद्यमानत्वात् ॥२॥

विधिस्त्वपूर्वत्वात्स्यात् ॥३॥

स प्रायात्कर्मधर्मं स्यात् ॥४॥

वाक्यशेषत्वात् ॥५॥

तत्प्रकरणे यत्तत्सयुक्तमविप्रतिषेधात् ॥६॥

तत्प्रधाने वा तुल्यवत्प्रसख्यानादितरस्य तदर्थत्वात् ॥७॥

अर्थवादो वा प्रकरणात् ॥८॥

विधिना चैकवाक्यत्वात् ॥९॥

दिग्विभागश्च तद्वत्सम्बन्धस्यार्थहेतुत्वात् ॥१०॥

मनुष्य सम्बन्धी कर्म की प्रधानता होने से 'निवीत' उसी का अङ्ग माना गया है ॥१॥ निवीत पहिले से सिद्ध होने के कारण अनुवादक है, विधायक नहीं ॥२॥ निवीत रूप अर्थ के अपूर्व होने से यह विधि-वाक्य है ॥३॥ निवीत प्रकृत कर्म का अङ्ग है, क्योंकि उस प्रकरण में उसका पाठ है ॥४॥ वाक्य शेष में पठित 'आध्वर्यम्' समाख्या से अध्वर्युं कर्तृक प्रकृत कर्म के अङ्ग निवीत का विधान हुआ है ॥५॥ दशपूर्णिमास के प्रकरण में मनुष्य कर्म के अङ्ग रूप निवीत का विधायक वह वाक्य है ॥६॥ वह वाक्य मनुष्य प्रधान कर्मों में निवीत रूप अङ्गों का विधायक है । उपवीत वाक्य के समान बोध वाला होने से 'मनुष्याणाम्' के अर्थ

में पठित होता है ॥७॥ यह वाक्य प्रकरण में बाँटे से वर्णवाच है ॥८॥  
उपनीत विधिवाक्य के साथ वाक्य की एकवाक्यता प्राप्त होने से उक्त  
वर्ण की प्राप्ति सम्भव नहीं ॥९॥ निनीत के समान विधिवाक्य भी  
वर्णवाच है वह विषय सम्बन्ध वर्ण का हेतु है ॥१॥

परुषि वितपूर्णश्रुतविदग्ध च तद्वत् ॥११॥

अकम् अतुसंयुक्त संयोगाक्षित्यानुवाद्य स्यात् ॥१२॥

विधिर्वा समोगास्तरात् ॥१३॥

अहीनवत्पुरुषस्तदर्थत्वात् ॥१४॥

प्रकरणाविधेयाद्या तद्युक्तस्य संस्कार्य ब्रह्मवत् ॥१५॥

अपदेशादपहृष्येत ॥१६॥

स्यो च सर्वपरिदानात् ॥१७॥

प्रागपरोघाम्नसद्वाससः ॥१८॥

अप्रप्रतिषेधाच्च ॥१९॥

अप्रकरण तु तद्वर्मस्ततो विधेयात् ॥२०॥

और निनीत के समान पद्यविहित पूर्ण श्रुत और विदग्ध यह  
वर्णवाच ही है ॥११॥ कर्मपूर्वमास में कहा गया अतुड निषेध विशेष  
वाक्यान्तर से विधान होने से नित्य प्राप्त का अनुवाद है ॥१२॥ उक्त  
विध से निषेध-वाक्य विधि रूप है, अनुवादक नहीं ॥१३॥ अहीन के  
समान जमाई निमित्तक मन्त्र का उच्चारण भी पुरुष मात्र का धर्म है ।  
क्योंकि उसका विधान उसी उक्त रूप से है ॥१४॥ प्रकरण विधेय से भी  
प्रोक्षण के समान माय सम्बन्धी पुरुष का संशोच्यारण संस्कार है ॥१५॥  
अपदेश से उपर्युक्त ह्रास का अपकर्ष होता है ॥१६॥ तथा अंतु के उप-  
देश से बाह्य मात्र के किये अगौरण आदि का निषेध है ॥१७॥  
यज्ञारम्भ से पूर्व ही रजस्वला को यज्ञ भूमि से बाहर करके यज्ञ करने  
का विधान है तथा उससे पूर्व प्रकरण के सम्भावना का भी निषेध है  
॥१॥ तथा रजस्वला सम्बन्धी समायम का भी निषेध कहा है ॥१९॥

यज्ञ में, प्रकरण न होने पर भी सुवर्ण धारण आदि मनुष्य मात्र का धर्म है ॥२०॥

अद्रव्यत्वात्तु शेष स्यात् ॥२१॥

वेदसयोगात् ॥२२॥

द्रव्यसयोगाच्च ॥२३॥

स्याद्वाऽस्यसयोगवत्फलेनः सम्बन्धरतस्मात्कर्मैतिशायन.  
॥२४॥

शेषा प्रकरणोऽविशेषात्सर्वकर्मणाम् ॥२५॥

होमास्तु व्यवतिष्ठेरन्नाहवनीयसयोगात् ॥२६॥

शेषश्च समाख्यानात् ॥२७॥

दोषात्त्विष्टिर्ना किके स्यात्, शास्त्राद्धि वैदिके न दोष  
स्यात् ॥२८॥

अर्थवादो वाऽनुपपातात्तस्माद्यज्ञे प्रतीयेत ॥२९॥

अचोदित च कर्मभेदात् ॥३०॥

सुवर्ण आदि का धारण यज्ञ का शेष है, क्योंकि वह अद्रव्य है ॥२१॥ उस वाक्य का यजुर्वेद से सम्बन्ध है ॥२२॥ और उस वाक्य में आया 'द्विरण्य' पद याग-सम्बन्धी सुवर्ण का स्मारक है । इसलिये भी उपरोक्त कथन मान्य है ॥२३॥ फल वाले कार्यों के समान सुवर्ण धारण का भी फल के साथ सम्बन्ध है । इसलिये वह प्रधान ऋम है, यह ऐति-  
शायन ऋषि का मत है ॥२४॥ अप्रकरण वाले 'जय' आदि होम सब कर्मों के अङ्ग हैं, क्योंकि उनमें समानता है ॥२५॥ वैदिक कर्म और होम दोनों के ही अग्नि सम्बन्धी होने से 'जय' आदि होम वैदिक कर्मों में ही हैं ॥२६॥ तथा 'आव्ययवम्' काण्ड में पठित होने से वैदिक कर्म का अङ्ग है ॥२७॥ इष्टि का विधान सासारिक अश्व प्रतिग्रह में भी होता है । क्योंकि, प्रतिग्रह में दोष है और वैदिक अश्व प्रतिग्रह में शास्त्र सम्मत होने से दोष नहीं है ॥२८॥ जन्मोदर रोग की निवृत्ति के लिये

उक्त इष्टि का कहा जाना अर्थात् है, क्योंकि अन्न प्रतिग्रह विर्षोप है । इसलिये जिस यज्ञ से अन्न यज्ञिमा है उसमें अन्न रूप से इष्टि का कर्त्तव्य होना समझना चाहिये ॥२॥ तथा प्रतिग्रहवाता को इष्टि का विधान नहीं प्रतिग्रह ग्रहण करने वाले को है । इस प्रकार दान और प्रतिग्रह में भेद है ॥१०॥

सा सिङ्गादात्त्रिजे स्यात् ॥३१॥

पानभ्यापस्य उद्वत् ॥३२॥

वोपात्तु वैदिके स्यादपार्थिवे लौकिके न वोप स्यात् ॥३३॥

तत्सर्वत्राविशेषात् ॥३४॥

स्वामिनो वा तदर्थत्वात् ॥३५॥

सिङ्गादस्यनाम्न ॥३६॥

सर्वप्रधानं हविपस्तदर्थत्वात् ॥ ७॥

निरवदानात् क्षेत्र स्यात् ॥३८॥

उपायो वा तदर्थत्वात् ॥३९॥

कृतत्वात् कर्मण्य सङ्घटस्याद्द्रव्यस्य गुणभूतत्वात् ॥४०॥

प्रमाण सिद्ध होने से उक्त इष्टि यजमान का ही कर्त्तव्य है ॥३१॥ अन्नदान निमित्त बाकी इष्टि के समान सोम-पान-वसन निमित्त बाकी इष्टि भी करे ॥३२॥ वैदिक सोमपान में वसन होने पर इष्टि करनी चाहिये क्योंकि वसन का बोध कहा है । परन्तु लौकिक सोमपान वसन के विषये कहा जाने से वसन में बोध नहीं है । ॥३३॥ वह सोम वसन श्रुति-यजमान दोनों को इष्टि करने में कारण है, क्योंकि दोनों में समानता नहीं पत्ती है ॥३४॥ ( उपाधान ) कर्म फल का भोजने बाधा होने से यजमान को ही इष्टि करनी चाहिये ॥३५॥ कर्मण्य विधान से भी यही अर्थ सिद्ध होता है ॥३६॥ सम्पूर्व हवि अग्नि के निमित्त होने से उसका अग्नि में ही प्रक्षेप करे ॥३७॥ ( उपाधान ) होमादि के विषये कुछ पुटोबाध शेष रहता है । अगुठे के पोखरे के समान

दो टुकड़े कृत्स्न पुरोडाश से काट कर यज्ञ करे ॥३८॥ सब पुरोडाश होम के लिये होने से 'द्विर्हविष' शब्द से होम विधि कही है । 'द्विरवदान' से केवल दो अवदान हवन करना उचित है ॥३९॥ एक बार हवन करने से हवन विधि वाला वाक्य चरित्तार्थ होता है और शेष गुणभूत होने से वह पुरोडाश प्रयोजनीय नहीं रहता ॥४०॥

शेषदर्शनाच्च ॥४१॥

अप्रयोजकत्वादेकस्मात्क्रियेरञ्छेषस्य गुणभूतत्वात् ॥४२॥

सस्कृतत्वाच्च ॥४३॥

सर्वेभ्यो वा कारणाविशेषात् सस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥४४॥

लिंगदर्शनाच्च ॥४५॥

एकस्माच्चेद्याथाकाम्यमविशेषात् ॥४६॥

मुख्याद्वापूर्वकालत्वात् ॥४७॥

भक्षाश्रवणादानशब्द परिक्रये ॥४८॥

तरसस्तवाच्च ॥४९॥

भक्षार्थो वा द्रव्ये समत्वात् ॥५०॥

व्यादेशादानसस्तुति ॥५१॥

तथा शेष पुरोडाश के कार्यों का विधान भी मिलता है ॥४१॥ एक हवि से 'म्विष्टवृत्' करे तीनो हवि से नहीं । शेष हवि के गुणभूत होने से वह हवि बार-बार प्रयोजनीय नहीं है ॥४२॥ कर्म के एक बार हो जाने से भी प्रधान हवि सस्कृत होती है ॥४३॥ यह कर्म सभी शेष आहुतियों से करने योग्य है । क्योंकि, कारण की समानता है और सस्कार हवि मात्र के निमित्त है ॥४४॥ तथा ऐसे ही लक्षण देखे जाते हैं ॥४५॥ (शङ्का) एक हवि पक्ष है तो स्वेच्छापूर्वक किसी एक हवि से उक्त कर्म का अवदान करना चाहिये । क्योंकि, उन तीनो हवियों में समानता है ॥४६॥ (समाधान) अथवा इस हवि का ईश्वर के लिये अवदान होता है । इसलिये उसका प्रथम अवदान करे ॥४७॥ दान

विधायक वाच्य में अथवा का नाम न होने से ऋत्विजों को चार विधान करके देना परिहृत्य के लिये है ॥४८॥ तथा पुरोडास शान की दक्षिणा के लिये स्तुति से कर्म की सिद्धि होती है ॥४९॥ ( समाधान ) पुरोडास मन्वथार्थ ही है परिहृत्यार्थ नहीं । क्योंकि पुरोडास में यजमान और ऋत्विज् समाप्त अधिकारी हैं ॥५॥ पुरोडास शान की दक्षिणा रूप से स्तुति कहने मात्र से है ॥५॥

॥ चतुर्थ पाद समाप्त ॥

## पचम पाद

आज्यान्व सर्वसंयोगात् ॥१॥

कारणाच्च ॥२॥

एकस्मिन्समवतरत्यात् ॥३॥

आज्ये च दर्शनात् स्विष्टकृदर्थवावस्य ॥४॥

अक्षेपत्वात् नैव स्यात्सर्वादानावक्षेपता ॥५॥

साधारण्यान्न द्युवायां स्यात् ॥६॥

अकृतत्वाच्च जुह्वां तस्य च होमसंयोगात् ॥७॥

अमसवविति चेत् ॥८॥

न शोदनाविरोधाद्वाचि प्रकल्पनाच्च ॥९॥

उत्पन्नाधिकारात्सति सर्ववचनम् ॥१०॥

शेष-आज्य से कर्म करे । क्योंकि पल्ल कर्म के लिये सब हविषों में अथवा का विधान है ॥१॥ तथा स्विष्टकृद् हविषों के संस्कार का कारण होने से भी उक्त माग्यता सिद्ध होती है ॥२॥ आदिरय चर रूप हवि में समवति का प्रयोग मिलने से भी ऐसा ही सिद्ध होता है ॥३॥ और शोच दूत से भी स्विष्टकृद् वाचि कर्म करे । क्योंकि सर्ववाव वाच्य संसका समर्थक है ॥४॥ स्विष्टकृद् वाचि से श्रौत से अथवा सम्यक्

नहीं । क्योंकि, वह उपाशुयाज शेष नहीं । सर्वं ग्रहणीय कृत् का हवन होने पर उपाशुयाज के घृत् का शेष नहीं रहना ॥४॥ उपाशुयाज के बाद वचा द्रौव घृत उपाशुयाज का शेष नहीं माना जाता । क्योंकि वह सब कर्मों में समान है ॥६॥ जुहू का घी सब हवन के लिये अवदान किया गया है और उनका होना प्रधान होम के संयोग से है ॥७॥ (शङ्खा) चमप में ग्रहण सोम के हवन के समान, जुहू द्वारा घृत् से स्विष्टकृत् अदि कर्म करने चाहिये । ऐसा कहना ठीक नहीं ॥८॥ (मन्वाधान) विधि वाक्य से विरोध होने के कारण उक्त कथन ठीक नहीं । तथा केवल हवि की कल्पना मिलने से हवन का संयोग नहीं बनता ॥९॥ प्रकरण में होने से, शेष रहने पर वाक्य प्रवृत्ति से सब हवि से होम करना कहा है ॥१०॥

जातिविशेषात्परम् ॥११॥

अन्त्यमरेकार्थे ॥१२॥

साकम्प्रस्थायये स्विष्टकृदिडञ्च तद्वत् ॥१३॥

सौत्रामण्या च ग्रहेषु ॥१४॥

तद्वच्च शेषवचनम् ॥१५॥

द्रव्यैकत्वे कर्मभेदात्प्रतिकर्म कियेरन् ॥१६॥

अविभागाच्च शेषस्य सर्वान्प्रत्यवशिष्टत्वात् ॥१७॥

ऐन्द्रवायवे तु वचनात्प्रतिकर्म भक्ष स्यात् ॥१८॥

सोमेऽवचनाद् भक्षो न विद्यते ॥१९॥

स्याद्वाऽन्यार्थदर्शनात् ॥२०॥

'प्रायणीय' इष्टि में आदित्य चरु के पाम 'समव्यति' शब्द का प्रयोग मिलता है, वह भात और घृत सम्बन्धी जाति के अभिप्राय वाला है ॥११॥ द्रौव घृत से प्रत्यभिधारण कहा है, वह द्रुवापात्र के रिक्त न होने से है ॥१२॥ उपाशुयाज के समान साकप्रस्थायीय सज्ञा वाले यज्ञ में, स्विष्टकृत् और इडा अवदान कर्म नहीं होता ॥१३॥ तथा सौत्रामणि यज्ञ में ग्रहो से भी हवन का विधान किया है । इसलिये पूर्वोक्त कर्म

विधायक वाक्य में मरण का नाम न होने से ऋत्विजों को चार विधान करके देना परिकल्प्य के लिये है ॥४८॥ तथा पुरोडास वाक्य की वज्रिणा के लिये स्तुति से कर्म की सिद्धि होती है ॥४९॥ ( समाधान ) पुरोडास मन्त्रणार्थ ही है, परिकल्प्यार्थ नहीं । क्योंकि पुरोडास में यजमान और ऋत्विज् समाप्त अधिकारी हैं ॥५॥ पुरोडास वाक्य की वज्रिणा रूप से स्तुति कहने मात्र से है ॥५१॥

॥ चतुर्थ पाद समाप्त ॥

## पचम पाद

आज्याण्य सर्वसंयोगात् ॥१॥

कारप्याण्य ॥२॥

एकस्मिन्समवत्तराभ्यात् ॥३॥

आज्ये च वर्षनात् स्विष्टकृत्वर्षवावस्य ॥४॥

अशेषत्वात् नैव स्यात्सर्वादानादशेषता ॥५॥

साधारण्यात्प्र घृवायां स्यात् ॥६॥

अकतत्वाच्च जुह्वां सस्य च होमसंयोगात् ॥७॥

अमसवदिति चेत् ॥८॥

न भोदनाविरोधाद्वाचि प्रकल्पनाच्च ॥९॥

उत्पन्नाधिकारात्सति सर्ववचनम् ॥१०॥

शेष-वाक्य से कर्म करे । क्योंकि उक्त कर्म के लिये सब इधियों में अथवाण्य का विधान है ॥१॥ तथा स्विष्टकृत् ऋत्विजों के संस्कार का कारण होने से भी उक्त मात्मता ठिक होती है ॥२॥ आहित्य वह रूप है जो 'अमसवति' का प्रयोग विधान से भी ऐसा ही सिद्ध होता है ॥३॥ और घृण्य वृत् से भी स्विष्टकृत् वाचि कर्म करे । क्योंकि वर्षवाक्य वाक्य संज्ञा समर्पक है ॥४॥ स्विष्टकृत् वाचि से भी अथवाण्य संज्ञक



नहीं। क्योंकि, वह उपाशुयाज शेष नहीं। मंत्र ग्रहणीय कृत्वा हवन होने पर उपाशुयाज के घृत्वा का शेष नहीं रहता ॥४॥ उपाशुयाज के बाद वचा श्रौव घृत उपाशुयाज का शेष नहीं माना जाता। क्योंकि वह सब कर्मों में समान है ॥६॥ जुहू का घी सत्र हवन के लिये अर्पण क्रिया गया है और उनका होना प्रघन होना के संयोग से है ॥७॥ (शङ्का) चमप में ग्रहण सोम के हवन के समान, जुहू द्वारा घृत्वा से स्विष्टकृत् अर्पण कर्म करने चाहिये। ऐसा कहना ठीक नहीं ॥८॥ (मनाधान) विधि वाक्य से विरोध होने के कारण उक्त रुधन ठीक नहीं। तथा केवल त्रि को कल्पना मिलने से हवन का संयोग नहीं बनता ॥९॥ प्रकरण में होने से, शेष रहने पर वाक्य प्रवृत्ति से सत्र हवि से होम करना कहा है ॥१०॥

जातिविशेषात्परम् ॥११॥

अन्त्यमरेकार्थे ॥१२॥

साकम्प्रस्थायये स्विष्टकृद्विडञ्च तद्वत् ॥१३॥

सौत्रामण्या च ग्रहेषु ॥१४॥

तद्वच्च शेषवचनम् ॥१५॥

द्रव्यैकत्वे कर्मभेदात्प्रतिकर्म कियेरन् ॥१६॥

अविभागाच्च शेषस्य सर्वान्प्रत्यवशिष्टत्वात् ॥१७॥

ऐन्द्रवायवे तु वचनात्प्रतिकर्म भक्ष स्यात् ॥१८॥

सोमेष्वचनाद् भक्षो न विद्यते ॥१९॥

स्याद्वाऽन्यार्थदर्शनात् ॥२०॥

‘प्रायणीय’ इष्टि में आदित्य चरु के पाम ‘समव्यति’ शब्द का प्रयोग मिलता है, वह भात और घृत सम्बन्धी जाति के अभिप्राय वाला है ॥११॥ श्रौव घृत से प्रत्यभिधारण कहा है, वह ध्रुवापात्र के रिक्त न होने से है ॥१२॥ उपाशुयाज के समान साकम्प्रस्थायीय सज्ञा वाले यज्ञ में, स्विष्टकृत् और इहा अवदान कर्म नहीं होता ॥१३॥ तथा सौत्रामणि यज्ञ में ग्रहों से भी हवन का विधान किया है। इसलिये पूर्वोक्त कर्म

कर्तव्य नहीं ॥१४॥ तथा प्रहो से होय के विधायक वाक्य शेष 'सार्क प्रस्थामीम' के समान स्विष्टकृत् आदि बर्कृष्यता सूचक हैं ॥१५॥ इधम के एकत्व से भी प्रधान कर्म का भेद होने से प्रत्येक प्रधान कर्म के प्रति स्विष्टकृत् आदि कर्म करे ॥१६॥ हवि त्याग के बाद बची हुई शेष हवि और उससे पहिली हवि में परस्पर भेद नहीं है । क्योंकि पुत्रोडाउ हवि सब प्रधान कर्मों में समान ही है ॥१७॥ ऐन्द्रवायव सखा बाके पात्र म प्रत्येक कर्म के प्रति भक्षण होना चाहिये । क्योंकि वाक्य विशेष से ऐसा ही होता है ॥१८॥ ज्योतिष्टोम में शेष सोम भक्षण का विधान नहीं । क्योंकि उसका विधायक वाक्य नहीं मिलता ॥१९॥ शेष सोम का भक्षण होने में व्यय वस्तु का विधान मिलता है ॥२०॥

वचमानि त्वपूर्वत्वात्तस्माद्यथापदेशं स्युः ॥२१॥

चमसेषु समाख्यानात्संयोगस्य तन्निमित्तत्वात् ॥२२॥

उद्गाताचमसमेक श्रुतिसंयोगात् ॥२३॥

सर्वे वा सर्वसंयोगात् ॥२४॥

स्तोत्रकारिणा वा तत्संयोगाद्बहुश्रुतेः ॥२५॥

सर्वे तु वेदसंयोगात्कारणादेकवेद्ये स्यात् ॥२६॥

घ्रावस्तुतो भक्षो न दिद्यतेऽजाम्नानात् ॥२७॥

हारियोजने वा सघसंयोगात् ॥२८॥

चमसिनां वा सन्निधानात् ॥२९॥

सर्वेषां तु विधित्वात्तदर्शा चमसिभ्युक्ति ॥३०॥

अपूर्व बर्क का प्रतिपादक होने से 'सर्वत' परिहारम् वाक्य अर्थक आदि विधिष्ट मन्त्र का विधायक है । इच्छिये नहीं विधिष्ट मन्त्र गुणते हैं, वही मन्त्र का विधान समझना चाहिये ॥२१॥ चमस में समाख्या के आधार पर शेष सोम को अर्घ्य कहा है । क्योंकि समाख्या सम्बन्ध मन्त्र के लिये है ॥२२॥ उद्गाताचमस नामक पात्र में शेष सोम का एक उद्गाता ही मन्त्र करे । क्योंकि श्रुति में चमस से उद्गाता

का संयोग है ॥२३॥ (समाधान) पात्र में सब ऋत्विजों द्वारा शेष सोम का भक्षण करना उचित है । सर्वत्र चक्र ऋत्विजों का उस पात्र में सम्बन्ध है ॥२४॥ उस पात्र में उद्गाता, प्रक्षोभा और प्रनिहर्ता को भक्षण करना चाहिये । क्योंकि, उनके संग से बहु वचन का प्रयोग है ॥२५॥ चारों का सामवेद में सम्बन्ध होने के कारण उक्त तीनों ऋत्विजों और मुत्रघ्ण इन चारों को खाना चाहिये । और उद्गाता में जो उद्गातृ शब्द है वह उद्गीय' गान के लिये है ॥२६॥ ग्रावस्तुत्' सज्ञा वाले ऋत्विजों का हारियोजन नामक पात्र में अत्रशिष्ट सोम का भक्षण करना उचित नहीं है । क्योंकि, वैसा विधान नहीं मिलता ॥२७॥ (समाधान) हारियोजन पात्र में ग्रावस्तुत् को भी शेष सोम भक्षण का अधिकार है । क्योंकि, उक्त पात्र के सोम का भक्षण करने में उसका भी सम्बन्ध कहा गया है ॥२८॥ मन्त्रिघान होने से चमसियों का ग्रहण है ॥२९॥ मर्व शब्द से चमसी, अचमसी ऋत्विजों का ग्रहण है । क्योंकि, हारियोजन पात्र में सब भक्षण का विधान है और चमसियों के ग्रहण वाला वाक्य पात्र की प्रशंसा के लिये है ॥३०॥

वपट्काराच्च भक्षयेत् ॥३१॥

होमाऽभिषवाभ्या च ॥३२॥

प्रत्यक्षोपदेशाच्चमसानामव्यक्त शेषे ॥३३॥

स्याद्वा कारणभावादिनिर्देशश्चमसाना कर्तुं स्तद्वचनत्वात्

॥३४॥

चमसे चान्यदर्शनात् ॥३५॥

एकपात्रे क्रमादध्वयुं पूर्वो भक्षयेत् ॥३६॥

होता वा मन्त्रवर्णात् ॥३७॥

वचनाच्च ॥३८॥

कारणानुर्व्याच्च ॥३९॥

वचनाऽनुज्ञातभक्षणम् ॥४०॥

तथा वपट्कार होने से वपट्कार-वर्त्ता को छप छोम का पहिले  
 मसज करना चाहिये ॥३१॥ तथा होम और अग्निपत्र का प्रयोग छोम  
 मसज के निमित्त ही समझना चाहिये ॥३२॥ अमर्षियाँ अमस मसज  
 में निमित्त हैं तथा 'वपट्कृत प्रथममस' वाक्य अमस से अलग यहाँ  
 के मसज से है ॥३३॥ (व्याख्यान) वपट्कार आदि भी अमस मसज के  
 निमित्त है क्योंकि वे कारण कम हैं और अमर्षियों का अमस मसज में  
 निमित्त होने सम्बन्धी कथन न मिलने से 'यथा अमसम्' वाक्य बीसा  
 विधान करने बाका है ॥३४॥ अमस-अध्वर्यु द्वारा अमसों की प्राप्ति देखे  
 जाने से वपट्कर्त्ता आदि का भी अमस में छोम मसज मिलता है ॥ ३॥  
 एक ही पात्र में मसज का विधान होने से अध्वर्यु को प्रथम मसज  
 करना चाहिये । ऐसा ही कम मिलता है ॥३५॥ मन्त्रवर्ष में होने  
 से होता को पूर्व मसज करना चाहिये ॥३७॥ वाक्य विशेष से भी इसका  
 समर्थन होता है ॥३८॥ और कारण कम से भी यही माय्यता उचित  
 प्रतीत होती है ॥३९॥ वाक्य द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि अनुज्ञा  
 पूर्वक ही छोम मसज करे ॥४॥

तदुपहृत उपह्वयस्वेत्यनेनानुज्ञापयेत्किञ्च गाल् ॥४१॥

तपार्थप्रतिषेधनम् ॥४२॥

तदेकपात्रार्था समवायात् ॥४३॥

याज्यापननेनापनीतो भक्ष प्रवरवत् ॥४४॥

यष्टुर्वा कारणमात् ॥४५॥

प्रदुत्तत्वात्प्रवरस्यानपाय ॥४६॥

फलजमसो दीमितिको भक्षविकार श्रुतिसंयोगात् ॥४७॥

इज्याविकारो वा सत्कारस्य तदर्थत्वात् ॥४८॥

होमात् ॥४९॥

अमर्षेण तुल्यकालत्वात् ॥५०॥

सिद्धदर्शनाच्च ॥५१॥

अनुप्रसर्पिषु सामान्यात् ॥५२॥

ब्राह्मणा वा तुल्यशब्दत्वान् ॥५३॥

उस सोम भक्षण का 'उपहूत उाह्वयस्व' मन्त्र से अनुज्ञापन करे । ययोकि, मन्त्र म अनुज्ञापन शक्ति होने के लक्षण मिलते हैं ॥४१॥ वेद मन्त्र ही उसका उत्तर देता है ॥४२॥ समवाय-सम्बन्ध होने से सोम-भक्षण का अनुज्ञापन एक पात्र म हाता है ॥४३॥ वरण के समान याज्या का अपनयन होता है, भक्षण का नहीं ॥४४॥ अथवा यजमान को सोम भक्षण होना उचित है ॥४५॥ प्रवृत्ति होने से होता के वरणी होने का अपनय विधान नहीं है ॥४६॥ श्रुति सयोग से जाना जाता है कि क्षत्रिय और वैश्य के लिये बनाया गया फल चमस भक्षण के योग्य है ॥४७॥ फल चमस का सस्कार याग के लिये होने से, वह उसी के निमित्त है ॥४८॥ होम का कथन होन से यागार्थ है ॥४९॥ चमसो से फल चमस चठाने की समान विधि होने से भी ऐसा ही मानना चाहिये ॥५०॥ लक्षण पाये जाने से भी यही सिद्ध होता है ॥५१॥ ( समाधान ) यजमान चमस का प्रतिभक्षण दश क्षत्रियों द्वारा होने से यजमान के लिये एक जातित्व कथन है ॥५२॥ केवल ब्राह्मण शब्द से उ न्यास होने के कारण यजमान चमस के लिये अनुप्रसर्पणकर्त्ता क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण होना चाहिये ॥५३॥

॥ पचम पाद समाप्त ॥

## षष्ठ पाद

सर्वार्थमप्रकरणात् ॥१॥

प्रकृतौ वाऽद्विरुक्तत्वात् ॥२॥

तद्वर्जं तु वचनप्राप्ते । ३॥

दर्शनादिति चेत् ॥५॥

उत्पत्तिरिति च ॥६॥

म तुल्यत्वात् ॥७॥

शोदनार्थकास्त्न्यात् मुख्यविप्रतिषेधात्प्रकृत्यथ ॥८॥

प्ररुरमविशेषात् विकृती विरोधि स्यात् ॥९॥

नमितिक तु, प्रकृतौ तद्विकार संयोगविशेषात् ॥१०॥

प्रकृति और विकृति दो यापों में क बादि का विधान है, इसलिये और-काण्ड के मन्वीय पाठ बनाने चाहिये । परन्तु, म्नीयी पाठ में इसका वर्णन नहीं हुआ ॥१॥ (समाधान) वर्षपूर्वमास यापों में ही उनका सम्बन्ध होता है । ऐसा करने से द्विवक्ति प्राप्त नहीं होती ॥२॥ (पूर्व पक्ष) यन्-करण पठित के अतिरिक्त, विनिवद् प्रकृति याप में होने से प्रेरक वाक्य की प्रवृत्ति है ॥३॥ यदि कहे कि प्रकृति के धर्म देखे जान से प्रेरक वाक्य में प्रवृत्ति सिद्ध होती है ॥४॥ (समाधान) प्रकृति और विकृति दोनों यापों में समान विधि होने से उक्त कथन ठीक नहीं ॥५॥ (सका) यदि कहे कि विधि वाक्य द्वारा सब धर्मों का स्वाभाविक सम्बन्ध प्रकृति याप से ही है विकृति याप से नहीं ॥६॥ (पूर्वपक्ष द्वारा समाधान) अतिरिक्त धर्म प्रकृति और विकृति दोनों यापों में समान होने से उक्त कथन निरर्थक है ॥७॥ (उत्तर पक्ष) प्रकृति याप के लिये विधान है विकृति याप के लिये नहीं । क्योंकि प्रेरक वाक्य से सर्व धर्म-सम्बन्ध है और मुख्य विप्रतिषेध से दोनों का विधान करते हैं इसमें दोष है ॥८॥ सामिधेनियो की पञ्चह संख्या की प्रतिवृत्ती उत्तरह संख्या विकृत पक्ष में विहित है प्रकरण विशेष से पञ्चह संख्या जाती है ॥९॥ वर्षण के निमित्त विहित उत्तरह सामिधेनियो के प्रकृति याप में होने से वाक्य विशेष से पूर्व विहित पञ्चह सामिधेनियो वाक्य है ॥१०॥

इष्टधर्मसम्प्रापेयं प्रकरणात् ॥११॥

न वा तासां तदर्थत्वान् । १२॥

सिद्धवर्तनाच्च ॥१३॥

तत्प्रकृत्यर्थं यथान्येऽनारभ्यवादा ॥१४॥

सर्वार्थं वाऽऽधानस्य स्वकालत्वात् ॥१५॥

तासामग्निं प्रकृतित प्रयाजवत् स्यात् ॥१६॥

न वा तासा तदर्थत्वात् ॥१७॥

तुल्य सर्वेषा पशुविधिं प्रकरणाविशेषात् ॥१८॥

स्थानाच्च पूर्वस्य ॥१९॥

श्वस्त्वे ऋषा तत्र प्राक्श्रुतिगुणार्थं ॥२०॥

प्रकरण मे विधान होने से अग्न्याधान पवमान आदि इष्टियो का अङ्ग मानना चाहिये ॥११॥ (समाधान) वे इष्टियाँ आहवनीय आदि अग्नियो के सस्कारार्थं होने से, उक्त कथन ठीक नहीं है ॥१२॥ लक्षण देखे जाने से भी यही सिद्ध होता है ॥१३॥ (पूर्व पक्ष) अप्रकरण पठित वाक्य आदि खदिर आदि के धर्म प्रकृति याग के लिये हैं, वैसे ही अग्नि का आधान भी प्रकृति याग के लिये है ॥१४॥ (उत्तर पक्ष) आधान का समय नियत होने से यह सिद्ध होता है कि अग्नि का आधान प्रकृति और विकृति दोनों के लिये है ॥१५॥ जैसे प्रयाज होम दशपूर्णमास याग से आहवनीय आदि अग्नि में होते हैं वैसे ही पवमान इष्टियाँ उस अग्नि में होती हैं ॥१६॥ (समाधान) पवमान इष्टियाँ अग्नि सस्कारार्थं हैं, अतः पूर्वोक्त कथन प्रमणित नहीं होता ॥१७॥ प्रकरण की विशेषता से पशु-उद्देश्य वाला विधियाँ सब अग्नीषोमीय पशुओं के समान हैं ॥१८॥ (पूर्वपक्ष) उसकी सन्निधि में पाठ होने से वे धर्म अग्निषोमीय के होने सिद्ध होते हैं ॥१९॥ (तृतीय पूर्वपक्ष) सवनीय पशु के वे धर्म हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध शाखान्तर में मिलता है। उनका सौत्य दिवस से पहिले औपवसथ्य दिवस में सुना जाना गौण है ॥२०॥

तेनोत्कृष्टस्य कालवधिरिति चेत् ॥२१॥

नेरुदेशत्वात् ॥२२॥

अर्थेनेति चेत् ॥२३॥

न भ्रूतिविप्रतिषेधात् ॥२४॥

स्थानात् पूर्वस्य सस्कारस्य सदसत्त्वात् ॥२५॥

लिङ्गदर्शनाच्च ॥२६॥

अथावना गुणार्थेन ॥ ७॥

दोहयो काकमेवावसंमुक्तं शतं स्मात् ॥२८॥

प्रकरणाधिभागाद्वा तत्संमुक्तस्य काकशास्त्रम् ॥२८॥

तद्वत्त्वनास्तरे ग्रहाम्नातम् ॥३॥

(शंका) यदि कहें कि आरिचन वाक्य में उत्तर कृम्य सप्तमीय पशु का अनुष्ठान विहित है ? ॥२१॥ (समाधान) एक बेसीय विधान से समुदाय को विहित करने के कारण उक्त कर्म ठीक नहीं ॥२२॥

(शंका) यदि कहें कि अर्ध से सभी ग्रहण हैं ? ॥२१॥ (समाधान) ऐसा मानने से भ्रूति से विरोध होता है किन्तु नहीं मान सकते ॥२४॥ (समाधान) वे धर्म अग्निपौत्र आदि पशु के हैं इतना प्रतिषिद्ध

कर्म प्रमाण है और संस्कार मान का उक्त हेतु में होने से यह मान्यता ठीक है ॥२५॥ ऐसे ही कर्मण्य वेले जाते हैं ॥२६॥ अर्धवाची होने से दोनों वाक्य प्रेरक नहीं हैं ॥२७॥ (शंका) वर्ष पौर्णमास यात्र में पुने छात्राहरण आदि दोनों समय हुए होने के धर्म नहीं हैं । क्योंकि उनमें काक का धर्म है ॥२८॥ (समाधान) हुए बोहन का निवारक शास्त्र प्राप्त

साथ दोनों समय बोहन का विधान करता है और प्रकरण से भी दोनों का सम्बन्ध पाया जाता है ॥२९॥ हुए बोहन धर्म के समान ही ग्रह के धर्म का अनुष्ठान प्राप्त करने के पश्चात् होता है ॥३॥

रक्षता च लिङ्गदर्शनात् ॥३१॥

आराच्छिष्टमसमुक्तमितरे सन्निधानात् ॥३२॥

संयुक्तं वा तदर्थत्वाच्चक्षेत्रस्य तन्निमित्तत्वात् ॥३३॥

निर्घणात् व्यवतिष्ठेत ॥३४॥

अग्न्यङ्गमप्रकरणे तद्वत् ॥३५॥



नैमित्तिकमतुल्यत्वादसमान विधान स्यात् ॥३६॥

प्रतिनिधिश्च तद्वत् ॥३७॥

न तद्वत् प्रयोजनैकत्वात् ॥३८॥

अशास्त्रलक्षणत्वाच्च ॥३९॥

नियमार्था गुणश्रुति ॥४०॥

तथा रशनावेश्चन आदि भी अग्निपोम आदि पशु-धर्म होने के लक्षण देखे जाते हैं ॥३१॥ अप्रकरण होने से दोनो पात्रो का ऐन्द्रवाय-वादि ग्रह धर्मों से असयोग है । क्योंकि, उसके समीप ग्रह धर्मों का विधान नहीं पाया जाता ॥३२॥ (समाधान) ग्रह मात्र के लिये विहित होने से सम्माजन आदि धर्मों का दोनो ग्रहो से सम्वन्ध होता है । सहधर्मों का विधान ग्रह मात्र के लिये करना चाहिये ॥३३॥ विहित वाक्यो से ग्रह मात्र से उक्त धर्मों के सयोग की व्यवस्था होती है ॥३४॥ 'अशु' और 'अदाम्य' के सम्मार्जनादि धर्म के समान अग्नि चयन प्रकरण मे पठित अखण्डत्व आदि धर्म अप्रकरण पठित इष्टिकाओ के भी हैं ॥३५॥ सोम के समान न होने से फल चमस मे सोमाभिषव आदि धर्मों का विधान नहीं है ॥३६॥ जैसे निमित्तक फल चमस अभिषव धर्म वाला नहीं होता, वैसे ही नीवार आदि भी प्रोक्षण धर्म वाला नहीं हो सकता ॥३७॥ (समाधान) व्रीहि अदि के समान नीवार आदि के धर्म होते हैं और दोनों का याग सिद्ध होना समान रूप से मिलता है ॥३८॥ तथा अर्थापत्ति प्रमाण से भी उक्त अर्थ सिद्ध होता है ॥३९॥ प्रतिनिधि की विधायक श्रुतियाँ उक्त नियम के लिये है ॥४०॥

सस्थास्तु समानविधाना प्रकरणाविशेषात् ॥४१॥

व्यपदेशश्च तुल्यवत् ॥४२॥

विकारास्तु कामसयोगे नित्यस्य समत्वात् ॥४३॥

अपि वा द्विरुक्तत्वात्प्रकृतेर्भविष्यन्तीति ॥४४॥

वचनात्तु समुच्चय ॥४५॥

प्रतिषेधाच्च पूर्वलिङ्ग गानाम् ॥४६॥

गुणविशेषादेकस्य व्यपदेश ॥४७॥

श्रीसन्धीय आदि इष्टियाँ सप्त यज्ञों की ब्रह्म हैं । क्योंकि सबका प्रकरण समान मिश्रता है ॥४६॥ तथा सभी का उक्त यज्ञीय प्रकरण में समान रूप से रूप है ॥४७॥ उक्त्यादि अग्निष्टोम के विचार हैं । क्योंकि पशु आदि की कामता के सम्बन्ध से विधान मिश्रता है । इसलिये अग्निष्टोम के समान होने पर भी उनमें ब्रह्म रूप से विधान नहीं हो सकता ॥४६॥ (समाधान) प्रथमा द्विष्टिक होने से उक्त इष्टियाँ ज्योतिष्टोम की ब्रह्म होती ॥४७॥ 'अग्निष्टोम' आदि ऋषियों से अग्निष्टोम पीर उक्त्यादि का संकल्पना पाया जाता है ॥४८॥ तथा पूर्व ऋषियों का उक्त्यादि में निषेध होने से भी उस रूप की सिद्धि नहीं होती ॥४९॥ गुण की विशेषता से सप्त संस्थाओं द्वारा एक ही ज्योतिष्टोम का वर्णन हुआ है ॥४७॥

॥ षष्ठ पाद समाप्त ॥

## सप्तम पाद

प्रकरणविशेषादसयुक्तं प्रधानस्य ॥१॥

सर्वथा वा दोषत्वस्यातत्प्रमुक्तस्यात् ॥२॥

आरादपीति चेत् ॥३॥

न तद्वाच्यं हि तदर्थत्वात् ॥४॥

मि-गदशनाच्च ॥५॥

फलसंयोगात् स्वामियुक्तं प्रधानस्य ॥६॥

त्रिकीपया च संयोगात् ॥७॥

तथाभिधानेन ॥८॥

तद्य क्तं तु फलभूतिस्तरमासर्वत्रिकीपया स्यात् ॥९॥

गुणाभिधानासर्वत्रिकीपयाभिधानम् ॥१०॥

वेदि आदि घर्म प्रधान यज्ञ के हैं, अंगो के नहीं । प्रकरण की विशेषता से यही सिद्ध होता है ॥१॥ (समाधान) वेदि का खनन आदि प्रधान तथा अ ग के घर्म हैं । क्योंकि घर्म-घर्मी भाव का वाक्य से नियम है, प्रकरण से नहीं ॥ २ ॥ ( शक्ता ) यदि कहे कि प्रधान यज्ञ के साथ पढा जाता है, इसलिये वेदि 'पिण्डपितृयाग' के भी होने चाहिये ? ॥ ३ ॥ ( समाधान ) वे वाक्य प्रधान और अंग दोनों के लिये ही वेदि आदि के विधायक हैं, इसलिये उक्त कथन ठीक नहीं ॥ ४ ॥ इसी प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं ॥ ५ ॥ यजमान से सम्बन्धित सस्कार प्रधान यज्ञ के अ ग हैं, क्योंकि, सस्कारो का सम्बन्ध फल से होता है ॥ ६ ॥ और 'सौमिकी' सजा वाली वेदि प्रधान कर्म की अ ग है, क्योंकि, इच्छाओ द्वारा उसका उसी से सम्बन्ध होना माना जाता है ॥ ७ ॥ ( पूर्व पक्ष ) सौमिकी' के प्रधान कर्म की अ ग होने के समान 'अभिमर्शन' भी प्रधान आहुति का अ ग है । उसका ऐसा ही वर्णन मिलता है ॥ ८ ॥ ( समाधान ) अ ग-युक्त प्रधान में फल श्रवण मिलता है । इसलिये, अ ग और प्रधान दोनों की इच्छा है ॥ ९ ॥ अभिमर्शन का विधान अ ग और प्रधान दोनों के लिये है । उनमें पौर्णमासी और अमावस्या पद से काल कहा गया है, आहुति नहीं कही गयी ॥ १० ॥

दीक्षादक्षिण तु वचनात्प्रधानस्य ॥११॥

निवृत्तिदर्शनाच्च ॥१२॥

तथा यूपस्य वेदि ॥१३॥

देशमात्र वाऽशिष्टैर्नैकवाक्यत्वात् ॥१४॥

सामिधेनीस्तदन्वाहूरिति हविर्धानयोर्वचनात्सामिधेनीनाम्

॥१५॥

देशमात्र वा प्रत्यक्ष ह्यर्थकर्म सोमस्य ॥१६॥

समाख्यान च तद्वत् ॥१७॥

शास्त्रफल प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात्तास्मात् स्वयं प्रयोगे स्यात् ॥१८॥

उत्सर्गो तु प्रधानत्वाच्छ्रेयकारि प्रधानस्य तस्मादभ्यः स्वय  
वा स्यात् ॥११॥

अन्यो वा स्यात्परिक्रम्याम्नानाद्विप्रतिषेधात्प्रत्यगारमनि  
। २०॥

दीक्षा और ब्रह्मिणा प्रधान कर्म के अर्थ हैं। ऐसा बचन पाया  
जाता है ॥ ११ ॥ तथा निरुद्ध पशुपत्न्य संज्ञा वाले यज्ञ में दीक्षा के निवृत्त  
होने से यही मानना ठीक है ॥ १२ ॥ ( पू पञ्च ) अथे दीक्षा और  
ब्रह्मिणा प्रधान कर्म के अर्थ कहे गये हैं, जैसे ही बहि को भी यूप का अर्थ  
समझना चाहिये ॥ १३ ॥ ( समाधान ) अथ मन्त्र वेदि अथ को देस  
मात्र का उपलक्षण समझना चाहिये। क्योंकि अथ बहिर्वेदि के साथ यही  
वाक्य प्रयुक्त हुआ है ॥ १४ ॥ सोम नूटा जाने वाला अथक सामवेदियों  
का अर्थ है ऐसे बचन मिलते हैं ॥ १५ ॥ ( समाधान ) ज्योतिष्टोम  
याम का अर्थ कहा जाने से वह अथक अपने से सम्बन्धित देस विशेष का  
उपलक्षण मात्र है ॥ १६ ॥ तथा अथक संज्ञक वेद विशेष का उपलक्षण  
के समान हविर्बलि को ज्योतिष्टोम का अर्थ कहना भी सार्थक है ॥ १७ ॥  
अग्निहोत्रादि कर्मों का फल अनुष्ठान करने वाले को मिलता है। क्योंकि  
शास्त्र में उसका उची के लिये विधान किया गया है। इसलिये उन  
अग्निहोत्रादि का स्वयं अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १८ ॥ ( पू प )  
यजमान का मुख्यत्व ब्रह्मिणा भी अपेक्षित है सर्वत्र नहीं। इसलिये ब्रह्मिणा  
को छोड़ कर सभी अथो का अनुष्ठान यजमान से विना अतिव्यय या  
स्वयं ही होता है ॥ १९ ॥ ( समाधान ) यजमान के सिवाय अतिव्यय या  
स्वयं ही वेद अथ कर्मों के अनुष्ठान हैं। उन कर्मों के अनुष्ठान के लिए  
अतिव्ययों का परिक्रम्य कहा है। वह परिक्रम्य स्वयं में विरोधी होने से नहीं  
होता ॥ २ ॥

तत्रार्थात्सर्वपरिमाणं स्मादभ्यमोऽविशेषात् ॥२१॥

अपि वा अतिभेदात्प्रतिनामभेदं स्यु ॥२२॥

एकस्य कर्मभेदादिति चेत् ॥२३॥

नोत्पत्तौ हि ॥२४॥

चमसाध्वर्यवश्च तैर्व्यपदेशात् ॥२५॥

उत्पत्तौ तु बहुश्रुते ॥२६॥

दशत्व लिङ्गदर्शनात् ॥२७॥

शमिता च शब्दभेदात् ॥२८॥

प्रकरणाद्वोत्पत्त्यसयोगात् ॥२९॥

उपगाश्च लिङ्गदर्शनात् ॥३०॥

ऋत्विज् कितने हो, इसका नियम नहीं है, क्योंकि, उनका विधायक वाक्य नहीं मिलता । इसलिये अ ग कर्मों के अनुष्ठान में उनकी संख्या अर्थानुसार होती है ॥ २१ ॥ ( समाधान ) प्रत्येक कर्म के अनुसार ज्योतिष्टोम में सत्तरह ऋत्विज होते हैं । श्रुति में उनके अलग-अलग नाम कहे गए हैं ॥ २२ ॥ ( शका ) यदि कहे कि क्रिया भेद से एक ही ऋत्विक् के अध्वर्युं आदि अनेक नाम हैं ? ॥२३॥ (समाधान) वरण का विधान करने वाले वाक्य में सत्तरह ऋत्विजों का ही वरण करना कहा है ॥ २४ ॥ चमस अध्वर्युं आदि उन सत्तरह ऋत्विजों से भिन्न हैं, क्योंकि उनके प्रत्येक वरण का विधान मिलता है ॥ २५ ॥ ( पू० प० ) वरण वाक्य में बहुवचन से कहे जाने के कारण चमस अध्वर्युं अनेक समझने चाहिये ॥ २६ ॥ ( समाधान ) चमस अध्वर्युं दश हैं, क्योंकि लक्षणों से ऐसा ही सिद्ध है ॥ २७ ॥ ( शका ) अध्वर्युं आदि सत्तरह ऋत्विजों से शमिता भिन्न है । क्योंकि उनसे नाम का भेद होना सिद्ध है ॥ २८ ॥ ( समाधान ) प्रकरण से जाना जाता है कि 'शमिता' भिन्न नहीं है । क्योंकि उसके भिन्न वरण सम्बन्धी वाक्य नहीं मिलता ॥ २९ ॥ तथा उपगाता भी अध्वर्युं आदि में ही है, क्योंकि, लक्षण प्रमाण से ऐसा ही जाना जाता है ॥ ३० ॥

विक्रयो त्वन्य. कर्मणोऽचोदितत्वात् ॥३१॥

कर्मकार्यत्सर्वेषामृत्विषस्वमविशेषात् ॥३१॥

न वा परिसङ्घातानात् ॥३२॥

पक्षेऽपि चेत् ॥३३॥

न सर्वेषामधिकारः ॥३४॥

नियमस्तु वक्षिषामि श्रुतिसंयोगात् ॥३५॥

उक्त्वा च यत्प्रमाणत्वं तेषां वीक्षाविधानात् ॥ ३६॥

स्वामिसम्प्रदाया कर्मसामान्यात् ॥३७॥

ते सर्वेषां प्रयुक्तत्वादन्यथा स्वकारुत्वात् ॥३८॥

सत्संयोगात् कर्मणो व्ययस्या स्यात् संयोगस्यापवत्त्वात्

॥४॥

सोम विज्ञान करने वाला ऋत्विजो से भिन्न होता है । क्योंकि सोम विज्ञान के लिए विभाग नहीं है ॥ ३१ ॥ यज्ञ में भाग लेने वाले सभी कर्मकर्ता ऋत्विज् हैं । क्योंकि वे सभी विहित कर्मों को समान रूप से करते हैं ॥ ३२ ॥ ( समाधान ) ऋत्विजो की संख्या सत्तरहू ही बताई जाती है, इसलिये उक्त कथन ठीक नहीं ॥ ३३ ॥ ( अर्थ ) यदि कहे कि उस वाक्य में सत्तरहू का ग्रहण एक वैश्वीय प्रयोजन के लिये है ? ॥ ३४ ॥ ( समाधान ) सबका अधिकार न कहा होने से उक्त कथन ठीक नहीं है ॥ ३५ ॥ वक्षिषा वाक्य से सिद्ध होता है कि सत्तरहू ऋत्विज् ब्रह्मर्षु आदि के अतिरिक्त कोई नहीं है । क्योंकि वक्षिषा वाक्य में उनके नामों का संकेत है ॥ ३६ ॥ तथा उक्त से सब ऋत्विजों को यजमान कहकर फिर ब्रह्मर्षु आदि की वीक्षा का विधान किया है । इससे भी यही सिद्ध होता है ॥ ३७ ॥ ब्रह्मर्षु आदि में सत्तरहूवाँ यजमान भी ऋत्विज् ही कहा गया है क्योंकि उसका भी कर्म समान है ॥ ३८ ॥ ब्रह्मर्षु आदि को यज्ञ सम्बन्धी सब कर्मों के करने का अधिकार है, क्योंकि वे प्रत्येक कार्य के लिये निरुक्त होते हैं और वे किसी भी अग्नि से कार्य कर सकते हैं ॥ ३९ ॥ ( समाधान ) किन्तु ऋत्विज् को क्या कर्म करना है, इसकी

अस्या १ । उच्यते, उच्यते ॥ ११ ॥ 'स अथर्व' आदि तन्वाय का अधिकार  
न्याय सिद्ध ॥ ११ ॥ ६० ॥

तन्वायपदेशनमाद्यानेन निर्देश ॥ ६१ ॥

तद्वचनं तद्वचनम् ॥ ६२ ॥

प्रं पानुपानं मंत्रावरणं सोपदेशात् ॥ ६३ ॥

पृथोऽत्राचार्यधिकारा चा प्रं प इत्यानात् ॥ ६४ ॥

प्रानरन्मते च ह्यनुवचनान् ॥ ६५ ॥

चम ॥ ६६ ॥ तन्वायपदान् ॥ ६७ ॥

चममे चान्वदशनान् ॥ ६८ ॥

अशक्ती ते प्रतीयेरन् ॥ ६९ ॥

धेदोपदेशात्पुत्रद्वेदान्यत्वे यवोपदेश म्यु ॥ ७० ॥

तद्गुणाद्वा स्वयम म्यादनिवारनामव्यतिहा इंगरव्यक्त

शेषे ॥ ७१ ॥

कही कही विशेष वचन द्वारा उन-उन तम के करत ता विषय

मिथता है ॥ ६१ ॥ तथा पहिले के ममान उक्षण मिलन मे भी यही

निद्र हाता है ॥ ६२ ॥ मभी प्रं प एव अनुवचन मंत्रावरण के विषय

वर्तव्य है । ऐसा उपदेश मिलता है ॥ ६३ ॥ ( समाधान ) मंत्रावरण

का अधिकार प्रं प नहित अनपान मे है तत्र मे ऐसा विधान नही मिलता

॥ ६४ ॥ अनुवचन रूप प्रात पठित अनुवाक मे होता का सम्बन्ध दया

जाने से भी यही प्रतीत होता है ॥ ६५ ॥ ( शला ) चमसाध्वयुं समा-

न्या से सिद्ध होता है कि चमसहोम चमसाध्वयुं का कर्त्तव्य है ? ॥ ६६ ॥

( समाधान ) न्याय से सिद्ध होता है कि चमस होम का कर्त्ता अध्वयुं

ही है ॥ ६७ ॥ तथा चमस होम मे अन्य का सम्बन्ध देवा जाने से भी

यह मान्यता ठीक समझनी चाहिये ॥ ६८ ॥ यदि अध्वयुं होम करने मे

समर्थ न हो तो चमसाध्वयुं को होम करने का अधिकार मिलता है ॥ ६९ ॥

समर्थ न हो तो चमसाध्वयुं को होम करने का अधिकार मिलता है ॥ ७० ॥

समर्थ न हो तो चमसाध्वयुं को होम करने का अधिकार मिलता है ॥ ७१ ॥

कर्मकार्यात्सर्वेषामृत्पिबस्वमविद्येपात् ॥३२॥

न वा परिसङ्घ उपानात् ॥३॥

पक्षेऽपि चेत् ॥३४॥

न सर्वेषामधिकारः ॥३५॥

नियमस्तु वक्षिणामिन् भृतिसंयोगात् ॥३६॥

उक्त्वा च यत्नमानस्य तेषां दीक्षाविधानात् ॥३७॥

स्वामिसम्पत्ता कर्मसामास्यात् ॥३८॥

ते सर्वार्याः प्रयुक्तस्वावगनयस्य स्वकासत्वात् ॥ ९॥

तत्संयोगात् कमणो व्यरस्या स्यात् संयोगस्थार्थवत्वात्

॥४०॥

सोम विषय करने वाला ऋत्विजों से विभ्र होटा है । क्योंकि सोम विषय का के लिए विधान नहीं है ॥ ३१ ॥ यत्र मैं भाव देने वाले सभी अर्थकर्ता ऋत्विज् हैं । क्योंकि वे सभी विहित कर्मों को समान रूप से करते हैं ॥ ३२ ॥ ( समाधान ) ऋत्विजो भी संख्या सत्तरहू ही बताई जाती है, इसकिये उक्त कथन ठीक नहीं ॥ ३३ ॥ ( संका ) यदि कहें कि उक्त वाक्य में सत्तरहू का प्रह्वण एक वैधीय प्रयोजन के लिये है ? ॥ ३४ ॥ ( समाधान ) सबका अधिकार न कहा होने से उक्त कथन ठीक नहीं है ॥ ३५ ॥ वक्षिणा वाक्य से सिद्ध होता है कि सत्तरहू ऋत्विज् अप्ययुं आदि के अतिरिक्त कोई नहीं है । क्योंकि वक्षिणा वाक्य में उनके नामों का संकेत है ॥ ३६ ॥ तथा उच्ये मे सब ऋत्विजो को परमाणु कहकर फिर अप्ययुं आदि की दीक्षा का विधान किया है । इससे भी बही सिद्ध होता है ॥ ३७ ॥ अप्ययुं आदि में सत्तरहूवां यवमान भी ऋत्विज् ही कहा गया है । क्योंकि उक्तका भी कर्म समान है ॥ ३८ ॥ अप्ययुं आदि को यह सम्बन्धी सब कर्मों के करने का अधिकार है, क्योंकि वे प्रत्येक कार्य के लिये नियुक्त होते हैं और वे किसी भी अग्नि में काम कर सकते हैं ॥ ३९ ॥ ( समाधान ) किञ्च ऋत्विज् को क्या कर्म करना है, इसकी



व्यपन्ना ह । क्योंकि, उनसे ताव 'आध्वर्युम्' जादि समाध्या का साथक  
सयोग मिलता है ॥ ४० ॥

तस्योपदेशसमाध्यानेन निर्देश ॥४१॥

तद्वच्च लिङ्गदर्शनम् ॥४२॥

प्रैपानुवचन मैत्रावरुणस्योपदेशान् ॥४३॥

पुगेऽनुवाक्याविकारो वा प्रैपसन्निधानान् ॥४४॥

प्रानरनवाके च हेतुदर्शनान् ॥४५॥

चमसाध्वगसाध्वर्येव समाध्यानात् ॥४६॥

अध्वर्युर्वा तन्ध्यायत्वान् ॥४७॥

चमसे चान्यदर्शनात् ॥४८॥

अशक्ती ते प्रतीयेरन् ॥४९॥

वेदोपदेशात्पूववद्वेदान्यत्वे यथोपदेश स्यु ॥५०॥

तद्गुणाद्वा स्वधम स्यादविकारसामर्थ्यात्सहाङ्गैरव्यक्त  
शेषे ॥५१॥

कही कही विशेष वचन द्वारा उम-उस कर्म के करने का नियम  
मिलता है ॥ ४१ ॥ तथा पहिले के समान लक्षण मिलने से भी यही  
सिद्ध होता है ॥ ४२ ॥ सभी प्रैप एव अनुवचन मैत्रावरुण के लिये  
कर्त्तव्य हैं । ऐसा उपदेश मिलता है ॥ ४३ ॥ ( समाधान ) मैत्रावरुण  
का अधिकार प्रैप सहित अनुवचन में है सब में ऐसा विधान नहीं मिलता  
॥ ४४ ॥ अनुवचन रूप प्राप्त पठित अनुवाक में होता का सम्बन्ध देखा  
जाने से भी यही प्रतीत होता है ॥ ४५ ॥ ( शका ) चमसाध्वर्युं समा-  
ध्या से सिद्ध होता है कि चमसहोम चमसाध्वर्युं का कर्त्तव्य है ? ॥ ४६ ॥  
( समाधान ) न्याय से सिद्ध होता है कि चमस होम का कर्त्ता अध्वर्युं  
ही है ॥ ४७ ॥ तथा चमस होम में अन्य का सम्बन्ध देखा जाने से भी  
यह मान्यता ठीक समझनी चाहिये ॥ ४८ ॥ यदि अध्वर्युं होम करने में  
समर्थ न हो तो चमसाध्वर्युं को होम करने का अधिकार मिलता है ॥ ४९ ॥

पूर्व अधिकरण के समान चमस होमकर्ता अर्धयु ही कहा जाता है, वैसे ही विधित्त कर्मों का विधि के अनुसार अनुष्ठान करना चाहिये ॥२॥ अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार ज्यों उद्दिष्ट वेद का ग्रहण होने से स्व कर्म निर्भव होता है । व्याकरणवादि धर्मों के बिना धर्म का निश्चय होना संभव नहीं है ॥ ५१ ॥

॥ सप्तम पाद समाप्त ॥

## अष्टम पाद

स्वामिकर्मपरिष्कृत्य कर्मभस्तदपरवात् ॥१॥

वचनादिठरेषां स्यात् ॥२॥

संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्ये यथायेव कर्मवद्वधतिष्ठेरत् ॥३॥

याजमानास्तु तत्प्रधानत्वात्कर्मवत् ॥४॥

व्यपदेशाच्च ॥५॥

मुणत्वेन तस्य निर्वोक्ष ॥६॥

घोषनां प्रति भाषाच्च ॥७॥

यत्तुस्यत्वावसमानविषामा स्तु ॥८॥

तपश्च फलसिद्धित्वात्लोकवत् ॥९॥

वाक्यघोषश्च तद्वत् ॥१०॥

यजमान के निमित्त यज्ञ होता है । इसलिये यजमान को ऋत्विजों का वरण करना चाहिये ॥ १ ॥ यजमान के कहने से अर्धयु आदि के हाथ भी उनका वरण किया जा सकता है ॥ २ ॥ अनुष्ठान के अनुकूल 'वपव' आदि संस्कारों की व्याप्यर्थवादि कर्म के समान ही वेदानुसृत व्यवस्था करे ॥ ३ ॥ ( समाधान ) वैसे यजमान का प्रधान कर्म होने से कर्म को 'याजमान' कहते हैं वैसे ही केस वपव आदि संस्कार भी उसी के हैं । क्योंकि फल का घोषने वाला होने से वही प्रधान है ॥ ४ ॥ तथा

क्षीर कर्म सम्बन्धी तैल मर्दन, स्नानादि से भी उक्त कथन सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ यजमान का धर्म होने से ही वपन आदि की क्रिया उचित मानी जा सकती है ॥ ६ ॥ जिसके लिये विधान हो उसके लिये सस्कार कर्म का सद्भाव होने से उक्त कथन ठीक बनता है ॥ ७ ॥ वपन आदि सस्कार केवल यजमान के लिये हैं, इसलिये उसे यजमान और अध्वर्यु दोनों को समान रूप से मानना ठीक नहीं है ॥ ८ ॥ तप भी फल सिद्धि का कारण होता है, इसलिये वपन आदि के समान तप भी यजमान का कर्म है ॥ ९ ॥ तथा लोक में देखा जाने के समान ही वाक्य शेष भी उक्त अर्थ को सिद्ध करता है ॥ १० ॥

वचनादितरेषा स्यात् ॥११॥

गुणत्वान्च वेदेन न व्यवस्था स्यात् ॥१२॥

तथा कामोऽर्थसयोगात् ॥१३॥

व्यपदेशादितरेषा स्यात् ॥१४॥

मन्वाश्चाऽकर्मकरणास्तद्वत् ॥१५॥

विप्रयोगे च दर्शनात् ॥१६॥

द्वयाम्नातेषूभौ द्वयाम्नातस्याऽर्थवत्त्वात् ॥१७॥

ज्ञाते च वाचन, न ह्यविद्वान् विहितोऽस्ति ॥१८॥

याजमाने समाख्यानात्कर्माणि याजमान स्युः ॥१९॥

अध्वर्युर्वा तदर्थो हि, न्यायपूर्वं समाख्यानम् ॥२०॥

वाक्पा-विशेष से ऋत्विजो का कर्म भी तप माना गया है ॥११॥ तथा वेद द्वारा तप कर्म आदि की व्यवस्था नहीं । क्योंकि वह कर्म सबका नहीं, गौण है ॥ १२ ॥ जैसे तप यजमान का कर्म है, वैसे ही फल की इच्छा भी यजमान ही करें, क्योंकि फल का योग उसी के लिये है ॥ १३ ॥ ऋत्विज् भी उक्त कामना करते हैं, यह वाक्य से सिद्ध होता है ॥ १४ ॥ जिन मन्त्रों में आहुति आदि क्रियात्मक नहीं, यजमान अपनी कामना का फल पाने के लिये उनका पाठ करे ॥ १५ ॥ और

पूर्व अधिकरण के समान अथवा होमकर्ता अथवा ही कहा जाता है, जैसे ही विभिन्न कर्मों का विधि के अनुसार अनुष्ठान करना चाहिये ॥२॥ अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्मों सहित वेद का ग्रहण होने से स्व कर्म निर्णय होता है । व्याकरणवादि कर्मों के बिना धर्म का निरचय होता संभव नहीं है ॥ २१ ॥

॥ सप्तम पाद समाप्त ॥

## अष्टम पाद

स्वामिकर्मपरिष्कृत्य कर्मणस्तदर्शनात् ॥१॥

वचनावितरेषां स्यात् ॥२॥

संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्ये यथावेदं कर्मवद्व्यतिष्ठेत् ॥३॥

याजमानास्तु तत्प्रभामरवात्कर्मवत् ॥४॥

व्यपदेशाच्च ॥५॥

गुणत्वेन तस्य निर्देश ॥६॥

शोचतां प्रति भावाच्च ॥७॥

अतुल्यत्वावसामागविधानां स्युः ॥८॥

तपश्च फलसिद्धित्वास्त्रोकवत् ॥९॥

वाक्यशेषेण च तद्वत् ॥१॥

यजमान के निमित्त ब्रह्म होता है । इसलिये यजमान को ऋत्विजों का वरण करना चाहिये ॥ १ ॥ यजमान के कहने से अथवा ही वादि के द्वारा भी उक्तका वरण किया जा सकता है ॥ २ ॥ अनुष्ठान के अनुष्ठान के अथवा ही संस्कारों की आध्यक्षवादि कर्म के समान ही वेदानुष्ठान व्यवस्था करे ॥ ३ ॥ ( यजमान ) जैसे यजमान का प्रथम कर्म होने से कर्म को 'याजमान' कहते हैं जैसे ही वेद वचन वादि संस्कार भी उही के हैं । क्योंकि वचन का मोचने वाला होने से वही प्रथम है ॥ ४ ॥ तथा

क्षीर कर्म सम्बन्धी तैल मर्दन, स्नानादि से भी उक्त कथन सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ यजमान का धर्म होने से ही वपन आदि की क्रिया उचित मानी जा सकती है ॥ ६ ॥ जिसके लिये विधान हो उसके लिये सस्कार कर्म का सद्भाव होने से उक्त कथन ठीक बनता है ॥ ७ ॥ वपन आदि सस्कार केवल यजमान के लिये हैं, इसलिये उसे यजमान और अध्वर्यु दोनों को समान रूप से मानना ठीक नहीं है ॥ ८ ॥ तप भी फल सिद्धि का कारण होता है, इसलिये वपन आदि के समान तप भी यजमान का कर्म है ॥ ९ ॥ तथा लोक में देखा जाने के समान ही वाक्य शेष भी उक्त अर्थ को सिद्ध करता है ॥ १० ॥

वचनादितरेषा स्यात् ॥११॥

गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात् ॥१२॥

तथा कामोऽर्थसयोगात् ॥१३॥

व्यपदेशादितरेषा स्यान् ॥१४॥

मन्त्राश्चाऽकर्मकरणास्तद्वत् ॥१५॥

विप्रयोगे च दर्शनान् ॥१६॥

द्व्याम्नातेषूभौ द्व्याम्नानस्याऽर्थवत्त्वात् ॥१७॥

ज्ञाते च वाचन, न ह्यविद्वान् विहितोऽस्ति ॥१८॥

याजमाने समाख्यानात्कर्माणि याजमान स्यु ॥१९॥

अध्वर्युर्वा तदर्थो हि, न्यायपूर्वं समाख्यानम् ॥२०॥

वाक्का-विशेष से ऋत्विजो का कर्म भी तप माना गया है ॥११॥ तथा वेद द्वारा तप कर्म आदि की व्यवस्था नहीं । क्योंकि वह कर्म सबका नहीं, गौण है ॥ १२ ॥ जैसे तप यजमान का कर्म है, वैसे ही फल की इच्छा भी यजमान ही करें, क्योंकि फल का योग उसी के लिये है ॥ १३ ॥ ऋत्विज् भी उक्त कामना करते हैं, यह वाक्य से सिद्ध होता है ॥ १४ ॥ जिन मन्त्रों में आहुति आदि क्रियात्मक नहीं, यजमान अपनी कामना का फल पाने के लिये उनका पाठ करे ॥ १५ ॥ और

अन्य वेद में प्रवास करने पर भी प्रार्थना का विधान मिलने से उक्त कथन पुष्ट होता है ॥ १६ ॥ जिन मन्त्रों का दो बार पाठ किया जाता हो उनका पाठ की यजमान और अध्वर्यु दोनों को करना चाहिये । क्योंकि इनके दो बार पाठ से सार्धता होती है ॥ १७ ॥ मन्त्रों का जानने वाला यजमान ही ऋषि से पठनीय मन्त्र पड़े । क्योंकि मन्त्रार्थ का न जानने वाला यजमान इसके योग्य नहीं होता ॥ १८ ॥ इन्द्र संज्ञक बारहों कर्म यजमान करे । क्योंकि यजमान सम्बन्धी प्रकरण में उनका कथन मिलता है ॥ १९ ॥ समाधान ) अध्वर्यु को द्वादश कर्म करान्य हैं । क्योंकि उनका अध्वर्यु के लिये उपक्रम किया गया है । यजमान वाण्ड में उनका बहस जाना उचित ही है ॥ २ ॥

विप्रतिपेक्षे करण समवायविशेषादितरमन्यस्तेषां यथा  
विशेष स्यात् ॥२१॥

प्रपेषु च परार्थकारात् ॥२२॥

अध्वर्युस्तु दक्षनात् ॥२३॥

गौणो वा कर्मसामान्यात् ॥२४॥

श्रुत्विकफलं करणोऽथवस्वात् ॥२५॥

स्वामिनो वा उपर्यथात् ॥२६॥

सिद्धगार्शनाच्च ॥२७॥

कर्माभिस्तु फलं तेषां स्वामिनं प्रत्यर्थवस्वात् ॥२८॥

व्यपदेशाच्च ॥२९॥

द्रव्यसंस्कारप्रकरणाऽविशेषात् सबकमनाम् ॥३॥

विरोध होने पर होता उन कर्मों को करने या अध्वर्यु द्वारा अनुष्ठित कर्म होता करे । क्योंकि उसका उही से सम्बन्ध है । अन्य कर्म वैशाखक संज्ञक श्रुतिवत् वा वर्तमान्य है । क्योंकि यज्ञमें होता की समीपता वा विषय बोध नहीं गया है ॥२१॥ प्रेषकता और प्रेषकता में भेद है । क्योंकि उक्त विधान अत्रय से है ॥२२॥ उक्त प्रेष का करने

वाला अध्वर्युं है, क्योंकि ऐसा भेद देखा जाता है ॥२३॥ (समाधान) अध्वर्युं मे कर्म पाया जाने से, उस वाक्य मे अध्वर्युं शब्द गौण समझना चाहिये ॥२४॥ अध्वर्युं ऋत्विज के लिये फल की प्रार्थना करे, यह उचित ही है । यही सार्थक माना गया है ॥२५॥ (समाधान) यजमान के लिये यज्ञ होने से, यजमान ही उसका भोक्ता है । इसलिये यज्ञ के फल की प्रार्थना भी यजमान के लिये होती है ॥२६॥ इसी प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं ॥२७॥ 'करण' मन्त्र मे ऋत्विजो ने अपने लिये फल की प्रार्थना की है, वह यजमान के कर्म की वृद्धि के लिये है । उस वृद्धि मे यजमान का फल निहित है ॥२८॥ तथा अध्वर्युं और यजमान दानो मे फल की समान रूप से प्रार्थना भी पायी जाती है ॥२९॥ द्रव्यो के सस्कार रूप धर्म सत्र कर्मों के निमित्त हैं । क्योंकि प्रकरण से उनका अविशेष सम्बन्ध देखा जाता ॥३०॥

निर्देशात् विकृतापूर्वस्याऽनाधकार ॥३१॥  
 विरोधे च श्रुति विशेषादव्यक्त शेषे ॥३२॥  
 अपनयस्त्वेकदेशस्य विद्यमानसयोगात् ॥३३॥  
 विकृतौ सर्वार्थ शेष प्रकृतिवत् ॥३४॥  
 मुख्यार्थो वाऽङ्गस्याचोदितत्वान् ॥३५॥  
 सन्निधानविशेषादसम्भवे तदङ्गानाम् ॥३६॥  
 आधानेऽपि तथेति चेत् ॥३७॥  
 नाऽप्रकरणत्वादङ्गस्यातन्निमित्तत्वान् ॥३८॥  
 तत्काले वा लिङ्गदशनात् ॥३९॥  
 सर्वेषां वाऽविशेषात् ॥४०॥  
 न्यायोक्ते लिङ्गदर्शनम् ॥ १॥  
 मास तु सवनीयानां चोदनाविशेषात् ॥४२॥  
 भक्तिरसन्निधावन्याय्येति चेत् ॥४३॥  
 स्यात्प्रकृतिलिङ्गाद्द्वैराजवत् ॥४४॥

विद्वान्-पाप न बहि आदि के पदों का समाप नहीं होता ।  
 क्योंकि उस विद्वान् में उनका कार्य का विधान मिलता है ॥३१॥ विद्वान्  
 और पवित्र न ब्रह्मरूप बहि का विनिषेध है । यदि संसृत और अम -  
 दोनों का विनिषेध नाम में तो पाप विनाश व विरोध निवृत्त होता  
 ॥३॥ प्रकृत बुद्धि का एक द्वाय निरव्य भ्रान्त होने योग्य है ।  
 क्योंकि ऐसा होने पर विद्वान् का समाप होता है ॥३३॥ प्रकृत पाप  
 न समाप विद्वान् में विधान विधान का उपाय न अज्ञ और  
 प्रकृत इष्टियों का निषेध है ॥३४॥ (समाधान) अज्ञ का वह धर्म  
 विधान नहीं विधान पाप न उपाय धर्म का विधान प्रकृत के निषेध है  
 ॥३५॥ अज्ञ-पाप धर्म भाग्य इष्ट का होना सम्भव न होने से विधान  
 विधान का प्रकृत उपाय के अज्ञान इष्टियों का धर्म ब्रह्म है । क्योंकि  
 उपाय पाप के मातृ विषेण सम्भव होता है ॥३६॥ (संज्ञा) जैसे समापन  
 प्रकृत इष्ट-पाप न अज्ञों का धर्म ब्रह्म है यसे ही समाधान का भी धर्म  
 है यदि ऐसा नहीं तो ? ॥३७॥ (समाधान) समाधान उपाय विधान  
 होने से समाधान का प्रकृत नहीं है । इतलिये पूर्वोक्त ब्रह्म समाप  
 नहीं ॥३८॥ (पूर्वपद) वह भाग्य भुक्त्यादि में होने वाली इष्टिया का  
 धर्म है । ऐसे ही समाप मिलते हैं ॥३९॥ (समाधान) वह भाग्य इष्ट  
 पाप के सभी धर्मों का धर्म है । क्योंकि उपाय विधान सामान्य रूप से  
 है ॥४०॥ प्रकृत में आया 'सर्वनीत' भाग्य सम्पूर्ण धर्म का होना निवृत्त  
 करता है । क्योंकि ऐसे ही समाप मिलते हैं ॥४१॥ सर्वनीय बुद्धियों  
 का समाप प्रकृत इष्ट है । क्योंकि इष्ट विधानक भाग्यों से ऐसा ही  
 निवृत्त होता है ॥४२॥ (संज्ञा) अज्ञ वह भी समापता न होने से समाप  
 का समाप धर्म समापता नहीं यदि ऐसा नहीं तो ? ॥४३॥ (समा-  
 धान) जैसे 'वैराग्य' को बताने वाले समाप इष्ट की समापता से वैराग्य  
 प्रकृत के भाग्य हो पाते हैं जैसे ही सर्वनीय भाग्य इष्ट के समाप्य से  
 समाप इष्ट भी समाप हो समापता है ॥४४॥



[ इस अध्याय मे मुख्य रूप से इस बात का विवेचन किया है कि यज्ञ की विभिन्न प्रकार की क्रियाओ मे किसका कितना महत्व है, कौन-सा दर्जा है ? वैसे तो उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रत्येक क्रिया का यथाविधि सम्पन्न किया जाना आवश्यक है, फिर भी बड़े यज्ञो मे परिस्थिति बश ऐसी समस्याएँ आया करती है जबकि किमी को शीघ्र और किसी को देर से करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । इसी दृष्टि से मीमासाकार ने जिन क्रियाओ के विषय मे साधारण ऋत्विजो, कर्मकाण्ड कराने वाले पंडितो को शका रहती है, उनके विषय मे तक और शास्त्र-प्रमाण द्वारा यह सिद्ध किया है कि प्रत्येक प्रकरण मे किस क्रिया को मुख्य और किमको गौण माना जाय—किमको 'शेष' का तथा किसको 'शेषी' बतलाया जाय । इसका विवेचन करते हुये बहुसंख्यक अन्तर्गत विषयो पर भी प्रकाश पडा है जिनसे कई महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट होते हैं । उदाहरण के लिये चौथे पाद मे यजमान की पत्नी के यज्ञ मे भाग लेने का वर्णन है और बताया है कि यदि वह यज्ञ-काल मे रजस्वला हो जाय तो क्या व्यवस्था करनी चाहिये । इससे विदित होता है कि उस युग मे सामान्यत स्त्रियाँ यज्ञ मे भाग लेती थी और सब प्रकार की क्रियाएँ पति के साथ ही करती थी । इस बात से वर्तमान समय के उन लोगो को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये जो कहते है कि स्त्रियो को वैदिक कर्मों के करने अथवा यज्ञादि में भाग लेने का अधिकार नहीं है ।

एक सूत्र मे यह भी कहा गया है कि प्रजा को सदुपदेश देकर सुमार्ग पर चलाने वाले विद्वानों, पंडितो को राज्य-दण्ड और उत्पीडन आदि के भय से मुक्त रखना चाहिये, जिससे वे प्रजा शिक्षण का कार्य ठीक ढग से कर सकें । इससे यह प्रकट होता है कि यज्ञ का बाह्य-स्वरूप धार्मिक होते हुये भी उसका आन्तरिक उद्देश्य प्रजा मे सदाचरण, सुव्यवस्था और शान्ति का प्रसार करना भी होता था । यज्ञो मे राजा अथवा बड़े धनवान लोग जो बहुत बड़ी धन-राशि खर्च करते थे, वह किसी न किसी रूप मे प्रजा से ही प्राप्त की जाती थी, यदि प्रजा सुखी, समृद्ध, सन्तुष्ट न

खेमी तो यज्ञादि का निश्चिन्त और सब प्रकार से सफलता के वातावरण में सम्पन्न होगा कठिन हो जायगा। इस दृष्टि से प्रजा में सुख्यवस्था और सम्तोष का ध्यान रखना उचित ही है।

अष्टम पाद के सूत्र ६, १ ११ में एक महत्वपूर्ण बात यह नहीं पाई है कि यज्ञ-कर्म केवल धन व्यय करने से ही निश्चय नहीं होता बल्कि उसके लिए कुछ उप-कर्म-सहन धर्म भी करना आवश्यक है। यज्ञ तो यत्नपूर्वक को उत्तराधिकार में लाना किसी पढ़े हुये ज्ञानियों के सिद्ध जाने से भी प्राप्त हो जाता है। उसे कार्य करके ही पुण्य मिल जाय यह बात उपयुक्त नहीं जान पड़ती। इसलिए धर्म शास्त्र में यज्ञकर्ता के लिए दो दिन या तीन दिन तक इतनास करने और बाद में भी बहुत संयमपूर्वक अत्याहार का विधान किया है। यज्ञ करने वाले ऋत्विजों के लिए भी नियम बनाया गया है कि वे रात्रि के समय भोजन न करें क्योंकि दिन भर में एक समय ही खाय। इसका उद्देश्य यही है कि यज्ञ-नाक में खीर मूत्र और हल्का खे और उसके प्रभाव से मन में भी किसी प्रकार की असह्य भावनाओं उदित न हों। यदि खान-पान में असह्य भावनी बरती जायगी स्वादिष्ट और तर माछ अधिक मात्रा में खा किये जानेसे तो उससे आकस्म्य और प्रभाव का होना तो स्वामाधिक ही है साथ ही चित्त कृषिबो का लचक होना तथा तरह-तरह की कुक्ष्यताओं का उठना भी सम्भव है। आजकल यज्ञादि में ऐसे हस्त्य प्रायः देखने में आते ही हैं जब कि यज्ञ करने वाले पवित्रतम मुक्त का बहिया भोजन पाकर मात्र स्वच्छता से अधिक खा जाते हैं, और जनेक बार इसके फलस्वरूप उधी समय या बाद में बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए मीमांसाकार ने पष्टि ही इस सम्बन्ध में उपदेश देकर इस अवसर पर संयम और तप की मनोवृत्ति रखना आवश्यक बता दिया है।

अष्टम पाद के अन्तम सूत्र में जो निर्देश दिया है उससे विदित होता है कि यज्ञ-कर्म करने वाले को अत्यन्तगर्भीक तथा ज्ञानवान होना चाहिये। केवल शास्त्र के बर में धम्म लेने से किसी को यज्ञ करने

कराने का अधिकारी नहीं मान लिया जा सकता । यज्ञ वास्तव में सर्व-साधारण का हिन सावन करने वाली एक प्रणाली है, इसलिये इसका उचित रीति से सम्पादन वे ही लोग कर सकते हैं जिन्होंने धार्मिक तथा लौकिक विद्याओं का भली प्रकार अनुशीलन किया हो और जो हृदय से लोक-कल्याण के मन्त्रत्व का अनुभव करते हो । पुस्तक में से केवल मन्त्र पढ़कर 'स्वाहा' कर देने को ही वास्तविक यज्ञ समझ लेना भूल की बात है । जो व्यक्ति यज्ञ के मूल तत्व-को नहिता अथवा जन-कल्याण को नहीं समझ पाता या उसकी उपेक्षा करता है, वह यज्ञ कराने का अधिकारी भी नहीं हो सकता ।

पष्ठ पाद के ३८—३९ सूत्रों में यह विवेचन किया गया है कि यदि धर्म-शास्त्र में लिखी हुई यज्ञ सामग्री प्राप्त न हो सके तो उससे मिलती-जुलती पर कुछ घटिया वस्तु से भी काम चलाया जा सकता है । इससे मीमांसकार की व्यवहारिकता प्रकट होती है और यह विदित होता है कि जो लोग सामग्री अथवा अन्य उपकरणों के बढ़िया तथा बहुमूल्य होने पर बहुत अधिक बल देते हैं उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है । सामग्री के मिलने न मिलने में एक कारण तो देश-भेद होता है । एक स्थान में एक वस्तु अधिक मात्रा में और सुलभता से मिलती है और दूसरे स्थान में उसी के सदृश्य पर कुछ भिन्नता रखने वाली वस्तु सुविधापूर्वक प्राप्त होती है । अब मान लीजिये कि धर्मग्रन्थ लिखने वाले या भाष्यकार ने अपने प्रदेश में सुविधापूर्वक प्राप्त होने वाली वस्तु का उल्लेख कर दिया, तो यह आवश्यक नहीं कि हम हमारे प्रदेश में यज्ञ करते समय ठीक उसी वस्तु को लाने का आग्रह करें । ऐसा करना शक्ति और धन का अपव्यय ही माना जायगा । इसलिये मीमांसा के मत से ऐसे प्रसंगों में अनावश्यक हठ या कट्टरता का परिचय न देकर व्यवहारिकता का ध्यान रखना ही आवश्यक है और मूल-उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये कार्य-संचालन करना ही उचित है । ]

# चतुर्थ अध्याय

## प्रथम पाद

[ तीसरे अध्याय में इन बातों पर विचार किया गया था कि कौन कर्म श्रेष्ठ है और कौन उसका श्रेणी-कर्म है। अब चौथे अध्याय में ब्रह्म ऋषि कौन से वर्ण में क्रिया जा रहा है कि यज्ञ सम्बन्धी कर्मों में कौन प्रयोजक और कौन प्रयोग्य है। दूसरे सम्बन्ध में कौन कर्म निमित्त है और कौन नैमित्तिक। इसमें सबसे पहले मासार्थ और पुस्वार्थ के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। ]

अथात् ऋवर्षपुस्वार्थयोजिज्ञासा ॥१॥

यस्मिन्प्रोति पुरुषस्य तस्य सिप्सा अकृच्छपाविभक्त-  
त्वात् ॥२॥

तदुत्सर्गे कर्माणि पुस्वार्थाय शास्त्रस्यानतिवञ्चन्यत्वात्  
च ब्रह्मं चिकीर्ष्यते तेनार्थेनाभिसम्बन्धात् क्रियायां पुरुष-  
श्रुति ॥३॥

अविक्षपात् शास्त्रस्य यथाश्रुति फलानि स्युः ॥४॥

अपि वा कारणाग्रहणे तद्वर्षमर्षस्याऽभिसम्बन्धात् ॥५॥  
तथा च लोकभूतेषु ॥६॥

ब्रह्म्याणि त्वविशेषेणाऽऽनर्थक्यात् प्रथीयरेन् ॥७॥

स्वेन त्वर्थेन सम्बन्धो ब्रह्म्याणां पृथगर्थत्वात्तस्माद्यथाश्रुति  
स्युः ॥८॥

चोद्यन्ते चार्थकर्मसु ॥९॥

सिद्धमर्थमाप्नुव ॥१०॥

अब क्रतुर्थ और पुरुषार्थ के सम्बन्ध में विचार करते हैं क्योंकि वह कर्मों के प्रयोज्य-प्रयोजक भाव का ज्ञान कराता है ॥ १ ॥ जिस कर्म से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है और जिसे करने की इच्छा स्वयं ही होती है वह पुरुषार्थ है । सुख का साधन कर्म से पृथक् नहीं है ॥ २ ॥ सुख का विचार त्याग देने पर भी कर्म को जानना चाहिये क्योंकि चाहे वे याग की दृष्टि से आवश्यक न हो और क्रतुर्थ न माने जायें, तो भी पुरुषार्थ के रूप में उनका उपयोग है ॥ ३ ॥ शका हो सकती है कि तत्र समिधादि कर्म भी 'पुरुषार्थ' होने चाहिये क्योंकि उनका शास्त्र भी प्रजापति व्रत सज्ञक है ॥ ४ ॥ किसी प्रमाण के न मिलने से उक्त प्रजापति सज्ञक कर्म पुरुषार्थ माने गये हैं । प्रमाणाभाव से उनका किसी प्रधान कर्म से सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ ऐसी ही मान्यता सब लोगों में पाई जाती है ॥ ६ ॥ शका है कि सब द्रव्य—यज्ञायुध भी पूर्णतः अग्नि में हवन करने चाहिये । ऐसा न करने से विधान व्यर्थ हो जायगा ॥७॥ इसका समाधान करते हुये कहते हैं कि यज्ञीय द्रव्यों का अपने-अपने कार्य के अनुसार प्रयोग करना चाहिये । उनका विनियोग शास्त्रीय विधान के अनुसार किया जाय ॥ ८ ॥ हवन विधि के लिये पुरोडाश आदि का विधान किया गया है ॥ ९ ॥ चिन्हों, लक्षणों से भी यही अर्थ ठीक जान पड़ता है ॥ १० ॥

तत्रैकत्वमयज्ञाङ्गमर्थस्य गुणभूतत्वात् ॥११॥

एकश्रुतित्वाच्च ॥१२॥

प्रतीयत इति चेत् ॥१३॥

नाऽशब्द तत्प्रमाणत्वात्पूर्ववत् ॥१४॥

शब्दवत्तूपलभ्यते तदागमे हि दृश्यते यस्य ज्ञानं हि यथा-  
ऽन्येषाम् ॥१५॥

तद्वच्च लिङ्गदर्शनम् ॥१६॥

तथा च लिङ्गम् ॥१७॥

आश्रयिष्वविशेषेण भावोऽथ प्रतीयेत् ॥१८॥

चोदनायां त्वमारम्भो विभक्तत्वात् ह्यन्येन विधीयते  
॥१९॥

स्याद्वा द्रव्यविकीर्षया भावोऽर्थे च गुणभूतत्वाऽऽध्याय  
द्विगुणीभाव ॥२०॥

यत्र भूतान् द्विजे जाले बाळे पशुजो मे एक या अधिक संख्या होने का विचार आवश्यक नहीं है ॥ ११ ॥ कहा जाता है कि श्रुतियों में प्रायः एक संख्या में ही पशु-दान का वर्णन है यद्यपि शास्त्रों में जो विधान पाया जाता है जैसे 'अग्नीषोमीय पशुनाकमेत — इत्यम एक या अनेक की संख्या का स्पष्ट उल्लेख नहीं है ता भी कौटिलिक और न्याय की दृष्टि से इसे एक पशु के वर्ण में ही मानना ठीक है । यही अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध होता है क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि सुन्दर कानों वाले केसर के समान कम बालों तथा आकाश के सदृश वर्ण वाली धारों का उचित दान करे ॥ १२-१६ ॥ साथ ही शास्त्रों में जो पशुओं के दान का आदेश दिया है उसका आशय बायो क दान से ही है बालों का वर्ण जससे नहीं केना चाहिये ॥ १७ ॥ अब 'स्विहृत् कर्म की महत्त्वार्थता का वर्णन करते हुये कहते हैं कि प्रधान आहुतियों के पश्चात् स्विहृत् कर्म के रूप में द्विप आहुति ही जाती है वह भी याग के समान शास्त्रीय कर्म ही ॥ १ ॥ कुछ साधक संकट करते हैं कि स्विहृत् कर्म प्रधान कर्म का एक अंग ही है और जसका पूषक रूप से फल प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ इस पर मीमांसा का मत है कि स्विहृत् संस्कार ही पूति का अंग होने क साथ ही पूषक पञ्चोत्पादक भी है ॥ २ ॥

अर्थे समर्पयम्यमगो द्रव्यकमप्याम् ॥२१॥

एकनिष्पत्ते सत्र सम स्यात् ॥२२॥

संसर्गरेसनिष्पत्तेरामिदा वा प्रधानं स्यात् ॥२३॥

मुख्यसध्या मिहस्तान्त्र ॥२४॥

पदकर्मप्रयोजक नयनस्य परार्थत्वात् ॥२५॥

अर्थाभिधानकर्म च भविष्यता सयोगस्य तन्निमित्तत्वात्तदर्थो  
हि विधीयते ॥२६॥

पशावनालम्भाल्लोहितशकृतोरकर्मत्वम् ॥२७॥

एकदेशद्रव्यश्चोत्पत्तौ वित्तमान सयोगात् ॥२८॥

निर्देशात्तस्यान्यदर्थादिति चेत् ॥२९॥

न शेषसन्निधानात् ॥३०॥

अब फल की प्राप्ति के अर्थ द्रव्य तथा कर्म की समता और विष-  
मता का विवेचन किया जाता है ॥ २१ ॥ एक कर्म गर्भ दूध मे दही  
डालकर उसके ठोस अंश ( आमिक्षा या छेना ) और जलीय अंश को  
पृथक-पृथक कर लेना है । इस मे आमिक्षा ही प्रधान है, जलीय अंश तो  
अपने आप उत्पन्न हो जाता है । यह आमिक्षा ही विश्व देवताओ को  
सर्पित किया जाता है ॥ २२-२४ ॥ सोम को खरीदने के लिये गौ ले  
जाते हुये "पद-कर्म" गौण है ॥ २५ ॥ यज्ञ के लिये जिन कपालो (मिट्टी  
के ठीकरे आदि ) मे पुरोडाश पकाये जाँय फिर उनमे छिलको की राख  
आदि को भर दे । इसी प्रकार दान के लिये लाये गये पशु को खिलाने  
के लिये लाल रङ्ग की घास को छोटे टुकडो मे काट कर रखे । ये दोनो  
कर्म मुख्य नहीं अनुषंगिक हैं ॥ २६-२७ ॥ स्विष्टकृत कर्म मे पुरोडाश  
के एक भाग को काट कर जो कर्म किया जाता है उसमे स्विष्टकृत कर्म  
प्रधान नहीं है । इस पर शका की जाती है कि अर्थापत्ति प्रमाण से किसी  
अन्य पुरोडाश की कल्पना होती है । पर मीमासाकार इसे ठीक नहीं  
मानते, क्योंकि वे स्विष्टकृत कर्म को शेष हानि से सम्बन्धित मानते हैं जिसने  
उसके लिये पृथक पुरोडाश की आवश्यकता स्वीकार नहीं की जा  
सकती ॥ २८-३० ॥

कर्म कार्यात् ॥३१॥

लिङ्गदर्शनाच्च ॥३२॥

अभिधारणे विप्रकर्षादिनुयाजवत् पात्रमेव' स्यात् ॥३३॥

न वा पात्रत्वावपात्रत्वं त्वेकदेहात्वात् ॥३४॥

हेतुत्वाच्च सहप्रयोगस्य ॥३५॥

अभावदर्शनाच्च ॥३६॥

सति सम्यक्कथनम् ॥३७॥

न तस्येति चेत् ॥३८॥

स्यात्तस्य मुख्यत्वात् ॥३९॥

समानयन तु मुख्यं स्यात्स्त्रिंशद्गवर्शनात् ॥४०॥

पुरोवाच मुख्य कर्म के क्रिय ही प्रस्तुत किया जाता है । घास में भी इसी बात का कथन किया गया है । ३१-३२। प्रश्न किया जाता है कि क्या यज्ञ में प्राजापत्य हवियों के लिए 'बुद्ध' से पुनः अग्न ब्रुत-नाम रखने का विधान है ॥ ३३ ॥ इसका उत्तर दिया जाता है प्रयाज का एक अङ्ग होने के ही कारण उसके क्रिये पुनः पात्र की आवश्यकता नहीं ॥ ३४ ॥ साथ ही वस्तु पशु तथा प्राजापत्य पशुओं को एक साथ पुष्य का देने वाला कथन करने से उन दोनों की एकता सिद्ध होती है ॥ ३५ ॥ इस प्रकार प्राजापत्य पशु सम्बन्धी हवियों के अभिधारण का नहीं उल्लेख नहीं किया और सम्यक् कथन किया है, इससे भी उनके अभिधारण की बात सिद्ध नहीं होती । सम्यक्-कथन अभिधारण का मान का सूचक नहीं हो सकता । इस सबसे यही सिद्ध होता है कि प्रयाज से ही अभिधारण नहीं होता ॥ ३६-३९ ॥ इसके बाये उपभूत' और 'बुद्ध' संज्ञक पशुवाची से 'आत्म' ( ब्रुत ) प्रकृत करने के सम्बन्ध में विवेचन करते हैं ॥ ४ ॥

वचने हि हेत्वसामर्थ्यम् ॥४१॥

तन्नोत्पत्तिरभिमतत्र स्यात् ॥४२॥

तत्र जीह्वनमुयाजप्रतिषेधार्थम् ॥४३॥

धीपभूतं तथेति चेत् ॥४४॥

स्याज्बुद्धप्रतिषेधाभित्यागुवाच' ॥४५॥



तदष्टसङ्ख्य श्रवणात् ॥४६॥

अनुग्रहान्च जौहवः ॥ ४७॥

द्वयोस्तु हेतुसमाश्र्यं श्रवणं च समानयने ॥४८॥

इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति यह शका करते हैं कि 'उपभृत' और 'जुहू' स्रुवाओं में उपस्थित आज्य के विनियोग का कोई विधान नहीं है और उनको सुविधानुसार किसी भी तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके समाधान में यह है कि 'जौहव' आज्य प्रयाजों के लिये है और औपभृत प्रयाज और अनुयाज दोनों के लिए ॥ ४१-४४ ॥ इस पर कुछ आशका करते हैं कि जिस प्रकार "जौहव" प्रयाजों के लिये हैं वैसे उपभृत को केवल अनुयाजों के लिये क्यों न माना जाय ? ॥ ४५ ॥ पर यह ठीक नहीं, क्योंकि 'जौहव' के वर्णन में जिस प्रकार अनुयाजों का निषेध कर दिया गया है वैसे निषेध औपभृत के सम्बन्ध में नहीं पाया जाता ॥ ४६ ॥ जुहू से चार बार और उपभृत से आठ बार आज्य ग्रहण करने का विधान है। कुछ लोग इसे 'चार बार का दुगुना' कहते हैं। यद्यपि इन दोनों का तात्पर्य एक ही है, पर श्रुति के शब्द और अर्थ को बदलना अनुचित होने से 'आठ बार' ही कहना उचित है ॥ ४७-४८ ॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

[ इस द्वितीय पाद में यज्ञ में दान के लिए लाये गये पशुओं को बाँधने के लिए यूप-निर्माण का वर्णन आरम्भ होता है। जङ्गल से यूप बनाने के लिए जो काष्ठ लाया जाता है उसे छीलने से जो छिलका, छीलन आदि निकलती है उसको 'स्वह' कहते हैं। जो इस पाद के आरम्भ में प्रति पक्षी की तरफ से यह शका की जाती है कि 'स्वह' यूप बनाते समय स्वयम् ही उत्पन्न हो जाने वाला एक गौण पदार्थ है, या वह भी यूप की तरह एक स्वतन्त्र और मुख्य द्रव्य है और उसके लिए भी अलग काष्ठ

काने का विधान है ? इस सम्बन्ध में पहले प्रतिपक्षी की शंका को प्रकट करते हैं—]

स्वरुस्त्वनेकानिप्यति स्वकमद्यव्यत्वात् ॥१॥

आत्यन्तराज्यं शक्यं करोति ॥२॥

एवेकदेशो वा स्वरुस्त्वस्य तन्निमित्तत्वात् ॥३॥

शक्यम्भूतेरन्व ॥४॥

प्रतियुक्तं च वर्षनात् ॥५॥

धात्वाने करोति शक्यं ॥६॥

धात्वायां उत्प्रधानत्वात् ॥७॥

धात्वायां उत्प्रधानत्वादुपवेपेषु विभागं स्पष्टं पम्यात्

॥८॥

भृत्यपायाज्यं ॥९॥

हरणे ब्रह्मोत्तियोगतामान्याद् ब्रह्म्याणां चार्थक्षेपत्वात्

॥१०॥

क्योंकि 'स्वरु' मूल निर्माण की क्रिया से निम्न क्रिया द्वारा निष्पन्न होता है अतः उसका विधान स्वतन्त्र मानना चाहिए ॥ १ ॥ स्वरु उष्णी ऋषि की ककड़ी से बनाया जाय जिससे मूल बनाया जाय ॥ २ ॥ इसके उत्तर में 'मीमांसा' का कहना है कि 'स्वरु' मूल का एक अर्थ ही होता है, अतः उसका स्वतन्त्र स्थान मानना निरर्थक है। इसके लिए अल्प सबड़ी काने की कोई आवश्यकता नहीं। 'स्वरु' ही मूल बनाते समय स्वयं ही निवृत्त माता है और पशुओं का 'अन्न' संस्कार करने के नाम माता है। जिससे भी मूल बनावे चाहे उस सभी से 'स्वरु' निष्पन्न होने का शक्य है, इसके उससे प्रमाणता सिद्ध नहीं होती ॥ ३-४ ॥ 'मूलस्य स्वरु करोति पाप्म मे वो करोति' शक्यं माया है उसका अर्थ यह नहीं कि 'स्वरु' बनाता ह्यात् उरु च और मुख्य शक्य है, उसका अर्थ है 'आधान' अर्थात् स्वयं ही प्राप्त हो जाना ॥ ५ ॥ वृत्त की पाप्मों को

भी विधि पूर्वक लाये । इन शाखाओं के मूल अथवा मोटे हिस्से से यज्ञ-शाला में काम आने वाले विभिन्न उपकरण बनाये जायें और छोटी डालियाँ बछडो को हारुने के काम में लाई जायें । श्रुति में भी ऐसा ही भाव प्रकट किया गया है ॥ ७-६ ॥ वृक्ष की छोटी शाखाओं को प्रस्तर सहित आहवनीय अग्नि में डाला जाय ॥ १० ॥

प्रतिपत्तिर्वा शब्दस्य तत्प्रधानत्वात् ॥११॥

अर्थेऽपीति चेत् ॥१२॥

न तस्यानधिकारादर्थस्य च कृतत्वात् ॥१३॥

उत्पत्त्यसयोगात्प्रणीतानामाज्यवद्विभाग. स्यात् ॥१४॥

सयवनार्थानां या प्रतिपत्तिरितरासा तत्प्रधानत्वात् ॥१५॥

प्रासनवन्मैत्रावरुणस्य दण्डप्रदान कृतार्थत्वात् ॥१६॥

अर्थकर्म वा कर्तृसयोगात्सम्भवात् ॥१७॥

कर्मयुक्ते च दर्शनात् ॥१८॥

उत्पत्तौ येन सयुक्त तदर्थं तच्छ्रुतिहेतुत्वात्तस्यार्थान्तर-गमने शेषत्वात् प्रतिपत्ति स्यात् ॥१९॥

सौमिके च कृतार्थत्वात् ॥२०॥

इस सम्बन्ध में यह शका की जाय कि शाखा का डालना 'प्रतिपत्ति कर्म' है या 'अर्थ कर्म' तो कहा जायगा कि वह 'प्रतिपत्ति कर्म' ही है । शका करने वाले द्वितीया विभक्ति के कारण इसे 'अर्थ कर्म' मानते हैं, पर यह विनियोग की दृष्टि से सत्य सिद्ध नहीं होता ॥ ११-१३ ॥ यज्ञ में कुछ जल छान कर 'प्रणीता' नामक पात्र में रखा जाता है । उसे पुरोडाश बनाने के आटे को सानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है । शेष जल को वेदी पर छिड़क दिया जाता है । प्रतिपत्ती इस छिड़कने को अर्थ-कर्म बतलाते हैं, पर भीमासाकार इसे प्रतिपत्ति कर्म मानते हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य आटा सानना है, वेदी पर छिड़कना नहीं ॥ १४-१५ ॥ ज्योतिष्ठोम में अध्वर्यु यजमान को दण्ड देता है । उसे सोम का

मूय्य दे दिया जाने पर अन्तरात्म नामक अक्षरको जो देना चाहिए ।  
 संज्ञा करने का कहना है कि यह दण्ड प्रदान करने का कर्म अर्प  
 कर्म ( प्रदान ) नहीं है परन्तु 'प्रतिपत्ति कर्म' है । पर श्रीमहाकार का  
 कहना है कि जिस प्रकार उपागो माता दत्ता 'अर्प कर्म' है उसी  
 प्रकार वैशाखको दण्ड का दान भी अर्प कर्म' ही है । अन्य स्थानों  
 में भी वैशाखको या यवन दण्ड के संबंध ही दिया गया है विशेष  
 उक्त अर्थ सिद्ध होता है ॥ ११-१८ ॥ अत्र परार्थ का अर्थ अर्प में  
 विनियोग हो ता यह प्रतिपत्ति कर्म ही है ॥ १२ ॥ अतोदिष्टाय माय में  
 घोम क्तित पाशों को 'अवभृष' म उ पाप यह भी 'प्रतिपत्ति कर्म'  
 है ॥ २ ॥

अथक्रम याऽभिधानसयागात् ॥२१॥

प्रतिपत्तिर्वा तन्मापत्वाद् धार्माऽवभृषयुति ॥२२॥

कतु दद्यकात्मानामथात्नं प्रयोगे नित्यसमवायात् ॥२३॥

नियमार्था वा पुन युति ॥२४॥

तथा इष्यपु गुणश्रुतिस्तत्संयोगात् ॥२५॥

संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥२६॥

यजति शोदनाद्रभ्यवेवताप्रिय समुदाये कृतार्थत्वात् ॥२७॥

तदुक्त श्रवणाज्जुहातिरसिधेनाधिक स्यात् ॥२८॥

वदातिस्तस्यपूर्वक परस्वस्वेन सम्बन्ध ॥२९॥

विधे कर्मापमपित्वादर्थाभूते विधिप्रवेद्य स्यात् ॥३०॥

अपि योत्पत्तिसंयोगादर्थसम्यग्भोऽविधिप्टानां प्रयागीकत्व  
 हेतु स्यात् ॥३१॥

प्रतिपत्ती इहे अर्प-कर्म कहते हैं क्योंकि जनके मत में 'अवभृष'  
 का आशय यज्ञ ही है । पर श्रीमहा का कहना है 'अवभृष' का  
 आशय वेद्य विधेय अवस्था किसी विधेय स्थान ही है ॥ २१-२९ ॥ जब  
 कर्ता इस तथा काक सम्बन्धी विषयों पर विचार करते हैं । प्रतिपत्ती

कहता है कि इनका निर्णय कर्मनिष्ठान मे स्वय ही हो जाता है इसलिये शास्त्र मे विस्तार सहित इसका विवरण नहीं पाया जाता । दर्शनकार इसे मानता हुआ भी कहता है कि इस विषय का स्वय निर्णय हो जाने पर भी नियम की दृष्टि की जानकारी के लिये विधान मे इसका उल्लेख होना उचित ही है ॥ २३-२४ ॥ जैसे कर्ता आदि का विधान नियम की जानकारी की दृष्टि से उपयोगी है वैसे ही गुण का विधान भी नियम की दृष्टि से ही है ॥ २५ ॥ अवगत आदि सस्कारो मे भी, नियम की ही प्रधानता माननी चाहिये ॥ २६ ॥ 'याग' शब्द का तात्पर्य द्रव्य ( सामग्री ) देवता तथा क्रिया इन तीनों का समुदाय है । परमात्मा के उद्देश्य से द्रव्य के त्याग का नाम ही "याग" है ॥ २७ ॥ जिस प्रकार परमात्मा के उद्देश्य से द्रव्य की आहुति देने को याग कहते हैं वैसे ही बिना किसी उद्देश्य के अथवा किसी निम्न कोटि के देवता के नाम पर अग्नि मे द्रव्य का त्याग करना होम है ॥ २८ ॥ सोम को यज्ञशाला मे लाने पर 'बर्हि' नामक वनस्पति द्वारा उसकी जो 'इष्ट' की जाती है, क्या वह भिन्न भिन्न हवनो मे भिन्न-भिन्न वनस्पतियो द्वारा की जानी चाहिये ? इस शका के उपस्थित होने पर मीमासा का कथन है कि भिन्न-भिन्न वनस्पतियो का प्रयोग अनावश्यक है, बर्हि का ही तीनों के साथ सम्बन्ध होना चाहिये ॥ २९-३१ ॥

॥ द्वितीय पाद सम्पन्न ॥

## तृतीय पाद

द्रव्यसस्कारकर्मसु परार्थत्वात्फलश्रुतिरर्थवाद स्यात् ॥१॥

उत्पत्तेश्चातत्प्रधानत्वात् ॥२॥

फल तु तत्प्रधानायाम् ॥३॥

नैमित्तिके विकारत्वात्क्रतुप्रधानमन्यत्स्यात् ॥४॥

एकस्य तूमयत्वे संयोगपृथक्त्वम् ॥५॥

दोष इति चेत् ॥६॥

नार्यपृथक्त्वात् ॥७॥

द्रव्याणां तु क्रियार्थानां संस्कार ऋतुषमत्वान् ॥८॥

पृथक्त्वात्प्रवृत्तिष्येत् ॥९॥

चोदनायां फलाद्यं ते कर्ममार्थं विधीयेत न ह्यसम्यं

प्रतीयते ॥१०॥

दूसरे पाद में यह के प्रधान और नीच कर्मों की विवेचना करते तथा कई कर्मों का उदाहरण देकर अब द्रव्य संस्कार तथा अज्ञ कर्मों का बन्धन वर्णन करते हैं । इस सम्बन्ध में मीमांसा का मत है कि ये तीन कर्त्तव्य हैं पुरुषार्थ नहीं ॥१॥ इसका जो वर्णन किया गया है उसमें फल का सम्बन्ध पुरुष से न होकर द्रव्य से पाया जाता है ॥२॥ समस्त यज्ञक्रिया द्रव्य-साध्य हैं और क्रिया के अनुकूल फल मिळता है इसलिये द्रव्य संस्कार और क्रिया दोनों की प्रधानता मानी जाती है ॥३॥ मिट्टी के पादों का प्रयोग काम्य कर्मों में विहित है, मित्य कर्मों में उनका उपयोग करने का विधान नहीं है ॥४॥ वही धारि पदार्थ मित्य और और नैमित्तिक दोनों प्रकार के कर्मों के किये काम में लाये जाते हैं । यदि इस सम्बन्ध में यह धारणा की जाय कि वही एक कर्म का सेव है इससे उसका प्रयोग दोनों प्रकार के कर्मों में नहीं किया जा सकता तो इनका समाधान यह है कि इन प्रकार धारि का प्रयोग ही विभिन्न प्रयोगों से बताया है इसलिये उसका दोनों में विलियोग होना अनुचित नहीं है ॥५-७॥ ज्योतिषोम में ब्राह्मणों के किये पयोव्रत ( ब्रूषाक्षर ) क्षत्रिय के किये पौ की कपटी का भोजन वैश्य के किये मानिषा ( ब्रूष की फुटकी ) या श्रेता के भोजन का विधान है । यद्यपि ये इन पुरुषों के भोजन से सम्बन्धित है पर उनका उद्देश्य नहीं है कि पुरुष सत्त्व रहकर मनुष्य को पुनः कर उनके इसलिये ये कर्त्तव्य हैं ॥ ॥ इनमें पुरुष का जो वर्णन है

वह व्यवस्था की दृष्टि से है ॥६॥ विश्वजित याग का वर्णन पढ़कर यह शका होती है कि उसमें कहीं फल का उल्लेख नहीं है, अतएव वह 'अफल' कर्म है ॥१०॥

अपि वाऽऽम्नानसामर्थ्याच्चोदनार्थेन गम्ये तार्थानामर्थ-  
वत्त्वेन वचनानि प्रतीयन्तेऽर्थतोप्य समर्थानामानन्तर्येप्य-  
सम्बन्धस्तस्माच्छ्रुत्येकदेशस्त ॥११॥

वाक्यार्थश्च गुणार्थवत् ॥१२॥

तत्सर्वार्थमनादेशात् ॥१३॥

एक वा चोदनैकत्वात् ॥१४॥

स स्वर्गं स्यात्सर्वान्प्रत्यविशिष्टत्वात् ॥१५॥

प्रत्ययाच्च ॥१६॥

ऋतौ फलार्थवादमङ्गवत्कृष्णार्जिनि ॥१७॥

फलमात्रेयो निर्देशादश्रुतौ ह्यनुमान स्यात् ॥१८॥

अङ्गेषु स्तुति परार्थत्वात् ॥१९॥

काम्ये कर्मणि नित्य स्वर्गो, यथा यज्ञाङ्गे ऋत्वर्थ ॥२०॥

इसके उत्तर में भीमासा का कथन है कि यज्ञ-कर्म की द्विवेचना करने वाले ब्राह्मण ग्रन्थों में समस्त वैदिक विधान सम्बन्धी वचन सफल अर्थयुक्त ही पाये जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि कोई वाक्य फल सहित वर्णन न किया हो तो भी उसके अर्थ के आधार पर फल की कल्पना स्वयमेव की जा सकती है ॥११॥ यदि इस प्रकार 'विश्वजित' यज्ञ के फल का कल्पना न की जायगी तो वह वाक्य एक गुण का विधायक बन जायगा। इससे हम यह कल्पना कर सकते हैं उक्त यज्ञ अपने नामानुसार सब फलों का देने वाला है। पर यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वाक्य से किसी एक ही फल के होने का अनुमान हो सकता है। इसलिये हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार अन्य सब याग प्रधानतया स्वर्ग-फल देने वाले हैं वैसे ही विश्वजित याग भी स्वर्ग-फल प्रदायक है ॥१२-१५॥ याग करने वाले

मनुष्य भी प्रायः स्वर्ग-फल उद्देश्य से ही उत्तम अनुष्ठान करते हैं इस विषये विद्वद्भिः याम का फल स्वर्ग प्राप्ति होना सर्वथा समुचित है ॥१६॥  
 “अयोदशरात्र” नामक घन का फल प्रथिष्ठा प्राप्ति विद्या है पर काष्ठी विनि मुनि के मत से यह अर्चयार्थ ( प्रवर्षात्मक ) वाच्य ही है ॥१७॥ यह मत उचित नहीं है क्योंकि जब वेद-वाक्य में फल पर स्पष्ट उल्लेख है तो उसे मानना ही चाहिये । इस प्रकार के प्रसङ्ग में विद्वद्भिः याम की तरह बननी करवना से काम लेने की कोई आवश्यकता नहीं ॥१८॥  
 कुछ आदि यज्ञ-उपकरणों का फल-वर्जन अथवा ( स्तुति रूप ) हो सकता है, क्योंकि वे एक ‘अङ्गी’ के अङ्गमान हैं ॥१९॥ जब काम्य कर्मों के फल के विषय में कहते हैं कि उत्तम मुख्य फल भी स्वर्ग होता सम्भव है ॥२०॥

बीते च कारणे नियमात् ॥२१॥

कामो वा तत्संयोगेन चोद्यते ॥२२॥

अङ्गे गुणत्वान् ॥२३॥

बीते च नियमस्तवर्षम् ॥२४॥

सावकाम्यमङ्गकामै प्रकुरणात् ॥२५॥

फलोपदेशो वा प्रधानद्यमसंयोगान् ॥२६॥

तत्र सर्वेऽविशेषान् ॥२७॥

योगसिद्धिर्वाऽर्षस्योत्पत्त्यसयोगात् ॥२८॥

समवाये भोवनासयोगस्यार्थवत्त्वात् ॥२९॥

कालश्च तौ काल इति चेत् ॥३०॥

यदि जिस कामना से याग किया जा रहा है वह बीज में ही पूर्ण हो जाय तो भी उस अनुष्ठान को समाप्ति तक किया जाता है इससे भी प्रतीत होता है कि काम्य-कर्म का मुख्य फल स्वर्ग ही है ॥२१॥ पर यह ठीक नहीं काम्य-कर्म के विधान में उसका जो फल बतलाया गया है उसका मुख्य फल तो वही माना जायगा । स्वर्ग प्राप्ति उसका गौण फल



हो सकता है । और जो यह कहा गया है कि अनुष्ठान के मध्य में ही कामना पूरी हो जाने पर भी यज्ञ-कर्म का अन्तिम विधि तक निर्वह किया जाता है, उसका कारण प्रतिज्ञा-पालन का भाव है, अर्थात् जब हमने एक बार किसी यज्ञ का सकल्प कर लिया तो उसे पूरा करना कतव्य है ॥२२-२४॥ यज्ञ विधान में बतलाया है कि “दर्शपूर्ण मास” यज्ञ सब फलों के लिये है । इसमें शका होती है कि दर्शपूर्णमास याग स्वयमेव सब फल प्राप्त कराने वाला नहीं है वरन् उसके साथ जो अन्य कर्म अग रूप किये जाते हैं उनको मिला कर सब फलों की प्राप्ति होती है । पर यह ठीक नहीं, क्योंकि जब शास्त्र में दर्शपूर्णमास को सब फलों का देने वाला स्पष्टतः कथन किया है तो उससे विपरीत नहीं हो सकता ॥२५-२६॥ दूसरी शङ्का यह है कि जब ‘दर्शपूर्णमास’ याग सब फलों के देने वाला है तो उसके एक बार के अनुष्ठान से ही सब प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जानी सम्भव है, जैसे आग जलाने से गर्मी और प्रकाश एक साथ ही मिल जाते हैं । पर मीमांसाकार के मत से यह ठीक नहीं । “दर्शपूर्णमास” सब फलों के देने वाला है, पर जिस फल के उद्देश्य से उसका अनुष्ठान किया गया है वही फल प्राप्त होगा । विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति के लिये पृथक्-पृथक् अनुष्ठान ही विधेय है ॥२७-२८॥ अब सौत्रामणी आदि यागों के अगभूत कर्मों की विधि के सम्बन्ध में कहते हैं कि अङ्गाग्निभाव को जानने से ही वे कर्म सार्थक हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में यह शङ्का की जाती है कि ये साथ में किये जाने वाले कर्म अगाग्नि रूप नहीं, पर कालक्रम से आगे-पीछे किये जाने वाले कर्म भी हो सकते हैं । इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं ॥२९-३०॥

नासमवायात्प्रयोजनेन ॥३१॥

उभयार्थमिति चेत् ॥३२॥

न शब्देकत्वात् ॥३३॥

प्रकरणादिति चेत् ॥३४॥

नादासिर्षयोगान् ॥३५॥

अनुसरतो तु फा रयाद्यपारनेन सम्बन्धान् ॥३६॥

उत्पत्तिर्नास्ति यत्र फा स्वान्नायस्य तद्यथानुत्पत्तौ

॥३७॥

फलसंयोगस्त्वप्यदित न स्यात्तदभूतत्वात् ॥ ८॥

जडगानां सूत्रपात्रयाग निमित्ताथ ॥३८॥

प्रधानेनाभिर्धयागात्र-गात्री मुठराद्यलस्यम् ॥४॥

अपवृत्त तु चोदना उत्थापनास्त्वकाले स्वान् ॥४१॥

यह ठीक इसलिये टीका नहीं कि स्वतन्त्र कर्म का फल भी पुनः फल होना है, जबकि यत्र का कर्म भङ्गल होता है। इसलिये उक्त कर्मों को अथ बीर मन्त्री के रूप में ही मानना चाहिये ॥३१॥ "अथर्वीर्षमास" याग के विधान में वीर्षमास याग को समाप्त करके 'वीर्षुष' नामक कर्म करने का आदेश है। इस पर शङ्का भी जाती है कि यह 'वर्ष' अनुष्ठान का अङ्ग है या 'वीर्षमास' का। शङ्का करने वाला इसे दोनों का ही अङ्ग समझता है। पर भीमाचार्य का मत है कि एक कर्म एक साव को अनुष्ठानों का अङ्ग नहीं हो सकता इसलिये उक्त 'वीर्षमास' कर्म का ही अर्थ मानना चाहिये ॥३२-३३॥ ज्योतिष्योम याग के प्रकरण में क्लृप्त यथा है कि "अग्निमादन" सन्ध के परवान् 'प्रयाज' नामक होय करे। यहाँ पर प्रकृत होता है कि यह 'प्रयाज' होय "अग्निमादन" का एक अथ रूप है अथवा काफलय से क्रिया जाने वाला अथ विधान है। इसका समाधान यह है कि 'प्रयाज' होय ज्योतिष्योम याग एक अथ माना गया है उसका वैदिक वर्णन में स्पष्ट विधान है। तब उक्त "अग्नि मादन" का अथ न मान कर काफलय से क्रिया जाने वाला एक कर्म ही मानना चाहिये ॥३६॥ "वृद्धपूर्वमास" याग के अन्तर्गत ज्योतिष्योम याग का विधान यथा जाता है उसके सम्बन्ध में शङ्का भी जाती है कि इनको एक दूसरे का अथ रूप मानें या दोनों को स्वतन्त्र माना जाय ?

इसका उत्तर है कि इन दोनों का फल पृथक-पृथक मिलता है इससे इनको अग रूप न मानकर स्वतन्त्र याग ही मानना उचित है। दोनों का एक साथ वर्णन करने का कारण यह है कि 'दशपूर्णमास' के पश्चात् 'ज्योतिष्टोम' का अनुष्ठान करने से दोनों का महान फल प्राप्त होता है ॥३७॥ पुत्रोत्पत्ति के पश्चात् जो "वैश्वानरेष्टि" नामक कर्म किया जाता है उसके सम्बन्ध में शङ्का की जाती है कि उसका फल पिता को मिलेगा या पुत्र को ? इसका उत्तर यह है कि पुत्र के उद्देश्य से कर्म किया गया है अतः उसी को फल मिलेगा यह कर्म 'जातकर्म' संस्कार से सम्बन्धित है ॥३८-३९॥ एक शङ्का यह भी है कि अग रूप कर्मों का अनुष्ठान प्रधान काल में होना चाहिये अथवा मुख्य अनुष्ठान के पश्चात् ? इसका समाधान यह है कि अग रूप कर्मों का अनुष्ठान अपने-अपने नियत कालों में किया जाना चाहिये ॥४०-४१॥

॥ तृतीय पाद समाप्त ॥

## चतुर्थ पाद

प्रकरणशब्दसामान्याच्चोदनानामनङ्गत्वम् ॥१॥

अपि वाऽङ्गमनिज्या स्युस्ततोविशिष्टत्वात् ॥२॥

मध्यस्थ यस्य तन्मध्ये ॥३॥

सर्वासा वा समत्वाच्चोदनात् स्यान्न हि तस्य प्रकरण  
देशार्थमुच्यते मध्ये ॥४॥

प्रकरणाविभागे च विप्रतिषिद्ध ह्युभयम् ॥५॥

अपि वा कालमात्र स्याददर्शनाद्विशेषस्य ॥६॥

फलवद्वोक्तहेतुत्वादितरस्य प्रधान स्यात् ॥७॥

दधिग्रहां नैमित्तिक श्रुतिसयोगात् ॥८॥

नित्यश्च ज्येष्ठशब्दत्वात् ॥९॥

सार्वरूप्याच्च ॥१०॥

नित्यो वा स्यादथवादस्तयो कर्मव्यसम्भवाद्मङ्गलित्वा-  
 ष्वान्तरामस्य ॥११॥

अब राजसूय यज्ञ में 'देवन' ( घोपखाने की कर्मावधि ) के सम्बन्ध में सञ्ज्ञा की जाती है कि यह 'राजसूय याम' का अर्थ है या नहीं ? इस सम्बन्ध में श्रीमहादेव का मत है कि 'देवन' धावि को याम रूप नहीं माना जा सकता और वे "राजसूय" याम का एक अंग ही हैं ॥१२॥ फिर सञ्ज्ञा की गई कि इन क्रियाओं का अर्थ अग्निदेव के अवसर पर ही निकलता है । अतः इनको केवल अग्निदेवनीय क्रिया का अर्थ ही माना जाय अथवा "राजसूय का ? इसका उत्तर यह है कि अग्निदेवनीय कोई पुरुषक अनुष्ठान नहीं है बल्कि वे सब एक "राजसूय अनुष्ठान के ही अंग रूप हैं ॥१३-४॥ फिर प्रश्न किया गया कि धौम्य धारि हवियों को उपसर्गों का अर्थ मानना ही उचित है । परस्पर में विद्वत्ता होने के कारण एक ही विषय में अज्ञानता और तत्काळता दोनों बर्तें नहीं मानी जा सकती । इसके समाधान में कहा गया है कि धौम्य धारि हवियों में काकलम्भ का ही अन्तर है क्योंकि उपसर्गों के साथ अर्थात् होने की कोई विशेषता उनमें नहीं निकलती ॥१५॥ फलतः "सप्रह्वी" यह 'अमल' होमों में प्रधान है और 'अमल होम पीय होने से उसका अर्थ है ॥१७॥ धाम-कर्म में व्यवधान के कारण किसी देवता के कृपित होने पर जो 'वधिग्रह' क्रिया की जाती है प्रतिपत्नी के मन्त्रानुसार वह नित्य नहीं वैदिक है, क्योंकि उसका उपसर्ग आश्रयकता पङ्क्तों पर ही किया जाता है । इसी संका यह भी है कि वधिग्रह को तो सब ब्रह्मों में व्येष्ट माना गया है इससे उसको नित्य मानना चाहिये । फिर यह सब देवताओं का स्वरूप है इससे इसे नित्य मानना ठीक है । अब दोनों मतों का समाधान करते हुये श्रीमहादेव ने कहा है कि यावत्-क्रिया में व्यवधान पङ्क्तों की बात अर्थात् ( स्तुति रूप ) है । अथवा तथा यत्र मान से इस कर्म का कोई सम्बन्ध नहीं होता । वधिग्रह नित्य और वैदिक उच्यते न होकर सर्वत्र नित्य ही है ॥१९॥

वैश्वानरश्च नित्य स्यान्नित्ये समानसङ्ख्यत्वात् ॥१२॥  
 पक्षे वोत्पन्नसयोगात् ॥१३॥  
 षट्चिति पूर्ववत्स्यात् ॥१४॥  
 ताभिश्च तुल्यसख्यानात् ॥१५॥  
 अर्थवादोपपत्तोश्च ॥१६॥  
 एकचितिर्वा स्यादपवृक्ते हि चोद्यते निमित्तेन ॥१७॥  
 विप्रतिषेधात्ताभि समानसङ्ख्यत्वम् ॥१८॥  
 पितृयज्ञ स्वकालत्वानङ्ग स्यात् ॥१९॥  
 तुल्यवच्च प्रसख्यानात् ॥२०॥  
 विप्रतिषिद्धे च दर्शनात् ॥२१॥

पूर्वपक्ष का कथन है कि 'वैश्वानर' इष्ट निष्ट नित्य-कर्म है, क्योंकि अन्य नित्य कर्मों के साथ उसका समान भाव से वर्णन किया गया है ॥१२॥ इसके उत्तर में कहा गया है कि यह कर्म नित्य नहीं नैमित्तिक है। इस सम्बन्ध में विवायक वाक्य से यही भाव प्रकट होता है ॥१३॥ शब्दा है कि छठी 'चिति' पूर्व पाँच चितो की भाँति नित्य है क्योंकि उसका वर्णन भी पिछली पाँच 'चितियों' के समान ही पाया जाता है। अथवाद के उत्पन्न होने से भी यही आशय प्रतीत होता है। पर मीमांसा इसका निराकरण करके कहता है कि पाँच 'चितियाँ' शास्त्रानुसार नित्य हैं, पर छठी को नैमित्तिक कहा गया है, इसलिये उसे वैसा ही मानना चाहिये ॥१४-१८॥ पितृ-यज्ञ दर्श-यज्ञ का अंग नहीं है वरन् काल की भिन्नता से वह एक स्वतन्त्र कर्म है। उसका उल्लेख "दर्शपूर्णमास" आदि के समान किया गया है और अभावस्था को अन्य यज्ञ का निषेध होने पर भी पितृ-यज्ञ का विधान है, इससे उक्त तथ्य की सिद्धि होती है ॥१९-२१॥

पशवङ्ग रशना स्यात्तदागमे विधानात् ॥२२॥

यूपाङ्ग वा तत्सकारात् ॥२३॥

अर्थवादश्च तदर्थवत् ॥२४॥

स्वस्वचाप्येकदेशत्वात् ॥२५॥

निष्क्ययश्च तदङ्ग गवत् ॥२६॥

पक्ष्मङ्गानां वार्यकर्मत्वात् ॥२७॥

भक्त्या निष्क्ययवात् स्यात् ॥२८॥

वर्षपूर्णमासयोरिण्या प्रभामास्यविशेषात् ॥२९॥

अपि वाङ्मानि क्रानिषिद्यन्वङ्गत्वेन संस्तुति सामान्या  
धर्मिसंस्तव ॥३०॥

तथा भ्रातृभार्यवर्षनिन् ॥३१॥

बहु रस्ती बिउसे पशु को मूत्र से बाँधा जाता है मूत्र का अर्थ है  
अथवा पशु का यह एक प्रसव है । पूर्व पक्ष उसे पशु का अर्थ बतलाता है  
क्योंकि वह उसी को बाँधने को आती है । पर मीमांसा कहता कि उस  
रस्ती का संस्कार मूत्र के साथ होता है इसलिये वह मूत्र का ही अर्थ है ।  
अथवा श्री हडि से भी रस्ती मूत्र का ही अर्थ सिद्ध होती है ॥२२-२४॥  
'स्वर्' मूत्र का अर्थ है, क्योंकि वह उसी का एक अर्थ है । उसे मूत्र  
का निष्क्यय ( अङ्ग ) बतलाया है इससे भी यही सिद्ध होता है । इस  
पर मीमांसा 'स्वर्' को पशु का अर्थ बतलाता है, क्योंकि वह पशु के  
अर्थ कर्म में उपयोग में आता है । और मूत्र का अर्थ होने पर भी  
उसके बिना वह किसी हडि से उपयोगी नहीं ॥२५-२८॥ परन्तु यह कहता है  
कि यह तथा पीरमास मान में बिउसे /

उनकी विधान समान रूप से पारा अर्थ  
उन यागों में आचार' आदि ऐसे कर्म :  
यागों में प्रयागों का कर्म होने से भी,  
॥२९-३१॥

अथदिष्ट तु कार्थ्यं प्रधानेषु  
नामुक्तेऽप्यार्यदक्षन परार्थत्वात्  
पृथक्त्वे त्वमिन्द्रमयोनिषेत्,

तत्पुनर्मुह्यलक्षण, यत्फलवत्त्व, तत्सन्निधावसयुक्त तदङ्-  
गस्याद्, भागित्वात् कारणस्याश्रुतेश्चान्यसम्बन्ध ॥३४॥

गुणाश्च नामसयुक्ता विधीयन्ते, नाङ्पूपपद्यन्ते ॥३५॥

तुल्या च कारणश्रुतिरन्यैरङ्गाभिसम्बन्धै ॥३६॥

उत्पत्तावभिसम्बन्धस्तस्मादङ्गोपदेश स्यात् ॥३७॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३८॥

ज्योतिष्टोमे तुन्यान्यविशिष्ट हि कारणम् ॥३९॥

गुणानां तूत्पत्तिवाक्येन सम्बन्धात्कारणश्रुतिस्तस्मात्सोम-  
प्रधान स्यात् ॥४०॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥४१॥

इस पर शब्दा की जाती है कि यदि अथवाद ( स्तुति ) के कारण 'आधार' को अङ्ग रूप माना जाय तो 'आग्नेय' याग की भी वैसी ही स्तुति पाई जाती है । तब उसको भी अङ्ग रूप मानना चाहिये । इसका समाधान करते हुये मीमांसाकार कहते हैं कि विकृत यागो मे 'प्रयाजो' का विधान नहीं मिलता । केवल छै यागो के दो त्रिको में दर्श और पूर्णमास का नाम आता है, अन्यत्र उनका उल्लेख नहीं है । श्रुति और व्यपदेश से भी उक्त अर्थ की सिद्धि पाई जाती है । वे त्रिक ही प्रधान याग हैं और उन्ही का फल कथन किया है । उन यागो के साथ जो अन्य याग सहकारी याग के रूप मे किये जाते हैं और जिनका कोई फल कथन नहीं किया गया वे अङ्ग रूप माने जाने चाहिये । 'आधार' का भी कोई पृथक् फल सुनने मे नहीं आता, अत वह भी प्रधान याग के साथ अङ्ग रूप माना जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त 'दर्शपूर्णमास' के जो गुण विधान मे है वे आधार आदि के नहीं हो सकते ॥३२-३५॥ इस पर शब्दा की जाती है कि जिस प्रकार आधार आदि को अङ्ग कथन करने वाले वाक्य हैं उसी प्रकार आग्नेय आदि को प्रधान यागों का अङ्ग रूप मानने का कथन भी श्रुति मे पाया जाता है । इसका समाधान यह है

अर्षयादश्च तदर्थवत् ॥२४॥

स्वस्वभाप्येकवेत्तत्वात् ॥२५॥

निष्कृपश्च तदर्थवत् ॥२६॥

पश्वङ्गं धार्यकर्मत्वात् ॥२७॥

शक्त्या निष्कृपयाव स्यात् ॥२८॥

वस्तुपूर्णमासयोरिज्या प्रधानान्यविशेषात् ॥२९॥

अपि वाङ्मानी कानिश्चिद्य ध्वङ्गत्वेन संस्तुति सामान्या-  
वमितस्तव ॥३०॥

तथा भान्यार्थवर्त्तनम् ॥३१॥

बह रस्सी जिससे पशु को मूष से बाँधा जाता है मूष का अर्थ है  
जबना पशु का वह एक प्रश्न है ? पूर्व पक्ष उसे पशु का अर्थ बतलाना है  
क्योंकि वह उसी को बाँधने को जाती है । पर मीमांसा कहता कि उस  
रस्सी का संस्कार मूष के साथ होता है इसलिये वह मूष का ही अर्थ है ।  
अर्षयाद की दृष्टि से भी रस्सी मूष का ही अर्थ सिद्ध होती है ॥२२-२४॥  
'स्वर्' मूष का अर्थ है, क्योंकि वह उसी का एक अर्थ है । उसे मूष  
का निश्चिन्त्य ( स्मरण ) बतलाया है इससे भी यही सिद्ध होता है । इस  
पर मीमांसा 'स्वर्' को पशु का अर्थ बतलाता है क्योंकि वह पशु के  
अर्थान् कर्म में उपयोग में आता है । और मूष का अर्थ होने पर भी  
उसके बिना वह किसी दृष्टि से उपयोगी नहीं ॥२१, २५॥ पूर्व पक्ष कहता है  
कि वर्ष तथा पीर्ममास मास में जिसने मास है वे सब प्रधान हैं क्योंकि  
उनकी विधान समान रूप से पाया जाता है । इसका समाधान यह है कि  
उन मासों में आचार' बादि ऐसे कर्म भी हैं जो अर्थ रूप हैं । विद्वत्  
मासों में प्रयागों का कथन होने से भी आचारवि अर्थ रूप सिद्ध होते  
हैं ॥२१, ३१॥

अवशिष्टं तु कारणं प्रधानेषु शुभस्य विद्यमानत्वात् ॥३२॥

नानुक्तेज्यार्थवत्त्वं परत्वात् ॥३३॥

पृथक्त्वे स्वमिथामयोनिषेस धृतितो व्यपदेशाच्च



तत्पुनर्मुह्यलक्षण, यत्फलवत्त्व, तत्सन्निधावसयुक्त तदङ्-  
गस्याद्, भागित्वात् कारणस्याश्रुतेश्चान्यसम्बन्ध ॥३४॥

गुणाश्च नामसयुक्ता विधीयन्ते, नाट्पूपपद्यन्ते ॥३५॥

तुल्या च कारणश्रुतिरन्यैरङ्गाभिसम्बन्धै ॥३६॥

उत्पत्तावभिसम्बन्धस्तस्मादङ्गोपदेश स्यात् ॥३७॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३८॥

ज्योतिष्टोमे तुल्यान्यविशिष्ट हि कारणम् ॥३९॥

गुणानां तूत्पत्तिवाक्येन सम्बन्धात्कारणश्रुतिस्तस्मात्सोम-  
प्रधान स्यात् ॥४०॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥४१॥

इस पर शङ्का की जाती है कि यदि अथवाद ( स्तुति ) के कारण 'आधार' को अङ्ग रूप माना जाय तो 'आग्नेय' याग की भी वैसी ही स्तुति पाई जाती है । तब उसको भी अङ्ग रूप मानना चाहिये । इसका समाधान करते हुये मीमांसाकार कहते हैं कि विकृत यागो मे 'प्रयाजो' का विधान नहीं मिलता । केवल छै यागो के दो त्रिको मे दश और पौर्णमास का नाम आता है, अन्यत्र उनका उल्लेख नहीं है । श्रुति और व्यपदेश से भी उक्त अथ की सिद्धि पाई जाती है । वे त्रिक ही प्रधान याग है और उन्ही का फल कथन किया है । उन यागो के साथ जो अन्य याग सहकारी याग के रूप मे किये जाते हैं और जिनका कोई फल कथन नहीं किया गया वे अङ्ग रूप माने जाने चाहिये । 'आधार' का भी कोई पृथक् फल सुनने मे नहीं आता, अत वह भी प्रधान याग के साथ अङ्ग रूप माना जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त 'दर्शपूर्णमास' के जो गुण विधान मे है वे आधार आदि के नहीं हो सकते ॥३२-३५॥ इस पर शङ्का की जाती है कि जिस प्रकार आधार आदि को अङ्ग कथन करने वाले वाक्य हैं उसी प्रकार आग्नेय आदि को प्रधान यागो का अङ्ग रूप मानने का कथन भी श्रुति मे पाया जाता है । इसका समाधान यह है

कि शीघ्र मात्र की उत्पत्ति की दृष्टि से मान्येय आदि को यज्ञ के सिद्ध की उपमा ही गई है। उसका अभिप्राय ब्रह्म या अक्ष होना नहीं मानना चाहिये। ब्रह्मता का स्पष्ट उल्लेख 'आचार' आदि के लिये ही पाया जाता है ॥१६१-१७॥ एवं और पौर्णमास यामों में ब्राह्मणियों की जो संख्या बताई गई है उससे भी यह आक्षेप प्रकट होता है ॥१६०॥ ज्योतिषोम के अन्तर्गत जो अन्य धाग किये जाते हैं उनका समानता के रूप में वर्णन किया गया है अतः उनको समान रूप में प्रकृत मानना चाहिये ॥१६१॥ इसका निराकरण करते हुये मीमांसा कहता है कि 'ज्योतिषोम के अन्तर्गत होने वाले सोम-नाम से उसका जो सम्बन्ध है उसके आचार पर उसे प्रमाण माना जाना चाहिये पर 'वक्षिणीय' आदि ब्रह्म स्वल्प मात्र ही माने जाते हैं। अतः भी 'वक्षिणीय' का ब्रह्म रूप से ही वर्णन पाया जाता है ॥१६०-१६१॥

[ इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यज्ञ-सम्बन्धी प्रयोगक और प्रयोग्य विषयों का विवेचन करना है। प्रत्येक कर्म में कौन मुख्य है और कौन सहायक ब्रह्म या साधन रूप है इस विषय पर बड़े विस्तार से साध विचार किया गया है और छोटी-छोटी बातों का भी निर्णय तर्कों और प्रमाणों द्वारा किया गया है। इससे विदित होता है कि उस समय में यज्ञ विधि बहुत विस्तृत और पेशीबा हो गई थी और उसकी क्रियाओं के सम्बन्ध में पण्डितों अथवा कार्य-कर्ताओं में मतभेद उत्पन्न होता रहता था। महर्षि पौर्णिक ने मतभेद के आचार पर उत्पन्न इसी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिये इस अध्याय में प्रयत्न किया है। इसमें उन्होंने प्रत्येक विषय में पूर्ण पक्ष द्वारा उठाई गई शक्यों का प्रथम कथन करके उत्तरवाचक अर्थ के प्रमाणों से उसका ठीक रूप प्रतिपादित किया है। उन्होंने यही एक विचार किया है कि यज्ञ में पशुओं को बाँधने के लिये जो लकड़ी के 'यूव' बनाये जाते हैं उनका बंधकक तथा भीड़न ही यज्ञ में 'यज्ञ' के रूप में प्रयुक्त किया जाय अथवा उसे अन्य प्रकार की लकड़ी आदि से प्रस्तुत किया जा सकता है? पशुओं को बाँधने की रस्ती का

सम्बन्ध रूप से माना जाय या पशु से ? 'प्रणीता' नामक यज्ञीय-जलपात्र मे शेष जल को वेदी पर छिड़कना मुख्य कर्म है या सहायक कर्म है ? मिट्टी के बर्तनों का नित्य कर्म मे उपयोग किया जाय या नहीं ? कौन कर्म और द्रव्य नित्य हैं तथा कौन नैमित्तिक ? एक प्रकार के यज्ञ मे जो कई प्रकार के अङ्ग-स्वरूप सस्कार, क्रियाएँ तथा उपकर्म होते हैं उनमे से किसको मुख्य और किसको गौण माना जाय ?

मीमांसा-दर्शन मे इस सम्बन्ध मे जो विवेचन किया गया है उससे प्रकट होता है कि उस युग मे यज्ञ-याग ही सबसे मुख्य और सर्वत्र प्रचलित सामाजिक कार्य और उत्सव माने जाते थे । उनका उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति तो माना ही जाता था, पर सम्भवत सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव भी उनके आधार पर ही प्राप्त होता था । इसीलिये स्थान-स्थान पर उनके लौकिक और पारलौकिक दोनो प्रकार के लाभो का उल्लेख किया गया है । जैसे आजकल विवाह, यज्ञोपवीत, मुण्डन और दाह-सस्कार मे भिन्न-भिन्न स्थानो की प्रथाओ और क्रियाओ मे कई प्रकार का अन्तर दिखाई पडता है और पुराने तथा नये विचार के लोगों द्वारा की गई व्यवस्था, सजावट तथा सामग्री मे भी बहुत कुछ भेद उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार की अवस्था उस समय भी उपस्थित होगई होगी और उन क्रियाओ के कराने वाले पण्डित तथा यज्ञ कराने वालो मे अनेक विषयो पर मतभेद पैदा होता रहता होगा । इसलिये महर्षि जैमिनि ने मीमांसा-दर्शन द्वारा इस बात का उद्योग किया कि इन विषयो का स्पष्टीकरण करके एक ऐसी सर्वमान्य तथा देशव्यापी पद्धति निश्चित कर दी जाय जिससे यज्ञ-कार्य मे किसी प्रकार का मतभेद और व्याघात उत्पन्न न हो । यद्यपि समय और परिस्थितियो के बदल जाने से आज हमको इन अनुपगिक विषयो की महत्ता अनुभव नहीं होती, पर उन समय इनकी आवश्यकता अनुभव की जाती थी और इन्ही से महर्षि जैमिनि ने प्रत्येक क्रिया के यथातथ्य रूप का निर्णय करने का प्रयत्न किया है । ]

# पचम अध्याय

## प्रथम पाद

[ चौथे अध्याय में यज्ञीय कर्मों के प्रयोज्य प्रयोक्तृ भाव का वर्णन किया गया है। अब पाँचवें अध्याय में यह सम्बन्धी विविध कर्मों के क्रम पर विचार किया जाता है। इस अध्याय में धृति के वाक्य ही सबसे मुख्य प्रमाण हैं। जहाँ कोई विशेष स्थिति हो वहाँ वाक्यों के आन्तरिक आशय का अनुसार ही निर्णय किया जा सकता है। वास्तव में यही है कि विविध कर्मों को क्रम से करने पर ही इस फल की प्राप्ति सम्भव होती है। ]

अ तिलक्षणमानुषूर्ध्वं तत्प्रमाणत्वात् ॥१॥

अर्षाञ्च ॥२॥

अभियमोऽन्यत्र ॥३॥

क्रमेण वा नियम्येत ऋत्वेकत्वे सवृगुणत्वात् ॥४॥

अथास्य इति चेत्स्याद्वाक्य सभ्यत्वात् ॥५॥

अर्थकृते चाऽनुमान स्यात्ऋत्वेकत्वे पराशत्वास्त्वेन त्वर्थेन सम्बन्धस्तस्मात्त्वसभ्यमुच्यते ॥६॥

अथा चाम्यार्थवर्णनम् ॥७॥

प्रकृत्या तुस्यकालानां गुणानां तदुपक्रमान् ॥८॥

सर्वमिति चेत् ॥९॥

नाहुत्वात् ॥१०॥

धृति में प्रतिपादित यह-विभाग से विविध कर्मों का जो क्रम निबद्ध कर दिया गया है, वही प्रधान है। पर कहीं-कहीं वाक्यों के कुछ आशय को समझकर स्वाभाविक क्रम अपनाया जा सकता है। जैसे विभाग में पहले लिखा है कि अग्निहोत्र किया जाय। और फिर लिखा है कि

“यज्ञार्थं लपसी पकावे ।” अब यहाँ पर लपसी पकाने का आदेश दूसरे नम्बर पर दिया गया है, पर बिना लपसी के अस्तुत हुये अग्निहोत्र हो ही नहीं सकता । इसलिये यहाँ कार्य को व्यवस्था को ध्यान में रखकर क्रम निश्चित करना चाहिये ॥१-२॥ जहाँ इन दोनों का अभाव हो वहाँ अपनी समझ से जिसे ठीक समझा जाय उसी को पहले कर लिया जाय ॥३॥ यज्ञ में ‘प्रयाजों’ के अनुष्ठान में क्रम और नियम रखना चाहिये ॥४॥ इसमें शङ्का है कि पाठक्रम का ज्ञान शब्दों द्वारा नहीं हो सकता । वाक्य या शब्दों से पदार्थों का ही बोध हो सकता है । इसका समाधान है कि क्रम शब्दों द्वारा नियन्त्रित नहीं है तो भी याग-क्रिया में अङ्गों की प्रदानता की दृष्टि से क्रम का पालन करना ही ठीक है ॥५-६॥ पाठक्रम के जो बाधक अर्थ लिखे हुये मिलते हैं उनसे भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है ॥७॥ इसी तरह पशु सस्कारों में भी एक के पश्चात् दूसरे का क्रम जानना चाहिये ॥८॥ शङ्का है कि उक्त सस्कार सब पशुओं के एक साथ क्यों न किये जायें । इसका समाधान है कि श्रुति में ऐसा विधान नहीं पाया जाता है ॥९-१०॥

ऋत्वन्तरवदिति चेत् ॥११॥

नासमवायात् ॥१२॥

स्थानाच्चोत्पत्तिसयोगात् ॥१३॥

मुख्यक्रमेण वाङ्गाना तदर्थत्वात् ॥१४॥

प्रकृती तु स्वशब्दत्वाद्यथाक्रम प्रतीयेत् ॥१५॥

मन्त्रतस्तु विरोधे स्यात्प्रयोगरूपसामर्थ्यात्तस्मादुत्पत्तिदेश-  
स ॥१६॥

तद्वचनाद्विकृती यथाप्रधान स्यात् ॥१७॥

विप्रतिपत्तौ वा प्रकृत्यन्वयाद्यथाप्रकृति ॥१८॥

विकृति प्रकृतिधर्मत्वात्तत्काला स्याद्यथाशिष्टम् ॥१९॥

अपि वा क्रमकालसयुक्ता सद्य क्रियेत तत्र विधेरनुमाना-  
त्प्रकृतिधर्मलोप स्यात् ॥२०॥

पुनः एतावती प्राप्ती है कि जैसे 'सीमा' भावि यामानुष्ठान में सब संस्कार एक साथ हुआ है वैसे ही पशुओं में क्यों न किये कार्य ? समाधान है कि पशुओं का ज्ञान एक साथ न किया जाकर अलग-अलग होता है, इसलिये उनका संस्कार भी एक-एक करके क्रम से होना ठीक है ॥११-१२॥ कर्मों का ज्ञान स्वान के अनुसार भी होता है ॥१३॥ इसलिये मुख्य माय में कर्मों का जो क्रम नियत हो उसके चरणों में भी उसी क्रम के अनुसार कार्य करना चाहिये ॥१४॥ 'श्रीमहाभारत' धर्म में मुख्य धर्म के अर्थ पर अंगों का अनुष्ठान पाठक्रम के अनुसार करना चाहिये क्योंकि उसके सम्बन्ध में सब प्रकार का स्पष्ट विधान मिलता है ॥१५॥ यदि कर्मों के क्रम के सम्बन्ध में वेद-मंत्रों तथा ब्राह्मण धर्मों में किसी प्रकार का विरोध दिखाई दे तो उस अवस्था में 'ब्राह्मण धर्म' के बजाय यज्ञ-याग को प्रधानता देनी चाहिये ॥१६॥ प्रतिपत्ती कहता है कि विकृत-याग के क्रमानुसार ही होना चाहिये । इसका उत्तर है कि यदि दोनों प्रकार के कर्मों में कहीं विरोध दिखाई दे उसे प्रकृति क्रमानुसार ही करना चाहिये ॥१७-१८॥ सदा है कि आग्नेय आदि तीनों विकृति-यागों के लिये उतना ही समय ज्ञाना चाहिये जितना सामान्य आदि प्रकृति यागों में ज्ञाना जाता है क्योंकि विकृति यागों में प्रकृति यागों का आचार ग्रहण करना चाहिये ॥१९॥ इसका समाधान है कि सब तीनों याग जिन समयों में मिले हैं सभी में करना चाहिये । प्रकृति याग वालों में ही अन्त किया जाय ऐसी बात नहीं कही गई है ॥२॥

कालोत्कर्ष इति चेत् ॥२१॥

न तत्सम्बन्धात् ॥२२॥

अङ्गानां मुख्यकामस्वाद्यथोक्तम् उत्कर्षे स्यात् ॥२३॥

तथादि बाधिसम्बन्धात्तदस्तमपकर्षे स्यात् ॥२४॥

प्रवृत्त्या कृतकालानाम् ॥२५॥

शब्दप्रतिषेधान् ॥२६॥

असंयोगात् विकृतं तदेव प्रतिषेधेत् ॥२७॥

प्रासङ्गिक च नोत्कर्षेदसयोगात् ॥२८॥  
तथाऽपूर्वम् ॥२९॥

सान्तपनीया तूत्कर्षेदग्निहोत्र सवनवद्वै गुण्यात् ॥३०॥

फिर शका है कि इन कालो का आशय आगामी दिन के उन्ही कालो से भी लगाया जा सकता है, तो इसका उत्तर देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, इन प्रात काल आदि कालो का उसी एरु ही दिन से सम्बन्ध है ॥२१-२२॥ पूर्वपक्ष का कथन है कि 'ज्योतिष्टोम' याग के 'अनुयाज' और 'प्रयाज' दोनो मे जैसे दिन बढ़ाया और घटाया जाता है वैसा ही होना चाहिये । इससे प्रधान याग के अगो को अपने-अपने काल का लाभ मिल जाता है ? इसका उत्तर है कि इन अगो को जिम क्रम से करना कहा गया है उमी प्रकार होना चाहिये । काल का ध्यान रखकर यदि उस क्रम मे अन्तर कर दिया जायगा तो अनुष्ठान का उद्देश्य ही नष्ट हो सकता है ॥२३-२४॥ जिन प्रोक्षणादि कर्मों का अनुष्ठान काल ज्ञात होता है उनका प्रथम अनुष्ठान होना चाहिये । शब्दार्थ का विरोध होने पर भी उक्त अर्थ सिद्ध होता है ॥२४-२६॥ विकृति मात्र यूप का छेदन और अपकर्ष होना चाहिये ॥२७॥ पुरोडाशो पर उपकार करने वाला अनुयाज कर्म दक्षिणाग्नि मे होने वाले 'पिष्टलेप होम' और 'फलीकरण होम' का उत्कर्ष ( ऊपर के प्रकरण से सम्बन्धित ) नहीं कर सकता ॥२८॥ जैसे प्रयाज उक्त दोनो होमो का उत्कर्षक नहीं हो सकता वैसे ही प्राकृत वेदि अभिवासान्त अङ्ग समूह का अपकर्षक (नीचे वाले प्रकरण से सम्बन्धित) नहीं हो सकता ॥२९॥ पूर्वपक्ष है कि प्रात सवन उत्कर्ष को प्राप्त होकर माष्यन्दिन सवन का भी उत्कर्ष करता है उसी तरह सान्तारनीया' नामक इष्टि भी अग्नि होत्र का उत्कर्ष करती है । यदि ऐसा न किया जाय तो कर्म गुण रहित हो जाता है । यदि इसे न माना जाय तो उक्त दोनो कर्मों मे व्यवधान हो जाता है ॥३०-३१॥

अव्यवायाच्च ॥३१॥

असम्बन्धात् नोत्कर्षेन् ॥३२॥

पुनः यथा की जाती है कि जैसे 'सौम्य' आदि यागानुष्ठान में सब संस्कार एक साथ होते हैं वैसे ही यजुर्भों में क्यों न किये जायें ? समाधान है कि यजुर्भों का बान एक साथ न किया जाकर ब्रह्म-अब्रह्म होता है, इसलिये उनका संस्कार भी एक-एक करके क्रम से होना ठीक है ॥१११॥ १२॥ कर्त्तों का बान स्थान के अनुसार भी होता है ॥११३॥ इसलिये मुख्य-याम में कर्मों का जो रूप नियत हो उसका यजुर्भों में भी उसी क्रम के अनुसार कार्य करना चाहिये ॥११४॥ 'धोर्षमास' याग में मुख्य याम के स्थान पर कर्मों का अनुष्ठान पाठक्रम के अनुसार करना चाहिये क्योंकि उसका सम्बन्ध में उस प्रकार का स्पष्ट विधान मिलता है ॥११५॥ यदि यजुर्भों के क्रम के सम्बन्ध में वेदमंत्रों तथा ब्राह्मण प्रबो में किसी प्रकार का विरोध दिखाई दे तो उस ब्रह्मस्थान में 'ब्राह्मण प्रबो' के बजाय मन्त्र-पाठ को प्रधानता देनी चाहिये ॥११६॥ प्रतिपक्षी कहता है कि विकृत-याम के क्रमानुसार ही होना चाहिये । इसका उत्तर है कि यदि बोगों प्रकार के क्रमों में कहीं विरोध दिखाई दे उसे प्रकृति क्रमानुसार ही करना चाहिये ॥११७-११८॥ अर्थात् कि यामेय आदि तीनों विकृति-यामों के किये उतना ही समय ज्ञाना चाहिये जितना सामान्य आदि प्रकृति यागों में ज्ञाना जाता है, क्योंकि विकृति यागों में प्रकृति यागों का आचार ग्रहण करना चाहिये ॥११९॥ इसका समाधान है कि उक्त तीनों याम जिन समयों में किये हैं उन्हीं में करने चाहिये । प्रकृति याम कर्मों में ही उन्हें किया जाय ऐसी बात नहीं कही गई है ॥२॥

कालोत्कर्ष इति चेत् ॥२१॥

न तत्सम्बन्धात् ॥२२॥

वज्रानां मुख्यकालत्वाद्यपोक्तम् उत्कर्षे स्यात् ॥२३॥

तथापि वाग्भिसम्बन्धात्सदन्तमपकर्षे स्यात् ॥२४॥

प्रवृत्त्या कृतकालात् ॥२५॥

शब्दविप्रतिषेधाच्च ॥२६॥

असंयोगात् वेदोत्तदेव प्रतिष्ठयेत् ॥२७॥



प्रासङ्गिक च नोत्कर्षेदसयोगात् ॥२८॥

तथाऽपूर्वम् ॥२९॥

सान्त्पनीया तूत्कर्षेदग्निहोत्र सवनवद्वै गुण्यात् ॥३०॥

फिर शका है कि इन कालो का आशय आगामी दिन के उन्ही कालो से भी लगाया जा सकता है, तो इसका उत्तर देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, इन प्रात काल आदि कालो का उसी एक ही दिन से सम्बन्ध है ॥१-२२॥ पूर्वपक्ष का कथन है कि 'ज्योतिष्टोम' याग के 'अनुयाज' और 'प्रयाज' दोनो मे जैसे दिन बढ़ाया और घटाया जाता है वैसा ही होना चाहिये । इससे प्रधान याग के अगो को अपने-अपने काल का लाभ मिल जाता है ? इसका उत्तर है कि इन अगो को जिम क्रम से करना कहा गया है उमी प्रकार होना चाहिये । काल का ध्यान रखकर यदि उस क्रम मे अन्तर कर दिया जायगा तो अनुष्ठान का उद्देश्य ही नष्ट हो सकता है ॥२३-२४॥ जिन प्रोक्षणादि कर्मों का अनुष्ठान काल ज्ञात होता है उनका प्रथम अनुष्ठान होना चाहिये । शब्दार्थ का विरोध होने पर भी उक्त अर्थ सिद्ध होता है ॥२४-२६॥ विकृति मात्र यूप का छेदन और अपकर्ष होना चाहिये ॥२७॥ पुरोडाशो पर उपकार करने वाला अनुयाज कर्म दक्षिणाग्नि मे होने वाले 'पिष्टलेन होम' और 'फलीकरण होम' का उत्कर्ष ( ऊपर के प्रकरण से सम्बन्धित ) नहीं कर सकता ॥२८॥ जैसे प्रयाज उक्त दोनो होमो का उत्कर्षक नहीं हो सकता वैसे ही प्राकृत वेदि अभिवासान्त अङ्ग समूह का अपकर्षक ( नीचे वाले प्रकरण से सम्बन्धित ) नहीं हो सकता ॥२९॥ पूर्वपक्ष है कि प्रात सवन उत्कर्ष को प्राप्त होकर माध्यन्दिन सवन का भी उत्कर्ष करता है उसी तरह सान्त्पनीया' नामक इष्टि भी अग्नि होत्र का उत्कर्ष करती है । यदि ऐसा न किया जाय तो कर्म गुण रहित हो जाता है । यदि इमे न माना जाय तो उक्त दोनो कर्मों मे व्यवधान ही जाता है ॥३०-३१॥

अव्यवायाच्च ॥३१॥

असम्बन्धात् नोत्कर्षेत् ॥३२॥

प्रापणाच्च निमित्तस्य ॥३३॥

सम्बन्धात्सवनोत्कर्षं ॥३४॥

पोडशी धोऽप्यसंयोगात् ॥३५॥

इस पर मीमांसकार का कथन है कि यदि का इष्टि स्वयं उत्कर्ष को प्राप्त हो जाय तो उससे अग्निहोत्र का उत्कर्ष नहीं हो सकता क्योंकि उन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं। अग्निहोत्र का समय सार्वकाल रखा गया है यह नहीं कहा गया है कि 'सान्तापनं या' इष्टि के समाप्त होने पर अग्निहोत्र उसके पश्चात् ही क्रिया जाय। अतः अग्निहोत्र अपने नियत समय सार्वकाल को ही होना चाहिये ॥३२ ३३॥ यदि प्रसन्न सवन से माध्यन्दिन सवन का उत्कर्ष होता है तो उसका कारण यह है कि वे परस्पर सम्बन्धित हैं ॥३४॥ इसी प्रकार 'उत्प्य' ग्रह के उत्कर्ष से पोडशी ग्रह का भी उत्कर्ष होता है क्योंकि वे दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं ॥३५॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

मग्निपाते प्रधानानामेकैकस्य गुणानां सर्वकम स्यात् ॥१॥

सर्वेषां वैकल्याणीयं कृतामुपूर्वत्वात् ॥२॥

कारणावभ्यावृत्तिः ॥३॥

मुष्टिकपालावधानाभ्यञ्जनाभ्यञ्जनवपनपावनेषु चैकेन ॥४॥

सर्वाणि त्वेककार्यस्यादेवां तद्गुणत्वात् ॥५॥

सपुस्तु तु प्रक्रमसर्वज्ञ स्यादितरस्य सदस्यत्वात् ॥६॥

ब्रह्मनास परिभ्यागान्तमञ्जनादि स्यात् ॥७॥

कारणाद्वाञ्जवसग स्याद्यथा पापवृद्धिः ॥८॥

न वा साध्यकृतत्वान्म्यायनाप्रमितरदर्यात्पापवृद्धिः ॥९॥

पशुगुणे तस्य तस्यापब्रजयन् पश्वेकरत्वात् ॥१०॥

वाजयेय याग मे दान दिये जाने वाले पशुओं के 'उपकरण' आदि सस्कार समग्र रूप कर देना चाहिये यह पूर्व पक्ष का कथन है ? इसका समाधान यह है कि समस्त पशुओं का एक सस्कार एक साथ करके तब दूसरा सस्कार तत्पश्चात् किया जाय । पर यदि कोई बहुत बड़ी बाधा सामने आ जाय तो एक-एक पशु का समग्र रूप से भी सस्कार किया जा सकता है ॥१-३॥ मुष्टि, कपाल, अवदान, अञ्जन, अम्यञ्जन, वपन तथा पावन इन सस्कारों मे एक एक का निर्वाप आदि रूप अनुष्ठान होना चाहिये । इसका समाधान है कि ये सब सस्कार एक ही कार्य की पूर्ति के लिये किये जाते हैं, अतः इन्हे एक साथ ही करना चाहिये ॥४-५॥ अवदान सयुक्त होम प्रकरण मे जो केवल अवदान से उपक्रम किया गया है वह होम पर्यन्त समझना चाहिये ॥६॥ अजन आदि सम्पूर्ण सस्कारों का समग्ररूप से अनुष्ठान होना चाहिये क्योंकि श्रुति वाक्य का ऐसा ही आशय है ॥७॥ पूर्व पक्ष कहता है कि 'अनुयाज' नामक होमो मे 'पृष-दाज्य' धारणार्थ पात्रान्तर की कल्पना करली जाती है, वैसे ही प्रकृति यागो मे अव्ययु रूप सहकारी न मिलने पर 'अवस्टजेत' की कल्पना होनी चाहिये । इसका उत्तर है कि विधाम् वाक्य के अनुसार प्रत्येक यूप मे समग्र रूप से ही अनुष्ठान होना चाहिये ॥८-९॥ पूर्व पक्ष कहता है कि प्रत्येक दान दिये जाने वाले पशु के उद्देश्य से जो एक-एक पुरोडाश हवन किया जाता है, उनमे एक-एक पुरोडाश मे यावत् अवदानों का अनुष्ठान होना चाहिये ॥१०॥

दैवतैर्वैककम्यान् ॥११॥

मन्त्रस्य चार्थवत्त्वात् ॥१२॥

नानाबीजे एकमुलूखल विभवात् ॥१३॥

विवृद्धिर्वा नियमानुपूर्वस्य तदर्थत्वात् ॥१४॥

एक वा तण्डुलभावाद्धन्तेस्तदर्थत्वात् ॥१५॥

विकारे त्वनयाजाना पात्रभेदोऽर्थदात् स्यात् ॥ १६॥

प्रकृते पूर्वोक्तत्वादपूर्वमन्ते स्यात् ह्यचोवितस्य।

शेषाम्नातम् ॥१७॥

मुष्मानन्तर्यमात्रेयस्तेन तुल्यम् तित्वादशब्दत्वात्प्राकृतानां  
व्यवायाः स्यात् ॥१८॥

अन्ते तु धावरायणस्तेषां प्रधानशब्दत्वात् ॥१९॥

तथा चायार्थदर्शनम् ॥२०॥

कृतवेषात् पूर्वेषां च देश स्यात् तेनप्रत्यक्षसंयागा  
स्यापमात्रमित्यत् ॥२१॥

प्राकृतान् पुरस्ताद्यत् ॥२२॥

सन्निपातश्चेद्यपोक्तमन्ते स्यात् ॥२३॥

उपरोक्त कथन का समाधान करते हुये कहते हैं कि प्रत्येक पुरो  
डास का प्रथम 'वैवत' फिर 'सोविबद्धत' उत्पन्नान् एव' अवधान होकर  
फिर होम होगा चाहिये क्योंकि ये तीनों अवधान पूर्व-मूलक होने पर  
भी एक ही क्रम है ॥११॥ अवधान काळ में जो मंत्र पढ़ा जाता है उसके  
उच्चारण कायम होने से भी उक्त अर्थ ही ठीक है ॥१२॥ यज्ञ-कर्म के  
किये जो अथ द्वारा प्रस्तुत इष्टियाँ हो उनके किये अथ स्वच्छ करने को  
किये एक ही उद्देश्य परमति है । पूर्ववत् का कथन है कि विधान में अर्था  
का कई प्रकार से संस्कार करने का जो नियम बताया है उस इष्टि से कई  
उद्देश्य होने चाहिये । इनके उत्तर में मीमांसा उक्तवाक्य का आशय एक ही  
उद्देश्य होना बतलाता है । ११ १२॥ अग्निबोमीय पशु-दान में अनुयाय  
तथा प्रयाज के पात्र अ भेद होगा चाहिये ॥१९॥ प्रकृत मासों में 'गारि  
होमों' का वर्धन पहले बताया है इसकिये उपहोम उनके अन्त में होने चाहिये ।  
क्योंकि प्रधान से पूर्व गौय को स्वान नहीं दिया जा सकता ॥१७॥ आरेप  
मुनि का मत है कि प्रधान होमों के पश्चात् और गारिष्ठ होमों से पूर्व  
'उप-होमों' का अनुष्ठान होता है क्योंकि प्रधान होमों की तरह उनका  
विधान इसी प्रकार अ ति में बताया गया है । गारिष्ठ होमों का उप-होमों

के पीछे अवश्य अनुष्ठान होना चाहिये क्योंकि वह आनुमानिक है ॥१८॥  
 पर बादरायण मुनि इस मत को स्वीकार नहीं करते । उनका कथन है कि  
 प्रकृति यागो मे नारिष्ट होमो का प्रथम विधान क्रिया गया है और उप-  
 होमों का तत्पश्चात्, इसलिये उसी क्रम से अनुष्ठान उचित है । कहा गया है  
 कि अग्निषोमीय की अपेक्षा आग्नेय याम प्रथम होना चाहिये क्योंकि  
 अग्निषोम की अपेक्षा 'अग्नि' की उपस्थिति प्रथम होती है ॥१९॥२०॥  
 राजसूय याग मे विनदेवादि क्रियायें माहेन्द्र स्तोत्र के साथ  
 अभिषेकपूर्ण सम्पन्न होनी चाहिये ॥२१॥ जिसका प्राकृत दृष्टि से पूर्व  
 पाठ किया गया हो उसका अनुष्ठान भी पूर्व ही होना चाहिये ॥२२॥ यदि  
 प्रकृति और विकृति दोनो सस्कारो का एक साथ करने का अवसर आ  
 जाय तो वैकृत का प्राकृत से पश्चात् अनुष्ठान होना चाहिये ॥२३॥

॥ द्वितीय पाद समाप्त ॥

## तृतीय पाद

विवृद्धि कर्मभेदात्पृषदाज्यवत्तस्य तस्तोषदिश्येत ॥१॥  
 अपि वा सर्वसङ्ख्यत्वाद्विकार प्रतीयेत् ॥२॥  
 स्वस्थानात्तु विवृद्धेरन्कृतानुपूर्व्यत्वात् ॥३॥  
 समिध्यमानवती समिद्धवती चान्तरेण घाय्या  
 स्युर्द्यावापृथिव्योरन्तराले समर्हणात् ॥४॥  
 तच्छब्दो वा ॥५॥  
 उष्णिक्ककुभोरन्ते दशनात् ॥६॥  
 स्तोम विवृद्धौ वहिष्पवमाने पुरस्तात्पर्यासादागन्तवः  
 स्युस्तथा हि दृष्ट द्वादशाहे ॥७॥  
 पर्यास इति चाऽन्ताख्या ॥८॥  
 अन्ते वा तदुक्तम् ॥९॥  
 वाचनात्तु द्वादशाहे ॥१०॥

पूर्व पक्ष का कथन है कि जिस प्रकार प्रत्येक अनुमात्र के साथ 'पृथु वास्य' के सम्बन्ध का विधान है, वैसे ही प्रत्येक प्रमात्र के साथ एकादश संख्या के सम्बन्ध का विधान किया गया है। इसलिये प्रमात्र भेद से एकादश संख्या की भी अनुपात के अनुसार वृद्धि होनी चाहिये। इसके समाधान में कहा गया है कि एकादश संख्या की पूर्ति के लिए सब प्रमात्रों की द्विगुणित होकर अंतिम प्रमात्र की द्विगुणित होनी चाहिये। उक्त एकादश संख्या सब प्रमात्रों के लिये विधान की गई है ॥१२॥ अपने-अपने स्थान में प्रत्येक उरस्य की द्विगुणित होनी चाहिये क्योंकि प्रकृति-यावत् उनके अनुपात का यही क्रम नियत किया गया है ॥३॥ पूर्व पक्ष कहता है कि 'समिध्रमाल' तथा 'सामिष्य' पक्ष बाकी दोनों सामधेनियों के मध्य में विशेष होता चाहिये क्योंकि बाहर क्षेत्र में छाया-गुणित होने से उक्त दोनों सामधेनियों का उल्लेख करके उनके मध्य में 'वास्य' नाम से आगन्तुक मन्त्रों का कथन किया है ॥४॥ इसका समाधान है कि उक्त बाह्य-क्षेत्र में जो 'वास्य' पक्ष आया है उक्त आसन्न समस्त आगन्तुक मन्त्रों से नहीं किन्तु केवल दो मन्त्रों से है ॥५॥ उक्त 'वास्य' नामक दो मन्त्रों के अन्त में 'वास्य' मन्त्र का निवेदन पाये जाने से भी यही अर्थ निकलता है ॥६॥ पूर्व पक्ष का कथन है कि 'बहिष्पवमान' स्तोत्र में आगन्तुक मन्त्रों का पर्याप्त पूर्व निवेदन होता चाहिये क्योंकि 'शारदाह' नामक याग में ऐसा ही वेदा बताया है। यहाँ पर 'पर्याप्त' शब्द का अर्थ 'बहिष्पवमान स्तोत्र' के अन्तिम तीन मन्त्रों से है ॥७-८॥ इसका समाधान है कि आगन्तुक मन्त्रों के चार आध्यात्मिक 'बिम्बों' का 'बहिष्पवमान स्तोत्र' के अन्त में निवेदन होता है और 'शारदाह' के याग में जो आगन्तुक बिम्बों का मन्त्र में निवेदन होता है वो यहाँ उक्तका वैसे ही विधान पाया जाता है ॥९॥

अतद्विकारवच ॥११॥

तद्विकारेभ्यःपूर्वत्वात् ॥१२॥

अन्ते तूत्तरयोर्व्यात् ॥१३॥

अपि वा गायत्रीवृहत्यनुष्टुप्पु वचनात् ॥१४॥

ग्रहेष्टकमौपानुवाक्य सवनचितिशेषः स्यात् ॥१५॥

ऋत्वग्निशेषो वा चोदितत्वादचोदनान्नपूर्वस्य ॥१६॥

अन्ते स्युरव्यवायात् ॥१७॥

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१८॥

मव्यमाया तु वचनाद् ब्राह्मणवत्य ॥१९॥

प्राग्लोकमृणायास्तस्याः सम्पूरणार्थत्वात् ॥२०॥ )

पर 'अतिरात्र' नामक याग में 'द्वादशाह' की भाँति निवेश नहीं हो सकता । 'द्वादशाह' की विकृति 'अहीन-सत्रादि' यागों में भी 'वृषण्वत्' शब्द वाले मन्त्रों से भिन्न मन्त्रों का मध्य में निवेश नहीं हो सकता ॥११-१२॥ पूर्व पक्ष कहता है कि माव्यन्दिन पवमान तथा आर्भवं पवमान सामो के आधार पर प्रथम व द्वितीय त्रिक को छोड़ कर अन्तिम त्रिक में आगन्तुक सामो का निवेश होना चाहिए ॥३॥ इसका समाधान है कि गायत्री, वृहती तथा अनुष्टुप छन्द वाले मन्त्रों में ही आगन्तुक सामो का निवेश होना चाहिये ॥१४॥ पूर्व पक्ष कहता है कि अनारभ्य पठित ग्रह तथा इष्टका में सवन तथा चयन का शेष है । इसका समाधान है कि उक्त ग्रह याग का और इष्टकायें अग्नि का शेष हैं, क्योंकि विधान में उनको इसी प्रकार अङ्ग रूप बतलाया है ॥१६॥ पूर्व पक्ष कहता है कि चित्रिणी आदि इष्टकाओं का उपधान अन्तिम चिति में करना चाहिये क्योंकि इससे पठित इष्टकाओं में व्यवधान नहीं होता । उसके लक्षणों से भी ऐसा ही प्रकट होता है । इसका समाधान है कि चित्रिणी आदि इष्टकाओं का मध्यम चिति में उपधान होना चाहिये, क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों के वाक्य से ऐसा ही प्रतीत होता है ॥१७-१९॥ 'लोक-पृणा' नामक इष्टकाओं से प्रथम चित्रिणी आदि का मध्यम चिति में उपधान होना चाहिये, क्योंकि 'लोकपृणा' केवल छिद्रों को भरने के लिए है ॥२०॥

संस्कृते कर्म संस्काराणां तदर्थत्वात् ॥२१॥

अनन्तरं यत् तदभूत्तथात् ॥२२॥

पूर्वं च सिद्धदशनात् ॥२३॥

अर्थवाचो वाऽर्थस्य विद्यमानस्यात् ॥२४॥

स्यापविप्रतिषेधाच्च ॥२५॥

सन्निवृत्ते त्वग्निं विद्युक्तं प्रापणाग्निमित्तस्य ॥२६॥

अस्थान्ते वा प्रयोगवचनाभावात् ॥२७॥

अग्ने कर्मत्वनिर्देशात् ॥२८॥

परेणाऽऽवेदनाद्दीक्षितं स्यात् सर्वोर्षीणाभिसम्बन्धात् ॥२९॥

इष्टपन्तेवा तदर्थं ह्यविशेषार्थसम्बन्धात् ॥ ३०॥

जो अग्नि पचमानेहि संस्कारो द्वारा संस्कारित हो उसमें अग्नि-  
होम करना कर्म-कर्तव्य है ॥२१॥ आधान कर्म के अनन्तर आहितान्नि-  
यत् कर्तव्य है क्योंकि उसका आधान से सम्बन्ध है ॥२२॥ पचमानेहिबो-  
धे पहले अग्निहोषादि कर्म करना विधेय है ॥२३॥ यह पूर्व पक्ष का  
कथन है । इसका समाधान यह है कि यह वाक्य वर्षावाह ( स्तुति-स्य )  
है और ब्रह्मवादिनो मीमांसन्ते वाक्य से भी निरत्यग्निहोषादि कर्मों  
का विधेय प्रकट होना है ॥२४-२५॥ अग्नि का चरण हो जाने पर  
पर अग्निभिन्न नामक वृत्त का अनुष्ठान कर्तव्य रूप है । इसका समाधान  
करते कहे हैं कि वह वृत्त मात्र समाप्त हो जाने पर करना चाहिये ।  
कथन के बाद वृत्त का विधान कहीं नहीं पाया जाता ॥२६-२७॥ अग्नि  
का कर्म कारक द्वारा चरण होने से भी वृत्त वर्ष विद्य नहीं होता ॥२८॥  
अथर्वु के कहने के पश्चात् दीक्षित व्यनहार करना चाहिये । दीक्षा  
सम्बन्धी वाक्यो से इति वृत्त आदि पदार्थों के साथ दीक्षा का सम्बन्ध  
पाया जाता है 'दीक्ष पीया' वाक्य से भी नहीं आशय प्रतीत होता है  
॥२९ ॥



समाख्यान च तद्वत् ॥३१॥

अङ्गवत्कृतूनामानुपूद्यम् ॥३२॥

न वाऽसम्बन्धात् ॥३३॥

काम्यत्वाच्च ॥३४॥

आनर्थक्यान्नोति चेत् ॥३५॥

स्याद्विद्यार्थत्वाद्यथा परेषु सर्वस्वारात् ॥३६॥

य एतेनेत्यग्निष्टोम प्रकरणान् ॥३७॥

लिङ्गाच्च ॥३८॥

अयान्येनेति सस्थाना सन्निधानान् ॥३९॥

तत्प्रकृतेर्वाऽऽपत्तिविहारौ हि न तुल्येपूपपद्येते ॥४०॥

प्रशसा च विहरणाभावात् ॥४१॥

विधिप्रत्ययाद्वा, न ह्येकस्सात् प्रशसा स्यात् ॥४२॥

एकस्तोमो वा क्रतुसयोगात् ॥४३॥

सर्वेषां वा चोदना विशेषात्प्रशसा स्तोमानाम् ॥४४॥

पूर्व पक्ष का कथन है कि प्रयाज आदि अङ्ग कर्मों का अनुष्ठान पाठक्रमानुसार होता है। वैसे ही काम्ययागो का अनुष्ठान भी पाठक्रम के अनुसार ही होना चाहिये ॥३१॥ इसका समाधान है कि उक्त यागो में कोई सम्बन्ध न होने से पाठक्रमानुसार अनुष्ठान की बात सिद्ध नहीं होती। इसके साथ ही काम्ययागो के लिये इस प्रकार का विधान भी नहीं पाया जाता ॥३१-३३॥ इस पर शङ्का की जाती है कि काम्ययागो का अनुष्ठान भी इच्छानुसार नहीं करना चाहिये ? ऐसा पाठक्रम निरर्थक सिद्ध हो जायगा ? इसका उत्तर यह है कि जैसे नित्य-यागो में 'सर्वस्वार' होम ज्ञानार्थ होने से सफल हो जाता है वैसे काम्यकर्मों का पाठक्रम भी ज्ञानार्थ होने से सफल समझा जा सकता है ॥३४-३५॥ सब यागो से पूर्व 'अग्निष्टोम' याग का अनुष्ठान आवश्यक है, क्योंकि प्रकरण में इसका कथन है और अन्य प्रमाणों से भी वह सिद्ध होता है ॥३६-३७॥ पूर्व

पक्ष है कि ज्योतिषोम की शेष छ संस्कारों के पूर्व भी अग्निहोम का अनुष्ठान किया जाना चाहिये ? ॥४१॥ इसका उत्तर है कि उक्त वाक्य से ही संस्कारों का ही नहीं एकाह वादि सम्पूर्ण यज्ञों का भी उत्पत्ति है ॥४॥ उक्त कथन में यह शक्य की जाती है कि अग्निहोम के सम्बन्ध यह यत् प्रकृत रूप है । विद्विधि-मान होने के कारण एकाह वादि में आपत्ति और बिहार नहीं बन सकते ? ॥४१॥ इसका समाधान करते हैं कि विधि प्रत्यय से आपत्ति और बिहार का कथन ठीक जान पड़ता है क्योंकि धर्म प्राप्ति के बिना प्रवृत्ता भी उपपन्न नहीं हो सकती ॥४२॥ पूर्व पक्ष का कहना है कि 'अग्नेन' शब्द से एक स्तोम वाले याम का अर्थ ठीक जान पड़ता है ? इसका समाधान यह है कि 'अग्नेन' शब्द से 'एक-स्तोमक' और 'अनेक स्तोमक' सभी यज्ञों को ग्रहण करना चाहिये ॥४३ ४४॥

॥ तृतीय पाद समाप्त ॥

## चतुर्थ पाद

कमकोपोर्ध्वस्रग्नाम्नां श्रुतिविद्येवादर्शपरत्वाच्च ॥१॥

अववागाभिघारणाऽऽसादनेष्वानुपूर्व्यं प्रवृत्त्या स्यात् ॥२॥

यथाप्रदानं वा तदर्थत्वात् ॥३॥

सिद्धदर्शनाच्च ॥४॥

वचनादिष्टिपूर्वत्वम् ॥५॥

सोमदर्शनेवागमन्याधेयस्मर्तुं नक्षत्राप्रतिक्रमवचनात् तदव

नानवर्कं हि स्यात् ॥६॥

तदर्थवचनाच्च नाविद्येपास्तदर्शत्वं ॥७॥

अयक्यमाप्यस्य च पदमानहृदिपां काष्ठविधाना शान्त्यर्थ-

विद्यच्छुत्वा स्यात् ॥८॥

इष्टिरयक्ष्यमाणस्य तादर्थ्ये सोमपूर्वत्वम् ॥९॥

उत्कर्षाद् ब्राह्मणस्य सोम स्यात् ॥१०॥

पाठक्रम का महत्त्व जयक्रम और श्रौतक्रम से कम पड जाता है, ये दोनों पाठक्रम की अपेक्षा प्रबल हैं ॥१॥ अवदान, अभिचारण तथा आसादन इन तीनों का क्रम प्रवृत्ति क्रमानुसार होना चाहिये, यह पूव पक्ष है ? इसका समाधान है कि इन तीनों कर्मों का अनुष्ठान प्रदान के क्रमानुसार होना चाहिये । प्रमाण से यह सिद्ध होता है ॥२-४॥ पूर्व पक्ष कहता है कि दर्शपूर्णमास याग के अनन्तर ज्योतिष्टोम याग करना कर्तव्य है ? इसका समाधान है कि कई शाखाओं में अग्न्याधान सम्बन्धी वाक्य पाया जाता है, तदनुसार ज्योतिष्टोम अग्न्याधान के पश्चात् होना चाहिये । विधान में अग्न्याधान ज्योतिष्टोम के अथ ही करने का वाक्य पाया जाता है । अग्न्याधान के पश्चात् ज्योतिष्टोम न करने वाले पुरुष के प्रति पवमान हवियों की कर्तव्यता का कथन किया गया है उससे भी यही नियम ठीक प्रतीत होता है । अग्न्याधान के अनन्तर ज्योतिष्टोम न करने वाले पुरुष को दशपूर्णमास याग करना अनिवाय हो जाता है ॥५-९॥ ब्राह्मण का ज्योतिष्टोम याग दर्शपूर्णमास याग से पूर्व होना चाहिये, क्योंकि उत्कर्षता के नियम से ऐसा ही विधान पाया जाता है ? यह पूर्व पक्ष है, इसके सम्बन्ध में आगाभी सूत्र में शङ्का करते हैं ॥१०॥

पौर्णमासी वा श्रुतिसयोगात् ॥११॥

सर्वस्य चैककर्मत्वात् ॥१२॥

स्याद्वा विधिस्तदर्थेन ॥१३॥

प्रकरणान्तु काल स्यात् ॥१४॥

स्वकाले स्यादविप्रतिषेधात् ॥१५॥

अपनयो वाऽऽवानस्य सर्वकालत्वात् ॥१६॥

पौर्णमास्यूर्ध्वं सोमाद् ब्राह्मणस्य वचनात् ॥१७॥

एक वा शब्दसामर्थ्यात्प्राक् कृत्स्नविधानम् ॥१८॥

पुरोडासस्त्यनिर्देशो सद्युक्त इत्युक्ताभावात् ॥१२॥  
 भाग्यमपीति चत् ॥२०॥

ब्रह्मनिष्कृत्योत्प्लोम क अनन्तर काल पौर्णमास याग करना ही बतव्य है, क्योंकि अर्धवार भाग्य में काल पौर्णमास सद्युक्त ही पाया जाता है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि उक्त भाग्य में 'पौर्णमास' सद्युक्त से 'दस्यपौर्णमास याग' का ही आशय है, क्योंकि वे दोनों मिल कर एक ही कर्म हैं ॥११-१२॥ यह भी हा सकता है कि उक्त भाग्य में 'पौर्णमास' सद्युक्त 'दस्यपौर्णमास' याग का परिचायक न हो बल्कि उससे ज्योतिष्मोम याग के ही किसी भाग्य अङ्ग के अनुष्ठान का अभिप्राय हो ? इसका समाधान यह है कि उक्त अर्धवार भाग्य में ज्योतिष्मोम याग के पश्चात् 'दस्यपौर्णमास' याग का आनन्द्य रूप काळ का विधान मानना ठीक है ॥१३-१४॥ पूर्व पक्ष है कि ज्योतिष्मोम याग अथवा काळ में होना चाहिये क्योंकि प्रधान होने के कारण उसके काळ में बाधा नहीं पड़ सकती ? इसका समाधान है कि विधान में ज्योतिष्मोम याग के काळ का आशय पाया जाता है, अग्न्याधान के काळ का नहीं ॥१५-१६॥ पर ब्राह्मण द्वारा दिये गये ज्योतिष्मोम याग के पीछे पौर्णमास याग का अनुष्ठान नियम से होना आवश्यक है ॥१७॥ दस्यो का अर्थ करने से यह भी प्रकट होता है कि 'अग्निपोमीय' से पूर्व ब्राह्मण कर्तृक ज्योतिष्मोम याग कर्तव्य है ॥१८॥ पर अन्तर के विधान में अग्निपोमीय क याग याग सद्युक्त न जाने से केवल पुरोडास याग का अर्थ प्रदूष करता ही उचित है ॥१९॥ दुसरा मत यह है कि उक्त अग्निपोमीय याग से आग्नेय याग का ग्रहण करना चाहिये ॥२०॥

न मिथ्येवतात्वादेन्ब्रह्मण्यत् ॥२१॥

बिहृत् प्रकृतिकामत्वात्सद्युक्ताभोत्तरा बिहृत्सद्युक्तो  
 प्रत्यक्षधिष्ठित्वात् ॥२२॥

इं महकाल्ये तु यथाभ्यायम् ॥२३॥

वचनाद्धैककाल्य स्यात् ॥२४॥

सान्नाय्याग्नीषोमीयविकारादूर्ध्वं सोमात्प्रकृतिवत् ॥२५॥

तथा सोमविकारा दर्शपूर्णमासाभ्यास ॥२६॥

उपरोक्त सूत्र के मत का समाधान करते हुये कहते हैं कि जैसे ऐन्द्राग्नि-याग मिश्र देवताक है वैसे ही आज्य-याग मिश्र भी देवताक है ॥२१॥ प्रकृति याग के अनन्तर होने वाले 'ऐन्द्राग्नि' आदि विकृति-याग एक दिन में पूर्ण होने वाले हो, क्योंकि विकृति यागों में प्रकृतिकालता का नियम है ॥२२॥ इस पर पूर्व पक्ष का कथन है कि उक्त यागों के दो दिन व्यापी होने पर भी 'प्रकृतिवाद विकृति कर्तव्या' इस वाक्य का विरोध नहीं होता ? इसका समाधान है कि उक्त याग एक ही दिन में हो, ऐसा वाक्य विशेष पाया जाता है ॥२३-२४॥ जैसे 'सान्नाय्य' तथा 'अग्निषोमीय' दोनों याग ज्योतिष्टोम के पश्चात् होते हैं वैसे ही उक्त दोनों यागों के विकृति याग पीछे होने चाहिये और जैसे सान्नाय्य तथा अग्निषोमीय याग के विकृति यागों का अनुष्ठान ज्योतिष्टोम याग के पीछे होता है वैसे ही ज्योतिष्टोम के विकृति यागों का अनुष्ठान 'दर्श पूर्णमास' याग के पीछे होना चाहिये ॥२५-२६॥

[ इस अध्याय में जिस 'कर्मों के क्रम' का निरूपण किया गया है वह एक ऐसा विषय है कि जिसका महत्व वर्तमान समय में बहुत थोड़े लोग ही हृदयगम कर सकते हैं । पर जिस युग में इस देश में यज्ञों की धूम थी और राजा तथा बड़े धनवान लोग ही यज्ञ-याग नहीं करते थे वरन् ब्राह्मण भी दान द्वारा प्राप्त सम्पत्ति को पुनः परोपकारार्थं यज्ञ कर्म में ही लगा देते थे, उस समय वे समस्यायें निरन्तर उठती रहती थी कि कौन कम पहले और कौन पीछे किया जाय । काल प्रभाव से ऐसी प्रथा और सस्थाओं में मतभेद उत्पन्न हो ही जाता है और विभिन्न सम्प्रदायों अथवा वशों के विद्वान् अपना प्रभाव और श्रेष्ठता प्रकट करने के लिये शास्त्र-वाक्यों के पृथक्-पृथक् अर्थ करके क्रियाओं के क्रम और

महत्त्व में हेर-फेर करने का प्रयत्न करते रहते हैं। यह देख कर महर्षि जैमिनि ने देस भर की मज्ज क्रियाओं में एककपता लागे के धिये मीमांसा-दर्शन की रचना की और उसमें ऐसा प्रयत्न किया कि यह सम्बन्धी समस्त मलभेदों और मिश्रताओं का अन्त हो जाय। इसलिये उन्होंने प्रत्येक विषय को शब्दा-समाधान या प्रस्नोत्तर के रूप में सिद्धादिदक प्रति शब्दों की शब्दाओं का निवारण हो जाय भवना महर्षि जैमिनि के अनुयायियों को आबल्यता पढ़ने पर अपनी प्रजाओ और रीति-नीति का समर्पण करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाय। यही कारण है कि उन्होंने प्रमाण और यौग यायो तथा अनरु भङ्गों के अनुष्ठान की विधियों का बहुत ही छान-बीन कर विवेचन किया और मूख सिद्धान्तों के साथ ही छोटी-बड़ी प्रत्येक क्रिया के सम्बन्ध में जो शब्दा प्रचलित थी उसका पूर्ण तरह निराकरण कर दिया।

यद्यपि अब प्राचीन यज्ञों का उस रूप में प्रचलन न रहने से छोप मीमांसा-दर्शन की बातों को सहज में समझ भी नहीं सकते और अनभेदित शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा जिन युक्तियों से क्रम दिया गया है उनके आशय को ठीक ढङ्ग से पहचान नहीं कर सकते तो भी यह विषय काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक है और कुछ न छोड़ी तो प्राचीनता के नाते ही प्रत्येक मनुष्य को इसका महत्त्व स्वीकार करना पड़ेगा। इससे उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर प्रशस्त पड़ता है और विदित होता है मज्ज प्रथा ने सामान्य जनता तथा विद्वेज वर्ग की ज्ञानों को भी किस प्रकार अभिभूत कर रखा था। ]

॥ चतुर्थ पाद समाप्त ॥

॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥



# षष्ठ अध्याय

## प्रथम पाद

[ पाँचवे अध्याय में यज्ञ-सम्बन्धी अनेक प्रकार के अनुष्ठानों, क्रियाओं तथा छोटे-बड़े यज्ञों का क्रम बतलाया गया है कि कौन-सा कर्म किस कर्म के आगे और कौन पीछे करना चाहिये, तथा यह भी कि आवश्यकता पडने पर उनमें किस प्रकार परिवर्तन करना शास्त्रानुकूल कहा जा सकता है। अब इस छठे 'अधिकाराध्याय' में यह निरूपण किया गया है कि यज्ञ कर्मों का अधिकार किसको है और किसको उनका निषेध है। ]

द्रव्याणा कर्मसयोगे गुणत्वेनाऽभिसम्बन्ध ॥१॥

असाधक तु तादर्थ्यात् ॥२॥

प्रत्यर्थं चाऽभिसयोगात् कर्मतो ह्यभिसम्बन्धस्तस्मात्कर्मो-  
पदेश स्यात् ॥३॥

फलार्थत्वात्कर्मण शारत्र सर्वाधिकार स्यात् ॥४॥

कर्तुर्वा श्रुतिसयोगाद्विधि वात्स्न्येन ऽगम्यते ॥५॥

लिङ्गविशेषनिर्देशात्पु युक्तमेतिशायन. ॥६॥

तदुक्तित्वाच्च दोषश्रुतिरविज्ञाते ॥७॥

जातिं तु बादरायणोऽविशेषात्, तस्मात् स्त्र्यपि प्रतीयेत,  
जात्यर्थस्याऽविशिष्टत्वात् ॥८॥

८ (अ) विभक्त्येति क्षेत्र ।

चोदितत्वाद्यथाश्रुति ॥९॥

द्रव्यवत्त्वात्तु पु सा स्याद् द्रव्यसयुक्त क्रयविश्रयाम्यामद्र-  
व्यत्व स्त्रीणा द्रव्यै समानयोगित्वात् ॥१०॥

पूर्व पक्ष का कथन है कि द्रव्य का कर्म-समय की दृष्टि से गौण स्थान है अर्थात् मुख्य नहै इस कर्म है और द्रव्य उसका साधन होने से गौण है ? इसका समाधान है कि यज्ञ का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति है । यहाँ पर स्वर्ग का आशय प्रीति प्रेम न है अतः यज्ञ-कर्म का मुख्य आशय स्वर्ग अथवा प्रीति ही है, उसे कर्म कहना उपयुक्त नहीं जान पड़ता । जब यह कहा जाता है कि 'स्वर्गं कश्चि यज्ञं करो' तब स्वर्ग ही प्रधान हुआ और यज्ञ उसका साधन बन गया ॥१३॥ क्योंकि यज्ञादि कर्मों से अन्न फल की प्राप्ति होती है और अन्न फल की इच्छा सब को होती है अतः यज्ञ का अधिकार स्त्री-पुरुष सब का है । वैदिक कर्मों के अधिकार सम्बन्धी श्रुतिशास्त्रों में स्त्रियों के यज्ञ करने का अधिकार विशेष नहीं है ॥४५॥ एतिसामय श्रुति का मत है कि 'श्रुति वाक्य' में पुच्छिज्ञ न कथन मिलता है इस कारण स्त्रियों का यज्ञाधिकार स्वीकार नहीं किया जा सकता । अज्ञान अथवा (धर्म) का हनन सम्बन्धी श्रुति से भी यज्ञ का अधिकारी पुरुष ही है ॥६७॥ पर बादरायण व्यास का मत है कि ब्रह्म-वाक्य में पुच्छिज्ञ समस्त मनुष्य जाति का वाक्य है न कि केवल पुरुषों का । इससे यज्ञाधिकार में स्त्रियों का भी अधिकार हुना चाहिये । ब्रह्म प्रतिपाद्य होने से स्त्रियों को भी यज्ञ का अधिकार है ॥८५॥ इसमें शक्य है कि यज्ञ द्रव्य द्वारा ही सम्पन्न हो सक्ता है और द्रव्य पुरुषों न ही अधिकार में रहता है । स्त्रियाँ तो खरीबी और बेची जाती हैं उनका धन पर अधिकार कैसे हो सक्ता है । ऐसी रक्षा में वे यज्ञ की अधिकारिणी बन कर उस विम प्रकार सम्पन्न कर सकती हैं ? ॥१॥

तथा पाश्याधदरामम् ॥११॥

तादर्थ्यात्स्वमतादर्थ्यम् ॥१२॥

क्यात्साहा विद्यायात् ॥१३॥

अथन च समवेतरमात् ॥१४॥

अथस्य धनमावस्यम् ॥१५॥



स्ववत्तामपि दर्शयति ॥१६॥

स्ववतोस्तु वचनादैः कर्म्यं स्यात् ॥१७॥

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१८॥

क्रीतत्वात् भक्त्या स्वामित्वमुच्यते ॥१९॥

फलार्थित्वात् स्वामित्वेनाऽभिसम्बन्ध ॥२०॥

स्त्रियो को उनके पिता, भाई आदि वेच देने हैं । इससे प्रतीत होता है कि उनका सम्पत्ति पर कोई स्वत्व नहीं होता । अगर वे स्वयं परिश्रम करके धनोपाजन करके यज्ञ करने की बात सोचें तो भी सम्भव नहीं । क्योंकि जब उन पर पति का अधिकार है तो उनका कमाया धन भी उसी का हो जाता है ? ॥११-१२॥ अब इसका समाधान करते हैं कि वैदिक कर्मों तथा पुण्य कर्मों का उत्साह पुरुषों की तरह स्त्रियो में भी देखा जाता है । याज्ञवल्क्य के पूछने पर मंत्रेयी ने अपना उद्देश्य मुक्ति ही बतलाया । विवाह-संस्कार के समय भी दम्पति को यह उपदेश दिया जाता है कि तुम दोनों मिल कर धर्म-अथ-काम का सम्पादन करो । इससे स्त्री भी धन की अधिकारिणा सिद्ध होती है । स्त्रियो के वेचने की बात गलत है । वह धम-क्रिया है जो विधि के अनुसार की जाती है । वेचना तो वह है कि एक निश्चिन रकम लेकर नीच-ऊँच का विचार न करके कैसे भी दे दिया जाय ॥१३-१५॥ शास्त्र में दम्पति का एक ही धम बतलाया गया है इससे स्त्रियाँ पति की सम्पत्ति में से उचित धर्म काय कर सकती हैं ॥१६॥ शास्त्र में स्त्री-पुरुष दोनों के लिए एक ही धर्म के बोधक वाक्य मिलते हैं । यह भी कहा गया है कि स्त्री-पुरुष दोनों को मिल कर एक कर्म करने से वह पूर्ण होता है ॥१७-१८॥ पूर्व पक्ष फिर कहता है कि जब स्त्री का मूल्य लेकर उसे दिया जाता है तब वह धन की स्वामिनी नहीं हो सकती ? ॥१९॥ इसका समाधान है कि स्त्री धम रूप फल को चाहती है, इसलिये धन से उसका भी सम्बन्ध सिद्ध होता है ॥२०॥

फलवत्तां च वशमति ॥२१॥

द्विधाधानं च द्वियज्ञवत् ॥२२॥

गुणस्य तु विधानत्वात्पत्न्या द्वितीयाद्यस्य स्यात् ॥२३॥

तस्या यावदुक्तमाशीर्षं ह्यभ्यर्चयितुस्तस्यात् ॥२४॥

चातुर्वर्ष्यमभिधानात् ॥२५॥

निर्देशाद्वा त्रयाणां स्यादभ्यासयेत्तसम्बन्धः कृत्युग्राह्यत्वं  
च्युतिरित्याशये ॥२६॥

निमित्तार्थं च यावरिस्तस्मात् सर्वाधिकारः स्यात् ॥२७॥

अपि वाज्याश्वदक्षनाद्यवाद्युतिं प्रतीयेत ॥२८॥

निर्देशात् पक्षः स्यात् ॥ २९॥

वैगुण्यात्प्रतिभेत् ॥३०॥

शास्त्र में भी स्त्री-पुरुष के मिला कर मङ्गल करने और उसके द्वारा फलवत्प्राप्त करने का कथन है ॥२१॥ पूर्व पक्ष है कि जहाँ विधान में भी पुरुषों के अभ्यासान करने का उल्लेख है वहाँ उसके आशय राजा और उसके पुरोहित के मिला कर मङ्गल करने से है? ॥२२॥ इसका समाधान है कि जो के अभ्यासान के उल्लेख में 'पुरुष' का आशय पत्नी से ही है साथ ही शास्त्र में यह भी आया है कि यद्यपि स्त्री की योग्यता वेदाभ्यास और आशीर्षक की दृष्टि से पुरुष के तुल्य नहीं होती पर उसे पक्ष में अभ्यासान का अधिकार है ॥२३॥ २४॥ पूर्व पक्ष है कि चारों वर्णों का वैदिक कर्मों में अधिकार । ब्राह्मणों के उक्त कर्मों में कोई विशेषता प्रकट नहीं होती । अनेक अर्थों का कथन है कि अति के कारणों से प्रमाणित होता है अभ्यासान का अधिकार ब्राह्मण सभी वैश्य तीन वर्णों का ही है और का उसके सम्बन्ध नहीं । यावरि अर्थात् वा मत्त है कि नैमित्तिक सामर्थ्य — योग्यता से अधिकार उत्पन्न होता है । इन दृष्टि वैदिक कर्मों में सब का अधिकार सिद्ध होता है । यजुर्वेद में भी कहा गया है कि जैसे परमात्मा वेद वाणी का एक ही उपदेश करता है वैसे

ही मनुष्यो को भी बिना भेदभाव के करना चाहिये ॥२५-२८॥ पूर्व पक्ष है कि वेदों में यात्रादि कर्मों का अधिकार तीन वर्णों को ही प्रतीत होता है । शूद्र ब्रह्म विद्या से रहित होते हैं, उनके लिये उपनयन विधि में व्रत का उल्लेख भी नहीं है, इससे उनका अधिकार नहीं हो सकता ?

॥२६-३०॥

न काम्यत्वात् ॥३१॥

संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥३२॥

अपि वा वेदनिर्देशादपशूद्रागा प्रतीयेत ॥३३॥

गुणार्थित्वान्नेति चेत् ॥३४॥

संस्कारस्य तदर्थत्वाद्विद्याया पुरुषश्चुति ॥३५॥

विद्यानिर्देशान्नेति चेत् ॥३६॥

अवेद्यत्वादभाव कर्मणि स्यात् ॥३७॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३८॥

स्रयाणा द्रव्यसम्पन्न कर्मणो द्रव्यसिद्धित्वात् ॥३९॥

अनित्यत्वात् नैव स्यादर्थसिद्धि द्रव्यसयोग ॥४०॥

उपर्युक्त कथन का समाधान करते हुये मीमासा का मत है शूद्रों में भी कामना पाई जाने से उनका अधिकार सिद्ध होता है । संस्कारों के कारण ब्राह्मणादि वर्णों की प्रधानता मानी जाती है, पर शूद्र भी अपनी योग्यता का प्रमाण देकर उपनयन और वैदिक कर्मों का अधिकारी बन सकता है ॥३१-३२॥ पूर्व-पक्षी फिर शङ्का करता है कि वेदों के कथन द्वारा ही यह प्रतीत होता है कि शूद्रों को इस प्रकार का अधिकार नहीं है । वेदों में 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' आदि वाक्य मिलता है, उसमें शूद्रों को पाद स्थानीय वतलाया है फिर वे वेदों का अध्ययन भी नहीं कर सकते ? इसका समाधान है कि उपनयन संस्कार विद्या के आधार पर होता है । इसलिये जो विद्या प्राप्त करले उसी का अधिकार माना जायगा ॥३३-३५॥ जब शूद्रों को विद्या का अधिकार नहीं तो वे विद्या

फरवत्तां च वर्धयति ॥ १॥

द्विधाधानं च द्विपञ्चवत् ॥२२॥

गुणस्य तु विधानत्वात्पत्न्या द्वितीयाशब्दः स्यात् ॥२३॥

तस्या यावदुक्तमाधीर्षो ह्यभ्यर्चयितुमर्थात् ॥२४॥

आतुर्वर्ष्यमभिधेयात् ॥२५॥

निर्वेशाद्वा त्रयाणां स्यादभ्यर्चयेत्सम्बन्धः क्रतुषु ब्राह्मण-  
श्रुतिरित्याशये ॥२६॥

निमित्तार्थे च यावरिस्तस्मात् सर्वाधिकारः स्यात् ॥२७॥

अपि वाऽभ्यर्चयितुं नान्यथाश्रुतिं प्रतीयेत ॥२८॥

निर्वेशात् पञ्च स्यात् ॥ २९॥

वगुण्याश्च ति भेत् ॥३०॥

साहच्य में भी स्त्री पुरुष के मिला कर यह करने और उसके द्वारा फलप्राप्त करने का कथन है ॥२१॥ पूरा पक्ष है कि जहाँ विधान में भी पुरुषों के अभ्यर्चन करने का उल्लेख है वहाँ उसका आशय राजा और उसके पुरोहित के मिला कर यह करने से है ॥२२॥ इसका समाधान है कि जो के अभ्यर्चन के उल्लेख में 'पुरुष' का आशय पत्नी से ही है साथ ही शास्त्र में यह भी आया है कि यद्यपि स्त्री की योग्यता वेदाभ्यर्चन और आधीर्षदि की दृष्टि से पुरुष के तुल्य नहीं होती पर उसे यह में अभ्यर्चन का अधिकार है ॥२३॥ पूर्व पक्ष है कि चारों वर्गों का वैदिक कर्मों में अधिकार । ब्राह्मणों में उक्त वर्गों में कोई विशेषता प्रकट नहीं होती । आशय यह कि यति के वाक्यों से प्रमाणित होता है अभ्यर्चन का अधिकार ब्राह्मण सभी वर्गों की वर्गों का ही है पूरा वा उससे सम्बन्ध नहीं । वादित्वात्पि वा मत है कि वैदिक कर्मों में सब का अधिकार सिद्ध होता है । यजुर्वेद में भी कहा गया है कि जैसे वरजातया वेद वाणी वा सब को उदरेण करता है वैसे

ही मनुष्यो को भी बिना भेदभाव के करना चाहिये ॥२५-२८॥ पूर्व पक्ष है कि वेदों में यात्रादि कर्मों का अधिकार तीन वर्णों को ही प्रतीत होता है । शूद्र ब्रह्म विद्या से रहित होते हैं, उनके लिये उपनयन विधि में व्रत का उल्लेख भी नहीं है, इसमें उनका अधिकार नहीं हो सकता ? ॥२६-३०॥

न काम्यत्वात् ॥३१॥

संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥३२॥

अपि वा वेदनिर्देशादपशूद्राणां प्रतीयेत ॥३३॥

गुणार्थित्वान्नेति चेत् ॥३४॥

संस्कारस्य तदर्थत्वाद्विद्यायां पुरुषश्रुति ॥३५॥

विद्यानिर्देशान्नेति चेत् ॥३६॥

अवैद्यत्वादभाव कर्मणि स्यात् ॥३७॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३८॥

द्वयाणां द्रव्यसम्पन्न कर्मणो द्रव्यसिद्धित्वात् ॥३९॥

अनित्यत्वात् नैव स्यादर्थसिद्धि द्रव्यसयोग ॥४०॥

उपर्युक्त कथन का समाधान करते हुये मीमांसा का मत है शूद्रों में भी कामना पाई जाने से उनका अधिकार सिद्ध होता है । संस्कारों के कारण ब्राह्मणादि वर्णों की प्रधानता मानी जाती है, पर शूद्र भी अपनी योग्यता का प्रमाण देकर उपनयन और वैदिक कर्मों का अधिकारी बन सकता है ॥३१-३२॥ पूर्व-पक्षी फिर शङ्का करता है कि वेदों के कथन द्वारा ही यह प्रतीत होता है कि शूद्रों को इस प्रकार का अधिकार नहीं है । वेदों में 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' आदि वाक्य मिलता है, उसमें शूद्रों को पाद स्थानीय वतलाया है फिर वे वेदों का अध्ययन भी नहीं कर सकते ? इसका समाधान है कि उपनयन संस्कार विद्या के आधार पर होता है । इसलिये जो विद्या प्राप्त करले उसी का अधिकार माना जायगा ॥३३-३५॥ जब शूद्रों को विद्या का अधिकार नहीं तो वे विद्या

के प्राण कैसे हो सकते हैं ? ॥३६॥ इसका समाधान है कि बिद्या का सामर्थ्य न होने से ही यह सूत्र कहा जाता है और उपनयन का अधिकारी नहीं माना जाता पर यदि वह विद्यान बन जाये तो वह भी अधिकारी है । इस प्रकार के व्यक्त ब्रह्महरण भी निकले हैं जैसे 'छान्दोग्य' उक्तिपर में सम्पत्काम वाचास का योग्यता के आधार पर अधिकारी मान किया गया था ॥३७-३८॥ अब पूर्व पक्ष है कि तीनो वर्गों में भी ब्रह्मज्ञान को ही यज्ञ का अधिकार ठे क्योंकि उनके ऊपर द्रव्य का होता प्रभाव है ? इसका समाधान है कि घनी या गरीब होना कोई स्थायी बात नहीं है । गरीब भी अबसर पाकर ब्रह्मज्ञान हो सकता है उस अधिकार सब को है ॥३९४॥

अङ्गहीनस्य तद्वर्मा ॥४१॥

उत्पत्तौ नित्यसंयोगात् ॥४२॥

अभ्यार्षेयस्य ह्यन स्यात् ॥४३॥

वधनाद्रथकारस्याधाने सनक्षेपत्वात् ॥४४॥

स्यायो वा कमसंयोगाच्छूद्रस्य प्रतिपिद्यत्वात् ॥४५॥

अकमत्वात् नैवं स्यात् ॥४६॥

आनर्षक्य च संयोगात् ॥४७॥

गुणायमिति चेत् ॥४८॥

उक्तमनिमित्तत्वम् ॥४९॥

सोपम्यनास्तु हीनत्वाग्म्यवर्णात् प्रतीयेत् ॥५०॥

स्पष्टतिनिपाद स्याच्छूद्रसामर्ष्यात् ॥५१॥

सिद्धदक्षनाच्च ॥५२॥

अङ्गहीन को भी बरिष्ठ वर्गों का अधिकार है । धर्म का संभव जायात्मा से है जो अङ्गहीन में भी होता है ॥४१-४२॥ जिसके तीन ऋषि न हो ऐसा ऋषिब्रह्म यज्ञ करने का अनधिकारी है ॥४३॥ एककार को अङ्गहीन करने का अधिकार ब्रह्मण्य वर्गों में जाया जाता है । यह

तीनों वर्णों का ही अङ्ग है । शास्त्रों में रथकार को शूद्र नहीं कहा गया है और उसे अधिकारी माना गया है ॥४४-४५॥ शूद्र को अग्न्याधान का अधिकार इसलिये नहीं दिया गया, क्योंकि वह कर्म रहित होता है । इसलिये उसे अग्न्याधान का अधिकार देने से अनर्थ हो सकता है ॥४६-४७॥ फिर शङ्का है कि विद्या का गुण प्राप्त करके तो शूद्र अग्न्याधान का अधिकारी बन सकता है ? इसका उत्तर है कि यह सिद्धान्त ठीक है, जाति का आधार योग्यता और सामर्थ्य पर ही है ॥४-४६॥ यह शङ्का है कि यदि ऊँच नीच का भेद कर्म पर है तो सुन्दर धनुषधारी क्षत्रिय सर्वोत्तम ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ मानने चाहिये । इसका उत्तर है कि वेदाध्ययन की दृष्टि से ब्राह्मण शीर्ष स्थानीय है इससे वे ही श्रेष्ठ हैं ॥५०॥ नौका बनाने वाले निपादों को यज्ञ का अधिकार है ऐसा प्रमाण मिलता है ॥५१-५२॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

पुरुषार्थैकसिद्धित्वात्तस्य तस्याधिकार स्यात् ॥१॥

अपि व्रोत्पत्तिसयोगाद्यथा स्यात् सर्व दर्शन तथाभावोऽ-  
विभागे स्यात् ॥२॥

प्रयोगे पुरुषश्रुतेर्यथाकामी प्रयोगे स्यात् ॥ ॥

प्रत्यर्थ श्रुतिभाव इति चेत् ॥५॥

तादर्थ्ये न गुणार्थताऽनुवृत्तेऽथन्तिरत्वत्कर्तुः प्रधानभूतत्वात्  
॥५॥

अपि वा कामनयोगे सम्प्रन्धात् प्रयोगायोपदिश्येत प्रत्यर्थ  
हि विधिधृतिविषाणावत् ॥६॥

अन्यस्यापीति चेत् ॥७॥

अन्यार्थेनामित्यम्ब ॥८॥

फलकामो निमित्तमिति चेत् ॥९॥ ~

न नित्यत्वात् ॥१०॥

मनुष्य का उस स्व कर्म कर्म काम मोक्ष—इस चार फलो की विधि है । इस कर्म के प्रत्येक कर्म वाले को अपने-अपने अधिकारानुसार प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥ जन्म काल के संयोग से अन्त करण की बनाबट—निर्माण जैसा हो जाता है उसी क अनुसार कर्म भेद भी हो जाता है ॥२॥ वेद में पुरुष को कर्मों का कर्ता माना गया है । तदनुसार प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतन्त्र होता है ॥३॥ अर्थात् होती है कि वेद में वा पुरुष को प्रत्येक काम में स्वतन्त्र कहा है, वा भी लोक में वह कर्मों में परत न विचार देता है ? इसका समाधान यह है कि कर्ता रूप से मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है पर उस कर्म का फल भोगने में परतन्त्र है । इसी से लक्ष्मी स्वतन्त्रता अपूर्व नाम पड़ती है ॥४॥ जिस प्रकार पशु अपने धीरे से बदन को बुझा सकता है और किसी वृद्ध से बिल कर भी उसी काम को कर सकता है, वह इस कार्य में स्वतन्त्र है पर इनके फल स्वरूप को बुझना या बसुझना उत्पन्न हो जाय उसे अनिवार्य रूप से मोचना होता ॥५॥ अर्थात् है कि एक व्यक्ति के निये हुए कर्म फल दूसरा व्यक्ति नहीं भोग सकता ? इस का उत्तर है कि इस प्रकार का कोई सम्बन्ध या नियम नहीं है ॥६॥ फिर अर्थात् है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के आचार्य कार्य करता हो उसका फल उस दूसरे को प्राप्त होता है । इसका उत्तर यही है कि कर्म के सम्बन्ध में परमात्मा का नियम अटक है, उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ सकता ॥७॥

कर्म लक्षणेति चेत् ॥११॥

न समवायात् ॥१२॥

प्रकामात्, नियम्येतारम्भस्य क्रियानिमित्तत्वात् ॥१३॥



फलार्थित्वाद्वाऽनियमो यथानुपक्रान्ते ॥१४॥

नियमो वा तन्निमित्तत्वात्कर्तुं स्तत्कारण स्यात् ॥ ५॥

लोके कर्मणि वेदवत्ततोऽधिपुरुषज्ञानम् ॥१६॥

अपराधेपि च तैः शास्त्रम् ॥१७॥

अशास्त्रात्तूपसम्प्राप्तिः, शास्त्रं स्यान्न प्रकल्पकं, तस्मादर्थेन  
गम्येताप्राप्ते वा शास्त्रमर्थवत् ॥१८॥

प्रतिषेधेष्वकर्मत्वात्क्रिया स्यात्प्रतिषिद्धानां, विभक्तत्वाद-  
कर्मणाम् ॥१९॥

शास्त्राणां त्वथवत्त्वेन पुरुषार्थो विधीयते, तयोरसमवायि-  
त्वात्तादर्थ्ये विध्यतिक्रमः ॥२०॥

फिर प्रश्न किया जाता कि एक के द्वारा कमाये धन का दूसरे को भोग करते हम प्रत्यक्ष देखते हैं ? तो इसका उत्तर है कि जीव का अपने कृत कर्मों के साथ जो सम्बन्ध है वह मिट नहीं सकता और जो दूसरे का धन भोग करने को पा जाता है तो वह उसके पुराने या नये कर्मों का ही फल होता है। यदि कभी किसी को बिना इस प्रकार के सम्बन्ध के किसी का धन मिल जाता है तो वह अपने आप ही नष्ट हो जाता है अथवा रोग दुर्घटना आदि कोई ऐसी बाधा उपस्थित हो जाती है जिससे वह उसका भोग कर ही नहीं सकता ॥ ११-१२ ॥ फिर शका है कि यदि प्रारब्ध की ऐसी प्रबलता है तो मनुष्य को कर्म करने में स्वतन्त्र कहना व्यर्थ है ? इसका उत्तर यह है कि प्रारब्ध रूप कर्म मनुष्य को केवल भोग देने के लिये होते हैं। वर्तमान समय के क्रियमाण कर्मों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनको मनुष्य यथावधि भला या बुरा करके आगे के लिये वैसी ही प्रारब्ध बना सकता है ॥१३॥ फिर शका है कि मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह भोग के लिये ही करता है। तब यदि प्रारब्ध द्वारा उसके भोग नियत हैं तो उसे उसी प्रकार

के कर्म करने पड़ेंगे । ऐसी अवस्था में उन कर्म करने में स्वतन्त्र नहीं रह सकते ? इनका उत्तर है कि प्रारम्भ द्वारा नियत पुरे भक्त भोयो को भोयता हुआ भी मनुष्य आयायी कर्मों को बिछी भी प्रचार कर सकता है ॥१४-१८॥ पूर्व परा बह्वा है कि जब कर्म विधि-विधान रूप किये जाते हैं तो संसा में मही बद का काम दे सकता है जस पर को मानने से क्या प्रयोजन है ? वेद को अपराध करने पर उसके लिये दण्ड देने वाला शास्त्र संसार में बनाया गया है उही प्रचार मनुष्य के प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक कार्यों के लिये भी लौकिक शास्त्र काम दे सकता है । यहाँ की क्या भावस्थिता है ? इसका उत्तर यह है कि इन्द्रियों से जसोचर विषया का ज्ञान वेदस्थ शास्त्र से ही हो सकता है । यदि ईश्वर और पारलौकिक विषया का ज्ञान अपने आप हो जाता तो शास्त्र को न मानने की बात नहीं आ सकती थी । शास्त्र का ज्ञान स्वता—(ईश्वर) का माध्यम से ही हो सकता है ॥१९-१९॥ निविद्य पराधों और कर्मों का ज्ञान शास्त्र द्वारा होता है ॥२॥

तस्मिन्तु सिध्यमानामि जननेन प्रवर्तरेत् ॥२१॥

अपि वा अदनुस्यत्पादुपायन प्रवर्तरेत् ॥२२॥

भ्रम्यागा तमोवपस्वात् पुण्यार्षो विधीयते ॥२३॥

त्वास्मिन्नगनवप्रर्थात् ॥२४॥

न वागम्य उपदिश्यते ॥२५॥

दृगनाशमलिच्छयानो काष्ठविधानम् ॥२६॥

नवामो परिशरस्थादायमन प्रवर्तते ॥२७॥

तथा द्वि लिच्छयदानम् ॥२८॥

तथाम्बु मुद्धानि ॥२९॥

आधागदुग्धमात्रेषु तथा स

वाग्दण्डव तु योमविद्याप्रवृत्त

शास्त्र का ज्ञान ईश्वर द्वारा

१९ ॥२०॥

१९ ॥२१॥

३६६

को माफता है। जो धारण इस प्रकार का उपदेश नहीं करता तो वह निरर्थक ही जाता है। मनुष्य को जन्म-माल से ही धारणों के विधान का पालन करना चाहिये ॥२१-२२॥ उपनिषद् विधि में चाहे सब कर्म वेदोक्त न हों, जो भी ममानुष्ठान होंगे से उनका पालन फर्तव्य है ॥२३॥ पूर्वोक्त कहता है कि अग्निहोत आदि कर्मों का विधान है अतः उनको निरन्तर करता रहे। इसका उत्तर यह है कि अनुष्ठान करना धार्मिकीय है, पर गत-दिन गये अग्निहोत करते रहना पराभव है। इसलिये उसे निगत समय पर ही विद्या जाना चाहिये ॥२४-२५॥ जैसे 'यक्षं गोर्णमास' यक्ष के लिये पूर्णपूर्वी तथा अमावस्या को करने का विधान बना विद्या गया है। तब प्रायः जोर सार्धकाल के

के कर्म करने पड़ेगे । ऐसी अवस्था में जैसे कर्म करने में स्वच्छन्द नहीं कह सकते ? इसका उत्तर है कि प्रारम्भ द्वारा नियत गुरे बल भोगों को भोगना हुआ भी मनुष्य आपामी कर्मों को किसी भी प्रकार कर सकता है ॥१४-१८॥ पूर्व पक्ष कहता है कि जब कर्म विधि-निषेध रूप किए जाते हैं तो संछा में नहीं कर का काम दे सकते हैं, अन्य वेद को मानने से क्या प्रयोजन है ? जैसे कोई अपराध करने पर उसके छिमे बन्ध देने वाला शास्त्र संछार में बनाया गया है उसी प्रकार मनुष्य के प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक कर्मों के सिद्धे भी लौकिक शास्त्र काम दे सकता है, ऐसा ही क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि इन्द्रियों से बगोचर विषयों का ज्ञान वेदस्य शास्त्र से ही हो सकता है । यदि ईश्वर और पारलौकिक विषयों का ज्ञान अपने आप हो जाता तो शास्त्र को में मानने की बात कही जा सकती थी । शास्त्र का ज्ञान बंधता—(ईश्वर) का आश्रय लेने से ही हो सकता है ॥१९ १९॥ नियत पक्षों और कर्मों का ज्ञान शास्त्र द्वारा होता है ॥२० ॥

सस्मिस्तु शिष्यमाणानि अनेनेन प्रवर्तरेत् ॥२१॥

अपि वा देवतुस्यत्वात्प्रायेण प्रवर्तरेत् ॥२२॥

अम्मासोऽकर्मक्षिपत्वात् पुस्वार्थो विधीयते ॥२३॥

एतस्मिन्नसम्बन्धवत् ॥२४॥

न कासेम्य उपविदधन्ते ॥२५॥

बर्षमात्कासकिक गानां कारुविधानम् ॥२६॥

तेषामौत्पत्तिकत्वादागनेन प्रवर्तते ॥२७॥

तथा हि लिङ्ग मबर्षनम् ॥२८॥

तयान्तःश्रु मुक्तानि ॥२९॥

आचारार्थगुणमागेषु तथा स्यात् पुस्वार्थत्वात् ॥३०॥

ब्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रबन्धमृषवाक्येन संयोगात् ॥३१॥

शास्त्र का बर्ष इदवज्ञम करने से ही मनुष्य का बर्षस्य गुरु

हो सकता है । जो शास्त्र इस प्रकार का उपदेश नहीं करता तो वह निरर्थक हो जाता है । मनुष्य को जन्म-काल से ही शास्त्रों के विधान का पालन करना चाहिये ॥२१--२२॥ उपनयन विधि में चाहे सब कर्म वेदोक्त न हो, तो भी वेदानुकूल होने से उनका पालन कर्तव्य है ॥२३॥ पूर्व पक्ष कहता है कि अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान है अतः उनको निरन्तर करता रहे । इसका उत्तर यह है कि अनुष्ठान करना आवश्यकिय है, पर रात-दिन सदैव अग्निहोत्र करते रहना असंभव है । इसलिये उसे नियत समय पर ही किया जाना चाहिये ॥२४--२६॥ जैसे 'दर्श पौर्णमास' यज्ञ के लिये पूर्णमासी तथा अमावस्या को करने का विधान बना दिया गया है । इसी प्रकार प्रातः और सायंकाल के समय यज्ञ करने का नियम भी पाया जाता है ॥२७--२९॥ जिस प्रकार 'दर्श पूर्णमास' आदि यागों का समय नियत है उसी प्रकार विकृत यागों का भी समय नियत किया गया है ॥३०॥ अब ब्राह्मण आदि के तीन ऋणों के विषय में पूर्वपक्ष कहता है कि जैसे दर्श पूर्णमास याग आदि करना नैमित्तिक नियम है उसी प्रकार आचार स्वरूप ब्रह्मचर्य आदि भी नैमित्तिक हैं ? इसका उत्तर है कि यज्ञ, ब्रह्मचर्य और प्रजा उत्पत्ति ये तीन कर्म तीन ऋणों को चुकाने के उद्देश्य से माने गये हैं, इसलिये ये नित्य व्रत हैं, नैमित्तिक नहीं हो सकते ॥३१-३२॥

॥ द्वितीय पाद समाप्त ॥

## तृतीय पाद

सर्वशक्तौ प्रवृत्तिः स्यात्तथाभूतोपदेशात् ॥१॥

अपि वाऽप्येकदेशे स्यात्प्रधानेह्यर्थनिवृत्तिर्गुणमात्रमितर-  
त्तदर्थत्वात् ॥२॥

तदकर्मणि च दोषस्तस्मात्ततो विशेषः स्यात्प्रधानेनाऽभि-  
सम्बन्धात् ॥३॥

के कर्म करने पड़ये । ऐसी अवस्था में उस कर्म करने में स्वतन्त्र नहीं कह सकते ? इसका उत्तर है कि प्रारम्भ द्वारा नियत कुरे भक्त मोनो को भोमता हुआ भी मनुष्य आपामी कर्मों को किसी भी प्रकार कर सकता है ॥१४-१८॥ पूर्व पक्ष कहता है कि जब कर्म विधि-नियम रूप किये जाते हैं तो संसा में वही वेद का काम दे सकते हैं अन्य वेद को मानने से क्या प्रयोजन है ? धर्म की अपराध करने पर उसके द्वि-बन्ध देने वाला शास्त्र संसार में बनाया गया है उसी प्रकार मनुष्य के प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक कार्यों के किये भी औचित्य शास्त्र काम दे सकता है वेदा की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि इन्द्रियो से अगोचर विषयों का ज्ञान वेदरूप शास्त्र से ही हो सकता है । यदि ईश्वर और पारलौकिक विषयों का ज्ञान अपने वाप हो जाता तो शास्त्र को न मानने की बात कही जा सकती थी । शास्त्र का ज्ञान देवता—(ईश्वर) का आशय लेने से ही हो सकता है ॥१९ १२॥

निषिद्ध पदार्थों और कर्मों का ज्ञान शास्त्र द्वारा होता है ॥२॥

तस्मिन्स्तु शिष्यमाणानि जननेन प्रवर्तन् ॥२१॥

अपि वा वेदतुस्यस्वाहुपायेन प्रवर्तन् ॥२२॥

अभ्यासाऽऽरुम्भित्वात् पुरुषार्थो विधीयते ॥२३॥

एषस्मिन्नसमवप्रपत्ति ॥२४॥

न कान्तेभ्य उपदिश्यन्ते ॥२५॥

दर्शनात्कामसिद्धिं गानां कामविधानम् ॥२६॥

तेषामौत्पत्तिकत्वादागमेन प्रवर्तते ॥२७॥

तथा हि किञ्च गवर्धनम् ॥२८॥

तथास्तःश्रुतु मुक्तानि ॥२९॥

आचारार्थेषु समाहोषु तथा स्यात् पुरुषार्थत्वात् ॥३॥

ब्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रबन्धमृषवाक्येन संयोगात् ॥३१॥

शास्त्र का सर्व हृदयङ्गम करने से ही मनुष्य का उद्देश्य पूरा

के समान ही समझे जाने चाहिए तो इसका उत्तर है कि सन्ध्या आदि न करने पर मनुष्य पर प्रत्यक्ष दोष आता है पर काम्य कर्मों में ऐसी कोई बात नहीं ॥१०॥

क्रियाणामाश्रितत्वाद्द्रव्यान्तरे विभाग. स्यात् ॥११॥

अपि वाऽव्यतिरेकाद्रूपशब्दाविभागाच्च गोत्ववदैककर्म्य-  
स्यान्नामधेय च सत्त्ववत् ॥१२॥

श्रुति प्रमाणत्वाच्छिष्टाभावेऽनागमोऽन्यस्याऽशिष्टत्वात् ॥१३॥  
क्वचिद्विधानाच्च ॥१४॥

आगमो वा चोदनार्थाविशेषात् ॥१५॥

नियमार्थं क्वचिद्विधि ॥१६॥

तन्नित्य तच्चिकीर्षा हि ॥१७॥

न देवताग्निशब्दक्रियमन्यार्थसयोगात् ॥१८॥

देवताया च तदर्थत्वात् ॥१९॥

प्रतिषिद्ध चाविशेषेण हि तच्छ्रुति ॥२०॥

यदि हवन किये जाने वाले पदार्थों में कुछ अन्तर पड़ जाय तो उसकी क्रिया में कोई अन्तर नहीं माना जायगा ॥ ११ ॥ द्रव्यों का भेद होने पर भी कर्म का भेद न होने से और रूप तथा शब्द में भी अन्तर न पड़ने से अग्निहोत्र की क्रियाओं को तत्त्वत एक ही माना जाता है जैसे गौओं में भिन्नता रहने पर वे सब एक 'गौ' जाति की ही मानी जाती हैं ॥ १२ ॥ पूर्व-पक्ष का कथन है कि श्रुति में जिस द्रव्य के हवन का उल्लेख है उसके स्थान पर अन्य द्रव्य का प्रतिनिधि रूप प्रयोग करने का कोईशास्त्रीय विधान नहीं है । यदि कहीं विधान में बतलाये द्रव्य का सर्वथा अभाव होने के कारण उसके स्थान में दूसरा द्रव्य ले लिया जाय तो अपवाद ही माना जायगा, उसे विधि नहीं कहा जा सकता ? ॥१३-१४॥ इसका समाधान है कि यज्ञ-विधि में 'चावल के स्थान पर सावा ले' इस प्रकार के द्रव्यान्तर के प्रमाण मिलते हैं ॥ १४ ॥ पर इस प्रकार का

कर्मभिरेव तु वैमिनि प्रमोगवचनेकत्वात् सर्वेषामुपदेशः  
स्यात् ॥५॥

अथस्य व्यपवर्गित्वादेकस्यापि प्रमोमे स्याद्यथा  
कृत्वन्तरेषु ॥५॥

विष्यपरत्वे च दर्शनात्समाप्ते ॥६॥

प्रायश्चित्तविधानाच्च ॥७॥

काम्येषु चैवमर्थित्वात् ॥८॥

अस्ययोगात् नैव स्याद्विधे शब्दप्रमाणत्वात् ॥९॥

अकर्मणि चाप्रत्ययात् ॥१०॥

सर्वं चरित्रों के लीक परमात्मा की ओर प्रवृत्त होना प्राणियों का धर्म है । यथादि का अनुष्ठान भी परमात्मा की ओर प्रवृत्ति के लिये ही किया जाता है । पर ये साधन बड़ और एक वैधीय हैं । परमात्मा में सच्ची और पूरी प्रवृत्ति होने से ही मनुष्य सबसे बड़े धाम का मागीदार बनता है । अन्य गुण-गुण उपार्जना [आदि पीक है ॥१-२॥ परमात्मा की तरफ से उदासीन रहना दोष की बात है इसलिये मनुष्य को उचित व्यवसाय सम्बन्ध षोकता चाहिए ॥३॥ आचार्य वैमिनि का मत है कि प्रमोमे में एक बचन का व्यवहार होने से सब पापार्थों में कर्मों में अन्वेष है और सब अज्ञों का कथन है ॥४॥ एक प्रकार के अनुष्ठानों में समानता पावे जाने से सब पापार्थों की विधियाँ एक-ही देखने में आती हैं ॥५॥ अल्ल कर्मों की पूर्ति में विधान तथा दोष एक समान माना जाने से कर्मों को एक मानना चाहिए ॥६॥ इतीहिए इनके प्रायश्चित्त के विधान में भी एकता पाई जाती है ॥७॥ अंका है कि काम्य कर्मों में भी अर्थों सब पापार्थों में एक-ठा पाया जाता है, उचित ही अर्थ सिद्ध होता है ? ॥८॥ समाधान है कि विधि रूप सत्य प्रमाण के पावे जाने से ऐसा नहीं हो सकता और अनुष्ठीय होने से भी ठीक नहीं ॥९॥ अदि यह कहा जाय कि फिर तो काम्य-कर्म उपाया बन्धनारिक



के समान ही समझे जाने चाहिए तो इसका उत्तर है कि सन्ध्या आदि न करने पर मनुष्य पर प्रत्यक्ष दोष आता है पर काम्य कर्मों में ऐसी कोई बात नहीं ॥१०॥

क्रियाणामाश्रितत्वाद्द्रव्यान्तरे विभाग स्यात् ॥११॥

अपि वाऽव्यतिरेकाद्रूपशब्दाविभागाच्च गोत्ववदैककर्म्यं-  
स्यान्नामधेयं च सत्त्ववत् ॥१२॥

श्रुति प्रमाणत्वाच्छिष्टाभावेऽनागमोऽन्यस्याऽशिष्टत्वात् ॥१३॥  
क्वचिद्विधानाच्च ॥१४॥

आगमो वा चोदनार्थाविशेषात् ॥१५॥

नियमार्थं क्वचिद्विधि ॥१६॥

तन्नित्य तच्चिकीर्षा हि ॥१७॥

न देवताग्निशब्दक्रियमन्यार्थसयोगात् ॥१८॥

देवताया च तदर्थत्वात् ॥१९॥

प्रतिषिद्ध चाविशेषेण हि तच्छ्रुति ॥२०॥

यदि हवन किये जाने वाले पदार्थों में कुछ अन्तर पड़ जाय तो उसकी क्रिया में कोई अन्तर नहीं माना जायगा ॥ ११ ॥ द्रव्यो का भेद होने पर भी कर्म का भेद न होने से और रूप तथा शब्द में भी अन्तर न पड़ने से अग्निहोत्र की क्रियाओं को तत्त्वत एक ही माना जाता है जैसे गौओं में भिन्नता रहने पर वे सब एक 'गौ' जाति की ही मानी जाती है ॥ १२ ॥ पूर्व-पक्ष का कथन है कि श्रुति में जिस द्रव्य के हवन का उल्लेख है उसके स्थान पर अन्य द्रव्य का प्रतिनिधि रूप प्रयोग करने का कोईशास्त्रीय विधान नहीं है । यदि कहीं विधान में बतलाये द्रव्य का सर्वथा अभाव होने के कारण उसके स्थान में दूसरा द्रव्य ले लिया जाय तो अपवाद ही माना जायगा, उसे विधि नहीं कहा जा सकता ? ॥१३-१४॥ इसका समाधान है कि यज्ञ-विधि में 'चावल के स्थान पर सावा ले' इस प्रकार के द्रव्यान्तर के प्रमाण मिलते हैं ॥ १४ ॥ पर इस प्रकार का

प्रतिनिधि द्रव्य भी नियम के भीतर रह कर ही केना चाहिये क्योंकि वहाँ किसी द्रव्य को सामान्य रूप से लिया जाता है वहाँ उक्त भी एक नियम बन जाता है ॥ १६ ॥ अर्थात् है कि यदि यज्ञ में सोप अथवा उक्तका प्रतिनिधि द्रव्य न किया जाय तो क्या हानि है ? उत्तर है यदि इन दोनों में से कोई न होया तो यज्ञ की पूर्ति नहीं हो सकती ॥ १७ ॥ पर देवता अग्नि मंत्र और प्रसा आदि कर्म का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा करने से यज्ञ का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है । देवता यज्ञ का मुख्य विषय है ॥ १८ १९ ॥ निषिद्ध पदार्थों ( जैसे मद्य मांस आदि ) का यज्ञ में पूर्ण निषेध है ॥ २ ॥

तथा स्वामिनः फलसामवायात् फऽस्य कर्मयोगित्वात्

॥२१॥

बहूनां तु प्रवृत्तावस्यमागमयेद्वैगुण्यात् ॥२२॥

स स्वामी स्यात्सयोगात् ॥२३॥

कर्मकरो वा स्वीतत्वात् ॥२४॥

तस्मिन् फलदर्शनात् ॥२५॥

स तद्वर्मा स्यात्तत्कर्मसयोगात् ॥२६॥

सामान्य तच्चिकीर्षा हि ॥२७॥

निर्वेष्टात् विक्रम्ये यत्प्रवृत्तम् ॥२८॥

असम्भ्रमिति चेत् ॥२९॥

नाऽनङ्गत्वात् ॥३०॥

क्योंकि यज्ञ का स्वामी अथवा यजमान उक्तका कर्म करके फल प्राप्त करता है इस किये उक्तका भी प्रतिनिधि नहीं हो सकता पर यदि एक यज्ञ में अनेक यजमान हो और यज्ञ होते-होते उनमें से कोई मर जाय तो सोप अथवा यज्ञ की पूर्ति के किये वहाँ किसी द्रव्य को सम्मिश्रित करके स्वाम की पूर्ति करके और यज्ञ की विधि-पूर्वक सम्पन्न कराये ॥२१ २२॥ उक्त है कि क्या उक्त प्रतिनिधि यज्ञ-फल का स्वामी माना जायगा ? इसका

उत्तर है कि वह तो एक भृत्य अथवा कार्यकर्ता के समान यज्ञ की क्रियाओं का निर्वाह करता है वह फल का स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र फल का अधिकारी स्वामी ही माना जाता है, नौकर नहीं माना जाता ॥ २३-२४ ॥ पर चू कि वह यज्ञमान का स्थानापन्न होता है । इसलिये वह यज्ञमान के घर्म वाला होता है ॥२६॥ अब हवनोपयोगी द्रव्यों के मिलते-जुलते प्रतिनिधियों का विवरण देते हैं कि चावल के स्थान पर नीवार (सावाँ) का प्रयोग किया जा सकता है । खदिर की लकड़ी के यूप के स्थान में पलाश की लकड़ी का यूप बनाया जा सकता है । इसमें शका की जाय कि इसका क्या प्रमाण है, तो विधान में खदिर और पलाश दोनों का यूप लिखा है । इसका आशय यही है कि पहले खदिर का ही ले जब वह न मिले तो पलाश का लेने ॥ २७-३० ॥

वचनाच्चाऽन्याय्यमभावे तत्सामान्येन प्रतिनिधिरभावा-  
दितरस्य ॥३१॥

न प्रतिनिधौ समत्वात् ॥३२॥

स्याच्छ्रुतिलक्षणे नित्यत्वात् ॥

न तदीप्सा हि ॥३४॥

मुख्याधिगमे मुख्यमागमो हि तदभावात् ॥३५॥

प्रवृत्तेऽपीति चेत् ॥३६॥

नानथकत्वात् ॥३७॥

द्रव्यसंस्कारविरोधे द्रव्य तदर्थत्वात् ॥३८॥

अर्थद्रव्यविरोधेऽर्थो द्रव्याभावे तदुत्पत्तेर्द्रव्याणामर्थशेष-  
त्वात् ॥३९॥

त्रिधिरप्येकदेशे स्यात् ॥४०॥

अपि वाऽर्थस्य शक्यत्वादेकदेशेन निर्वर्ततेतार्थानामविभक्त-  
त्वाद्गुणमात्रमितरत्तदर्थत्वात् ॥४१॥

पर प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं लिया जाता । जैसे सोम के

प्रतिनिधि ब्रह्म भी नियम के भीतर रह कर ही जेना बाह्ये क्योकि वहाँ किसी ब्रह्म को सामान्य रूप से किया जाता है वहाँ उसका भी एक नियम बन जाता है ॥ १६ ॥ लंका है कि यदि यज्ञ में छोम बचवा उसका प्रतिनिधि ब्रह्म न किया जाय तो क्या हानि है ? उत्तर है यदि इन दोनों में से कोई न होना तो यज्ञ की पूर्ति नहीं हो सकती ॥ १७ ॥ पर देवता अग्नि मंत्र और प्रसा आदि कर्म का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योकि ऐसा करने से यज्ञ का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है । देवता यज्ञ का मुख्य विषय है ॥ १८ १९ ॥ निषिद्ध पदार्थों ( जैसे मद्य मांस आदि ) का यज्ञ में पूर्ण निषेध है ॥ २ ॥

तथा स्वामिना फलसामवायान् फलस्य कर्मयोगित्वात्

॥२१॥

बहूनां तु प्रवृत्तावस्यमायमयेदभेदगुण्यात् ॥२२॥

स स्वामी स्यात्सयोगात् ॥२३॥

कर्मकरो वा श्रौतत्वात् ॥२४॥

तस्मिन्नेव फलवर्धनात् ॥२५॥

स सद्धर्मा स्यात्तत्कर्मसंयोगात् ॥२६॥

सामान्य सञ्चिकीर्षा हि ॥२७॥

निर्वेद्यात् विकल्पे यत्प्रवृत्तम् ॥२८॥

अशक्यमिति चेत् ॥२९॥

नाज्जज्ञत्वात् ॥३०॥

क्योकि यज्ञ का स्वामी बचवा यजमान उसका कर्म करके फल प्राप्त करता है इस किये उसका भी प्रतिनिधि नहीं हो सकता पर यदि एक यज्ञ में बनेक यजमान हों और यज्ञ होते-होते उनमें से कोई मर जाय तो शेष बचों की पूर्ति के किये वहाँ किसी ब्रह्म को सम्मिलित करके स्वाम की पूर्ति करले और यज्ञ की विधि-पूर्वक सम्पन्न करावे ॥२१ २२॥ उक्त है कि क्या उक्त प्रतिनिधि यज्ञ-फल का स्वामी माना जायगा ? इसका

उत्तर है कि वह तो एक भृत्य अथवा कार्यकर्ता के समान यज्ञ की क्रियाओं का निर्वाह करता है वह फल का स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र फल का अधिकारी स्वामी ही माना जाता है, नौकर नहीं माना जाता ॥ २३-२४ ॥ पर चू कि वह यजमान का स्थानापन्न होता है । इसलिये वह यजमान के धर्म वाला होता है ॥२६॥ अब हवनोपयोगी द्रव्यों के मिलते-जुलते प्रतिनिधियों का विवरण देते हैं कि चावल के स्थान पर नीवार (सावों) का प्रयोग किया जा सकता है । खदिर की लकड़ी के यूप के स्थान में पलाश की लकड़ी का यूप बनाया जा सकता है । इसमें शक्यता की जाय कि इसका क्या प्रमाण है, तो विधान में खदिर और पलाश दोनों का यूप लिखा है । इसका आशय यही है कि पहले खदिर का ही ले जब वह न मिले तो पलाश का लेले ॥ २७-३० ॥

वचनाच्चाऽन्याय्यमभावे तत्सामान्येन प्रतिनिधिरभावा-  
दितरस्य ॥३१॥

न प्रतिनिधी समत्वात् ॥३२॥

स्थाच्छ्रुतिलक्षणो नित्यत्वात् ॥

न तदोप्सा हि ॥३४॥

मुख्याविगमे मुख्यमागमो हि तदभावात् ॥३५॥

प्रवृत्तेऽपीति चेत् ॥३६॥

नानर्थकत्वात् ॥३७॥

द्रव्यसंस्कारविरोधे द्रव्य तदर्थत्वात् ॥३८॥

अर्थद्रव्यविरोधेऽर्थो द्रव्याभावे तदुत्पत्तेर्द्रव्याणामर्थशेष-  
त्वान् ॥३९॥

त्रिधिरप्येकदेशे स्यात् ॥४०॥

अपि वाऽर्थस्य शक्यत्वादेकदेशेन निर्वर्ततेतार्थानामविभक्त-  
त्वाद्गुणमात्रमितरत्तदर्थत्वात् ॥४१॥

पर प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं लिया जाता । जैसे सोम के

न मित्रने पर 'पूठिका' नाम की कथा से काम चलाया जाता है । यदि पूठिका भी न मित्रे तो उसकी जगह अन्य इन्द्र्य को प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता ॥ ३१ ३२ ॥ पूर्व पक्ष है कि यदि अन्य पर्याय प्रतिनिधि से मित्रता हो तो उसे उसका प्रतिनिधि बना सकते हैं ? पर यह तर्क ठीक नहीं है । पहले तो 'सोम' ही मुख्य की उसके अभाव में उससे मित्रता-बुद्धि 'पूठिका' ग्रहण की गई । जब यदि उसकी जगह कोई अन्य इन्द्र्य किया जाय तो उसकी समता पूठिका से होगी सोमका तो नाम ही उड़ गया यह निमग्न विच्छेद है ॥ ३३ ३४ ॥ इस विवेचन से निश्चय होता है कि यदि मुख्य इन्द्र्य का मित्रता असम्भव हो तो ही उसका प्रतिनिधि इन्द्र्य केना उचित है ॥ ३५ ॥ यदि यज्ञ सम्बन्धी गुणों का अभाव बना केने के परभाव भी मुख्य इन्द्र्य मित्र जाय तो उसी को केना चाहिये यह पूर्व पक्ष है ? ॥ ३६ ॥ इसका समाधान है कि उस समय मुख्य इन्द्र्य का केना निरर्थक है ॥ ३७ ॥ यदि मुख्य इन्द्र्य उत्कार हीन और प्रतिनिधि संस्कारित है तो भी मुख्य इन्द्र्य को ही ग्रहण करना चाहिये क्योंकि वह यज्ञ का अंग है ॥ ३८ ॥ पूर्व पक्ष का कथन है कि इस सम्बन्ध में प्रयोजन की पूर्ति को लक्ष्य देख कर मुख्य और प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिये ॥ ३९ ॥ यदि मुख्य इन्द्र्य अल्प हो प्रतिनिधि पर्याप्त हो तो भी मुख्य इन्द्र्य केना महत्त्वपूर्ण है । अथवा मुख्य इन्द्र्य द्वारा प्रधान कर्मों की सिद्धि करनी चाहिये और प्रतिनिधि इन्द्र्य को अल्प म होने वाले नीच वृक्षों में काम में लाना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥

॥ तृतीय पाद समाप्त ॥

## चतुर्थ पाद

देवाद्भ्यश्चैवदाननाद्ये स्यात्तदर्थत्वात् ॥१॥

निर्देशाद्वाज्यभागमयेत् ॥२॥

अपि वा श्रेयमात्रा स्याद्विधिद्वयकारणात् ॥३॥

निर्देशान्छेपभक्षोऽन्यै प्रवानवत् ॥४॥

सर्वैर्वा समवायात्स्यात् ॥५॥

निर्देशस्य गुणार्थत्वम् ॥६॥

प्रधाने श्रुतिलक्षणम् ॥७॥

अश्ववदिति चेत् ॥८॥

न चोक्ष्णाविरोधात् ॥९॥

अर्थसमवायात्प्रायश्चित्तमेकदेशेऽपि ॥१०॥

हवन के लिये जो पुरोडाश रखा गया है वह समाप्त हो जाय तो यज्ञ-शेष के लिये रखे हुये पुरोडाशो से हवन करना चाहिये । क्योंकि वह इसी लिये होता है । शास्त्र मे उसे इसी लिये कहा है । मुख्य उद्देश्य यज्ञ है और सब पुरोडाश उसी के लिये बनाये जाते हैं ॥ १-३ ॥ पूर्वपक्ष का कथन है कि यज्ञ कराने वाले ऋत्विजो को यज्ञ-शेष भक्षण करना चाहिये, ऐसा निर्देश पाया जाता है । इसका समाधान है कि यज्ञ-शेष सब लोगो को मिल कर भक्षण करना चाहिये । सभी लोग जो किसी रूप मे यज्ञ मे भाग लेते हैं उसके अधिकारी हैं ॥ ४-६ ॥ यदि यह कहा जाय कि वह यजमान और ऋत्विजो को भक्षण करना चाहिये, तो वह विषय गौण है ॥ ७ ॥ प्रधान यजमान पुरोडाश-भक्षण करे, यह वाक्य उपलक्षण मात्र है ॥७॥ पूर्व पक्ष का कथन है कि जिन यज्ञो पशु बलि होता है उनमे यज्ञ-शेष-भक्षण एक अनर्थ ही होगा । इसका समाधान है कि मास-भक्षण का प्रश्न उठाना ही व्यर्थ है । शास्त्रो मे ऐसे पाप-कर्म का सर्वथा निषेध है । मास भक्षण की बातें सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है ॥८-९॥ पूर्व पक्ष है कि पुरोडाश सेंकने के कपालादिक का एक भाग टूट जाने पर प्रायश्चित्त करना चाहिये क्योंकि एक भाग से समस्त वस्तु का सयोग होता है ? ॥ १० ॥ इसका उत्तर आगे देते हैं ।

न त्वशेषे वैगुण्यात्तदर्थं हि ॥११॥

स्याद्वा प्राप्तनिमित्तत्वात्तद्धर्मो नित्यसयोगान्न हि तस्य गुणार्थत्वेनानित्यत्वात् ॥१२॥

गुणानां च परार्थत्वाद्भवनाद् व्यपाद्यम' स्यात् ॥१३॥

भेदार्यमिति चेत् ॥१४॥

नाद्येषभूतत्वात् ॥१५॥

अन्यकश्च सर्वनाथे स्यात् ॥१६॥

क्षामे तु सर्ववाहे स्यादकदेशस्याज्यवर्णीयत्वान् ॥१७॥

वशमाह कदेशे स्यात् ॥१८॥

अन्येन वैतच्छास्त्रादि कारणप्राप्ति ॥१९॥

तद्वि सम्बन्धिति चेत् ॥२०॥

उपरोक्त संज्ञा वा उत्तर देते हृद्ये कहते हैं कि एक भाग के विकारयुक्त होने पर प्रायश्चित्त अभावश्यक है सम्पूर्ण के गड़ होने पर प्रायश्चित्त होता चाहिये। सब द्रव्य यथार्थ होते हैं। एक भाग के गड़ हो जाने से सम्पूर्ण परार्थ यह भयोम्य नहीं हो सकता। विकारवि पुष्प-बोव मुख्य नहीं, परार्थ ही मुख्य है। इस क्रिये सब एक द्रव्य काम लायक हो उसके क्रिये प्रायश्चित्त का प्रश्न नहीं उठता ॥ ११-१३ ॥ फिर संज्ञा करते हैं कि विकार परार्थ का नाश करने बाका होता है ? उत्तर है कि विकार अज्ञक्य होने से प्रायश्चित्त योग्य नहीं। विस्तुप्त गड़ हो जाने पर परार्थ यह के भयोम्य होता है ॥१४-१६॥ इसी प्रकार संज्ञा होती है कि पुरोडास का एक भाग एक जाने पर प्रायश्चित्त करना चाहिये या नहीं ? तो इसका उत्तर भी यही है कि सब के द्रव्य हो जाने पर प्रायश्चित्त करना चाहिये एक भाग पर नहीं। क्योंकि ऐसा करने से तो सब के क्रिये कोई पुरोडास नहीं मिछ सकेमा। प्रत्येक पर कहीं न कहीं बजने का चिन्ह हो ही जाता है। संज्ञा करते हैं कि विधान में तो कहा गया है कि पुरोडास बजने पर प्रायश्चित्त क्रिया जाय ? इसका उत्तर है कि नहीं सबके बज जाने वा जापन है एक बज के बजने की बात नहीं है। इसका अर्थ यही है कि पुरोडास एक एक जाप तो जाय पुरोडास द्वारा आहुति प्रदान करे ॥ १७-१८॥ फिर संज्ञा करते हैं कि विधान में तो



पुरोडाश द्वारा ही आहुति देने की बात है अन्य हवि का प्रयोग कैसे हो सकता है ? ॥२०॥

स्यादि ज्यागामी हवि शब्दस्तल्लिगसयोगात् ॥२१॥

यथाश्रुतीति चेत् ॥२२॥

न तल्लक्षणत्वादुपपातो हि कारणम् ॥२३॥

होमाभिषवभक्षण च तद्वत् ॥२४॥

उभाभ्या वा न हि तयोर्धर्मशास्त्रम् ॥२५॥

पुनराधेयमोदनवत् ॥२६॥

द्रव्योत्पत्तोश्चोभयो स्यात् ॥२७॥

पञ्चशरावस्तु द्रव्यश्रुते प्रतिनिधि स्यात् ॥२८॥

चोदना वा द्रव्यदेवताविधिरवाच्ये हि ॥२९॥

स प्रत्यामनेत्स्थानात् ॥३०॥

उत्तर है कि विधान में जो शब्द है उससे यज्ञ सम्बन्धी कर्म का बोध होता है जले हुये पुरोडाश से उसका आशय नहीं है ॥ २१ ॥ पूर्व-पक्ष कहता है कि यदि प्रातः संध्या के हवन में चूक हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त पाँच प्याला चावल दान देकर करना चाहिये ? इसका उत्तर है कि हवन में चूकने से 'प्रत्ययवाय' दोष होता है । चावल दान देने से उसका प्रायश्चित्त नहीं होता ॥ २२-२३ ॥ अन्य यज्ञ शेष के समान हवन के पदार्थ और अभिषव ( कुटे हुये सोम ) का भक्षण दोनों प्रकार के ( आहुति देने वाले तथा सोम को कूटने वाले ) ऋत्विज कर सकते हैं ॥२४-२५॥ जैसे नियत समय पर भोजन न हो पाये तो उसे पुनः करना चाहिये, इसी प्रकार सूर्योदय के पूर्व अग्न्याधान न हुआ हो तो उसे फिर करना चाहिये । दोनों काल (प्रातः साय) हवन करने से द्रव्य की उत्पत्ति होती है ॥ २६-२७ ॥ 'पच शराव' कर्म 'सानाय्य' के स्थान में प्रतिनिधि कहा गया है । अथवा 'पच शराव' कर्म इन्द्रिय अगोचर परमात्मा के प्रति द्रव्य रूप में प्रेरणा देने का विधान है ॥ २८-२९ ॥ इसमें शका है कि

'पंच शराव' कर्म को ती दर्शनार्थ का प्रतिनिधि कहा गया है ? ॥ ३ ॥  
इसका उत्तर माने देते हैं—

अङ्गविधिविर्वा निमित्तसंयोगान् ॥३१॥  
विदवजिव प्रवृत्ते भाव कर्मणि स्यात् ॥३२॥  
निष्क्यवावाक्य ॥३३॥  
वत्ससंयोगे दत्तघोदना स्यात् ॥३४॥  
कामो वोत्पन्नसंयोगघघोक्तस्य ॥३५॥  
अर्थापरिमाणाच्च ॥३६॥  
वत्सस्तु यत्तिसमोयात् सवङ्ग स्यात् ॥३७॥  
कामस्तु स्मावचोदनात् ॥३८॥  
अनयकदश्च कर्मसंयोगे ॥३९॥  
द्वयचनान्च स्वद्यब्दस्य ॥४०॥

'पंच शराव' का विधान अभावस्या की क्रिया जाता है, अतः यह दर्शनार्थ का एक अङ्ग हो सकता है परन्तु प्रतिनिधि नहीं हो सकता ॥३१॥  
विस्वमित्त मोक्ष जो घट्ट को नीतकर किना जाता है । यह कर्मों में प्रवृत्त करने वाला है । परन्तु कर्ता किसी के बधीभूत न होकर स्वतंत्र होता है और इसके इस यात्र का फल सर्वोपरि है ॥ ३२ ३३ ॥ दर्शनपूर्व मास यात्र में व्रत करने में पूर्व पक्ष है कि यह बछड़ों के दूध पीने के समय करना चाहिये । समाधान है कि यह बछड़े दूध के किये छोड़े बर्से पर समय से यथमान को व्रत आरम्भ करना चाहिये । यहाँ 'वत्स' या बछड़ा शब्द स्पष्टि के किये नहीं बल्कि काक के किये जाया है । इसमें पूर्व पक्ष है कि अति में "वत्से नामावास्यामात्" का जो विधान है परन्तु तो प्रतीत होता है निर्बत्स ही व्रत के अङ्ग हैं ? उत्तर है कि उस विधान से व्रत के काक का ही निर्बत्स है व्रत की विधि की वहाँ बर्ना नहीं है व्रत कर्म के सम्बन्ध में व्रत की बर्ना निर्बत्स है । 'वत्स' के किये भी शब्द काम में जाता है यह व्रत के किये प्रमोद नहीं किना जा सकता ॥ ३४ ४ ॥

कालश्चेत्सन्नयत्पक्षे तल्लिङ्गसयोगात् ॥४१॥

कालार्थत्वाद्बोभया प्रतीयेत ॥४२॥

प्रस्तरे शाखाश्रयणवत् ॥४३॥

कालविधिवोभयोर्विद्यमानत्वात् ॥४४॥

अतत्सस्कारार्थत्वाच्च ॥४५॥

तस्माच्च विप्रयोगे स्यात् ॥४६॥

उपवेपश्च पक्षे स्यात् ॥४७॥

अब पूर्व पक्ष है कि यदि 'वत्स' शब्द से काल का अर्थ लिया जाय तो 'सनयत' (दूध और दही मिलाने का कर्म) से उस कर्म के काल को लेना चाहिये क्योंकि ये दोनो काल के अर्थ में ही पाये जाते हैं ? ॥४१-४२॥ इसका समाधान है कि जब रात्रि के समय हवनीय द्रव्य की शाखा तोड़ी जाती है तो उसी सध्याकाल से यजमान व्रत करे। जिस समय शाखा दोहन और कुशा के उखाडने का कार्य होता है उस समय व्रत से रहना चाहिये। प्रातः काल यजमान के व्रत करने का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि प्रातः काल तो दर्श-याग करना ही है। अतः उसे पहले दिन सध्या से ही व्रत करना चाहिये ॥ ४३-४७ ॥

॥ चतुर्थं पाद समाप्त ॥

## पंचम पाद

अभ्युदये कालावराधादिज्याचोदना स्याद्यथा पञ्चशरावे

॥१॥

अपनयो व विद्यमानत्वात् ॥२॥

तद्रूपत्वाच्च शब्दानम् ॥३॥

आतञ्चानाभ्यासस्य च दर्शनात् ॥४॥

अपूर्वत्वाद्विधानं स्यात् ॥५॥

पयोदोषात्पञ्चशरावेऽदुष्ट हीतरत् ॥६॥

सागनाभ्येऽपि तमेति चेत् ॥७॥

न तस्याबुद्धस्वादविधिष्टं हि कारणम् ॥८॥

सकषणार्थां सृष्टिभूति ॥९॥

उपांशुयाऽवचनाद्यथा प्रकृति वा ॥१०॥

पूर्व पक्ष है कि यदि बर्त यज्ञ मूल से अथ्य समय में कर किया जाय तो उसे 'पंच घटाक' यज्ञ की भाँति पुनः करना चाहिये ? इसका उत्तर है कि ऐसी अवस्था में पुनः नहीं सामग्री कानी चाहिये पर यज्ञ कराने वाले ऋत्विजों को नये साम की कोई बात नहीं है क्योंकि दोष सामग्री में आया है ऋत्विजों में तो कोई दोष आया नहीं । उक्त सामग्री के त्याग का हेतु यह है कि यदि प्रथम बार की सामग्री में कोई दोष उत्पन्न हो जाय तो अन्य सामग्री का विधान उसके स्थान में होना चाहिये ॥ १४ ॥ 'पंच घटाक' यज्ञ में नी अब पाशों में दोष आने से उनमें रखा दूध दूषित हो जाता है तब उसे त्याग कर नया दूध देने की विधि है ॥९॥ पर सागनाभ्य' में इस प्रकार की घटा करना अनावश्यक है, क्योंकि एक तो वही घटाक नहीं होता और दूसरे वह हवि के किये नहीं बरन् अन्य पदार्थों का संस्कार करने के काम में आता है ॥ ७-८ ॥ पूर्व पक्ष है कि उपांशु-याव में सामग्री के दूषित होने की बात नहीं कही गई है । उसका प्रयोग सर्वत्र मा ही हो सकता है ? उत्तर है कि इत्थं का स्वभाव ही दूषित हो जाने का है । इस किये उपांशु-याव में भी सामग्री को कुछ करने या बदलने की आवश्यकता हो सकती है ॥९॥ ॥ इसका कारण चाहे कहते हैं —

अपनयो न प्रवृत्त्या यथेसरेषाम् ॥११॥

निरुप्ये स्यात्तत्सयोगात् ॥१२॥

प्रवृत्तो प्रापणामितस्य ॥१३॥

सकषणमात्रनिमित्तरत् ॥१४॥

तथा चायार्थदर्शनम् ॥१५॥

अनिरुप्तेऽभ्युदिते प्राकृतीभ्यो निर्वपेदित्याश्मरथ्यस्तण्डुल-  
भूतेष्वपनयात् ॥१६॥

व्यूह्वंभाग्भ्यस्त्वालेखनस्तत्कारित्वाद्देवतापनयस्य ॥१७॥

विनिरुप्ते न मुष्टोनामपनयस्तद्गुणत्वात् ॥१८॥

अपाकृतेन हि सयोगस्तत्स्थानीयत्वात् ॥१९॥

अभावाच्चेतरस्य स्तात् ॥२०॥

अधिक समय बीत जाने पर सामग्री में विकार उत्पन्न हो जाने पर उसे बदलना आवश्यक है क्योंकि यज्ञ में विकार-युक्त द्रव्यों का प्रयोग निषिद्ध है । जब द्रव्य काल प्रभाव से अन्य रूप में बदल जाता है तो उस को बदलना अनिवार्य है । निरुक्त में भी इस सम्बन्ध में जो शब्द दिया गया है उससे दूषित सामग्री त्याग-रूप सिद्ध होती है । यही बात अन्य उदाहरणों से ठीक प्रतीत होती है ॥११-१४॥ अश्मरथ आचार्य का कथन है कि अभ्युदय दृष्टि से जिस सामग्री को शुद्ध नहीं किया गया हो उसे शुद्ध करना चाहिये जैसे चावलो को साफ करने की आवश्यकता पड़ती है ॥१५॥ आलेखन आचार्य का कथन है सामग्री के ऊपर के भाग को निकाल देना चाहिए । समस्त सामग्री को त्यागने की आवश्यकता नहीं । पर समस्त सामग्री ही दूषित हो जाय तो उसे विल्कुल त्याग देना चाहिए । इसका कारण यह है कि एक प्रकार की दूषित सामग्री का प्रयोग करने से अन्य सब अदूषित सामग्री भी अशुद्ध हो जाती हैं ॥१६-१८॥ जब दूसरी शुद्ध सामग्री विल्कुल न मिले तो दूषित सामग्री को ही साफ करके, धो कर शुद्ध बना लेना चाहिए ॥१९॥ 'सानाय्य' में दूध और दधि के मिलाने में विकार हो गया हो तो उसे भी शुद्ध कर लेना आवश्यक है ॥२०॥

सान्नाय्यसयोगात्सन्नयतः स्यात् ॥२१॥

औषधसयोगाद्बोभयो ॥२२॥

वैगुण्यान्नेति चेत् ॥२३॥

मातस्संस्कारत्वात् ॥२७॥

साम्युत्पाने बिस्वबिस्क्रोते विभागसंयोगात् ॥२४॥

प्रवृत्तो वा प्रापणाभिमित्तस्य ॥२५॥

आदेशार्थतरा धृति ॥२७॥

बोधापरिमाणे यथाकाम्यविशेषात् ॥२८॥

द्वादशाहस्तु किङ्कारस्यात् ॥२९॥

पौर्णमास्यामभियमोऽभिधेयात् ॥३०॥

किसी विशेष औपनि के निश्चने से सामग्री में दोष उत्पन्न हो पया हो तो उसे भी दूर कर देना चाहिये । इसमें शङ्का होती है कि औपनि विशेष को निकाल देने से क्याचित् सामग्री मुक्त रहित हो जायगी । इसका समाधान यह है कि औपनि विशेष को निकाल देने का अर्थ सामग्री का संस्कार करना नहीं है वह जैसी की तैसी बनी रहती है ॥२१-२३॥ सब के लिये वीक्षित पुरुष यदि यह के समाप्त होने से पूर्व ही उठ जाय तो उसे विस्त्राजित याग करना चाहिये । सब के प्रवृत्त होने से ही बिस्वबिजित याग की सम्भावना पाई जाती है ॥२४-२५॥ यह काय के लिये यद्यपि सोम का ही निःशाय करना लिखा है पर यदि धमस्त सामग्री का निःशायन कर दिया जाय तो कोई दोष नहीं है ॥२६॥ पूर्व पक्ष है कि ज्योतिषोम के लिये वीक्षित पुरुष उठ कर्म में कितना जाहे उतना समय क्योसे आत्म में इसके लिये कोई आच्छादितनियत नहीं है ? इसका उत्तर है कि निःशायन में ज्योतिषोम के लिये बारह दिन का नियम लिखा है उसी का पालन करना चाहिये ॥२७-२८॥ 'यथामयन' नामक सब किसी भी पूर्णमासी को करना चाहिये । इसके लिये किसी विशेष पूर्वमासी का नियम नहीं है—यह पूर्व पक्ष है । इसके पश्चात् दूतरा पूर्व पक्ष है कि यह सब जैसी की पूर्णमासी को करना चाहिये ॥२९-३०॥ इन दोनों का समाधान आगे के सूत्र में है ।

मानन्तर्यात् औपनि स्यात् ॥३१॥

माघो वैकाष्टकाश्रुते ॥३२॥

अन्या अपीति चेत् ॥३३॥

न भक्तित्वादेवा हि लोके ॥३४॥

दीक्षापराधे चानुग्रहात् ॥३५॥

उत्थाने चानुप्ररोहात् ॥३६॥

अस्या च सर्वलिङ्गानि ॥३७॥

दीक्षाकालस्य शिष्टत्वादतिक्रमे नियतानामनुत्कर्षं प्राप्त-  
कालत्वात् ॥३८॥

उत्कर्षो वा दीक्षितत्वादविशिष्ट हि कारणम् ॥३९॥

तत्र प्रतिहोमो न विद्यते यथा पूर्वेषाम् ॥४०॥

विधान मे एकाष्टका एकादशी से व्रत करने का नियम है । यह एकादशी माघ मे आती है । इसलिये 'गवामयन' सत्र माघ की पौर्णमासी से चार दिन पहले एकादशी को आरम्भ करना चाहिये ॥३१॥ इसमे शङ्का है कि अन्य कृष्ण पक्ष की एकादशी भी एकाष्टका कहलाती हैं । इसका समाधान यही है कि लोक मे माघ की एकादशी ही 'एकाष्टका' करके मानी जाती है । दीक्षा के अपराध के सम्बन्ध मे भी माघ की एकादशी को ही 'एकाष्टका' कहा है । दूसरा प्रमाण यह भी है कि 'एकाष्टका' एकादशी वह है जिसमे नये पत्ते और अकुर निकलते हैं । ऐसी एकादशी भी माघ शुक्ल की ही होती है । इन चिन्हो के पाये जाने से यह 'गवामयन' के लिये प्रशस्त है ॥३२-३६॥ पूर्व पक्ष है कि यज्ञ के लिये दीक्षा लेने पर पुरुष को नियत कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिये । इसका समाधान यह है कि दीक्षा एक मुख्य कार्य के लिये ग्रहण की जाती है जो कि उत्कृष्ट माना गया है । इसलिये उस काल मे नियत कर्मों के करने की आवश्यकता नहीं है । दीक्षित पुरुष के लिये प्रतिहोम की भी आवश्यकता नहीं है । दीक्षा काल में शास्त्र मे होम का विधान नहीं पाया जाता ॥३७-४०॥

कालप्राधान्याच्च ॥४१॥

प्रतिपिडाञ्चोभ्वमवभृषाविष्टे ॥४२॥

प्रतिहोमश्चेत्सायमग्निहोमप्रभृतीनि हूयेरम् ॥४३॥

प्रातस्तु पोषयिनि ॥४४॥

प्रायश्चित्तमधिकारे सवम दोषसामान्यात् ॥४५॥

प्रकरणे वा षड्यहेतुत्वात् ॥४६॥

अतद्विकाराच्च ॥४७॥

ध्यापन्नस्याप्सु गतो यदभोज्यमार्याणां तत्प्रतीयेत ॥४८॥

विभागश्चुते प्रायश्चित्तं योगपथं न विद्यते ॥४९॥

स्याद्वा प्राप्तनिमित्तत्वात्कालमात्रमेकम् ॥५०॥

अबभूय इष्टि के किये भी प्रतिहोम का निवेश है ॥४१॥ यदि होम के दोष होने पर प्रतिहोम करे तो अग्निहोम सायकाल को करे ॥४२॥ पोषणी इष्टि में प्रातःकाल प्रतिहोम करे ॥४३॥ छात्रों के सर्वत्र ( क्षिप्र भिन्न-व्यवृत्त ) हो जाने पर सब इष्टियों में प्रायश्चित्त करना चाहिये । यह पूर्ण पक्ष है ? उत्तर है कि प्रायश्चित्त के प्रकरण में ही प्रायश्चित्त करना चाहिये । जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वहाँ किया हुआ है ॥४४-४५॥ सब इष्टियों में घेवन विधित्तिक विकार एक समान नहीं होते इसलिये सब ये प्रायश्चित्त विधान भी एक थे नहीं हो सकते ॥४६॥ जो पदार्थ आर्य-पुरुषों के किये अयोम्य हो अर्थात् दूदित हो उसे जब में फेंक देना चाहिये ॥४७॥ पूर्ण पक्ष का कथन है कि उद्घाटा और प्रतिहोम दोनों का एक काल में अपच्छेद होने से प्रायश्चित्त नहीं होता । इसका उत्तर है कि यदि विधान में एक काल का अलक्ष्य किया होता तो प्रायश्चित्त न होता पर निमित्त विद्यमान होने से प्रायश्चित्त आवश्यक है । ४८-४९॥ इस प्रकार अपच्छेद होने पर किसी एक प्रकार का प्रायश्चित्त होना चाहिये । क्योंकि दो प्रकार का प्रायश्चित्त अन्वय नहीं है ॥ ५० ॥



तत्र विप्रतिषेधाद्विकल्प स्यात् ॥५१॥

प्रयोगान्तरे वोभयानुग्रह स्यात् ॥५२॥

न चैकसयोगात् ॥५३॥

पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वलय प्रकृतिवत् ॥५४॥

यद्युद्गाता जघन्यः स्यात्पुनर्यज्ञे सर्ववेदसदद्याद्यथेतरस्मिन्

॥५५॥

अहर्गणे यस्मिन्नपच्छेदस्तदावर्त्तत कर्मपृथक्त्वात् ॥५६॥

पूर्व पक्ष का कथन है कि यदि दोनो प्रकार का प्रायश्चित्त एक याग में न हो सके तो दो यागों में हो सकता है ? इसका उत्तर है कि उक्त प्रायश्चित्तों का एक ही याग से सम्बन्ध है । इसलिये ऐसे प्रायश्चित्त में सर्वस्व दक्षिणा का प्रायश्चित्त कथन किया गया है ॥५१-५३॥ यदि प्रतिहर्ता के पश्चात् उद्गाता का अपच्छेद हो तो सर्वस्व दक्षिणा का प्रायश्चित्त होना चाहिये । यदि द्वादशाह आदि अहर्गण यागों में से जिस याग में उद्गाता का अपच्छेद हो, तो उसी की आवृत्ति करे ॥५६॥

॥ पांचवां पाद समाप्त ॥

## षष्ठ पाद

सन्निपातेऽवैगुण्यात्प्रकृतिवत्तुल्यकल्पा यजेरन् ॥१॥

वचनाद्वा शिरोवत्स्थात् ॥२॥

न वाऽनारभ्यवादत्वात् ॥३॥

स्याद्वा यज्ञार्थत्वादौदुम्बरीवत् ॥४॥

न तत्प्रधानत्वात् ॥५॥

औदुम्बर्याः परार्थत्वात्कपालवत् ॥६॥

अन्येनापीति चेत् ॥७॥

नैकत्वात्तस्य चानधिकाराच्छब्दस्य चाविभक्तत्वात् ॥८॥

सन्निपातात्, निमित्तविधात् स्यात्, बृहत्प्रवन्तरपद्विभक्त्यसिद्ध-  
त्वात्सिद्धनिवर्त्ये ॥१॥

अपि वा कुरस्नसंयोगावविधात् प्रतीयेत् स्वामित्वेनाभि-  
सम्बन्ध ॥१०॥

एक कथन है कि यह-किन्ना के लिये जो १७ ऋत्विज क्रिये  
पाठे हैं वे एक ही कर्त्तृ ( गोत्र ) के होने चाहिये जिससे यह-कर्म में  
विगुणता उत्पन्न न हो । उस पर पूर्व पक्ष की शब्दा है कि जिस प्रकार  
दास्य में मृतक को अन्तर्गमन है और फिर भी उसके धरको उठाते को  
कहा गया है, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न गोत्रों के ऋत्विजों से यह कर्त्तृ  
या शब्दा है ? इसका समाधान है कि भिन्न भ कोई ऐसी बात नहीं  
मिलती । फिर पूर्व पक्ष का कथन है कि जैसे "श्रीगुरुवरी वाप्य क  
यज्ञ में उपयोग कर सकते हैं वैसे ही भिन्न-भिन्न कर्त्तृ वाको को भी  
ऋत्विज नियुक्त कर सकते हैं ? यह कथन इस कारण ठीक नहीं कि  
'श्रीगुरुवरी' यह के लिये होती है और यह-कर्म का सम्बन्ध मुख्य से है ?  
फिर शब्दा करते हैं कि कर्त्तृ का समान 'श्रीगुरुवरी' पदार्थ होती है ।  
फिर शब्दा है कि भिन्न भिन्न कर्त्तृ को यह में अधिकार है तो अन्य  
यज्ञमान से भी यह की सिद्धि हो सकती है ? इसका उत्तर है कि अन्य  
यज्ञ के यज्ञमान का अन्य यज्ञ में अधिकार कथन नहीं किया गया है ।  
फिर शब्दा है कि यदि समान कर्त्तृ वाको का यज्ञाधिकार माना जाय तो  
फल का निमित्त ठीक नहीं ता यज्ञोक्ति यज्ञमान भिन्न-भिन्न है ?  
इसका समाधान है कि यज्ञमानों का सम्बन्ध यह से स्वामी रूप में होता  
है इससे फल प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ती ॥११॥

साम्ना कर्मवृद्धर्षकवेष्टेन संयामो गुणत्वेनाभिसम्बन्ध  
स्तस्मात्तद विधात् स्यात् ॥११॥

पश्चनात्, द्विसंयोगस्तस्मादेकस्य पाणित्वम् ॥१२॥

अर्थात्तस्मात् न२ स्यात् ॥१३॥

अर्थाना च विभक्तत्वान्न तच्छ्रुतेन सम्बन्ध. ॥१४॥

पाणो. प्रत्यङ्गभावादसम्बन्ध. प्रतीयेत ॥१५॥

सत्राणि सर्ववर्णानामविशेषात् ॥१६॥

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१७॥

ब्राह्मणाना वेतरयोरऋत्विज्याभावात् ॥१८॥

वचनादिति चेत् ॥१९॥

न स्वामित्त्व हि विधीयते ॥२०॥

उक्त प्रकरण में बृहत् और रथन्तर साम का दृष्टान्त भी दिया जाता है, पर वह उपयुक्त नहीं है ॥११॥ अब 'कुलाय' नामक यज्ञ में भिन्न गोत्र वाले राजा तथा पुरोहित के अधिकार कहे जाते हैं। इसका उत्तर है कि विधान-वाक्य से ऐसा अर्थ प्रकट नहीं होता। दूसरा कारण यह भी है कि पुरोहित का याग ब्रह्म तेज की स्तुति करने वाला होता है और राजा का बल की, और जो दोनों हाथों को मिला कर अश्रुलि देन का दृष्टान्त दिया जाता है उसका उत्तर है कि होम एक हाथ से ही हो सकता है। इससे भी एक ही पुरोहित से हवन कराना सिद्ध होता है ॥१२-१५॥ पूर्व पक्ष है कि सत्र नामक यागों में सब वर्णों को यज्ञ-क्रिया का अधिकार है ऐसा शास्त्रीय प्रमाणों से विदित होता है? इसका उत्तर है कि क्षत्रिय और वैश्य वर्ण वालों के ऋत्विज होने का निषेध है, इससे सत्र का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। फिर शङ्का है कि "ऋत्विज्यामा सत्रमासरी न" वाक्य से प्रकट होता है ऐश्वर्य की समृद्धि चाहने वालों को सत्र करना चाहिये। ऐसी अभिलाषा वाले सभी वर्ण के होते हैं और उनको अधिकार है? इसका उत्तर है कि यह कथन यज्ञ के स्वामी से सम्बन्ध रखता है ऋत्विज से नहीं ॥१६-२०॥ इस पर आगामी सूत्र में शङ्का करते हैं।

गार्हपते वा स्यान्नामाविप्रतिषेधात् ॥२१॥

न वा कल्पविरोधात् ॥२२॥

स्वामिस्वादिस्त्रेयामहीमे ङिङ्गवक्षनम् ॥२३॥

वासिष्ठानां वा ब्रह्मस्वनियमात् ॥२४॥

सर्वेषां वा प्रतिप्रसवात् ॥२५॥

वैस्वामित्रस्य हीननियमाद्भृगुशुनकसिष्ठानामनधिकारः  
॥२६॥

बिहारस्य प्रभुत्वादनग्नीनामपि स्यात् ॥२७॥

सारस्वते च दक्षनात् ॥२८॥

प्रायश्चित्तविधानाच्च ॥२९॥

साम्नीनां वेष्टिपूर्वत्वात् ॥३०॥

सब के अन्तर्गत जो 'पार्श्वरथ' नामक कर्म होता है उसमें अग्निवर्षस्य को भी अधिकार होता उचित है ? उत्तर है कि ऐसा करने से योष का विरोध हो जाता है, ही 'अहीन' नामक वाय में अन्व वर्म वाले भी सम्मान होते हैं ॥२१ २३॥ पूर्व पक्ष का कथन है कि बहिष्कृत योष बाकों का ही सब में अधिकार है उन्हीं को सब का 'ब्रह्मा' नियत करना चाहिये । इसमें एक कथन यह भी है सब में सब ब्राह्मणों का समान अधिकार है ? इसका उत्तर है कि धृगु, धुनक बहिष्कृत योष बाकों का सब में अधिकार नहीं विस्वामित्र योष बाकों का ही अधिकार है क्योंकि उन्हीं के होना होने का नियम पाया जाता है ॥ ४ २६॥ एक प्रश्न यह भी है कि 'अहिताग्नि' ( अग्नि का आधान करने वाले और 'अनाहिताग्नि' ( आधान न करने वाले ) दोनों तरह के ब्राह्मणों को सब में अधिकार है ? इसमें एक मुक्ति तो यह है 'सारस्वत' नामक सब में 'अनाहिताग्नि' बाकों का कथन पाया जाता है और दूसरे प्रायश्चित्त के विधान पाये जाने से भी यही अर्थ निकलता है ? इसका समाधान यह है कि सब का अनुष्ठान सर्वपूर्वमाद्य याग के परत्वात् कथन किया गया है जिसमें 'अन्वाधान' कर्म होता आवश्यक है और यह कर्म अनाहिताग्निों द्वारा नहीं हो सकता है ॥२७-३॥

स्वार्थेन च प्रयुक्तत्वात् ॥३१॥

सन्निवाप च दर्शयति ॥३२॥

जुह्वादीनामप्रयुक्तत्वात्सदेहे यथाकामो प्रतीयते ॥३३॥

अपि वाऽन्यानि पात्राणि साधारणानि कुर्वीरन्विप्रतिषे-  
धान्छास्त्रकृतत्वात् ॥३४॥

प्रायश्चित्तमापदि स्यात् ॥३५॥

पुरुषकल्पेन वा विकृतौ कर्तुं नियम स्याद्यज्ञस्य तद्गुण-  
त्वादभावादितरान्प्रत्येकस्मिन्नधिकार. स्मात् ॥३६॥

लिङ्गाच्चेज्याविशेषवत् ॥३७॥

न वा सयोगपृथक्त्वाद् गुणस्वेज्याप्रधानत्वादसयुक्ता हि  
चोदना ॥३८॥

इज्याया तद्गुणत्वाद्विशेषेण नियम्येत ॥३९॥

उपरोक्त कथन में दोनो युक्तियों का समाधान यह है अग्नियो का  
आधान अपने-अपने स्वार्थ के लिये होता है और सब यजमानो की अग्नियों  
के मिलाप का श्रुतिवाक्य पाया जाता है ॥ ३१-३२ ॥ पूर्व-पक्ष है कि  
सत्र में आवश्यक होने पर अन्य यजमान के जुहू आदि पात्र लेकर कार्य सम्पा-  
दन किया जा सकता है ? इसका समाधान है कि नये पात्र लेने चाहिये ।  
दूसरे यजमान के पात्र लेने का निषेध है, क्योंकि यदि वह इसी अवसर  
पर मर जाय तो उसके पात्र उसीके साथ जला देने का विधान है ॥ ३३-  
३४ ॥ फिर कहते हैं कि यजमान के मर जाने पर जो प्रायश्चित्त कथन  
किया गया है उससे भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है ॥ ३५ ॥ पूर्व पक्ष  
है कि 'अध्वर कल्पादि' विकृत यागो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों  
वर्णों को अधिकार कथन किया गया है । "सप्तदशौ वै वैश्य" वाक्य में  
१७ सामघेनियो वाला वैश्य होता है । इसका समाधान यह है कि याग  
और सामघेनियो में अन्तर होता है । गुण के प्रति याग के प्रधान होने से  
वैश्यो का उसमें अधिकार नहीं हो सकता । वैश्य-स्तोम में वैश्यो के

यद्यमान होने का स्पष्ट कथन पाया जाता है इससे यह ठीक है  
॥३६४॥

॥ षष्ठम पाद समाप्त ॥

## सप्तम पाद

स्वदाने सर्वमविशेषात् ॥१॥

यस्य वा प्रभुः स्यादिरस्याऽश्वक्यत्वात् ॥२॥

न भूमिः स्यात्सर्वान्प्रत्याविशिष्टत्वात् ॥३॥

अकार्यत्वाच्च ततः पुनर्विशेषः स्यात् ॥४॥

नित्यत्वाच्चानित्यैर्नास्ति सम्बन्धः ॥५॥

दुर्गत्वाच्च धर्मसात्त्वत्वात् ॥६॥

वक्षिण्याकासे यस्त्वं तत्प्रतीयेत तद्दानसमोगात् ॥७॥

अक्षेपत्वाच्चान्तः स्यात्कर्मजो द्रव्यसिद्धित्वात् ॥८॥

अपि वा क्षेपकर्म स्मात्कस्तो प्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥९॥

तथा धान्यार्थदर्शनात् ॥१०॥

पूर्व-पक्ष है 'विपनजित्' वाप में यद्यमान को सर्वस्व दान करने का विधान है ? इसका समाधान है कि यद्यमान जिन वस्तुओं का स्वामी है उनके दान का है अन्व का नहीं। जैसे कई व्यक्ति स्त्री तक का दान कर देते हैं वह ठीक नहीं है। इसी प्रकार राज्य की भूमि का दान नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर अन्य सम्बन्धियों पुत्र पौत्र आदि का भी अधिकार है। अस्वों का भी दान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे युद्ध के लिये अनिवार्य हैं ॥ १४ ॥ इस पर शंका है कि जब 'आश्रमबाल' देने तक का विधान है तब बौद्धों आदि के दान में क्या बाधा है ? इसका उत्तर है कि आत्मा नित्य परार्थ है, उसकी अनित्य परार्थों से मुक्तता नहीं की जा सकती और न विद्या प्रकार का सम्बन्ध बौद्धों का समता है ॥४॥ पृष्ठों को भी उक्त पक्ष में दान देने का अधिकार है ॥६॥ यह सब दान

दक्षिणा काल मे ही देना चाहिये । यहाँ शका है कि क्या दक्षिणा काल मे याग की समाप्ति हो जाती है ? इसका उत्तर है कि नहीं, दक्षिणा के बाद भी पूर्णाहुति आदि कर्म शेष रहते हैं, जिनका प्रमाण श्रुति मे मिलता है ॥ ७-१० ॥

अशेष तु समञ्जसमादाने शेषकर्म स्यात् ॥११॥

नादानस्यानित्यत्वात् ॥१२॥

दीक्षासु विनिर्देशादक्रत्वर्थेन सयोगस्तस्मादविरोध स्यात् ॥१३॥

अहर्गणो च तद्धर्मः स्यात्सर्वेषामविशेषात् ॥१४॥

द्वादशशत वा प्रकृतिवत् ॥१५॥

अतद्गुणत्वात् नैव स्यात् ॥१६॥

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१७॥

विकार सन्नुभयतोऽविशेषात् ॥१८॥

अधिकं वा प्रतिप्रसवात् ॥१९॥

अनुग्रहाच्च पादवत् ॥२०॥

पूर्व-पक्ष है कि यज्ञ-कर्म के पूर्ण होने पर समस्त बची हुई सामग्री को हवन कर देना चाहिये । इसी से यज्ञ कार्य की पूर्ति होती है ? इसका उत्तर है कि उसमे जो पदार्थ भक्षण योग्य हो उन्हें यज्ञ शेष के रूप मे भक्षार्थ रख कर अन्य सामग्री का हवन कर देना ठीक है । शका है कि यज्ञ-शेष मे सम्पूर्ण सामग्री का हवन कर देना लिखा है और यज्ञ-शेष का भक्षण करना भी लिखा है, इन परस्पर विरोधी बातों का क्या कारण है ? उत्तर है कि यज्ञ-शेष भक्षणार्थ ही होता है, पूर्णाहुति उससे अन्य सामग्री की ही दी जाती है ॥ ११-१४ ॥ 'अहर्गण अधरात्र याग' विश्व-जित् याग के समान होता है, अत उसमे भी सर्वस्वदान की दक्षिणा दी जानी चाहिये । इस पर शका है कि जैसे ज्योतिष्टोम याग मे वारह सौ रुपये दक्षिणा का कथन है वैसा ही इसमे किया जाय ? इसका उत्तर है कि अहर्गण याग ज्योतिष्टोम से मिलता हुआ नहीं है, विश्वजित् याग से

मिथ्या है, वह उसीका अनुकरण करना चाहिये । उसके विवरण से ही ऐसा ही प्रामाणिक होता है ॥ १५ १७ ॥ पूर्व पक्ष है कि विकार रूप अहर्मण्य नाम दोनों अवस्थाओं में हो सकता है अर्थात् चाहे बाह्य ही रूपमा हो वा कम हो । उत्तर है कि बाह्य ही से कम वाला एक मात्र नहीं कर सकता । शास्त्र में बाह्य ही या अधिक का भाव पत्था जाता है ॥ २ ॥

अपरिमिते सिष्टस्य सङ्ख्याप्रतिषेधस्तच्छरितत्वात् ॥२१॥

कस्मान्तरं वा सुख्यवत्प्रसङ्गसंघानात् ॥२२॥

अनियमोऽविधेयात् ॥२३॥

अधिकं वा स्यात्सङ्ख्यात्वादिसरे संनिधानात् ॥२४॥

अर्थवादश्च तदर्थवत् ॥२५॥

परकृतिपुराकल्पं च मनुष्यधर्मं स्यादवधि ह्यनुकीर्तनम् ॥२६॥

सङ्ख्ये च प्रतिषेधात् ॥२७॥

निर्वेक्षात् तदर्थं स्यात्प्रत्यावृत्तवत् ॥२८॥

विधौ तु वेदसंयोगादुपवेशः स्यात् ॥२९॥

अर्थवाचो वा विधिषेपत्वात्तस्मान्नित्यानुवाच स्यात् ॥३०॥

पूर्व पक्ष का अर्थ है कि विद्याल-वाक्य में 'अपरिमित' शब्द देने का उद्देश्य है इस किये किसी नियत संख्या का क्या प्रयोजन है ? उत्तर है कि अपरिमित का आशय बाह्य ही के समान संख्या शब्द से ही है, इस पर फिर शंका है कि 'गुण्य' शब्द देने से कोई विधिप अर्थ नहीं निकलता इसकिये बाह्य ही और अपरिमित का समान अर्थ करना ठीक नहीं है ? इसका उत्तर है कि 'अपरिमित' शब्द अर्थसंग्रह का घोटक नहीं है । क्योंकि शास्त्र वाक्य है कि 'सदर्थेण चहसवेन अपरिमितं वेदं । इससे बहुत शब्द का आशय ही निकलता है । अर्थात् विश्ववित्त मात्र बहुत वाचन सम्पन्न ही कर सकते हैं अन्य नहीं । इस 'अपरिमित' शब्द से अर्थ-



वाद का भाव भी पाया जाता है, जैसे निन्दा-स्तुति को कुछ बढा चढाकर कह दिया जाता है, वैसे ही यह भी है ॥ २१-२५ ॥ पूर्व सृष्टि का उल्लेख करके कथन है कि उसमे भी मनुष्यों के धर्म वर्तमान की भाँति ही थे जैसे "सदाचारी पुरुष सौ वर्ष जीवित रहता है ।" इस पर पूर्व पक्ष का कथन है कि पूर्व सृष्टि के मनुष्यों का उदाहरण ग्रहण करने का निषेध है ? इसका उत्तर है कि जब पूर्व सृष्टि के मनुष्यों के देह पच भौतिक ही थे तो उनको मनुष्य-धर्मा मानना ही ठीक है उन्हें अलौकिक कल्पना करना अनावश्यक है । वेदो के वर्णन से भी ऐसा ही सिद्ध होता है ॥२६-३०॥

सहस्रसवत्सर तदायुपामसभवान्मनुष्येषु ॥३१॥

अपि वा तदधिकारान्मनुष्यधर्मा स्यात् ॥३२॥

नासामथर्थात् ॥३३॥

सम्बन्धादर्शनात् ॥३४॥

स कुल्य स्यादिति काष्णाजिनिरेकस्मिन्नसभवात् ॥३५॥

अपि वा कृत्स्नसयोगादेकस्यैव प्रयोग स्यात् ॥३६॥

विप्रतिषेधात् गुण्यन्तर स्यादित लाबुकायन ॥३७॥

सवत्सरो वा विचालित्वात् ॥३८॥

सा प्रकृति स्यादधिकारात् ॥३९॥

अहानि वाऽभिसङ्ख्यात्वात् ॥४०॥

सहस्रो वर्ष की आयु आदि का कथन करना अर्थवाद है जैसे कहीं कहा है कि पूर्व कल्प मे लोगो की आयु सहस्रो वर्ष की थी, किन्तु ऐसी आयु मनुष्यों की नहीं हो सकती । अगर उक्त मत को सत्य मानें तो वे लोग इन्द्रादि की तरह देव योनि के मानने पड़ेगे । पर शास्त्र मे उस समय के लोगो के भी अध्ययन-अध्यापन का जिक्र पाया जाता है जिससे वे मनुष्यधर्मा ही ज्ञात होते हैं । देवताओ मे मनुष्य का स्वभाव पाया जाता ॥३१-३३॥ अग्नि, वायु आदि जड देवो मे अध्ययन-अध्यापन का कथन किस प्रकार किया जा सकता है । काष्णाजिनि 'आचार्य का

मत है कि जो सहस्र वर्ष की वायु किसी है वह एक क्षुद्र या बंध की है, उसका आशय एक ध्यति से नहीं है। इस पर पूर्व पक्ष का कथन है कि आशय वाक्य में जो 'कृत्स्न' शब्द आया है उससे एक ध्यति का ही आशय निकलता है ? ॥३४ ३६॥ आनुकायन ऋषि का मत है कि सहस्र वर्ष के अध्ययन का आशय गीण है, वास्तव में उसका अर्थ बहुत अधिक समय तक अध्ययन करते रहने से है। दूसरा समाधान यह भी है कि 'संवत्सर' शब्द एक वर्ष का वाक्य नहीं है। कहीं उसका अर्थ वर्ष का होता है कहीं ऋतुओं का बीर कहीं दिनों का। पूर्व पक्ष का कथन है कि उक्त वाक्यों में मनुष्यों की पृथिवी के अनुसार मानवीय वर्ष का अर्थ ही लेना चाहिये ? इसका समाधान यह कि 'संवत्सर' दिन के वर्ष में नहीं प्रकार आता है क्योंकि एक दिन में सैबों ऋतुओं के घटने का वर्धन पाया जाता है ॥ ३७-४ ॥

॥ उत्तम पाठ समाप्त ॥

## अष्टम पाद

इष्टिपूर्वत्वादकृतुक्षेपो होमः सस्तुतेष्वग्निषु स्यात्पूर्वोऽप्या  
धानस्यसंबन्धेपत्वात् ॥१॥

इष्टित्वेन तु संस्तरपत्तुर्होतृनसंस्तुतेषु दर्शयति ॥२॥

उपवेसस्तत्पूर्वत्वात् ॥३॥

स सर्वेषामविशेषात् ॥४॥

अपि वा ऋचभावादानाहितान्नेरक्षेपभूतनिर्देशः ॥५॥

अपो वाऽग्निर्संयोगात् ॥६॥

इष्टित्वेन सस्तुते होमः स्यादनारम्याग्निसंयोगादितरेषाम  
वाप्यत्वात् ॥७॥

उभयो पितृयज्ञयत् ॥८॥

निर्देशो वाऽनाहिताग्नेरनारभ्याग्निसप्रोगात् ॥१६॥

पितृयज्ञे सयुक्तस्य पुनर्वचनम् ॥१०॥

प्रजा की कामनाय 'चतुर्होम' नामक होम अपूर्व होने पर भी पवमान इष्टि का साध्य होने से सस्कृताग्नि में ही कराया जाय, यह पूर्व पक्ष है ? समाधान है कि इष्टि रूप से जो स्तुति की जाती है उसमें प्रकट होता है कि चतुर्होम का असस्कृत अग्नि में करना चाहिये । फिर शका है कि यदि उसे असस्कृत अग्नियों में किया जाय तो फिर विधान की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि उपरोक्त होमों का उपदेश अपूर्व विधि से दिया गया है ? ॥१-३॥ अन्य शका है कि उपरोक्त विधि तो अगभूत-अनङ्गभूत दोनों तरह के होमों का विधान करती है ? उत्तर है कि जो कर्म यज्ञ के अङ्ग नहीं है वे अनाहिताग्नियों से होते ही ह । फिर शका है कि अनाहिताग्नियों की इष्टि का कथन तो केवल अर्थवाद है, उसका अग्नि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ? उत्तर है कि इष्टि के रूप में वर्णन किये जाने से वह होम ही है कोरा अर्थवाद नहीं है, दूसरे असस्कृताग्नि होम करने का विधान पाया जाता है ॥ ४-७ ॥ पूर्व पक्ष कहता है कि जैसे पितृयज्ञ को आहिताग्नि तथा अनाहिताग्नि दोनों प्रकार के पुरुष कर सकते हैं, वैसे चतुर्होम कर्म को दोनों ही प्रकार के पुरुष कर सकते हैं ? इसका समाधान है कि चतुर्होम अनाहिताग्नि में ही किया जाता है, उसी अग्नि से उक्त होमों का सम्बन्ध है । पितृ-यज्ञ में तो आहिताग्नि और अनाहिताग्नि दोनों से सम्बन्ध के वचन पाये आते हैं, इसलिये उसका दृष्टान्त चतुर्होम में नहीं लग सकता ॥ ८-१० ॥

उपनयन्नाघोत होमसप्रोगात् ॥११॥

स्थपतिवल्लौकिके वा विद्याकर्मानुपूर्वत्वात् ॥१२॥

आधान च भार्यासयुक्तम् ॥१३॥

अकर्म चोर्ध्वमाधानात्तत्समवायो हि कर्मभि ॥१४॥

श्राद्धवदिति चेत् ॥१५॥

मत है कि जो सहस्र वर्ष की आयु छिन्नी है वह एक कुछ या वर्ष की है उसका वाक्य एक व्यक्ति से नहीं है। इस पर पूर्व पद्य का कथन है कि शास्त्र वाक्य में जो 'सहस्र' शब्द आया है उससे एक व्यक्ति का ही वाक्य निकलता है ? ॥३४-३६॥ छाबुकाम्यन ऋषि का मत है कि सहस्र वर्ष के वाक्यपत्र का वाक्य पौन है, वास्तव में उसका वर्ष बहुत अधिक समय तक वाक्यपत्र करते रहने से है। ब्रह्मण समाधान यह भी है कि 'संवत्सर' शब्द एक वर्ष का वाक्य नहीं है। वही उसका वर्ष वर्ष का होता है कहीं ऋतुओं का बीर कहीं दिनों का। पूर्व पद्य का कथन है कि उक्त वाक्यों में मनुष्यों की पद्धति के अनुसार मानवीय-वर्ष का वर्ष ही लेना चाहिये ? इसका समाधान यह कि 'संवत्सर' दिन के वर्ष में मछी प्रकार आता है क्योंकि एक दिन में धैवी ऋतुओं के वर्तन का वर्णन पाया जाता है ॥ ३७-४ ॥

॥ छद्म पाद कनाप्य ॥

## अष्टम पाद

इष्टिपूर्वत्वादभ्युदयो होम संस्कृतेष्वग्निषु स्यात्पूर्वोऽग्न्या  
धानस्यसर्वधेयत्वात् ॥१॥

इष्टिष्वेव धु संस्तववचतुर्होमसंस्कृतेषु वर्षमति ॥२॥

उपदेशस्तवपूर्वत्वात् ॥३॥

स सर्वेषामग्निधेयत्वात् ॥४॥

अपि या अस्वभावादनाहिताग्नेरधेयमूतनिर्वेज ॥५॥

प्रपो आग्निर्धेयत्वात् ॥६॥

इष्टिष्वेव संस्तुते होम स्यादनारम्याग्निधेयत्वात् ॥७॥

उभयो पितृमग्नवत् ॥८॥

निर्देशो वाऽनाहिताग्नेरनारभ्याग्निसयोगात् ॥६॥

पितृयज्ञे सयुक्तस्य पुनर्वचनम् ॥१०॥

प्रजा की कामनाय 'चतुर्होम' नामक होम अपूर्व होने पर भी पवमान इष्टि का साध्य होने से असकृताग्नि में ही कराया जाय, यह पूर्व पक्ष है ? समाधान है कि इष्टि रूप से जो मृत्ति की जाती है उसमें प्रकट होता है कि चतुर्होम का असकृत अग्नि में करना चाहिये । फिर शका है कि यदि उसे असकृत अग्नियों में किया जाय तो फिर विधान की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि उपरोक्त होमो का उपदेश अपूर्व विधि से दिया गया है ? ॥१-३॥ अन्य शका है कि उपरोक्त विधि तो अगभूत-अनङ्गभूत दोनो तरह के होमो का विधान करती है ? उत्तर है कि जो कर्म यज्ञ के अङ्ग नहीं है वे अनाहिताग्नियों से होते ही हैं । फिर शका है कि अनाहिताग्नियों की इष्टि का कथन तो केवल अर्थवाद है, उसका अग्नि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ? उत्तर है कि इष्टि के रूप में वणन किये जाने से वह होम ही है कोरा अर्थवाद नहीं है, दूसरे असकृताग्नि होम करने का विधान पाया जाता है ॥ ४-७ ॥ पूर्व पक्ष कहता है कि जैसे पितृयज्ञ को आहिताग्नि तथा अनाहिताग्नि दोनो प्रकार के पुरुष कर सकते हैं, वैसे चतुर्होम कर्म को दोनो ही प्रकार के पुरुष कर सकते हैं ? इसका समाधान है कि चतुर्होम अनाहिताग्नि में ही किया जाता है, उसी अग्नि से उक्त होमो का सम्बन्ध है । पितृ-यज्ञ में तो आहिताग्नि और अनाहिताग्नि दोनो से सम्बन्ध के वचन पाये आते हैं, इसलिये उसका दृष्टान्त चतुर्होम में नहीं लग सकता ॥ ८-१० ॥

उपनयन्नाधीत होमसयोगात् ॥११॥

स्थपतिवल्लौकिके वा विद्याकर्मानुपूर्वत्वात् ॥१२॥

आधान च भार्यासयुक्तम् ॥१३॥

अकर्म चोर्ध्वमाधानात्तत्समवायो हि कर्मभि ॥१४॥

श्राद्धवदिति चेत् ॥१५॥

न पृथिविप्रतिपेयात् ॥१६॥

सर्वार्थस्वाभ्य पुत्रार्थो न प्रयोजयेत् ॥१७॥

सोमपानात् प्रापणं द्वितीयस्य तस्मादुपयञ्जेत् ॥१८॥

पितृवशे तु वर्सानात्प्राणाधानात्प्रतीयेत् ॥१९॥

स्वपतीष्टिं प्रयाज्यवदभ्याधेयं प्रयोजयेत्तादभ्याञ्चपदुज्येत्

॥२०॥

पूज्य पक्ष है कि उपनयन बाह्य में आहितप्रथि में हुवन करे क्यों कि उसका होम के साथ सम्बन्ध पाया जाता है ? इसका समाधान है कि उपनयन कर्म 'स्वपति' इति के समान शौकिक धर्म में ही करने चाहिये क्योंकि उतका उद्देश्य विद्याभ्ययन में प्रवृत्त होना है और अभ्यासान का अधिकार विद्याभ्ययन के बाद प्राप्त होता है । दूसरा कारण यह भी है अभ्यासान का अधिकार स्त्रीपुत्र को ही है ॥ ११ १३ ॥ एक शक यह है कि जो अभ्यासान के परबन्ध भार्या ग्रहण करता है वह कर्म है ? दूसरी शक यह है कि बाह्य कर्म के समान उपनयन सम्बन्धी हुवन आहित और अनाहित दोनों अभिनयो में किया जाता है ? इसका समाधान है कि उक्त प्रकार दो भार्याओं का विवाह निषिद्ध माना जाता है । उक्त प्रकार के प्रयोजनों के लिये होने से स्त्री सहचरिणी कहलाती है उसका उद्देश्य केवल प्रजोत्पत्ति नहीं है । सोय पीने बाकर ( वैदिक कर्मिणी - स्त्री ) दूसरी भार्या की अविद्याया नहीं रखता ॥ १४ १ ॥ पितृवश अधिकारि ( बाह्यक बादि ) और 'अनाहिताभि' ( गृह बादि ) दोनों का कर्तव्य है इसलिये उसे दोनों तरह से करने का विधान है ॥ १९ ॥ स्वपति इति प्रयाज के समान अभ्यासान के आभय से होती है । इससे यज्ञ के आनिप्राय बाकी होने से आहिताभि से सम्बन्धित है ॥ २ ॥

अपि वा शौकिकेऽज्ञौ स्वादाधानस्यासंबन्धेपत्वात् ॥२१॥

अथर्काभि पशुवश सहदाधानस्याप्राप्तकास्त्वात् ॥२२॥

उदगयनपूर्वपक्षाह पुण्याहेषु देवानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्श-  
नात् ॥२३॥

अहनि च कर्मसाकल्यम् ॥२४॥

इतरेषु तु पित्र्याणि ॥२५॥

याच्ञाक्रयणमविद्यमाने लोकवत् ॥२६॥

नियत वाऽर्थवत्वात्स्यात् ॥२७॥

तथा भक्षप्रैषाच्छादनसज्ञप्तहोमद्वेषम् ॥२८॥

अनथक त्वनित्य स्यात् ॥२९॥

पशुचोदनायामनियमोऽविशेषान् ॥३०॥

उक्त कथन पर पूर्व पक्ष का मत है कि उक्त इष्टि का अनुष्ठान लौकिक अग्नि में होना चाहिये, क्योंकि अग्न्याधान कर्म सब के लिये नहीं है ? ॥२१॥ जिस ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत भङ्ग हो जाय उसे गर्दभ का स्पर्श करके 'अवकीर्णि इष्टि' का होम आनहिताग्नि में करना चाहिये ॥२२॥ चूडाकरण आदि कर्म पवित्र दिनों में किया जाय, क्योंकि स्मृति ग्रन्थों में ऐसे देव कर्मों को शुभ दिनों में करने का आदेश है । इस कर्म को दिन के समय ही करना चाहिये ॥२४-२५॥ पूर्व पक्ष है कि भिक्षा और सोम का क्रम सब कालों में होना चाहिये, जैसा कि लोक-व्यवहार देखा जाता है ? इसका समाधान है कि भिक्षा आदि का काल नियत है । यदि इन कर्मों को नियमपूर्वक न किया जाय तो ये स्वास्थ्य को दृष्टि से हानिकारक हो सकते हैं ॥२७-२८॥ अब पशुओं की रक्षा के सम्बन्ध में विचार करते हैं कि वेद के 'पशुनपाहि' मन्त्र में पशु रक्षा का कोई विशेष नियम नहीं है, अर्थात् सब प्रकार के पशुओं की रक्षा का उपदेश किया गया है ॥३०॥

छागो वा मन्त्रवर्णात् ॥३१॥

न चोदनाविरोधात् ॥३२॥

आर्षेयवदिति चेत् ॥३३॥

न तत्र ह्यज्ञोदितत्वात् ॥३॥

नियमो वैकाश्या ह्ययमेव गव्यभेद पृथक्त्वनाभिभानात् ॥३५॥  
अनियमा वाऽप्यन्तरत्वादन्यत्वं व्यतिरेकश्चभेदाभ्याम्  
॥३६॥

न वा प्रयामसमवायित्वात् ॥३७॥

स्फालिङ्गाच्च ॥३८॥

छायेन कर्माभ्या स्फालिङ्गाभ्याम् ॥३९॥

स्फाल्यत्वात् जातिराद्यं स्यात् ॥४०॥

विश्राये नोत्पत्तिकत्वात् ॥४१॥

स नैमित्तिक पक्षोर्गुणस्मान्नोदितत्वात् ॥४२॥

जातेर्वा तत्प्रायश्चित्तार्थवत्त्वाभ्याम् ॥४३॥

इस में पूर्व पक्ष की शक्यता है कि बकरे को मार कर हवन करने का तो वेद में आदेश है ? इसका समाधान है कि यह कथन ठीक नहीं क्योंकि यह उक्त बक मग्न का विरोधी है ॥३१ ३२॥ फिर शक्यता है कि मार्गेण वृषीते वाक्य के समान उक्त मग्न का आशय वो आदि विशेष पशुओं की एका से ही है । सत्र पशुओं से बसना सम्भव नहीं ? इसका उत्तर है कि वेद मग्न में किसी विशेष पशु का उल्लेख नहीं है बल्कि उक्तका आशय पशु पाद से है ॥३३-३४॥ फिर शक्यता है कि उक्त मग्न में कामाग्य पशुओं की एका का विधान है पर जाग एक विशेष पशु है इससे बसकी कितनी जगमें नहीं हो सकती ? इसका उत्तर है कि वेद के आशय में पशुओं में भेद नहीं किया गया है । वही स्पष्ट शब्द है 'यी पार्श्वी अविमार्हिणी वा हिंसीरेक्यष्टम्' ( पाय मग्न मारो भेद को मग्न मारो बुर बक पशुओं को न मारो ) ॥३५ ३६॥ फिर शक्यता करते हैं कि 'ह्यय' के तो नाम से ही उसे बाने का अर्थ सिद्ध होता है "यापार्थिक्यतेति छान्दः" अर्थात् जो पाय के किसी कष्ट नाम यह जान है ? इसका उत्तर है कि उक्त कथन यथार्थ है । अथवा अर्थ बकरे से



नहीं लगाया जा सकता । वरन् यज्ञ के लिये जो पदार्थ छेदे-काटे जाते हैं वे 'छाग' सजा वाले हैं । रूपो में भिन्नता होने से 'छाग' से कोई जाति का वाशय ग्रहण नहीं करना चाहिये । दूसरी बात यह है कि यज्ञ में पशु-हवन-रूप विकार इष्ट नहीं । ईश्वरीय ज्ञान वेदों में ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती । वेदों में अधिकांश जगह 'छाग' का प्रयोग यौगिक अर्थ में हुआ है और इस वर्णन से उसे कोई पशु-विशेष नहीं माना जा सकता ॥३७-४१॥ यह भी कह सकते हैं कि 'छाग' एक विशेष प्रकार की वनस्पति या औषध का नाम है जो हवन की सामग्री में पड़ती है । इससे भी वह वकरा सिद्ध नहीं होता ॥४२-४३॥

[ इस 'अधिकार-अनधिकार' शीर्षक षष्ठम् अध्याय में यज्ञ-क्रिया सम्बन्धी अनेक विवादग्रस्त प्रश्नों का निर्णय करने के साथ ही कई विशेष महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है । जैसे प्रथम पाद में ही स्त्रियों के गृह्याधिकार का प्रश्न उठाया है और विरोधी पक्ष की ओर से यह आपत्ति उपस्थित की गई है कि स्त्रियाँ तो बेची और खरीदी जाती हैं, उनके पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं होती, इसलिये वे यज्ञ कार्य जैसे धन-साध्य कर्म को कैसे कर सकती हैं ? पर मीमांसाकार ने सिद्ध कर दिया है कि स्त्री को शास्त्रों ने स्पष्ट शब्दों में अर्घ्याङ्गिणी और सहघर्मिणी घोषित किया है, अतः पति के धन में उसका भी स्वामित्व रहता है और वह यज्ञ की पूर्ण अधिकारिणी है । द्वितीय पाद में कर्म करने में पुरुष की स्वाधीनता का विवेचन बहुत उपयुक्त है । जो लोग भाग्य को दोष लगा कर अपने दोषों पर पर्दा डालना चाहते हैं उनको मीमांसाकार ने बहुत फटकारा है । उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया है मनुष्य पूर्व कर्मों का फल ( प्रारब्ध ) भोगने में परतन्त्र अवश्य है, क्योंकि वह जो कुछ भी बुरा कर्म करता है उसका दण्ड तथा जो भला कर्म करता है उसका पुरस्कार इस लोक और परलोक में अवश्य पायेगा । पर वर्तमान जीवन में नवीन कर्म करने में वह पूर्णतया स्वतन्त्र है और अपने भावी जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकता है ।

साथ ही उन्होंने १२१२ में यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है एक व्यक्ति के कर्म का फल दूसरा नहीं पा सकता। जैसे लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति द्वारा कमाया बन दूसरे अमुक व्यक्ति को मिल गया। पर या तो उसे ऐसा काम अपने किसी पुराने कर्म के फलस्वरूप मिला है और यदि उसने एक कपट और बदबर्तरी यह बन प्राप्त किया है तो अचर्य ऐसा कोई कारण पैदा हो जायगा जिससे बन पा जाने पर भी वह उसका उपयोग न कर सकेगा उससे किसी तरह का मुक नहीं पा सकेगा। यदि ऐसा अश्लेषा होता तो ईश्वर के अटक निमनों में बाधा पड़ जाती और सब लोग ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग को छोड़ कर ऐसा ही चाकाकी और बेईमानी का मार्ग अपना लेते। इसके अतिरिक्त इस कथन से एक सिद्धांत यह भी प्रकट होता है कि जो लोग दूसरों से वार्तिक कृत्य कराके उसका पुण्य अपने लिये समझ लेते हैं वह भी एक भ्रम है। मनुष्य को उसी कर्म का फल प्राप्त हो सकता है जिसे वह स्वयं भ्रष्टा और परिश्रमपूर्वक करेगा।

दाम देते समय विवेक से ही काम लेने का उपदेश १-७-२ १, ४ में दिया गया है। 'विश्ववित् दाम' में सर्वस्व दाम का विनाश है, पर बर्खनवार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग उसमें स्त्री राज्य की भूमि देना आदि का समावेश भी कर लेते हैं वे मूर्ख हैं। सर्वस्व दाम का अर्थ अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति और उपयोग के पदार्थों से ही है। पर यदि इन स्त्री को भी अपनी सम्पत्ति समझ कर दाम दे दें तथा अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों के निर्वाह के साधनों—भूमि व्यापार आदि को भी पछा भी को दे सकें तो यह ब्रह्मता का ही चोटक होगा।

पत्नी में मातृ के प्रयोग का प्रश्न बड़ा विचारप्रस्त है। यह ही मानना पड़ेगा कि बीच के समय में अज्ञान अपना स्वार्थ के कारण बलों में पशुता को मारने की प्रथा प्रचलित हो गई थी और किसी-किसी पक्ष में तो इतम पशु मारे गये थे कि महिलाओं का पानी कौनों तक तक

हो गया था । पर प्रश्न यह है कि यह प्रथा वास्तव में शारत्रीय है अथवा उस समय के कुछ स्वाथ-लोलुप तथा घूर्त पुरोहितों ने शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ करके यह दूषित कर्म प्रचलित करा दिया था ? मीमांसादर्शन का कथन है कि यज्ञ कम वेदों के विधानानुसार किया जाता है, उसमें मांस का प्रयोग कदापि विहित नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में अष्टम पाद के अन्तिम बारह सूत्रों में यह विवाद उठाया गया है कि वेदों में जो पशु हिंसा का निषेध किया गया है, उसका आशय गाय, भैंस बड़े और उपयोगी पशुओं से है । बकरा तो उस तरह का पशु ही नहीं है, उसका यज्ञ में काटना अनुचित नहीं ? पर दर्शनकार ने बराबर इसी बात पर जोर दिया है कि वेदों के 'पशून् माहिमी' वाक्य में पशुओं में कोई श्रेणी भेद या अन्य प्रकार का भेद भाव नहीं किया गया है, अतः प्रत्येक पशु की हिंसा करना निषिद्ध है । फिर यज्ञ जैसे पवित्र और आत्म-कल्याण के लिये किये जाने वाले धर्मकृत्य में तो हिंसा का ख्याल भी न करना चाहिये । उस समय तो जीवमात्र के प्रति कल्याण और आत्म भाव की भावनाएँ रखने से ही सङ्परिणाम की प्रति- हो सकती है ।

- मांस व्यवहार के सम्बन्ध में विचार करते हुये इसके अन्य पहलुओं पर भी विचार करना आवश्यक है । यह तो स्पष्ट है कि शास्त्रों में मांस को रजोगुण उत्पन्न करने वाला माना गया है और इसमें भी सन्देह नहीं कि वह बहुत शीघ्र सड़ने-गलने वाला पदार्थ है, जिससे उसकी प्रकृति शीघ्र ही तामसी बन जाती है । ऐसे आहार का समर्थन कोई भी सात्त्विक वृत्ति वाला—आध्यात्मिकता की अभिलाषा रखने वाला नहीं कर सकता । पर साथ ही हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि, ससार में अधिकांश प्रदेशों में मांस का प्रयोग सदा होता रहता है और अब भी यदि दुनियाभर की जनसंख्या की दृष्टि से हिसाब लगाया जाय तो मांस का सर्वथा त्याग करने वालों की गिनती सौ में से एक या दो ही ठहरेगी । अन्य जातियों तथा देशों में तो इसका कोई प्रतिबन्ध

है ही नहीं हिन्दुओं में भी तीन चौपाई से अधिक व्यक्ति स्थानाधिक परिमाण में मांस का प्रयोग करने वाले ही हैं ।

इसके अतिरिक्त इसका सम्बन्ध रोग कास और परिस्थिति से भी है । बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ अन्धकार की वंशान्तर बहुत कम है और जहाँ के निवासी अधिकांश में धिंकार द्वारा ही जीवन-यापन करते हैं । एक जमाना भी ऐसा था जब कि पृथ्वी पर कृषियोग्य भूमि कम थी प्यादातर घाम जङ्गलों ढीलों बाढ़ि से भरा हुआ था । उस समय भी जङ्गल के जानवरों का धिंकार स्वाभाविक माना जाता था । कभी कभी अज्ञान या अन्धे युद्धों बाढ़ि के फलस्वरूप ऐसी स्थिति आ जाती थी कि मनुष्य को विवश होकर ऐसे निषिद्ध पदार्थों का उपभोग करना पड़ता था जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार अज्ञान के समय विश्वामित्र भ्रात्रि ने कुरी का मांस खा कर प्राण-रक्षा की । इसलिये यदि किसी प्रदेश के निवासी किसी जमाने में अन्धकार के अभाव से मांस का प्रयोग करने लग गये हों तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । ऐसी विवशता को आत्म में क्षम्य माना गया है ।

पर जब हम अध्यात्म आत्मोत्थर्व की दृष्टि से विचार करते हैं तो यह स्पष्ट बात पड़ता है कि मांस का प्रयोग किसी भी तरह बर्ष का साधक नहीं मानक ही सिद्ध होया । इससे निर्दयता बढोरता बार्षपण्डा के भावों को प्रोत्साहन मिलेगा और मनुष्य की मनोवृत्ति सात्त्विकता से हट कर राजसी और तामसी बनने लगेगी । यह बात आत्म-इत्याय की दृष्टि से कदापि माननीय नहीं हो सकती । अतएव बार्षिक इस्थो में मांस को खान दिखाने का समर्पण कोई बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति नहीं कर सकता । ]

॥ अष्टम पाद समाप्त ॥

॥ पष्ठम अध्याय समाप्त ॥

## सप्तमोऽध्याय

[ पिछले छ अध्यायों से पाठकों को मीमांसा-शास्त्र के उद्देश्य, सिद्धान्त तथा प्रतिपादन की प्रणाली का परिचय मिल गया होगा। यह श्रुति को सर्वपिक्ता अधिक मान प्रदान करता है और प्रत्येक कर्म वेदानुकूल हो, इस पर बहुत अधिक जोर देता है। प्रथम अध्याय में धर्म-प्रमाण पर विचार किया गया है। दूसरे में कर्म तथा धर्मा-धर्म के भेद पर दृष्टिपात किया है। तीसरे में श्लेष तथा अगाङ्गिभाव तथा चौथे में कृत्वर्थ और पुरुषार्थ सम्बन्धी कर्मों के भेदों पर विचार किया गया है। पाँचवे में श्रुति के अर्थ करने में किस क्रम को काम में लाया जाय और छठे में यज्ञ-कार्य में व्यक्तियों तथा क्रियाओं का अधिकार की दृष्टि में विवेचन किया गया है। इस प्रकार मीमांसा-दर्शन का 'पूर्वषष्ठक' (प्रथम छ अध्याय) समाप्त हो जाता है।

सातवें और आठवें अध्यायों में सामान्य और विशेष 'अतिदेश' पर विचार किया गया है। नौवें में यज्ञ-क्रियाओं के महत्त्व पर कारण की दृष्टि से विचार किया है जिसका नाम 'ऊह' है। दशवा अध्याय 'वाध' ग्यारहवा 'तत्र' और बारहवा 'प्रसंग' विषयक है।

मीमांसा दर्शन में पशु-याग का प्रश्न बड़ा जटिल है और इसके सम्बन्ध में विदेशी विद्वानों में ही नहीं सनातन धर्म के बड़े-बड़े विद्वानों तथा पंडितों में भी तीव्र मतभेद देखने में आता है। अनेक उच्च कोटि के विद्वान इस दर्शन में पशु बलिदान का प्रतिपादन मानते हैं जब कि अन्य विद्वान् उन वाक्यों का अर्थ पशुओं के दान का ही लगाते हैं। हमने भी इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर मांस-निषेध का प्रतिपादन और समर्थन किया है। आगामी अध्यायों में भी ऐसे विवादग्रस्त विषयों की प्रचुरता

है जिनके विभिन्न विद्वानों द्वारा बाल्य-ब्रह्मण्य तरह के अर्थ लगाये गये हैं । साथ ही इन अध्यायों में यज्ञ में की जाने वाली तरह तरह की छोटी बड़ी क्रियाओं और रीतियों के सम्बन्ध में ऐसी पारिभाषिक धर्मोपदेश नहीं हुई भाषा में विवेचन दिया गया है कि जिसका समस्त उद्देश्य एक अर्थ-पर्यवेक्षित व्यक्ति के लिये भी अत्यन्त अर्थहीन है । वर्तमान समय से सर्वथा भिन्न पृथक् विषय की चर्चा होने से पाठकों की रुचि भी उस तरह कम जाती है । विद्वान् उक्त अध्यायों की टीका के सम्पादन करने से इस बात का पूरा आशय मिल जाता है । इसलिये आपके अध्यायों का केवल मूल ही छाप रहे हैं टीका का अर्थ उतने से निकाल दिया है । इनके अन्वय इन इन अध्यायों के अन्त में अर्थात्कार के रूप में समस्त अर्थन का आशय कमबल रूप से देने का प्रयत्न करिये जिससे पाठक इसके वास्तविक रूप और आशय को समझ सकें । ]

## प्रथम पाद

श्रुतिप्रमाणत्वाच्छेषार्था मुखभेदे यथाधिकारं भाव स्यात् ॥१॥ उत्पत्त्यर्थादिमाहा सत्त्वबर्तकधर्म्यं स्यात् ॥२॥ भोवना शेष भावाहा ताहा तद्भेदाद्भव्यवतिष्ठेरन्मुत्पत्तेर्गुणभूतत्वात् ॥३॥ सत्त्वे सक्षमसयोगात्सार्वाधिकं प्रतीयेत् ॥४॥ अविभागात् नैवं स्यात् ॥५॥ दृष्यत्त्वं च विप्रतिपिद्यम् ॥६॥ उत्पत्तौ द्विष्य भावाहा भोवनायां प्रवृत्ति स्थाततद्व्य-कर्मभेद स्यात् ॥७॥ यदि वाऽप्यभिमानवत्सामान्यात् सर्वधम स्यात् ॥८॥ अर्थस्य त्ववि भक्तत्वात्तथा स्यादभिमानेषु पूर्ववत्त्वात्प्रयोगस्य कर्मणः शब्द भाव्यत्वादिभामाच्छेषापामप्रवृत्ति स्यात् ॥९॥ स्मृतिरिति चेत् ॥१॥ न पूर्ववत्त्वात् ॥११॥ अर्थस्य शब्दभाव्यत्वात्प्रकरणनिबन्ध नाच्छेषादेवान्यत्र भाव स्यात् ॥१२॥ समाने पूर्ववत्त्वाद्युत्पत्ताधिकारः स्यात् ॥१३॥ स्येनस्येति चेत् ॥१४॥ नासभिमानात्

॥१५॥ अपि वा यद्यपूर्वत्वादितरदधिकार्थे ज्योतिष्टोमिकाद्विघेस्तद्वा-  
चक समान स्यात् ॥१६॥ पञ्चसञ्चरेष्वर्थत्रादातिदेशः सन्निधानात्  
॥१७॥ सर्वस्य वैकशब्द्यात् ॥१८॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥१९॥ विहि-  
ताम्नानान्नेति चेत् ॥२०॥ नेतरार्थत्वात् ॥२१॥ एककपालैन्द्राग्नौ  
च तद्वत् ॥२२॥ एककपालना वैश्वदेविक प्रकृतिराग्रयणो सर्व-  
होमपरिवृत्तिदर्शनादवभृथे च सकृद् द्वयवदानस्य वचनात्  
॥२३॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

साम्नोऽभिधानशब्देन प्रवृत्ति स्याद्यथाशिष्टम् ॥१॥ शब्दे-  
स्त्वर्थविधित्वादर्थान्तरेऽप्रवृत्ति स्यात्पृथग्भावात्क्रियाया ह्यभि-  
सम्बन्ध ॥२॥ स्वार्थे वा स्यात्प्रयोजन क्रियायास्तदङ्गभावेनोप-  
दिश्येरन् ॥३॥ शब्दमात्रमिति चेत् ॥४॥ नोत्पत्तिकत्वान् ॥५॥  
शास्त्र चवमनर्थक स्यात् ॥६॥ स्वरस्येति चेत् ॥७॥ नार्थाभा-  
वाच्छस्तेरसम्बन्ध ॥८॥ स्वरस्तूत्पत्तिषु स्यान्मात्रावर्णाविभक्त-  
त्वात् ॥९॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥१०॥ अश्रुतेस्तु विकारस्योत्तरासु  
यथाश्रति ॥११॥ शब्दाना चासामञ्जस्यम् ॥१२॥ अपि तु कम-  
शब्द स्याद्भावोऽर्थ प्रसिद्धग्रहणत्वाद्विकारो ह्यविशिष्टोऽर्थे  
॥१३॥ अद्रव्य चापि दृश्यते ॥१४॥ तस्य च क्रिया ग्रहणार्था  
नानार्थेषु विह्वित्वादर्थो ह्यासामलौकिको विधानात् ॥१५॥  
तस्मिन्सज्ञाविशेषा स्युर्विकारपृथक्त्वान् ॥१६॥ योनिशस्याश्च  
तुल्यवदितराभिर्विधीयन्ते ॥१७॥ अयोनी चापि दृश्यतेऽतथायोनि  
॥१८॥ ऐकार्थ्ये नास्ति वैरूप्यमिति चेत् ॥१९॥ स्यादर्थान्तरेष्व-  
निष्पत्तेर्यथालोके ॥२०॥ शब्दानाञ्चसामञ्जस्यम् ॥२१॥

॥ द्वितीय पाद समाप्त ॥





हो गया था । पर प्रश्न यह है कि यह प्रथा वास्तव में शारीरिक है अथवा उस समय के कुछ स्वाध-लोलुप तथा घृतं पुरोहितों ने शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ करके यह दूषित कर्म प्रचलित करा दिया था ? भीमासादर्शन का कथन है कि यज्ञ कर्म वेदों के विधानानुसार किया जाता है, उसमें मांस का प्रयोग कदापि विहित नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में अष्टम पाद के अन्तिम ब्राह्मण सूत्रों में यह विवाद उठाया गया है कि वेदों में जो पशु हिंसा का निषेध किया गया है, उसका आशय गाय, भैंस बड़े और उपयोगी पशुओं से है । बकरा तो उस तरह का पशु ही नहीं है, उसका यज्ञ में काटना अनुचित नहीं ? पर दर्शनकार ने बराबर इसी बात पर जोर दिया है कि वेदों के 'पशून् माहिंसो' वाक्य में पशुओं में कोई श्रेणी भेद या अन्य प्रकार का भेद भाव नहीं किया गया है, अतः प्रत्येक पशु की हिंसा करना निषिद्ध है । फिर यज्ञ जैसे पवित्र और आत्म-कल्याण के लिये किये जाने वाले धर्मकृत्य में तो हिंसा का ख्याल भी न करना चाहिये । उस समय तो जीवमात्र के प्रति कल्याण और आत्म भाव की भावनाएँ रखने से ही सद्परिणाम की प्रति- हो सकती है ।

- मांस व्यवहार के सम्बन्ध में विचार करते हुये इसके अन्य पहलुओं पर भी विचार करना आवश्यक है । यह तो स्पष्ट है कि शास्त्रों में मांस को रजोगुण उत्पन्न करने वाला माना गया है और इसमें भी सन्देह नहीं कि वह बहुत शीघ्र सड़ने-गलने वाला पदार्थ है, जिससे उसकी प्रकृति शीघ्र ही तामसी बन जाती है । ऐसे आहार का समर्थन कोई भी सात्त्विक वृत्ति वाला—आध्यात्मिकता की अभिलाषा रखने वाला नहीं कर सकता । पर साथ ही हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि ससार में अधिकांश प्रदेशों में मांस का प्रयोग सदा होता रहता है और अब भी यदि दुनियाभर की जनसंख्या की दृष्टि से हिंसात्र लगाया जाय तो मांस का सर्वथा त्याग करने वालों की गिनती सौ में से एक या दो ही ठहरेगी । अन्य जातियों तथा देशों में तो इसका कोई प्रतिबन्ध

साथ ही उन्होंने १२१२ में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है एक व्यक्ति के कर्म का फल दूसरे नहीं पा सकता। जैसे जोय कहते हैं कि अमुक व्यक्ति द्वारा कमाया धन दूसरे अमुक व्यक्ति को दिक गया। पर या तो उसे ऐसा काम अपने किसी पुराने कर्म के फलस्वरूप मिला है और यदि उसने उस फल और बबरहस्ती यह धन प्राप्त किया है तो बचस्य ऐसा कोई कारण पता हो जायगा जिससे धन या जाने पर भी वह उसका उपयोग न कर सकेगा उससे किसी तरह का मुक्त नहीं पा सकेगा। यदि ऐसा बन्धेरहाता होता तो ईश्वर के बटल निबन्धों में बाधा पड़ जाती और सब जोय ईमानवादी और परिश्रम के मार्ग को छोड़ कर ऐसा ही चाछाकी और बेईमानी का मार्ग अपना लेते। इसके अतिरिक्त इस कथन से एक सिद्धान्त यह भी प्रकट होता है कि जो जोय दूसरों से धार्मिक कृत्य कराके उसका पुण्य अपने किये समझ लेते हैं वह भी एक भ्रम है। मनुष्य को उसी कर्म का फल प्राप्त हो सकता है जिसे वह स्वयं श्रद्धा और परिश्रमपूर्वक करेगा।

राल देते समय विवेक से भी काम लेने का उपदेश १-७-२ ३ ४ में किया गया है। 'विश्वविद् पात्र' में सर्वत्र राल का विधान है पर सर्वकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो जोय उसमें स्त्री उष्य की भूमि सेना जात्रि का समावेश भी कर लेते हैं वे मुर्ख हैं। सर्वत्र राल का अर्थ अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति और उपयोग के पदार्थों से ही है। पर यदि इन स्त्री को भी अपनी सम्पत्ति समझ कर राल से रें तथा अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों के निर्वाह के साधनों—भूमि आयबाद जात्रि को भी पश्चात्ती को ब्रजाके तो यह बहाना का ही खोला होना।

यज्ञों में मांस के प्रयोग का प्रसंग बड़ा विवादास्पद है। यह तो मालना पड़ेगा कि बीच के समय में बहाना बचना स्वार्थ के कारण यज्ञों में पशुओं को मारने की प्रथा प्रचलित हो गई थी और किसी-किसी यज्ञ में तो इतने पशु मारे गये थे कि नदियों का पानी कोसों तक काक

हो गया था । पर प्रश्न यह है कि यह प्रथा वास्तव में शारीरिक है अथवा उस समय के कुछ स्वाथ-लोलुप तथा घूर्त पुरोहितों ने शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ करके यह दूषित कर्म प्रचलित करा दिया था ? मीमांसादर्शन का कथन है कि यज्ञ कम वेदों के विधानानुसार किया जाता है, उसमें मांस का प्रयोग कदापि विहित नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में अष्टम पाद के अन्तिम बारह सूत्रों में यह विवाद उठाया गया है कि वेदों में जो पशु हिंसा का निषेध किया गया है, उसका आशय गाय, भैंस बड़े और उपयोगी पशुओं से है । बकरा तो उस तरह का पशु ही नहीं है, उसका यज्ञ में काटना अनुचित नहीं ? पर दर्शनकार ने बराबर इसी बात पर जोर दिया है कि वेदों के 'पशून् माहिंसो' वाक्य में पशुओं में कोई श्रेणी भेद या अन्य प्रकार का भेद भाव नहीं किया गया है, अतः प्रत्येक पशु की हिंसा करना निषिद्ध है । फिर यज्ञ जैसे पवित्र और आत्म-कल्याण के लिये किये जाने वाले धर्मकृत्य में तो हिंसा का स्थान भी न करना चाहिये । उस समय तो जीवमात्र के प्रति कल्याण और आत्म भाव की भावनायें रखने से ही सद्परिणाम की प्रति-पत्ति हो सकती है ।

- मांस व्यवहार के सम्बन्ध में विचार करते हुये इसके अन्य पहलुओं पर भी विचार करना आवश्यक है । यह तो स्पष्ट है कि शास्त्रों में मांस को रजोगुण उत्पन्न करने वाला माना गया है और इसमें भी सन्देह नहीं कि वह बहुत शीघ्र सड़ने-गलने वाला पदार्थ है, जिससे उसकी प्रकृति शीघ्र ही तामसी बन जाती है । ऐसे आहार का समर्थन कोई भी सात्विक वृत्ति वाला—आध्यात्मिकता की अभिलाषा रखने वाला नहीं कर सकता । पर साथ ही हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि संसार में अधिकांश प्रदेशों में मांस का प्रयोग सदा होता रहता है और अब भी यदि दुनियाभर की जनसंख्या की दृष्टि से हिसाब लगाया जाय तो मांस का सर्वथा त्याग करने वालों की गिनती सौ में से एक या दो ही ठहरेगी । अन्य जातियों तथा देशों में तो इसका कोई प्रतिबन्ध

यजमान होने का स्पष्ट कथन पाया जाता है इसके वह ठीक है  
॥१६४॥

॥ यहम पाद सप्तम ॥

## सप्तम पाद

स्वहामे सर्वमविशेषात् ॥१॥

यस्य वा भ्रभुः स्याद्विरस्याश्रयमत्वात् ॥२॥

न भूमि स्यात्सर्वान्प्रत्याविशिष्टत्वात् ॥३॥

अकार्यत्वाच्च ततः पुनर्विशेषः स्यात् ॥४॥

नित्यत्वाच्चानित्यैर्नास्ति सम्बन्ध ॥५॥

द्यूदश्च धर्मशास्त्रत्वात् ॥६॥

वक्षिणाकाशे मत्स्वं तत्प्रतीयेत सदानसयोगात् ॥७॥

अश्लेषत्वात्तदन्तः स्यात्कर्मणो द्रव्यसिद्धित्वात् ॥८॥

अपि वा श्लेषकर्म स्यात्कृतो प्रत्यक्षविशिष्टत्वात् ॥९॥

तथा चान्यार्थवर्तनम् ॥१०॥

पूर्व-पद है 'विश्वचित्' मान में यजमान को सर्वस्व दान करने का विधान है ? इसका समाधान है कि यजमान जिन वस्तुओं का स्वामी है उनके दान का है अन्य का नहीं । जैसे कई व्यक्ति स्त्री तक का दान कर बैठे हैं वह ठीक नहीं है । इसी प्रकार राज्य की भूमि का दान नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर अन्य सम्बन्धियों पुत्र पौत्र आदि का भी अधिकार है । अस्वों का भी दान नहीं करना चाहिये क्योंकि वे बुद्ध के किये अनिर्वाह हैं ॥ १४ ॥ इस पर टिप्पणी है कि जब 'आत्मदान' देने तक का विधान है तब छोड़ो आदि के दान में

उत्तर है कि आत्मा नित्य

की वा सपत्नी और

पुत्रों को भी

नहीं लगाया जा सकता । वरन् यज्ञ के लिये जो पदार्थ छेदे-काटे जाते हैं वे 'छाग' सजा वाले हैं । ऋगो में भिन्नता होने से 'छाग' से कोई जाति का आशय ग्रहण नहीं करना चाहिये । दूसरी बात यह है कि यज्ञ में पशु-हवन-रूप विकार इष्ट नहीं । ईश्वरीय ज्ञान वेदों में ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती । वेदों में अविकाश जगह 'छाग' का प्रयोग यौगिक अर्थ में हुआ है और इस वर्णन से उसे कोई पशु-विशेष नहीं माना जा सकता ॥३७-४१॥ यह भी कह सकते हैं कि 'छाग' एक विशेष प्रकार की वनस्पति या औषध का नाम है जो हवन की सामग्री में पड़ती है । इससे भी वह बकरा सिद्ध नहीं होता ॥४२-४३॥

{ इस 'अधिकार-अनधिकार' शीर्षक पष्ठम् अध्याय में यज्ञ-क्रिया सम्बन्धी अनेक विवादग्रस्त प्रश्नों का निर्णय करने के साथ ही कई विशेष महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है । जैसे प्रथम पाद में ही स्त्रियों के यज्ञाधिकार का प्रश्न उठाया है और विरोधी पक्ष की ओर से यह आपत्ति उपस्थित की गई है कि म्त्रियाँ तो बेंची और खरीदी जाती हैं, उनके पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं होती, इसलिये वे यज्ञ कार्य जैसे धन-साध्य कर्म को कैसे कर सकती हैं ? पर भीमासाकार ने सिद्ध कर दिया है कि स्त्री को शास्त्रों ने स्पष्ट शब्दों में अर्घ्याग्नी और सहर्घामिणी घोषित किया है, अतः पति के धन में उसका भी स्वामित्व रहता है और वह यज्ञ की पूर्ण अधिकारिणी है । द्वितीय पाद में कर्म करने में पुरुष की स्वाधीनता का विवेचन बहुत उपयुक्त है । जो लोग भाग्य को दोष लगा कर अपने दोषों पर पर्दा डालना चाहते हैं उनको भीमासाकार ने बहुत फटकारा है । उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया है गनुष्य पूर्व कर्मों का फल ( प्राग्भव ) भोगने में परतन्त्र अवश्य है, यथार्थ वह जो कुछ भी बुरा कर्म करता है उसका दण्ड तथा जो भला कर्म करता है उसका पुरस्कार इस लोक और परलोक में अवश्य पायेगा । पर वर्तमान जीवन में नतीज कर्म करने में यह पूर्णतया स्वतन्त्र है और अपने भावी जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकता है ।

न तत्र ह्यभोवित्त्वात् ॥३॥

नियमा वैकार्ष्यं ह्ययभेदात्मेव पृथक्त्वनामिभानात् ॥३५॥

अनियमा वाऽप्यन्तरत्वादन्यत्वं व्यतिरेकप्रभेदाभ्याम्

॥३६॥

न वा प्रयोगसमवायित्वात् ॥३७॥

रूपालिङ्गनाच्च ॥३८॥

अनेन कर्माभ्या रूपालिङ्गनाभ्याम् ॥३९॥

रूपाभ्यत्वाच्च जातिराम्ब स्यात् ॥४०॥

विठारो नोत्पत्तिकत्वात् ॥४१॥

स नैमित्तिक पक्षो गुणस्याभावित्त्वात् ॥४२॥

आतेर्वा तत्प्रापयन्नार्थवत्त्वाभ्याम् ॥४३॥

इस में पूर्व पक्ष की प्रकृष्टता है कि बकरे को मार कर हवन करने का जो वेद में आदेश है ? इसका समाधान है कि यह कथन ठीक नहीं क्योंकि यह उक्त वेद मन्त्र का विरोधी है ॥३१-३२॥ फिर बक़्ता है कि आर्षेण पृथीतं वापय के समाप्त उक्त मन्त्र का वाच्य भी यदि विशेष पशुओं की रक्षा से ही है । उन पशुओं से उसका सम्बन्ध नहीं ? इसका उत्तर है कि वेद मन्त्र में किसी विशेष पशु का उल्लेख नहीं है बल्कि उसका वाच्य पशु मात्र से है ॥३३-३४॥ फिर प्रकृष्ट है कि उक्त मन्त्र में सामान्य पशुओं की रक्षा का विधान है पर आन एक विशेष पशु है, हमसे उसकी विनती समये नहीं ही सकती ? इसका उत्तर है कि वेद के आदेश में पशुओं में भेद नहीं किया गया है । यहाँ स्पष्ट कहा है 'यी माहिषी बभ्रिमाहिषी वा हिंसीरेकवधम्' ( पाम मय मारो भेद को मय मारो बुर बकै पशुओं को न मारो ) ॥३५-३६॥ फिर बक़्ता करता है कि 'आन' के जो नाम से ही उसे मारने का कर्त्तव्य होता है, आपार्यकिञ्चतेति आन कर्त्तव्यो जो वाच के अग्नि काट्य आन वह कर्त्तव्य है ? इसका उत्तर है कि उक्त कथन पक्कत है । उसका कर्त्तव्य बकरे से

उदगयनपूर्वपक्षाह पुण्याहेषु देवानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्श-  
नात् ॥२३॥

अहनि च कर्मसाकल्यम् ॥२४॥

इतरेषु तु पित्र्याणि ॥२५॥

याच्ञाक्रयणमविद्यमाने लोकवत् ॥२६॥

नियत वाऽर्थवत्वात्स्यात् ॥२७॥

तथा भक्षप्रैषाच्छादनसज्रप्तहोमद्वेषम् ॥२८॥

अनथक त्वनित्य स्यात् ॥२९॥

पशुचोदनायामनियमोऽविशेषात् ॥३०॥

उक्त कथन पर पूर्वं पक्ष का मत है कि उक्त इष्टि का अनुष्ठान लौकिक अग्नि में होना चाहिये, क्योंकि अग्न्याधान कर्म सब के लिये नहीं है ? ॥२१॥ जिस ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत भङ्ग हो जाय उसे गर्दभ का स्पर्श करके 'अवकीर्ण इष्टि' का होम आनहिताग्नि में करना चाहिये ॥२२॥ चूढाकरण आदि कर्म पवित्र दिनों में किया जाय, क्योंकि स्मृति ग्रन्थों में ऐसे देव कर्मों को शुभ दिनों में करने का आदेश है । इस कर्म को दिन के समय ही करना चाहिये ॥२४-२५॥ पूर्वं पक्ष है कि भिक्षा और सोम का क्रम सब कालों में होना चाहिये, जैसा कि लोक-व्यवहार देखा जाता है ? इसका समाधान है कि भिक्षा आदि का काल नियत है । यदि इन कर्मों को नियमपूर्वक न किया जाय तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो सकते हैं ॥२७-२८॥ अब पशुओं की रक्षा के सम्बन्ध में विचार करते हैं कि वेद के 'पशूनपाहि' मन्त्र में पशु रक्षा का कोई विशेष नियम नहीं है, अर्थात् सब प्रकार के पशुओं की रक्षा का उपदेश किया गया है ॥३०॥

छागो वा मन्त्रवर्णात् ॥३१॥

न चोदनाविरोधात् ॥३२॥

आर्पेयवदिति चेत् ॥३३॥

न श्रुतिविप्रतिषेधात् ॥१६॥

सवार्धस्वाप्न पुत्रार्थो न प्रयोजयेत् ॥१७॥

सोमपानात् प्रापणं द्वितीयस्य तस्मादुपयञ्जेत् ॥१८॥

पितृवस्त्रे तु वर्धनात्प्रागाधानारप्रठायेत् ॥१९॥

स्वपतीष्टिं प्रमाजवयममाधेयं प्रयोजयेत्तावन्पञ्चिवापवृजयेत्

॥२०॥

पूवं पठ है कि उपनयन काक मे बाह्मिनि में हुवन करे क्यों कि उसका होम क साथ सम्बन्ध पामा जाता है ? इसका समाधान है कि उपनयन कर्म स्वपतिं इष्टि के समान सौक्रिक बन्धि में ही करने बाह्ये क्योंकि उनका उद्देश्य विद्याध्ययन मे प्रवृत्त होना है और ब्रह्म्याधान का अधिकार विद्याध्ययन के बाद प्राप्त होता है । दूसरा कथन यह भी है ब्रह्म्याधान का अधिकार स्त्रीगुक्त को ही है ॥ ११ १३ ॥ एक शंका यह है कि वो ब्रह्म्याधान के परचात् भार्या ग्रहण करता है वह बर्क्य है ? दूसरी शंका यह है कि श्राद्ध कर्म क समान उपनयन सम्बन्धी हुवन बाह्य और अनाह्य दोनों बन्धियों मे किया जाता है ? इसका समाधान है कि उक्त प्रकार वो भार्याको का विवाह निषिद्ध माना जाता है । उक्त प्रकार के प्रयोजनों के लिये होने से स्त्री सद्बन्धिनी कइजाती है, उसका उद्देश्य केवल प्रजोत्पत्ति नहीं है । सोम पीने बाका ( वैदिक बर्धाव अन्धी ) दूसरी भार्या की अनिच्छापा नहीं रखता ॥ १४ १ ॥ पितृपुत्र बाह्मिनि ( ब्राह्मण बादि ) और 'अनाह्यिनि' (सूत्र बादि) दोनों का बर्क्य है इसलिये उभे दोनों तरह से करने का विधान है ॥ १६॥ स्वपति इष्टि प्रयाग के समान ब्रह्म्याधान के बाधय से होती है । इससे यज्ञ के बन्धिप्राय बाकी होने से बाह्मिनि से बन्धित है ॥ २ ॥

अपि वा सौक्रिकेऽन्ती स्मादाधानस्यासंबन्धेवत्वात् ॥२१॥

अबकारिण पशुदध तद्व्याधानस्याप्राप्तकास्त्वात् ॥२२॥



उदगयनपूर्वपक्षाह पुण्याहेषु देवानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्श-  
नात् ॥२३॥

अहनि च कर्मसाकल्यम् ॥२४॥

इतरेषु तु पित्र्याणि ॥२५॥

याच्ञाक्रयणमविद्यमाने लोकवत् ॥२६॥

नियत वाऽर्थवत्वात्स्यात् ॥२७॥

तथा भक्षप्रैषाच्छादनसज्ञप्तहोमद्वेषम् ॥२८॥

अनर्थक त्वनित्य स्यात् ॥२९॥

पशुचोदनायामनियमोऽविशेषात् ॥३०॥

उक्त कथन पर पूर्व पक्ष का मत है कि उक्त इष्टि का अनुष्ठान लौकिक अग्नि में होना चाहिये, क्योंकि अग्न्याधान कर्म सब के लिये नहीं है ? ॥२१॥ जिस ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्यं व्रत भङ्ग हो जाय उसे गर्दभ का स्पर्श करके 'अवकीर्णि इष्टि' का होम आनहिताग्नि मे करना चाहिये ॥२२॥ चूढाकरण आदि कर्म पवित्र दिनो मे किया जाय, क्योंकि स्मृति ग्रन्थो मे ऐसे देव कर्मो को शुभ दिनो मे करने का आदेश है । इस कर्म को दिन के समय ही करना चाहिये ॥२४-२५॥ पूर्व पक्ष है कि भिक्षा और सोम का क्रम सब कालो मे होना चाहिये, जैसा कि लोक-व्यवहार देखा जाता है ? इसका समाधान है कि भिक्षा आदि का काल नियत है । यदि इन कर्मो को नियमपूर्वक न किया जाय तो ये स्वास्थ्य को दृष्टि से हानिकारक हो सकते हैं ॥२७-२८॥ अब पशुओ की रक्षा के सम्बन्ध में विचार करते हैं कि वेद के 'पशूनपाहि' मन्त्र मे पशु रक्षा का कोई विशेष नियम नही है, अर्थात् सब प्रकार के पशुओ को रक्षा का उपदेश किया गया है ॥३०॥

छागो वा मन्त्रवर्णात् ॥३१॥

न चोदनाविरोधात् ॥३२॥

आर्पेयवदिति चेत् ॥३३॥

मत है कि जो सहस्र वर्ष की आयु लिखी है वह एक कुञ्ज या बंध की है, उसका वाच्य एक व्यक्ति से नहीं है। इस पर पूर्व पक्ष का कथन है कि वास्तव वाक्य में जो 'कृत्स्न' शब्द आया है उससे एक व्यक्ति का ही वाच्य निकलता है ? ॥३४ ३६॥ आशुकायन ऋषि का मत है कि सहस्र वर्ष के अध्ययन का वाच्य भोज है, वास्तव में उसका अर्थ बहुत अधिक समय तक अध्ययन करते रहने से है। दुसरा समाधान यह भी है कि 'संवत्सर' शब्द एक वर्ष का वाचक नहीं है। कहीं उसका अर्थ वर्ष का होता है, कहीं ऋतुओं का और कहीं दिनों का। पूर्व पक्ष का कथन है कि कुछ वाक्यों में मनुष्यों की पद्धति के अनुसार यानवीन-वर्ष का अर्थ ही क्या चाहिये ? इसका समाधान यह कि 'संवत्सर' दिन के अर्थ में नहीं प्रकाश जाता है क्योंकि एक दिन में सैद्धों ऋतुओं के वर्तन का वर्धन पाया जाता है ॥ ३७-४ ॥

॥ अस्य वाद समाप्त ॥

## अष्टम पाद

इष्टिपूर्वत्वात्प्रभुषेवो होमः संस्कृतेष्वम्नियु स्यात्पूर्वोऽप्या  
वानस्यसर्वेष्वत्वात् ॥१॥

इष्टित्वेन तु संस्तवदत्तुर्होतुमसंस्कृतेषु बर्हस्पति ॥२॥

उपदेशस्त्वपूर्वत्वात् ॥३॥

स सर्वेषामविशेषात् ॥४॥

अपि वा ऋत्विजावादानाहिताग्नेरशेषश्रुतनिर्वेस ॥५॥

अपो वाऽग्निर्होतुमात् ॥६॥

इष्टित्वेन संस्तुते होमः स्यादनात्म्याग्निद्योगादितरेषाम  
वाच्यत्वात् ॥७॥

उमयो पितृमन्त्रवत् ॥८॥

निर्देशो वाऽनाहिताग्नेरनारभ्याग्निसप्रोगात् ॥१६॥

पितृयज्ञे सयुक्तस्य पुनर्वचनम् ॥१०॥

प्रजा की कामनाय 'चतुर्होम' नामक होम अपूर्व होने पर भी पवमान इष्टि का साध्य होने से सस्कृताग्नि में ही कराया जाय, यह पूर्व पक्ष है ? समाधान है कि इष्टि रूप से जो स्तुति की जाती है उससे प्रकट होता है कि चतुर्होम का असस्कृत अग्नि में करना चाहिये । फिर शका है कि यदि उसे असस्कृत अग्नियों में किया जाय तो फिर विधान की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि उपरोक्त होमो का उपदेश अपूर्व विधि से दिया गया है ? ॥१-३॥ अन्य शका है कि उपरोक्त विधि तो अगभूत-अनङ्गभूत दोनों तरह के होमो का विधान करता है ? उत्तर है कि जो कर्म यज्ञ के अङ्ग नहीं है वे अनाहिताग्नियों से होते ही हैं । फिर शका है कि अनाहिताग्नियों की इष्टि का कथन तो केवल अर्थवाद है, उसका अग्नि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ? उत्तर है कि इष्टि के रूप में वणन किये जाने से वह होम ही है कोरा अर्थवाद नहीं है, दूसरे असस्कृताग्नि होम करने का विधान पाया जाता है ॥ ४-७ ॥ पूर्व पक्ष कहता है कि जैसे पितृयज्ञ को आहिताग्नि तथा अनाहिताग्नि दोनों प्रकार के पुरुष कर सकते हैं, वैसे चतुर्होम कर्म को दोनों ही प्रकार के पुरुष कर सकते हैं ? इसका समाधान है कि चतुर्होम अनाहिताग्नि में ही किया जाता है, उसी अग्नि से उक्त होमो का सम्बन्ध है । पितृ-यज्ञ में तो आहिताग्नि और अनाहिताग्नि दोनों से सम्बन्ध के वचन पाये आते हैं, इसलिये उसका दृष्टान्त चतुर्होम में नहीं लग सकता ॥ ८-१० ॥

उपनयन्नाधीत होमसयोगात् ॥११॥

स्थपतिवल्लौकिके वा विद्याकर्मानुपूर्वत्वात् ॥१२॥

आधान च भार्यासयुक्तम् ॥१३॥

अकर्म चोर्ध्वमाधानात्तत्समवायो हि कर्मभि ॥१४॥

श्राद्धवदिति चेत् ॥१५॥

न श्रुतिविप्रतिषेधात् ॥१६॥

सवार्थत्वाच्च पुत्रार्थो न प्रयोजयेत् ॥१७॥

सोमपानात् प्रापण द्वितीयस्य तस्मादुपयच्छेत् ॥१८॥

पितृवञ्चे तु दर्शनात्प्रागाधानात्प्रठायेत् ॥१९॥

स्वपतीष्टि प्रयाजवदभ्याधेय प्रयोजयेत्तादर्थ्यान्निष्ठापकुञ्चेत्

॥२०॥

पूर्व पक्ष है कि उपनयन काक मे आह्वितग्नि मे हुवन करे क्यो कि उसका होम के साथ सम्बन्ध पाया जाता है ? इसका समाधान है कि उपनयन कर्म स्वपति' इष्टि के समान सौकिक अग्नि में ही करने चाहिये क्योकि उनका उद्देश्य विद्याभ्ययन मे प्रवृत्त होना है और अग्न्याधान का अधिकार विद्याभ्ययन के बाद प्राप्त होता है । दूसरा कारण यह भी है अग्न्याधान का अधिकार स्त्रीगुल्ल को ही है ॥ ११ १३ ॥ एक बंका यह है कि जो अग्न्याधान के पदवत् भावों ग्रहण करता है वह अकर्म है ? दूसरी बंका यह है कि श्राद्ध कर्म के समान उपनयन सम्बन्धी हुवन आहित और अनाहित दोनों अग्नियो मे क्रिया जाता है ? इनका समाधान है कि उक्त प्रकार दो भावोंको का विवाह निषिद्ध माना जाता है । उक्त प्रकार के प्रयोजनों के क्रिये होने से स्त्री अहर्निशी कहलाती है उसका उद्देश्य केवल प्रजोत्पत्ति नहीं है । सोम पीने वाला ( वैदिक धर्मविन्मयी ) दूसरी भावों को अन्विकाया नहीं रखता ॥ १४ १ ॥ पितृवञ्च अह्विताग्नि ( आह्वय आदि ) और 'अनाह्विताग्नि' (सूत्र आदि) दोनों का कर्तव्य है इसलिये उसे दोनों तरह से करने का विधान है ॥१९॥ स्वपति इष्टि प्रयाज के समान अग्न्याधान के आभय से होती है । इससे मन्त्र के आभिप्राय बाधी होने से आह्विताग्नि से सम्प्रग्विद्य है ॥ २ ॥

अपि वा सौकिकेऽग्नी स्थायाधानस्यासर्वस्येवत्वात् ॥२१॥

अबकाभि पदुद्वच उद्वदाधानस्याप्राप्ततास्त्वात् ॥२२॥

उदगयनपूर्वपक्षाह पुण्याहेषु देवानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्श-  
नात् ॥२३॥

अहनि च कर्मसाकल्यम् ॥२४॥

इतरेषु तु पित्र्याणि ॥२५॥

याच्ञाक्रयणमविद्यमाने लोकवत् ॥२६॥

नियत वाऽर्थवत्वात्स्यात् ॥२७॥

तथा भक्षप्रैषाच्छादनसज्ञप्तहोमद्वेषम् ॥२८॥

अनर्थक त्वनित्य स्यात् ॥२९॥

पशुचोदनायामनियमोऽविशेषात् ॥३०॥

उक्त कथन पर पूर्व पक्ष का मत है कि उक्त इष्टि का अनुष्ठान लौकिक अग्नि में होना चाहिये, क्योंकि अग्न्याधान कर्म सब के लिये नहीं है ॥२१॥ जिस ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत भङ्ग हो जाय उसे गर्दभ का स्पर्श करके 'अवकीर्णि इष्टि' का होम आनहिताग्नि में करना चाहिये ॥२२॥ चूडाकरण आदि कर्म पवित्र दिनो में किया जाय, क्योंकि स्मृति ग्रन्थो में ऐसे देव कर्मों को शुभ दिनो में करने का आदेश है । इस कर्म को दिन के समय ही करना चाहिये ॥२४-२५॥ पूर्व पक्ष है कि भिक्षा और सोम का क्रम सब कालो में होना चाहिये, जैसा कि लोक-व्यवहार देखा जाता है ? इसका समाधान है कि भिक्षा आदि का काल नियत है । यदि इन कर्मों को नियमपूर्वक न किया जाय तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो सकते हैं ॥२७-२८॥ अब पशुओं की रक्षा के सम्बन्ध में विचार करते हैं कि वेद के 'पशूनपाहि' मन्त्र में पशु रक्षा का कोई विशेष नियम नहीं है, अर्थात् सब प्रकार के पशुओं की रक्षा का उपदेश किया गया है ॥३०॥

छागो वा मन्त्रवर्णात् ॥३१॥

न चोदनाविरोधात् ॥३२॥

आर्षेयवदिति चेत् ॥३३॥

न तत्र ह्यचोदितत्वात् ॥३॥

नियमो वैकार्य्यं ह्यपभेदाद्भेद पृथक्त्वनाभिधानात् ॥३५॥

अनियमो वाऽप्यन्तरत्वावन्यत्वं व्यतिरेकस्य भेदाभ्याम् ॥३६॥

न वा प्रयोगसमवायित्वात् ॥३७॥

कृपासिद्धगाव्य ॥३८॥

छाग्न कर्माख्या कृपासिद्धगाभ्याम् ॥३९॥

कृपान्यत्वात् आतिराम्य स्यात् ॥४०॥

विकारो नोत्पत्तिकत्वात् ॥४१॥

स नैमित्तिक पक्षोगु कस्माच्चोदितत्वात् ॥४२॥

आतेर्वा तत्प्रायश्चनार्थवत्त्वाभ्याम् ॥४३॥

इस में पूर्व पक्ष की शक्यता है कि बकरे को मार कर खान करने का तो वेद में आदेश है ? इसका समाधान है कि यह कथन ठीक नहीं क्योंकि यह उक्त शब्द मन्त्र का विरोधी है ॥३१ ३२॥ फिर शक्यता है कि 'मार्त्येय वृचीते' वाक्य के समान उक्त मन्त्र का आशय भी आदि विशेष पशुओं की रक्षा से ही है । सब पशुओं से उसका सम्बन्ध नहीं ? इसका उत्तर है कि वेद मन्त्र में किसी विशेष पशु का उल्लेख नहीं है बल्कि उसका आशय पशु पान से है ॥३३ ३४॥ फिर शक्यता है कि उक्त मन्त्र में सामान्य पशुओं की रक्षा का विधान है पर छाग एक विशेष पशु है इससे उल्लेख विगती उगमे नहीं हो सकती ? इसका उत्तर है कि वेद के आशय में पशुओं में भेद नहीं किया गया है । वही स्पष्ट कहा है नौ माद्विधी अविमाहिमी ना द्वितीरेक्यफम् ( पशु मठ मारो वेद को मठ मारो पुर बले पशुओं को न मारो ) ॥३५ ३६॥ फिर शक्यता करते हैं कि 'छाय' के लो नाम से ही उस मारने का अर्थ सिद्ध होता है "यत्प्रायश्चित्तेति छाप कर्त्तुं वो पाप के लिये कष्ट नाम वह छाप है ? इनका उत्तर है कि उक्त कथन पकठ है । पक्षम धर्म बकरे से

नहीं लगाया जा सकता । वरन् यज्ञ के लिये जो पदार्थ छेदे-काटे जाते हैं वे 'छाग' सजा वाले हैं । रूपो मे भिन्नता होने से 'छाग' से कोई जाति का आशय ग्रहण नहीं करना चाहिये । दूसरी बात यह है कि यज्ञ मे पशु-हवन-रूप विकार इष्ट नहीं । ईश्वरीय ज्ञान वेदो मे ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती । वेदो मे अधिकाश जगह 'छाग' का प्रयोग यौगिक अर्थ मे हुआ है और इस वर्णन से उसे कोई पशु-विशेष नहीं माना जा सकता ॥३७-४१॥ यह भी कह सकते हैं कि 'छाग' एक विशेष प्रकार की वनस्पति या औषध का नाम है जो हवन की सामग्री मे पडती है । इससे भी वह वकरा सिद्ध नहीं होता ॥४२-४३॥

[ इस 'अधिकार-अनधिकार' शीर्षक षष्ठम् अध्याय मे यज्ञ-क्रिया सम्बन्धी अनेक विवादग्रस्त प्रश्नो का निर्णय करने के साथ ही कई विशेष महत्वपूर्ण समस्याओ पर भी प्रकाश डाला है । जैसे प्रथम पाद मे ही स्त्रियो के यज्ञाधिकार का प्रश्न उठाया है और विरोधी पक्ष की ओर से यह आपत्ति उपस्थित की गई है कि स्त्रियाँ तो बेची और खरीदी जाती हैं, उनके पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं होती, इसलिये वे यज्ञ कार्य जैसे घन-साध्य कर्म को कैसे कर सकती हैं ? पर मीमासाकार ने सिद्ध कर दिया है कि स्त्री को शास्त्रो ने स्पष्ट शब्दो मे अर्घाङ्गिणी और सहर्घामिणी घोषित किया है, अतः पति के घन मे उसका भी स्वामित्व रहता है और वह यज्ञ की पूर्ण अधिकारिणी है । द्वितीय पाद मे कर्म करने मे पुरुष की स्वाधीनता का विवेचन बहुत उपयुक्त है । जो लोग भाग्य को दोष लगा कर अपने दोषो पर पर्दा डालना चाहते हैं उनको मीमासाकार ने बहुत फटकारा है । उन्होने सप्रमाण सिद्ध किया है मनुष्य पूर्व कर्मों का फल ( प्रारब्ध ) भोगने मे परतन्त्र अवश्य है, क्योंकि वह जो कुछ भी बुरा कर्म करता है उसका दण्ड तथा जो भला कर्म करता है उसका पुरस्कार इस लोक और परलोक मे अवश्य पायेगा । पर वर्तमान जीवन मे नवीन कर्म करने मे वह पूर्णतया स्वतन्त्र है और अपने भावी जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकता है ।

साथ ही उन्होंने १२१२ में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है एक व्यक्ति कर्म का फल दूसरा नहीं पा सकता। जैसे लोग कहते हैं कि समुक्त व्यक्ति द्वारा कमाया धन दूसरे समुक्त व्यक्ति को मिल गया। पर या तो उसे ऐसा काम अपने किसी पुराने कर्म के फलस्वरूप मिला है और यदि उसने एक कपट और जबरदस्ती यह धन प्राप्त किया है तो अवश्य ऐसा कोई कारण पैदा हो जायगा जिससे धन या जाने पर भी वह उसका उपभोग न कर सकेगा उससे किसी तरह का सुख नहीं पा सकेगा। यदि ऐसा सम्भरेखाता होता तो ईश्वर के अटक नियमों में बाधा पड़ जाती और सब लोग ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग को छोड़ कर ऐसा ही चाकाकी और बेईमानी का मार्ग अपना देते। इसके अतिरिक्त इस कथन से एक सिद्धान्त यह भी प्रकट होता है कि जो लोग दूसरों से वार्त्तिक कृत्य कराके उसका पुण्य अपने किये समझ लेते हैं वह भी एक भ्रम है। मनुष्य को उसी कर्म का फल प्राप्त हो सकता है जिसे वह स्वयं श्रद्धा और परिश्रमपूर्वक करेगा।

बाल देते समय विवेक से भी काम लेने का उपदेश ६-७-२ १४ में दिया गया है। 'विश्ववित् बाल' में सर्वस्व बाल का विधान है पर वर्धनकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग उससे स्त्री राज्य की धूमि सेना आदि का समावेश भी कर लेते हैं वे भ्रष्ट हैं। सर्वस्व बाल का अर्थ अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति और उपयोग के पदार्थों से ही है। पर यदि हम स्त्री को भी अपनी सम्पत्ति समझ कर बाल दे दें तथा अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों के निर्वाह के साधनों—धूमि पामचार आदि को भी पछा भी को दे डालें तो वह ब्रह्मण्ड का ही दोषक होगा।

यज्ञों में मांस के प्रयोग का प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। वह तो मानता पड़ेगा कि बीच के समय में अज्ञान अपना स्वार्थ के कारण यज्ञों में पशुओं को मारने की प्रथा प्रचलित हो गई थी और किसी-किसी यज्ञ में तो इतने पशु मारे गये थे कि बरिषों का पानी कौनों एक आठ



हो गया था । पर प्रश्न यह है कि यह प्रथा वास्तव में शारीरिक है अथवा उस समय के कुछ स्वाथ-लोलुप तथा घूर्त पुरोहितों ने शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ करके यह दूषित कर्म प्रचलित करा दिया था ? मीमांसादर्शन का कथन है कि यज्ञ कर्म वेदों के विधानानुसार किया जाता है, उसमें मांस का प्रयोग कदापि विहित नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में अष्टम पाद के अन्तिम बारह सूत्रों में यह विवाद उठाया गया है कि वेदों में जो पशु हिंसा का निषेध किया गया है, उसका आशय गाय, भैंस बड़े और उपयोगी पशुओं से है । बकरा तो उस तरह का पशु ही नहीं है, उसका यज्ञ में काटना अनुचित नहीं ? पर दर्शनकार ने बराबर इसी बात पर जोर दिया है कि वेदों के 'पशून् माहिंसी' वाक्य में पशुओं में कोई श्रेणी भेद या अन्य प्रकार का भेद भाव नहीं किया गया है, अतः प्रत्येक पशु की हिंसा करना निषिद्ध है । फिर यज्ञ जैसे पवित्र और आत्म-कल्याण के लिये किये जाने वाले धर्मकृत्य में तो हिंसा का स्थान भी न करना चाहिये । उस समय तो जीवमात्र के प्रति कल्याण और आत्म भाव की भावनाएँ रखने से ही सद्परिणाम की प्रति-प्ति हो सकती है ।

- मांस व्यवहार के सम्बन्ध में विचार करते हुये इसके अन्य पहलुओं पर भी विचार करना आवश्यक है । यह तो स्पष्ट है कि शास्त्रों में मांस को रजोगुण उत्पन्न करने वाला माना गया है और इसमें भी सन्देह नहीं कि वह बहुत शीघ्र सड़ने-गलने वाला पदार्थ है, जिससे उसकी प्रकृति शीघ्र ही तामसी बन जाती है । ऐसे आहार का समर्थन कोई भी सात्विक वृत्ति वाला—आध्यात्मिकता की अभिलाषा रखने वाला नहीं कर सकता । पर साथ ही हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि, संसार में अधिकांश प्रदेशों में मांस का प्रयोग सदा होता रहता है और अब भी यदि दुनियाभर की जनसंख्या की दृष्टि से हिसाब लगाया जाय तो मांस का सर्वथा त्याग करने वालों की गिनती सौ में से एक या दो ही ठहरेगी । अन्य जातियों तथा देशों में तो इसका कोई प्रतिबन्ध

साथ ही उन्होंने १२१२ में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है एक व्यक्ति का कर्म का फल बुझना नहीं पा सकता। जैसे ज्ञेय कहते हैं कि अमुक व्यक्ति द्वारा कमाया बन बुझने अमुक व्यक्ति को मिल गया। पर या तो उसे ऐसा लाभ अपने किसी पुराने कर्म के फलस्वरूप मिला है और यदि उसने छद्म कर्म और जबरदस्ती यह बन प्राप्त किया है तो बावजूब ऐसा कोई कारण पैदा हो पायगा जिससे बन वा जाने पर भी वह उसका उपयोग न कर सकेगा उससे किसी तरह का सुख नहीं पा सकेगा। यदि ऐसा अन्धेरखाता होता तो ईस्वर के अटक नियमों में बाधा पड़ जाती और सब ज्ञेय ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग को छोड़ कर ऐसा ही धासाकी और बेईमानी का मार्ग अपना लेते। इसके अतिरिक्त इस कथन से एक सिद्धान्त यह भी प्रकट होता है कि जो ज्ञेय बुझों से धार्मिक कृत्य करके उसका पुण्य अपने किये समझ लेंगे वह भी एक भ्रम है। मनुष्य को उसी कर्म का फल प्राप्त हो सकता है जिसे वह स्वयं सदा और परिश्रमपूर्वक करेगा।

दान देते समय विवेक से भी काम लेने का उपदेश १-७-२ ३ ४ में दिया गया है। 'विश्वविद् मार्ग' में सर्वत्र दान का विधान है पर सर्वत्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ज्ञेय उसमें स्त्री उभय की धूमि लेना जाति का समावेश भी कर लेते हैं वे मुर्ख हैं। सर्वत्र दान का अर्थ अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति और उपयोग के पदार्थों से ही है। पर यदि हम स्त्री को भी अपनी सम्पत्ति समझ कर दान दे दें तथा अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों के निर्वाह के साधनों—धूमि आयाचार जाति को भी पण्य भी को दे जायें तो यह अज्ञानता का ही चोकर होना।

यज्ञों में मांस के प्रयोग का प्रश्न बड़ा विचारवस्तु है। यह तो ज्ञानता पड़ेगा कि बीच के समय में अज्ञान बचना स्वार्थ के कारण यज्ञों में पशुओं को मारने की प्रथा प्रचलित हो गई थी और किसी-किसी यज्ञ में तो इतने पशु मारे गये थे कि बहियों का पानी कोछों तक जाक

हो गया था । पर प्रश्न यह है कि यह प्रथा वास्तव में शारीरिक है अथवा उस समय के कुछ स्वाथ-लोलुप तथा घूर्त पुरोहितों ने शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ करके यह दूषित कर्म प्रचलित करा दिया था ? मीमांसादर्शन का कथन है कि यज्ञ कम वेदों के विधानानुसार किया जाता है, उसमें मांस का प्रयोग कदापि विहित नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में अण्डम पाद के अन्तिम बारह सूत्रों में यह विवाद उठाया गया है कि वेदों में जो पशु हिंसा का निषेध किया गया है, उसका आशय गाय, भैंस बड़े और उपयोगी पशुओं से है । बकरा तो उस तरह का पशु ही नहीं है, उसका यज्ञ में काटना अनुचित नहीं ? पर दर्शनकार ने बराबर इसी बात पर जोर दिया है कि वेदों के 'पशून् माहिमी' वाक्य में पशुओं में कोई श्रेणी भेद या अन्य प्रकार का भेद भाव नहीं किया गया है, अतः प्रत्येक पशु की हिंसा करना निषिद्ध है । फिर यज्ञ जैसे पवित्र और आत्म-कल्याण के लिये किये जाने वाले धर्मकृत्य में तो हिंसा का ख्याल भी न करना चाहिये । उस समय तो जीवमात्र के प्रति कल्याण और आत्म भाव की भावनाएँ रखने से ही सद्परिणाम की प्रति हो सकती है ।

- मांस व्यवहार के सम्बन्ध में विचार करते हुये इसके अन्य पहलुओं पर भी विचार करना आवश्यक है । यह तो स्पष्ट है कि शास्त्रों में मांस को रजोगुण उत्पन्न करने वाला माना गया है और इसमें भी संदेह नहीं कि वह बहुत शीघ्र सड़ने-गलने वाला पदार्थ है, जिससे उसकी प्रकृति शीघ्र ही तामसी बन जाती है । ऐसे आहार का समर्थन कोई भी सात्विक वृत्ति वाला—आव्यात्मिकता की अभिलाषा रखने वाला नहीं कर सकता । पर साथ ही हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि ससार में अधिकांश प्रदेशों में मांस का प्रयोग सदा होता रहता है और अब भी यदि दुनियाभर की जनसंख्या की दृष्टि से हिसाब लगाया जाय तो मांस का सर्वथा त्याग करने वालों की गिनती सौ में से एक या दो ही ठहरेगी । अन्य जातियों तथा देशों में तो इसका कोई प्रतिबन्ध

साथ ही उन्होंने ६२१२ में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है एक व्यक्ति कर्म का फल दूसरा नहीं पा सकता। जैसे लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति द्वारा किया गया पत्र दूसरे अमुक व्यक्ति को मिल गया। पर या तो उसे ऐसा काम अपने किसी गुराने कर्म क फलस्वरूप मिला है और यदि उसने छल कपट और धूर्तवृत्ति यह पत्र प्राप्त किया है तो वह उसका उपयोग न कर सकेगा उससे किसी तरह का सुख नहीं पा सकेगा। यदि ऐसा अन्धेरेकाटा होता तो ईश्वर के अटल नियमों में बाधा पड़ जाती और सब लोग ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग को छोड़ कर ऐसा ही आलाची और बेईमानी का मार्ग अपना लेते। इसके अतिरिक्त इस कथन से एक सिद्धान्त यह भी प्रकट होता है कि जो लोग दूसरों से पारमार्थिक कृत्य करके उसका पुण्य अपने किये समझ लेते हैं वह भी एक भ्रम है। मनुष्य को उसी कर्म का फल प्राप्त हो सकता है जिसे वह स्वयं भ्रष्टा और परिश्रमपूर्वक करेगा।

हम देते समय विवेक से भी काम लेने का उपदेश ६-७-२ ३ ४ में दिया गया है। 'विश्ववित् काम' में सर्वस्व हान कर्म विधान है पर वर्तमानकाल में स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग उसमें स्त्री राज्य की भूमि सेना आदि का समावेश भी कर लेते हैं वे भ्रष्ट हैं। सर्वस्व हान का अर्थ अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति और उपयोग के पदार्थों से ही है। पर यदि हम स्त्री को भी अपनी सम्पत्ति समझ कर हान दे दें तथा अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों के निर्वाह के साधनों—भूमि जायदाद आदि को भी पक्षा पी को दे डालें तो यह अज्ञानता का ही प्रतीक होगा।

यहाँ में मांस के प्रयोग का प्रश्न बड़ा विचारप्रस्तुत है। यह तो मानना पड़ेगा कि बीज के समय में अज्ञान अथवा स्वार्थ के कारण यहाँ में पशुओं को मारने की प्रथा प्रचलित ही गई थी और किसी-किसी यज्ञ में तो इतने पशु मारे गये थे कि नदियों का पानी कोठों तक अन्न

हो गया था । पर प्रश्न यह है कि यह प्रथा वास्तव में शारीरिक है अथवा उस समय के कुछ स्वाथ-लोलुप तथा घृत्त पुरोहितों ने शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ करके यह दूषित कर्म प्रचलित करा दिया था ? मीमांसादर्शन का कथन है कि यज्ञ कर्म वेदों के विधानानुसार किया जाता है, उसमें मांस का प्रयोग कदापि विहित नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में अष्टम पाद के अन्तिम ब्राह्मण सूत्रों में यह विवाद उठाया गया है कि वेदों में जो पशु हिंसा का निषेध किया गया है, उसका आशय गाय, भैंस बड़े और उपयोगी पशुओं से है । बकरा तो उस तरह का पशु ही नहीं है, उसका यज्ञ में काटना अनुचित नहीं ? पर दर्शनकार ने बराबर इसी बात पर जोर दिया है कि वेदों के 'पशून् माहिंसी' वाक्य में पशुओं में कोई श्रेणी भेद या अन्य प्रकार का भेद भाव नहीं किया गया है, अतः प्रत्येक पशु की हिंसा करना निषिद्ध है । फिर यज्ञ जैसे पवित्र और आत्म-कल्याण के लिये किये जाने वाले धर्मकृत्य में तो हिंसा का ख्याल भी न करना चाहिये । उस समय तो जीवमात्र के प्रति कल्याण और आत्म भाव की भावनायें रखने से ही सद्परिणाम की प्रति-हो सकती है ।

- मांस व्यवहार के सम्बन्ध में विचार करते हुये इसके अन्य पहलुओं पर भी विचार करना आवश्यक है । यह तो स्पष्ट है कि शास्त्रों में मांस को रजोगुण उत्पन्न करने वाला माना गया है और इसमें भी सन्देह नहीं कि वह बहुत शीघ्र सड़ने-गलने वाला पदार्थ है, जिससे उसकी प्रकृति शीघ्र ही तामसी बन जाती है । ऐसे आहार का समर्थन कोई भी सात्त्विक वृत्ति वाला—आध्यात्मिकता की अभिलाषा रखने वाला नहीं कर सकता । पर साथ ही हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि ससार में अधिकांश प्रदेशों में मांस का प्रयोग सदा होता रहता है और अब भी यदि दुनियाभर की जनसंख्या की दृष्टि से हिंसात्र लगाया जाय तो मांस का सर्वथा त्याग करने वालों की गिनती सौ में से एक या दो ही ठहरेगी । अन्य जातियों तथा देशों में तो इसका कोई प्रतिबन्ध

है ही नहीं हिन्दुओं में भी तीन चौथाई से अधिक व्यक्ति मनुष्यिक परिमाण में मांस का प्रयोग करने वाले ही हैं ।

इसके अतिरिक्त इसका सम्बन्ध देश काळ और परिस्थिति से भी है । बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ जमादि की पैदावार बहुत कम है और वहाँ के निवासी जमादिकों से विकार द्वारा ही जीवन-यापन करते हैं । एक जमाना भी ऐसा था जब कि पृथ्वी पर कृषियोग्य भूमि कम थी क्यावासर भाग जङ्गलों की ओर धादि से भरा हुआ था । उस समय भी जङ्गल के सामग्रियों का विकार स्वाभाविक माना जाता था । कभी-कभी जमाक या जम्बे मुड़ा आदि के फलस्वरूप ऐसी स्थिति आ जाती थी कि मनुष्य को विवश होकर ऐसे निषिद्ध पदार्थों का उपयोग करना पड़ता था जैसे पौराणिक कथानों के अनुसार अकाळ के समय विरवामिन आदि न कुरो का मांस खा कर प्राण-रक्षा की । इसलिये यदि किसी प्रदेश के निवासी किसी जमाने में जमादि के अभाव से मांस का प्रयोग करने लग गये हों तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । ऐसी विवशता को ध्यात्न में अन्वय माना गया है ।

पर जब हम अध्यात्म आत्मोद्धार की दृष्टि से विचार करते हैं तो यह स्पष्ट पान पड़ता है कि मांस का प्रयोग किसी भी तरह चर्च का साधक नहीं साधक ही सिद्ध होगा । इससे निर्बलता कठोरता चार्चपरता के भावों का प्रोत्साहन मिलेगा और मनुष्य की मनोवृत्ति धार्मिकता से हट कर रात्रधी और लामसी बनने लगेगी । यह बात आत्म-वत्साव की दृष्टि से कदापि माननीय नहीं हो सकती । अतएव धार्मिक दृष्टियों में मांस को स्थान दिखाने का समर्पण कोई बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति नहीं कर सकता । ]

॥ अहम पाद समाप्त ॥

॥ पष्ठम अध्याय समाप्त ॥



## सप्तमोऽध्याय

[ पिछले छ अध्यायों से पाठको को मीमांसा-शास्त्र के उद्देश्य, सिद्धान्त तथा प्रतिपादन की प्रणाली का परिचय मिल गया होगा। यह श्रुति को सर्वपिप्सा अधिक मान प्रदान करता है और प्रत्येक कर्म वेदानुकूल हो, इस पर बहुत अधिक जोर देता है। प्रथम अध्याय में धर्म-प्रमाण पर विचार किया गया है। दूसरे में कर्म तथा धर्मा-धर्म के भेद पर दृष्टिपात किया है। तीसरे में श्लेष तथा अगाङ्गिभाव तथा चौथे में कृत्वर्थ और पुरुषार्थ सम्बन्धी कर्मों के भेदों पर विचार किया गया है। पाँचवें में श्रुति के अर्थ करने में किस ऋतु को काम में लाया जाय और छठे में यज्ञ-कार्य में व्यक्तियों तथा क्रियाओं का अधिकार की दृष्टि में विवेचन किया गया है। इस प्रकार मीमांसा-दर्शन का 'पूर्वषष्ठक' (प्रथम छ अध्याय) समाप्त हो जाता है।

सातवें और आठवें अध्यायों में सामान्य और विशेष 'अतिदेश' पर विचार किया गया है। नौवें में यज्ञ-क्रियाओं के महत्त्व पर कारण की दृष्टि से विचार किया है जिसका नाम 'ऊह' है। दशवा अध्याय 'वाध' ग्यारहवा 'तत्र' और बारहवा 'प्रसंग' विषयक है।

मीमांसा दर्शन में पशु-याग का प्रश्न बड़ा जटिल है और इसके सम्बन्ध में विदेशी विद्वानों में ही नहीं सनातन धर्म के बड़े-बड़े विद्वानों तथा पंडितों में भी तीव्र मतभेद देखने में आता है। अनेक उच्च कोटि के विद्वान इस दर्शन में पशु बलिदान का प्रतिपादन मानते हैं जब कि अन्य विद्वान् उन वाक्यों का अर्थ पशुओं के दान का ही लगाते हैं। हमने भी इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर मांस-निषेध का प्रतिपादन और समर्थन किया है। आगामी अध्यायों में भी ऐसे विवादग्रस्त विषयों की प्रचुरता

है किन्तु विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग-अलग तरह के अर्थ किये जाते हैं । साथ ही इन अध्यायों में यज्ञ में की जाने वाली तरह तरह की छोटी बड़ी क्रियाओं और रीतियों के सम्बन्ध में ऐसी पारिभाषिक शब्दों से भरी हुई भाषा में विवेचन दिया गया है कि जिसका समस्त सङ्ग एक अश्वे-पदे सिद्धे व्यक्तिके किये भी अत्यन्त कठिन है । वर्तमान समय में सर्वथा भिन्न पुरुष विषय की चर्चा होने से पाठकों की रुचि भी उस तरह कम जाती है । किन्तु इन अध्यायों की टीका के अध्ययन करने से इस बात का पूरा आभास मिल जाता है । इसलिये आये के अध्यायों का केषक मूल ही छाप रहे हैं टीका का अर्थ समझे से निकाल दिया है । इसके बजाय हम इन अध्यायों के अन्त में उपसंहार के रूप में समस्त सूत्रों का आद्यम अन्त्यम रूप से देने का प्रयत्न करेंगे जिससे पाठक इसके वास्तविक रूप और आद्यम को समझ सकें । }

## प्रथम पाद

श्रुतिप्रमाणत्वाच्छेषाणां मुख्यमेवे यथाधिकारं भाव स्यात् ॥१॥ उत्पत्त्यर्थाविमादा सत्त्ववदेकधर्म्यं स्यात् ॥२॥ बोधना धप भावादा तादा तद्भेदाद्भवतिष्ठेरन्मुत्पत्तां गुणमुत्पत्तात् ॥३॥ सत्त्वे छदानसयोगारसार्थभिरुं प्रतीयेत् ॥४॥ अविभागात् नैवं स्यात् ॥५॥ द्व्यर्थत्वं च विप्रतिपिठम् ॥६॥ उत्पत्ती विध्य भावादा बोधनायां प्रवृत्तिं स्यात्तत्त्व-कर्मभेद स्यात् ॥७॥ यदि वाऽप्यभिधानवत्सामान्यात् सर्वधर्म स्यात् ॥८॥ अर्थस्य त्ववि भक्तत्वात्तथा स्यादभिधानेषु पूर्ववत्त्वात्प्रयोगस्य कर्मण शब्द भाव्यत्वात्विभागाच्छेषाणां प्रवृत्तिं स्यात् ॥९॥ स्मृतिरिति चेत् ॥१॥ न पूर्ववत्त्वात् ॥११॥ अर्थस्य धर्म्यभावात्त्वात्प्रकरणनिबन्ध नाच्छ्रद्धादेवान्यत्र भाव स्यात् ॥१२॥ समाने पूर्ववत्त्वाद्बुत्पत्ता धिकात् स्यात् ॥१३॥ स्येनस्येति चेत् ॥१४॥ नासभिधानात्



॥१७॥ अपि माययुस्माश्चिन्मदधिकार्ये अयोनिष्टोमिकादिभेस्तदा-  
 चरु नमान स्यात् ॥१८॥ पदान्तरेष्वर्थे सादातिदेशः सन्निधानात्  
 ॥१९॥ नमस्य वेत्तगन्तार् ॥२०॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥२१॥ विहि-  
 ताम्नानान्नेनि चेत् ॥२२॥ नेनसार्थेत्तान् ॥२३॥ एतत्पार्श्वेन्द्राग्नौ  
 च तद्ध ॥२४॥ एतत्पालना वेदप्रदेशिकः प्रवृत्तिराप्रयत्नो सव-  
 हांमपत्तिवृत्तिः संनादप्रभृते च नकृद् द्वयप्रदानस्य रचना  
 ॥२५॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

साम्नोऽभिधानशब्देन प्रवृत्ति स्याद्यथागिष्टम् ॥२६॥ शब्द-  
 रत्नार्थविधित्वात्सन्तरेऽप्रवृत्ति स्यात्पृथग्भागात्क्रियाया ह्यभि-  
 सम्बन्ध ॥२७॥ रवार्थे वा स्यात्प्रयोजन क्रियायास्तदङ्गभावेनोप-  
 दिश्येत् ॥२८॥ शब्दमात्रमिति चेत् ॥२९॥ नोत्पत्तिकृत्वात् ॥३०॥  
 शान्त्र चवमनर्थक स्यात् ॥३१॥ स्वरस्येति चेत् ॥३२॥ नार्थाभा-  
 वाच्छब्दस्तेरसम्बन्ध ॥३३॥ स्वरस्तुत्पत्तिषु स्यान्मात्रावर्णाविभक्त-  
 त्वात् ॥३४॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥३५॥ अश्रुतेस्तु विकारस्योत्तरासु  
 यथावति ॥३६॥ शब्दाना चामामञ्जस्यम् ॥३७॥ अपि तु कम-  
 शब्द स्याद्भावोऽर्थ प्रसिद्धग्रहणत्वाद्दिकारो ह्यविशिष्टोऽर्थ  
 ॥३८॥ अद्रव्य चापि दृश्यते ॥३९॥ तस्य च क्रिया ग्रहणार्था  
 नानार्थेषु विह्वित्वादर्थो ह्यासामर्शक्रियो विधानात् ॥४०॥  
 तस्मिन्सज्ञाविशेषा स्युविकारपृथक्त्वान् ॥४१॥ योनिशस्याश्च  
 तुत्यवदितराभिर्विधीयन्ते ॥४२॥ अयोनी चापि दृश्यतेऽतथायोनिः  
 ॥४३॥ ऐकार्थे नास्ति वैरूप्यमिति चेत् ॥४४॥ स्यादर्थान्तरेष्व-  
 निष्पत्तोर्यथालोके ॥४५॥ शब्दानाञ्चसामञ्जस्यम् ॥४६॥

॥ द्वितीय पाद समाप्त ॥

## तृतीय पाद

उक्त म्रियामिधानं सञ्छृष्टाव यत्र विधिप्रवेशः स्यात् ॥२॥  
 अपूर्वे वापि भागित्वात् ॥२॥ नाम्नस्त्वौत्पत्तिकत्वात् ॥३॥ प्रत्य-  
 द्वादगुणसयोगात्क्रियामिधानं स्यात्तवभावेऽप्रसिद्धं स्यात् ॥४॥  
 अपि वा सर्वत्र कर्मणि गुणार्थेया श्रुतं स्यात् ॥५॥ विश्वजिति  
 सर्वपृष्ठे तत्पूर्वकत्वात् ज्योतिष्टोमिकानि पृष्ठम्यस्ति च पृष्ठम्य-  
 ॥६॥ पठहाद्वा तत्र हि वादना ॥७॥ लिङ्गाच्च ॥८॥ उत्पन्ना  
 धिकारो ज्योतिष्टोम ॥९॥ द्वयोर्विधिरिति चेत् ॥१०॥ न यत्र  
 स्वात्सर्वम्यस्य ॥११॥ तपावभृष सोमात् ॥१२॥ प्रकृतेरिति  
 चेत् ॥१३॥ न भस्त्रत्वात् ॥१४॥ सिङ्गवद्वनाच्च ॥१५॥ द्रव्या  
 वेद्ये तद् व्य श्रुतिसंयोगात् पुरोडाशस्त्वनावेद्ये तत्प्रकृतिस्त्वात्  
 ॥१६॥ गुणविधित्तु न गृह्यमात्समत्वात् ॥१७॥ निमन्भ्यादिपु-  
 षैबम् ॥१८॥ प्रणयनन्तु सौमिकमवाच्यं हीतरत् ॥१९॥ उत्तरवेदि  
 प्रतिषेधश्च तद्वत् ॥२०॥ प्राकृतं वाऽनामत्वात् ॥२१॥ परिसङ्ख्यार्थ-  
 भवणं गुणामर्थवादी वा ॥२२॥ प्रथमोत्तमयोः प्रणयनमुत्तरवेदि  
 प्रतिषेधात् ॥२३॥ मध्यमयोर्वा गत्यपवादात् ॥२४॥ शीतरवेदि  
 कोऽनारम्यवादप्रतिषेध ॥२५॥ स्वरसामैककृपामार्तिभर्तृ च लिङ्ग-  
 गदर्शनान् ॥२६॥ चोदनासामास्याद्वा ॥ ७॥ कमजे कम सूत्रम्  
 ॥२८॥ रूप वाऽक्षेपमूलत्वात् ॥२९॥ विश्वये लौकिकं स्यात्सर्वादि-  
 त्वात् ॥३०॥ न वैदिकस्य निर्देशात् ॥३१॥ तपोत्पत्तिरितरेषां  
 समत्वात् ॥३२॥ संस्कृतं स्यात्सञ्छृष्टत्वात् ॥३३॥ भक्त्या वाऽयत्र  
 दोषत्वादगुणानामभिधानत्वात् ॥३४॥ कर्मण पृष्ठम्यस्य स्यात्तथा  
 मूलोपवेशात् ॥३५॥ अभिधानोपवेशाद्वा विप्रतिषेधाद् द्रव्येपु-  
 पृष्ठम्यस्य स्यात् ॥३६॥

## चतुर्थ पाद

इतिकर्तव्यताविधेर्यजते पूर्ववत्त्वम् ॥१॥ स लौकिक-  
 स्याद्दृष्टप्रवृत्तित्वात् ॥२॥ वचनात्तु ततोऽन्यत्वम् ॥३॥ लिङ्गेन  
 वा नियम्येत लिङ्गस्य तद्गुणत्वात् ॥४॥ अपिवाऽन्यायपूर्वत्वाद्यत्र  
 नित्यानुवादवचनानि स्यु ॥५॥ मिथो विप्रतिषेधाच्च गुणाना  
 यथार्थकल्पना स्यात् ॥६॥ भागित्वात्तु नियम्येत गुणानामभि-  
 धानत्वात्सम्बन्धादभिधानवद्यथा धेनु किशोरेण ॥७॥ उत्पत्तीना  
 समत्वाद्वा यथाधिकार भावः स्यात् ॥८॥ उत्पत्तिशेषवचन च  
 विप्रतिषिद्धमेकस्मिन् ॥९॥ विध्यन्तो वा प्रकृतिवाच्चोदनाया  
 प्रवृत्तेत यथा हि लिङ्गदर्शनम् ॥१०॥ लिङ्गहेतुत्वादलिङ्गे  
 लौकिक स्यात् ॥११॥ लिङ्गस्य पूर्ववत्ताच्चोदनाशब्दसामान्या-  
 देकेनापि निरूप्येत, यथा स्थालीपुलाकेन ॥१२॥ द्वादशाहिक-  
 महर्गणो तत्प्रवृत्तित्वादैकाहिकमधिकगमात्तदाख्य स्यादेकाहवत्  
 ॥१३॥ लिङ्गाच्च ॥१४॥ न वा ऋत्वभिधानादधिकानामशब्द-  
 त्वम् ॥१५॥ लिङ्ग सङ्घातधम स्यात्तदर्थपित्तेर्द्रव्यवत् ॥१६॥  
 न वार्थधर्मत्वात् सङ्घातस्य गुणत्वात् ॥१७॥ अर्थापित्तेर्द्रव्येषु  
 धर्मलाभ स्यात् ॥१८॥ प्रवृत्त्या नियतस्य लिङ्गदर्शनम् ॥१९॥  
 विहारदर्शन विशिष्टस्यानारभ्यवादाना प्रकृत्यर्थत्वात् ॥२०॥

॥ चतुर्थ पाद समाप्त ॥

॥ सप्तमोऽध्याय समाप्त ॥



# अष्टमोऽध्याय

## प्रथम पाद

अथ विशेषलक्षणम् ॥१॥ यस्य लिङ्गमर्षसंयोगादभिधान  
वत् ॥२॥ प्रवृत्तिर्त्वाविष्टे सोमे प्रवृत्तिः स्यात् ॥ ॥ लिङ्गदर्श-  
नाच्च ॥४॥ कृत्स्नविधानद्वाभ्युर्देत्वम् ॥५॥ स्रुगभिधारणाभा  
वस्य च नित्यामुवादात् ॥८॥ विधिरिति चेत् ॥७॥ न वाक्यस्य  
त्वात् ॥८॥ स्रुक्कृते चानुपोषणात् । ९॥ दक्षनमैष्टिकानां स्यात्  
॥१॥ इष्टियु दर्शपूर्णमासयो प्रवृत्तिः स्यात् ॥११॥ पक्षौ च  
लिङ्गदर्शनात् ॥१२॥ वैश्वस्य चेतरेषु ॥१३॥ ऐकादक्षिणेषु  
सौत्यस्य द्वयस्य चर्शनात् ॥१४॥ तत्प्रवृत्तिर्मुंशेषु स्यात्प्रतिपद्यु  
युपद्रवनात् ॥१५॥ अभ्यक्तासु तु सोमस्य ॥१६॥ गलेषु द्वादशत्  
॥१७॥ गम्यस्य च तदादिषु ॥१८॥ निकायिनां च पूर्वत्योत्तरेषु प्रवृत्ति  
स्यात् ॥१९॥ कर्मणस्तत्र प्रवृत्तिर्त्वात्कर्मनियमकर्तृसमुवायस्यानम्भ  
यस्तद्वन्धनत्वात् ॥ ॥ प्रवृत्तौ चापि तावर्ध्यात् ॥२१॥ अथ ति  
त्वाच्च ॥२२॥ गुणकामेध्वाधितत्वात्प्रवृत्तिः स्यात् ॥२३॥ निवृ-  
त्तिर्वा कर्मभेदात् ॥ ४॥ अपि वाऽऽद्विकारत्वात्प्रवृत्तत्वात्प्रवृत्ति  
स्यात् ॥२५॥ एककर्मणि विवृत्योऽभिधानो हि चोर्धनेकत्वात्  
॥२६॥ लिङ्गसाधारण्याद्विकल्पः स्यात् ॥२७॥ ऐकाध्याद्वि निय-  
म्येत् पूववत्त्वाद्विकारो हि ॥२८॥ अथ त्वित्वात्प्रति चेत् ॥२९॥  
स्यात्सिद्धमावात् ॥३०॥ तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३१॥ विप्रति-  
पत्तौ हविषा नियम्येत् कर्मणस्तदुपास्यत्वात् ॥३२॥ तेन च कर्म  
संयोगात् ॥३३॥ गुणत्वेन वेदताभूति ॥३४॥ हिरण्यमाज्यधर्म  
स्तेजस्तत्वात् ॥३५॥ पदनिग्रहाच्च ॥३६॥ औपयं वा विनावत्वात्

॥३७॥ चरुशब्दाच्च ॥८८॥ तस्मिंश्च श्रपणश्रुते ॥३६॥ मधूदके  
द्रव्यसामान्यात्पयोविकार स्यात् ॥४०॥ आज्य वा वर्णसामान्यात्  
॥४१॥ धर्मान्ग्रहाच्च ॥४२॥ पूर्वस्य चाविशिष्टत्वात् ॥४३॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

वाजिने सोमपूर्वत्व सत्रामण्या च ग्रहेषु ताच्छब्दान् ॥१॥  
अनुवषटकाराच्च ॥२॥ समुपहूय भक्षणाच्च ॥३॥ क्राणश्रपण-  
पुरोरुगुपयामग्रहणासादनवासोपनहनञ्च तद्वत् ॥४॥ हविषा वा  
नियम्येत तद्विकारत्वात् ॥५॥ प्रशसा सोमशब्द ॥६॥ वचनानी-  
तराणि ॥७॥ व्यपदेशश्च तद्वत् ॥८॥ पशु पुरोडाशस्य च लिङ्ग-  
दर्शनम् ॥९॥ पशु पुरोडाशविकार स्याद्देवसामान्यात् ॥१०॥  
प्रोक्षणाच्च ॥११॥ पर्यग्निकरणाच्च ॥१२॥ सान्नाय्य वा तत्प्रभ-  
वत्वात् ॥१३॥ तस्य च पात्रदर्शनात् ॥१४॥ दध्न स्यान्मूर्तिसा-  
मान्यात् ॥१५॥ पयो वा कालसामान्यात् ॥१६॥ पश्वानन्तर्यात्  
॥१७॥ द्रव्यत्व चाविशिष्टम् ॥१८॥ आमिक्षोभयभाव्यत्वाद्भुभय-  
विकार स्यात् ॥१९॥ एक वा चोदनैकत्वात् ॥२०॥ दधिसञ्जात-  
सामान्यात् ॥२१॥ पयो वा तत्प्रधानत्वाल्लोकत्रद्घ्नस्तदर्थत्वात्  
॥२२॥ धर्मान्ग्रहाच्च ॥२३॥ सत्रमहोनेश्च द्वादशाहस्तस्योभयया  
प्रवृत्तिरैककर्म्यात् ॥२४॥ अपि वा यजति श्रुतेरहोनेभूतप्रवृत्ति  
स्यात्प्रकृत्या तुल्यशब्दत्वात् ॥२५॥ द्विरात्रादीनामैकादशरात्रादही-  
नत्व यजतिचोदनात् ॥२६॥ त्रयोदशरात्रादिषु सत्रभूतस्तेष्वस-  
नोपायि चोदनात् ॥२७॥ लिङ्गाच्च ॥२८॥ अन्यतरतोऽतिरात्र-  
त्वात्तञ्चदशरात्रस्याहीनत्व, कुण्डपायिनामयनस्य च, तद्भूतेष्व-  
हीनत्वस्य दर्शनात् ॥२९॥ अहीनवचनाच्च ॥३०॥ सत्रे वोपायि-  
चोदनात् ॥३१॥ सत्रलिङ्ग च दर्शयति ॥३२॥

॥ द्वितीय पाद समाप्त ॥

## तृतीय पाद

हुविगणे परमुत्तरस्य वेससामान्यात् ॥१॥ देवतया वा  
 नियम्येत चन्द्रयस्त्वादितश्स्याथु तित्वात् ॥२॥ गणवादानायां यस्य  
 सिद्ध तदावृत्ति प्रतीयेताम्नेयवत् ॥३॥ नानाहानि वा सषाठ  
 स्नात्प्रवृत्तिरिद्धे न शोडनात् ॥४॥ तथा चास्यायवर्षनम् ॥५॥  
 कामाग्गसेऽपि बावरि कम्ममेवान् ॥६॥ तदावृत्ति तु जैमिनिर  
 ह्यामश्रयधसद्व्यत्वात् ॥७॥ सस्यागणेपु तदन्यास प्रतीयत  
 कृतस्यपहृष्यात् ॥८॥ अधिकाराद्वा प्रकृतिस्तद्विधिष्टा स्यादभि  
 धानस्य तन्निमित्तत्वात् ॥९॥ गणाकुपचयस्तत्प्रकृतित्वात् ॥१०॥  
 एताहाद्वा तेषां समत्वात्स्यात् ॥११॥ गायत्र्योपु प्राकृतीनामवच्छेद  
 प्रवृत्त्यधिकारात्प्रकृत्यात्वावनिष्टामयद्व्यसिरेकासशास्यत्वम्  
 ॥१२॥ तन्निमित्तवच्च पृथक्सतीपु तद्वचनम् ॥१३॥ न विद्यती  
 द्योति चेत् ॥१४॥ एकसंख्यमेव स्यात् ॥१५॥ गुणाद्वा द्व्यस्य  
 स्यादसद्विषयत्वात् ॥१६॥ गोत्ववच्च समन्वय ॥१७॥ सक्या  
 यावच्च शब्दवत्त्वात् ॥१८॥ इतरस्याय तत्वाच्च ॥१९॥ ब्रह्मास्तरे  
 निवेशादुच्यन्तेपविधिष्टं स्यात् ॥२०॥ असास्त्रकक्षणत्वाच्च ॥२१॥  
 उत्पत्ति नामधेयत्व द् भक्त्या पृथक्सतीपु स्यात् ॥२२॥ वचन  
 मिति चेत् ॥२३॥ यावदुक्तम् ॥२४॥ अपूर्वेषु विकल्प्य स्याद्यदि  
 सद्द्वयविधानम् ॥ २५॥ अत्रमुपत्वात्त त्ति चेत् ॥२६॥ तथा पूज  
 यति स्यात् ॥२७॥ गुणाधेयवचन सन्न ॥२८॥ निष्पन्नप्रहृष्यात्त त्ति  
 चेत् ॥२९॥ तपेहापि स्यात् ॥ ३०॥ यदि वाऽविद्येयस्ये नियमं प्रकृ-  
 त्युपबन्धाच्छब्देऽपि प्रसिद्धं स्यात् ॥३१॥ इष्टं प्रयोग इति चेत्  
 ॥३२॥ तथा शरेष्वपि ॥३३॥ भक्त्येति चेत् ॥३४॥ तपेतरन्मिन्  
 ॥३५॥ अर्थस्य चायमात्मन्वात्र तासामेकवेदो स्यात् ॥३६॥

## चतुर्थ पाद

दविहोमो यज्ञाभिधान होमसयोगात् ॥१॥ स लौकिकाना  
 स्यात्कत्तुस्तदाख्यत्वात् ॥२॥ सर्वेषा वा दशनाद्वास्तुहोमे ॥४॥  
 जुहोतिचोदनाना वा तत्सयोगात् ॥४॥ द्रव्योपदेशाद्वा गुणाभिधान  
 स्मात् ॥५॥ न लौकिकानामाचारग्रहणत्वाच्छब्दवता चान्यार्थ-  
 विधानात् ॥६॥ दर्शनाच्चान्यपात्रस्य ॥७॥ तथाग्निहविषो ॥८॥  
 उक्तश्चार्थोऽसम्बन्ध ॥९॥ तस्मिन्सोम प्रवर्त्तेताव्यक्तत्वान् ॥१०॥  
 न वा स्वाहाकारेण सयोगाद् वपट्कारस्य च निर्देशात्तन्त्रेण, विप्र-  
 तिषेधात् ॥११॥ शब्दान्तरत्वान् ॥१२॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥१३॥  
 उत्तरार्थस्तु, स्वाहाकारो, यथा साप्तदश्य, तत्राविप्रतिषिद्धा पुन  
 प्रवृत्तिलिङ्गदर्शनात्प्रशुवन् ॥१४॥ अनुत्तरार्थो वाऽथवत्त्वादानार्थक्या-  
 द्वि प्राथम्यस्योपरोध स्यात् ॥१५॥ न प्रकृतावपोति चेत् ॥१६॥  
 उक्त समवाये पारदौर्वल्यम् ॥१७॥ तच्चोदना वेष्टे प्रवृत्तित्वा-  
 द्विधि स्यान् ॥१८॥ शब्दसामर्थ्याच्च ॥१९॥ लिङ्गदर्शनाच्च  
 ॥२०॥ तत्राभावस्य हेतुत्वाद्गुणार्थे स्याददशनम् ॥२१॥ विधि-  
 रिति चेत् ॥२२॥ न वाक्यशेषत्वाद्गुणार्थे च समाधान नानात्वे-  
 नोपपद्यते ॥२३॥ येषा वाऽपरयोर्होमस्तेषा स्यादाविरोधात् ॥२४॥  
 तत्रोपधानि चोद्यन्ते, तानि स्थानेन गम्येरन् ॥२५॥ लिङ्गाद्वा  
 शेषहोमयो ॥२६॥ सन्निपाते विरोधिनामप्रवृत्ति प्रतीयेत, विध्यु-  
 त्पत्तिव्यवस्थानादर्थस्यापरिणोयत्वाद् वचनादतिदेश स्यात् ॥२७॥

॥ चतुर्थ पाद समाप्त ॥

॥ अष्टमोऽध्याय समाप्त ॥



# नवमोऽध्याय

## प्रथम पाद

यज्ञकर्म प्रधानं तद्वि बोधनाभूत् तस्य ब्रह्मेषु संस्कार  
स्तत्प्रयुक्तस्तवर्षत्वात् ॥१॥ संस्कारे युज्यमानानां सादृष्यत्तत्प्रमु-  
क्त स्यात् ॥२॥ तेन स्वर्षेण यज्ञस्य संयोगाद्धर्मसंबन्धस्तस्माद्यज्ञ-  
प्रयुक्त स्यात्संस्कारस्य तवर्षत्वात् ॥३॥ ऋग्वेदतयोश्च ॥४॥ न  
बोधनात् हि तादृगुचरम् ॥५॥ देवता वा प्रयोजयेदतिथिबन्धुबन्ध-  
नस्य तदर्थत्वात् ॥६॥ आर्षपत्याच्चात् ॥७॥ ततश्च तेन सम्बन्ध ॥८॥  
अपि वा सव्यपूर्वत्वाद्यज्ञकर्मप्रधानं स्याद् गुणत्वे देवताभूति-  
॥९॥ अतिथौ तत्प्रधानत्वमभावः कमणि स्यात्तस्य प्रीतिप्रधान-  
त्वात् ॥१०॥ द्रव्यमङ्गव्याहेतुसमुदायं वा भूतिसंयोगात् ॥११॥  
अर्षकारिते च ब्रह्म्येण न व्यवस्था स्यात् ॥१२॥ अर्थो वा स्यात्प्र-  
योजनमितरेषामबोधनात्तस्य च गुणभूतत्वात् ॥१३॥ अपूर्वत्वाद्  
चवस्था स्यात् ॥१४॥ तत्प्रयुक्तत्वे च धर्मस्य सर्वविषयत्वम्  
॥१५॥ तद्युक्तस्येति श्रेत ॥१६॥ नाद्य तित्वात् ॥१७॥ अनिका-  
रादिति श्रेत् ॥१८॥ तुल्येषु नाधिकारः स्यादबोधितत्वे सम्बन्ध-  
पृथक् सतां यज्ञार्थेनाभिसम्बन्धस्तस्माद्यज्ञप्रयोजनम् ॥१९॥ देश-  
बद्धमुपायुत्व तेषां स्याच्छ्रुतिनिर्देशात्तस्य च तत्र भावात् ॥२०॥  
यज्ञस्य वा तत्संयोगात् ॥२१॥ अनुवादश्च तवर्षत्वात् ॥२२॥ प्रणी-  
तादि तथेति श्रेत् ॥२३॥ न यज्ञस्याप्य तित्वात् ॥२४॥ तद्वा नां  
वा साङ्गतात्स्यात्बोधिभवात् ॥२५॥ अग्निधर्म प्रतीष्टं यज्ञात्  
स्वीणमासीत् ॥ २६॥ अग्नेर्वा स्याद्द्रव्यवत्त्वादितरासा तद्व्यत्वात्  
॥२७॥ बोधनाममुवायात् पीर्षमास्या तपारब् स्यात् ॥२८॥



पत्नीसयाजान्तत्व सर्वेपामविशेषात् ॥२६॥ लिङ्गाद्वा प्रागुत्तमात् ॥३०॥ अनुवादो वा दीक्षा यथा नक्त सस्थापनस्य ॥३१॥ स्याद्वा-  
 ऽनारभ्य विधानादन्ते लिङ्गविरोधात् ॥३२॥ अभ्यास सामिधे-  
 नीना प्राथम्यात्स्थानधर्म स्यात् ॥३३॥ इष्ट्यावृतौ प्रथाजवदाव-  
 र्त्तेताऽऽरम्भणीया ॥३४॥ सकृद्वाऽऽरम्भसयोगादेक , पुनरारम्भो  
 यावज्जीवप्रयोगात् ॥३५॥ अर्थाभिधानसयोगान्मन्त्रेषु शेषभाव  
 स्यात्तत्राचोदितमप्राप्त, चोदिताभिधानात् ॥३६॥ ततश्चावचन  
 तेषामितरार्थं प्रयुज्यते ॥३७॥ गुणशब्दस्तथेति चेत् ॥३८॥ न  
 समवायात् ॥३९॥ चोदिते तु परार्थत्वाद्विधिवद्विकार स्यात्  
 ॥४०॥ विकारस्तत्प्रधाने स्यात् ॥४१॥ असयोगात्तदर्थेषु तद्विशि-  
 ष्ट प्रतीयेत । ४२॥ कर्माभावादेवमिति चेत् ॥४३॥ न परार्थत्वात्  
 ॥४४॥ लिङ्गविशेषनिर्देशात्समानविधानेष्वप्राप्ता, सारस्वती स्त्री-  
 त्वात् ॥४५॥ पश्वभिधानाद्वा, तद्धि चोदनाभूत, पु विषय, पुन.  
 पशुत्वम् ॥४६॥ विशेषो वा तदर्थनिर्देशात् ॥४७॥ पशुत्व चक-  
 शब्दात् ॥४८॥ यथोक्त वा सन्निधानात् ॥४९॥ आम्नातादन्य-  
 दधिकारे, वचनाद्विकार स्यात् ॥५०॥ द्वैध वा तुल्यहेतुत्वात्सा-  
 मान्याद्विकल्प स्यात् ॥५१॥ उपदेशाच्च साम्न ॥५२॥ नियमो  
 वा श्रुतिविशेषादितरत्साप्तदश्यवत् ॥५३॥ अप्रगणाच्छब्दान्यत्वे  
 तथाभूतोपदेश स्यात् ॥५४॥ यत्स्थाने वा तद्गोति स्यात्पदान्य-  
 त्वप्रधानत्वात् ॥५५॥ गानसयोगाच्च ॥५६॥ वचनमिति चेत्  
 ॥५७॥ न तत्प्रधानत्वात् ॥५८॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

सामानि मन्त्रमेके स्मृत्युपदेशाभ्याम् ॥१॥ तदुक्तदोषम्  
 ॥२॥ कर्म वा विधिलक्षणम् ॥३॥ तद्गुद्रव्य वचनात्पाकयज्ञवत्

॥४॥ तत्राभिप्रतिपिडो द्रव्यान्तरे व्यतिरेक प्रवक्ष्यन् ॥५॥  
 पद्यायत्वात् नर्त्त स्यात् ॥६॥ परायत्वाच्च शब्दानाम् ॥७॥  
 असम्बन्धश्च कमणा शब्दयो पृथगर्थत्वात् ॥८॥ संस्कारश्च प्ररु-  
 रणोऽग्निवत्स्यात् प्रयुक्तत्वात् ॥९॥ अकामत्वाच्च शब्दानाम्  
 प्रयोग प्रतीयेत् ॥१०॥ अथितत्वाच्च ॥११॥ प्रयुक्तत इति चेत्  
 ॥१२॥ ग्रहणार्थं प्रतीयेत् ॥१३॥ तृप्ते स्याच्छब्दवर्तिनिर्देशात् ॥१४॥  
 शब्दार्थत्वाद्दिकारस्य ॥१५॥ दर्शयति च ॥१६॥ वाक्यानां तु  
 विभक्तत्वात्प्रतिशब्द समाप्ति स्यात्संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥१७॥  
 तथा भाम्यायदशनम् ॥१८॥ अतवानोपवक्ष्यन् तद्वत् ॥१९॥  
 अम्यासनेठरा श्रुति ॥२०॥ तदम्यास सनासं स्यात् ॥२१॥  
 किङ्कदक्षनाम्भ ॥२२॥ नमित्तिर्द्धं सूत्ररात्वमानन्तर्वात्प्रतीयेत्  
 ॥२३॥ ऐकाध्याच्च तदम्यास ॥२४॥ प्रामाणिक तु ॥२५॥ स्वे  
 च ॥२६॥ प्रगाथे च ॥२७॥ किङ्कदर्शनाभ्यतिरेकाच्च ॥ ८॥  
 अर्थकत्वाद्दिकल्प स्यात् ॥२९॥ अर्थकत्वाद्दिकल्प स्यात्सामयो-  
 स्तदर्थत्वान् ॥३०॥ नधनाद्विनियोग स्यात् ॥३१॥ समप्रदेशे  
 विकारस्तदर्थक स्याच्छब्दस्त्रिभुवत्त्वात् ॥३२॥ वर्णे तु वावरिर्मथा  
 द्रव्य द्रव्यव्यतिरेकात् ॥३३॥ स्तोभस्यैके द्रव्यान्तरे निवृत्तिभूवत्  
 ॥३४॥ सर्वातिवेलस्तु साम्याल्लोकावद्विकार स्यात् ॥३५॥  
 अन्वय भाषि दशयति ॥३६॥ निवृत्तिर्वाग्यसोपात् ॥३७॥ अन्वयो  
 वार्थवात् स्यात् ॥३८॥ अधिक च विवर्णं च जमिनि स्तोभशब्द  
 त्वान् ॥३९॥ घमस्यार्थकत्वात्, द्रव्यमुपविकारव्यतिक्रमप्रतिपेपे  
 ओदनामुबन्ध समवायान् ॥४०॥ तदुत्पत्तस्तु निवृत्तिस्तत्कृतत्वात्  
 स्यात् ॥४१॥ वाचस्येरेन् वाग्यवत्त्वात्संस्कारस्य तदर्थत्वात्  
 ॥४२॥ भाष्या भवे तदावशाद्दिकृती स्यादपुषत्वात् ॥४३॥ परार्थ  
 न तदर्थसामान्य संस्कारस्य तदर्थत्वान् ॥४४॥ क्रियरन् वाग्य  
 निवृत्ते ॥४५॥ एकार्यत्पादविभाम स्यात् ॥४६॥ निर्देशाद्वा भव  
 तिष्ठरम् ॥४७॥ अपाङ्गत्वं तद्विकाराद्विराधाद्वचतिष्ठरम् ॥४८॥

उभयसाम्नि चैवमेकार्थापत्ते ॥४६॥ स्वार्थत्वाद्वा व्यवस्था स्या-  
त्प्रकृतिवत् ॥५०॥ पार्वणहोमयोस्त्वप्रवृत्ति, समुदायार्थसयोगा-  
त्तदभीज्या हि ॥५१॥ कालस्येति चेत् ॥५२॥ नाप्रकरणत्वात्  
॥५३॥ मन्त्रवर्णाच्च ॥५४॥ तदभावेऽग्निवदिति चेत् ॥५५॥  
नाधिकारिकत्वात् ॥५६॥ उभयोरविशेषात् ॥५७॥ यदभीज्या वा  
तद्विषयौ ॥५८॥ प्रयाजेऽपीति चेत् ॥५९॥ नाचोदितत्वान्  
॥ ६० ॥

॥ द्वितीय पाद समाप्त ॥

## तृतीय पाद

प्रकृतौ यथोत्पत्ति वचनमर्थानातथोत्तरस्या ततो तत्प्रकृति-  
त्वादथ चाकार्यत्वात् ॥१॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥२॥ जातिर्नेमित्तिक  
यथास्थानम् ॥३॥ अविकारमेकेऽनार्थत्वात् ॥४॥ लिङ्गदर्शनाच्च  
॥५॥ विकारो वा तदुवते हेतु ॥६॥ लिङ्ग मन्त्रचिकीर्षार्थम्  
॥७॥ नियमो बोभयभागित्वात् ॥८॥ लौकिके दोषसयोगादपवृक्ते  
हि चोद्यते, निमित्तेन प्रकृतौ स्यादभागित्वात् ॥९॥ अन्यायस्त्व-  
विकारेण, दुष्टप्रतिघातित्वादविशेषाच्च तेनास्य ॥१०॥ विकारो  
वा तदर्थत्वात् ॥११॥ अपि त्वन्यायसम्बन्धात्प्रकृतिवत्परेष्वपि  
यथार्थं स्यात् ॥१२॥ यथार्थं त्वन्यायस्याचोदितत्वात् ॥१३॥  
छन्दसि तु यथादृष्टम् ॥१४॥ विप्रतिपत्तौ विकल्प स्यात्तत्समत्वाद्  
गुरो त्वन्यायकल्पनैः तद्देशत्वात् ॥१५॥ प्रकरणविशेषाच्च ॥१६॥  
अर्थाभावात् नैव स्याद्, गुणमात्रमितरत् ॥१७॥ द्यावोस्तथेति  
चेत् ॥१८॥ नोत्पत्तिशब्दत्वात् ॥१९॥ अपूर्वे त्वविकारोऽप्रदेशा-  
त्प्रतीयेत ॥२०॥ विकृतौ चापि तद्वचनात् ॥२१॥ अग्निगु सवनी-  
येषु तद्वत्समानविधानाश्चेत् ॥२२॥ प्रतिनिधौ चाविकारात्  
॥२३॥ अनाम्नानादशब्दत्वमभावाच्चेतरस्य स्यात् ॥२४॥ तादर्थ्या-

वा तदात्म्यं स्यात्सस्कारैरविच्छिष्टित्वात् ॥२३॥ उक्तं च तस्य  
 मस्य ॥२१॥ संगणित्वात् चार्थस्यास्थितपरिमाणत्वात् ॥२७॥ त्रिभु-  
 दधानाश्च ॥२८॥ एकधेत्येकसंयोगावभ्यासेनाभिधानं स्यादसर्व-  
 विषयत्वात् ॥२९॥ अविकारो वा बहुनामेककमवत् ॥३०॥  
 सकृत्त्वं चकथ्यं स्यादकस्वात्वबोद्धभिप्रेतं तत्प्रकृतित्वात्परेष्वभ्या-  
 सेनैव विदुष्टावभिधानं स्यात् ॥३१॥ मेघपतित्वं स्वामिदेवतस्य  
 समावायात्सपत्रं च प्रयुक्तत्वात्तस्यान्यामनिगदत्वात्सर्वत्रैवावकारः  
 स्यात् ॥३२॥ अपि वा द्विसमावायोऽन्यत्वं यथासङ्गस्य प्रयोग-  
 स्यात् ॥३३॥ स्वामिनो वैकल्याण्यवुत्सर्पो देवतायां स्यात् पत्न्यां  
 द्वितीयस्य च स्यात् ॥३४॥ देवता तु तवाधीष्टत्वात्सम्प्राप्तत्वा-  
 त्स्वामिन्यनधिकं स्यात् ॥३५॥ उत्सर्गश्च भक्त्या तस्मिन्पतित्वं  
 स्यात् ॥३६॥ उत्सर्ग्यैर्नृसंयुक्तो द्विदेवते संभवात् ॥३७॥ एकस्तु  
 समावायात्तस्य तस्मिन्गणत्वात् ॥३८॥ संसर्गित्वाच्च तस्मात्तेन  
 विकल्पः स्यात् ॥३९॥ एकत्वंऽपि न गुणाऽप्यायात् ॥४०॥ नियमो  
 बहुदेवते विकार एव ॥४१॥ विकल्पो वा प्रकृतिवत् ॥४२॥  
 व्यन्तिरे विकार स्यात् यथापृथक्त्वादेकामिसमवामात्स्यात्  
 ॥ ४३ ॥

॥ तृतीय पाद समाप्त ॥

## चतुर्थ पाद

पञ्चविंशतिरभ्यासेन पञ्चगुणो तत्प्रकृतित्वात्गुणस्य प्रवि-  
 भक्तत्वादविकारो हि तासामकात्स्न्येनाभिसम्बन्धो विकारात्त-  
 समासः स्यादसंयोगाच्च सर्वाभिः ॥१॥ अभ्यासेऽपि तपेति चेत्  
 ॥२॥ न गुणावर्षकृत्त्वाच्च ॥३॥ समासेऽपि तपेति चेत् ॥४॥  
 नासम्भवात् ॥५॥ स्वामिश्च वचनं प्रकृती तपेह स्यात् ॥६॥  
 पञ्चश्रीष्यास्तु प्रधानत्वात्समासेनाभिधानं स्यात्, प्राधान्यमभिगा-

स्तदर्थत्वात् ॥७॥ तासा च कृत्स्नवचनात् ॥८॥ अपि त्वसन्निपा-  
 तित्पत्नीवदाम्नातेनाभिधान स्यात् ॥९॥ विकारस्तु प्रदेशत्वाद्य-  
 जमानवत् ॥१०॥ अपूर्वत्वात्तथा पत्याम् ॥११॥ आम्नातस्त्व-  
 विकारात्सङ्ख्यासुसर्वगामित्वान् ॥१२॥ सङ्ख्या त्वैव प्रधान  
 स्याद्वङ्कय पुन प्रधानम् ॥१३॥ अभ्यासो वाऽविकारात् स्यात्  
 ॥१४॥ अनाम्नातवचनमवचनेन हि, वङ्क्रीणा स्यान्निर्देश ॥१५॥  
 पशुस्त्वेव प्रधान स्यादभ्यासस्य तन्निमित्तत्वात्, तस्मात्समास-  
 शब्द. स्यात् ॥१६॥ अश्वस्य चतुस्त्रिंशत्तस्य वचनाद्वैशेषिकम्  
 ॥१७॥ तत्प्रतिषिध्य प्रकृतिर्नियुज्यते सा चतुस्त्रिंशद्वाच्यत्वात्  
 ॥१८॥ ऋग्वा स्यादाम्नातत्वादविकल्पश्च न्यायः ॥१९॥ तस्या  
 तु वचनादैरवत्पदविकार स्यात् ॥२०॥ सर्वप्रतिषेधो वाऽसयोगा-  
 त्येदन स्यात् ॥२१॥ वङ्क्रीणासन्निधानादुरुक्तेण वपाभिधानम् ॥२२॥  
 प्रशसाऽस्यभिधानम् ॥२३॥ बाहुप्रशसा वा ॥२४॥ श्येन-शला-  
 कश्यपकवपोरुक्तेकपर्णेष्वकृतिवचन प्रसिद्धसन्निधानात् ॥२५॥  
 कात्स्न्यं वा स्यात्तथाभावात् ॥२६॥ अध्रिगोश्च तदर्थत्वात् ॥२७॥  
 प्रासङ्गिके प्रायश्चित्ता न विद्यते, परार्थत्वात्तदर्थे हि विधीयते  
 ॥२८॥ धारणो च परार्थत्वात् ॥२९॥ क्रियार्थत्वादितरेषु कर्म  
 स्यात् ॥३०॥ न तूत्पन्ने यस्य चोदनाऽप्राप्तकालत्वात् ॥३१॥  
 प्रदानदर्शन श्रपणो तद्धर्मभोजनार्थत्वात्ससर्गाच्च मधूदकवत्  
 ॥३२॥ सस्कारप्रतिषेधश्च तद्वत् ॥३३॥ तत्प्रतिषेधे च तथाभूतस्य  
 वर्जनात् ॥३४॥ अधर्मत्वमप्रदानात्प्रणीतार्थे, विधानात्तदुल्यत्वाद-  
 ससर्गं ॥३५॥ परो नित्याऽनुवाद स्यात् ॥३६॥ विहितप्रतिषेधो वा  
 ॥३७॥ वर्जने गुणभावित्वात्तदुक्तप्रतिषेधात्स्यात्कारणात्केवलाशनम्  
 ॥३८॥ व्रतधर्माच्च लेपवत् ॥३९॥ रसप्रतिषेधो वा पुरुषधर्मत्वात्  
 ॥४०॥ अभ्युदये दोहापनय स्वधर्मा स्यात्प्रवृत्तत्वात् ॥४१॥  
 शृतोपदेशाच्च ॥४२॥ अपनयो वार्थान्तरे विधानाच्चरूपयोवत्  
 ॥४३॥ लक्षणार्था शृतश्रुति ॥४४॥ श्रयणाना त्वपूर्वत्वात्प्रदानार्थे

विधानं स्यात् ॥४५॥ गुणो वा ध्यवणामत्वान् ॥४६॥ अनिर्देश्यत्वं  
 ॥४७॥ युतश्च सत्यमानत्वान् ॥४८॥ अपवादश्च तदयत् ॥४९॥  
 संस्कारं प्रति भावाच्च तस्मादप्यप्रधानम् ॥५०॥ पयग्निहृत्ताना-  
 मुत्सर्गं तादर्थ्यमुपधानवत् ॥५१॥ वेपप्रतिपेक्षो वाज्याभावादिवा-  
 न्तवत् ॥५२॥ पूववत्त्वाच्च शब्दस्य संस्थापयतीति वाप्रबृहो  
 नापपद्यते ॥५३॥ प्रबृहोयज्ञहेतुत्वात्प्रतिपेक्षे संस्कारणामकम स्या-  
 त्कारितत्वाच्च वा प्रयाजप्रतिपेक्षे ब्रह्मणमाज्यस्य ॥५४॥ क्रिया वा  
 स्यादवच्छेदादकम मनहानं स्यात् ॥५५॥ राज्यसंस्था प्रतिनिधि-  
 स्याद् द्रव्योत्सवात् ॥५६॥ समाप्तवचनात् ॥५७॥ शोबना वा  
 कर्मोत्सर्गादिभ्यं स्यादवच्छिद्यत्वात् ॥५८॥ अनिज्या च मनस्पते-  
 प्रसिद्धाञ्ज्तेन दशयति ॥५९॥ संस्था सह वसात्वात् स्यात् ॥६०॥

॥ अगुर्भं पाद समाप्त ॥

॥ नवमोऽध्याय समाप्त ॥

## दशमोऽध्याय

### प्रथम पाद

त्रिवे प्रकरभास्त्रेऽग्निदेवास्त्रर्चनम् स्यात् ॥१॥ अपि वा  
 अभिधानसंस्कारप्रथमर्षे क्रियते तादर्थ्यात् ॥२॥ तेषामप्रत्यक्षसि-  
 ष्टत्वान् ॥३॥ इष्टिरारम्भसंयोगावङ्गनूताश्रितवर्तधारम्भस्य प्रधान-  
 संयोगात् ॥४॥ प्रधानाङ्गान्यसंयुक्तास्त्यभिरम्भाश्रितवर्ततामङ्गत्वात्  
 ॥५॥ तस्या तु स्यात्प्रयाजवत् ॥६॥ न वाङ्गनूतत्वात् ॥७॥  
 एकवाक्यत्वाच्च ॥८॥ कम् च द्रव्यसंयोगार्थमर्षाभावाश्रितवर्त-  
 तादर्थ्यं च तिसंयोगात् ॥९॥ स्वाजी तु देशमाश्रित्वावनिवृत्तिः

प्रतीयेत ॥१०॥ अपि वा शेषभूतत्वात्सस्कार प्रतीयेत ॥११॥  
समाख्यान च तद्वत् ॥१२॥ मन्त्रवर्णश्च तद्वत् ॥१३॥ प्रयाजे च  
तन्न्यायत्वात् ॥१४॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥१५॥ तथाऽऽज्यभागानि-  
रपीति चेत् ॥१६॥ व्यपदेशाद्देवतान्तरम् ॥१७॥ समत्वाच्च  
॥१८॥ पशावपीति चेत् ॥१९॥ न तद्भूतवचनान् ॥२०॥ लिङ्ग-  
दर्शनाच्च ॥२१॥ गुणो वा स्यात्कपालवद्गुणभूतविकाराच्च  
॥२२॥ अपि वा शेषभूतत्वात्सस्कार प्रतीयेत, स्वाहाकारवद-  
गानामर्थसयोगात् ॥२३॥ व्यृद्धवचन च विप्रतिपत्तौ तदर्थत्वात्  
॥२४॥ गुणेपीति चेत् ॥२५॥ नासहानात्कपालवत् ॥२६॥ ग्रहाणा  
च सम्प्रतिपत्तौ तद्वचन तदर्थत्वान् ॥२७॥ ग्रहाभावे तद्वचनम्  
॥२८॥ देवतायाश्च हेतुत्वे प्रसिद्ध तेन दर्शयति ॥२९॥ अविष्टो-  
पपत्तिर्यापत्ते, श्रुतवद् गुणभूतविकार स्यात् ॥३०॥ स द्वयर्थ  
स्यादुभयो श्रुतिभूत्वाद्द्विप्रतिपत्तौ, तादर्थ्याद्विकारत्वमुक्तं,  
तस्यार्थवादत्वम् ॥३१॥ विप्रतिपत्तौ तासामाख्याविकार स्यात्  
॥३२॥ अभ्यासो वा प्रयाजवदेकदेशोऽन्यदेवत्य ॥३३॥ चर्ह्वि-  
विकार स्यादिज्यासयोगात् ॥३४॥ प्रसिद्धग्रहणत्वाच्च ॥३५॥  
ओदनो वाऽन्नसयोगात् ॥३६॥ न द्वयर्थत्वात् ॥३७॥ कपालविका-  
रो वा विशयेऽर्थोपपत्तिभ्याम् ॥३८॥ गुणमुख्यविशेषाच्च ॥३९॥  
तच्छस्त्री चान्यहविष्टत्वात् ॥४०॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥४१॥ ओदनो  
वा प्रयुक्तत्वात् ॥४२॥ अपूर्वव्यपदेशाच्च ॥४३॥ तथा च लिङ्ग-  
दर्शनम् ॥४४॥ स कपाले प्रकृत्या स्यादन्पस्य चाश्रुतित्वात् ॥४५॥  
एकस्मिन्वा विप्रतिषेधात् ॥४६॥ न वाऽर्थान्तरसयोगादपूपे, पा-  
सयुक्त धारणार्थं चरौ भवति, तत्रार्थात्पात्रलाभ स्यादनियमो-  
ऽविशेषात् ॥४७॥ चरौ वा लिङ्गदर्शनात् ॥४८॥ तस्मिन्पेषण-  
मनर्थलोपात्स्रात् ॥४९॥ अक्रिया वा अपूपहेतुत्वात् ॥५०॥ पिण्डा-  
र्थत्वाच्च सयवनम् ॥५१॥ सवपन च तादर्थ्यात् ॥५२॥ सन्तापन-  
मघ श्रपणात् ॥५३॥ उपघान च तादर्थ्यात् ॥५४॥ पृथुश्लक्ष्णे

वाजपयस्वात् ॥१५॥ अम्युहृत्सोपरिपाठार्थत्वात् ॥१६॥ तथा च  
 च्वानम् ॥१७॥ अमुहृत्स्याऽऽदानं च प्रकृतावयुतित्वात् ॥१८॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

ब्रुप्पसेष्वपलोपादपाठ स्यात् ॥१॥ स्याद्वा प्रत्यङ्गिष्ठ-  
 त्वात्प्रदानत् ॥२॥ उपस्तरणामिभारणयोरमृतार्थत्वात्कर्मस्यात्  
 ॥३॥ क्रियेत वाऽर्घ्यंवादत्वात्तयो संसर्गहेतुत्वात् ॥४॥ अकर्म वा  
 अतुभिराप्तिवचनात्सह पूर्णं पुनश्चतुरवसम् ॥५॥ क्रिया वा मुस्या-  
 वदानपरिमाणात्सामान्यात्तद्गुणत्वम् ॥६॥ तेषां शंकावदानत्वात्  
 ॥७॥ आप्तिं संस्थासमानत्वात् ॥८॥ सतोस्त्वाप्तिवचनं व्यर्थम्  
 ॥९॥ विकल्परत्वेकावदानत्वात् ॥१०॥ सर्वविकारे त्वम्यासानर्थ-  
 क्य हविषो हातरस्य स्यादपि वा स्विष्टकृत् स्यादितरस्याम्याम्य  
 त्वात् ॥ १॥ अकर्म वा संसर्गाच्चित्तित्वात्तस्मादाप्तिसमर्थत्वम्  
 ॥११॥ भक्षाणां तु प्रीत्यर्थत्वात्कर्म स्यात् ॥१२॥ स्याद्वा निर्घा-  
 नवर्षनात् ॥१३॥ वचनं वाऽऽज्यभक्षस्य प्रकृतौ स्यान्नानित्वात्  
 ॥१४॥ वचनं वा हिरण्यस्य प्रदानवदाव्यस्य गुणभूतत्वात् ॥१५॥  
 एकधोपहारे सहस्रं ब्रह्मभक्षाणां प्रकृतौ विद्वत्त्वात् ॥१६॥ सर्वत्वं  
 च तेषामधिकारात्स्यात् ॥१७॥ पुण्यापनयो वा तेषामवाप्यत्वात्  
 ॥१८॥ पुण्यापनयात्स्वकारकत्वम् ॥१९॥ एकार्थत्वावविभाग स्यात्  
 ॥२०॥ अतिव्ययानं धर्ममाचार्यं स्यात्प्राप्तिसामर्थात् ॥२१॥  
 परिष्कारार्थं वा कर्मसयोगात्स्लोकत्वात् ॥२२॥ दक्षिणायुक्तवचनाच्च  
 ॥२३॥ न चान्येनाऽऽन्येत् परिष्कारात्कर्मण परार्थत्वात् ॥२४॥  
 परिष्कृतवचनमात्रं ॥२५॥ सतिवच्ये च मृतिवचनात् ॥२६॥ नैष्क-  
 र्त्वंकेच्य सस्तवाच्च ॥२७॥ शेषभक्षाश्च तद्वत् ॥२८॥ संस्कारो वा  
 ब्रह्मस्य परार्थत्वात् ॥२९॥ शेषे च समत्वात् ॥३०॥ स्वामिति च



दर्शनात्तत्सामान्यादितरेषा तथात्वमा ॥३२॥ तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३३॥ वरणमृत्विजामानमार्थत्वात्सत्रे न स्यात्स्वकर्मत्वात् ॥३४॥ परिक्रयश्च तादर्थ्यात् ॥३५॥ प्रतिपेद्मश्च कर्मवत् ॥३६॥ स्याद्वा प्रासर्पिकस्य धर्ममात्रत्वात् ॥३७॥ न दक्षिणाशब्दात्तस्मान्नित्यानुवाद स्यात् ॥३८॥ उदवसानीय सत्रधर्मा स्यात्तदङ्गत्वात्तत्र दान धर्ममात्र स्यात् ॥३९॥ न त्वेतत्प्रकृतित्वाद्धिभक्तचोदितत्वाच्च ॥४०॥ तेषा तु वचनाद्द्वियज्ञवत्सहप्रयोग स्यात् ॥४१॥ तत्रान्यानृत्विजो वृणीरन् ॥४२॥ एकैकगस्त्वविप्रतिषेधात्प्रकृतेश्चैकसयोगात् ॥४३॥ कामेष्टौ च दानशब्दात् ॥४४॥ वचन वा सत्रत्वात् ॥४५॥ द्वेष्ये चाचोदनाद्दक्षिणापनय स्यात् ॥४६॥ अस्थियज्ञोऽविप्रतिषेधादितरेषा स्याद्विप्रतिषेधादस्थनाम् ॥४७॥ यावदुक्तमुपयोग स्यात् ॥४८॥ यदि तु वचनात्तेषा जपसंस्कारमर्थलुप्त सेष्टितदर्थत्वात् ॥४९॥ ऋत्वर्थं तु क्रियेत गुणभूतत्वात् ॥५०॥ काम्यानि तु न विद्यन्ते कामाज्ञानाद्यथेतरस्यानुच्यमानानि ॥५१॥ ईहार्थाश्चाभावात्सूक्तवाकवत् ॥५२॥ स्युर्वाऽर्थवादत्वात् ॥५३॥ नेच्छामिधानात्तदभावादितरस्मिन् ॥५४॥ स्युर्वा होतृकामा ॥५५॥ न तदाशीष्वात् ॥५६॥ सर्वस्वारस्य दिष्टगती समापन न विद्यते कर्मणो जीवसयोगात् ॥५७॥ स्याद्वोभयो प्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥५८॥ गते कर्मास्थियज्ञवत् ॥५९॥ जीवत्यवचनमायुराशिषस्तदर्थत्वात् ॥६०॥ वचन वा भागित्वात्प्राग्यथोक्तात् ॥६१॥ क्रिया स्याद्धर्ममात्राणाम् ॥६२॥ गुणलोपे च मुख्यस्य ॥६३॥ मुष्टिलोपात्तु सङ्ख्यालोपस्तद्गुणत्वात्स्यात् ॥६४॥ न निर्वापशेत्वात् ॥६५॥ सङ्ख्या तु चोदना प्रति सामान्यात्तद्विकार , सयोगाच्च पर मुष्टे ॥६६॥ न चोदनाभिसम्बन्धात्प्रकृतौ संस्कारयोगात् ॥६७॥ औत्पत्तिके तु द्रव्यतो विकार स्यादकार्यत्वात् ॥६८॥ नैमित्तिके तु कार्यत्वात्प्रकृते स्यात्तदापत्ते ॥६९॥ विप्रतिषेधे तद्वचनात्प्राकृतगुणलोप स्यात्तेन कर्मसयोगात् ॥७०॥ परेषा प्रतिषेध स्यात्

॥७१॥ प्रतिपेपाञ्च ॥७२॥ अर्थाभाव संस्कारत्वं स्यात् ॥७३॥  
 अर्थेन च विपर्ययि तावध्यात्तत्त्वमम स्यात् ॥७४॥

॥ द्वितीय पाद समाप्त ॥

## तृतीय पाद

विप्लवो घञ्वात्प्रधानस्य गुणानामधिकोत्पत्तिः सन्नि-  
 घानात् ॥१॥ प्रवृत्तियस्य चानुपराध ॥२॥ आशनाप्रनुत्वाञ्च  
 ॥३॥ प्रधानस्य अङ्गस्युक्तं स्यात्तस्य विभ्युपठक्षण-  
 त्वस्यो द्वि पूर्ववात्विधयस्यैवात्प्रवृत्तिः ॥४॥ न पाङ्गविभिरनङ्ग-  
 स्यात् ॥५॥ कर्मणश्चकमञ्जात् सन्निघाने विधेरास्या सयोगा-  
 गुणेन तद्विकारः स्याच्छब्दस्य विधिगामित्वाद्गुणस्य चापदेस्य-  
 त्वात् ॥६॥ अकार्यत्वाच्च मान् ॥७॥ तुल्या च प्रमुखा मुणे  
 । ८॥ सयमर्थं प्रधानमिति चेत् ॥९॥ स्यात्तुतेन सयोगाद्यथ  
 विधय स्युः ॥१॥ विधित्वे चाविशिष्टं वीकृते कर्मणा योगात्-  
 स्मात्सर्वं प्रधानाद्यम् ॥११॥ समत्वाच्च तदुत्पत्तौ संस्कारैरधिकारः  
 स्यात् ॥१२॥ हिरप्यगर्भं पूर्वस्य मन्वात्तत्त्वात् ॥१३॥ प्रकृत्यनु-  
 परोधाच्च ॥१४॥ उत्तरस्य वा मन्वात्तत्त्वात् ॥१५॥ विध्यतिदेहात्-  
 चक्षुःशरीरकारः स्याद्गुणानामुपदेस्यत्वात् ॥१६॥ पूर्वस्मिन्नाम-  
 न्त्वस्यनात् ॥१७॥ संस्कारे तु क्रियात्तर तस्य विधायकत्वात्  
 ॥१८॥ प्रकृत्यनुपरोधाच्च ॥१९॥ विधेस्तु तत्र भावात्सन्वेष्टे यत्स्य  
 शब्दस्तदर्थं स्यात् ॥२०॥ संस्कारसामर्थ्याच्च गुणसयोगाच्च ॥२१॥  
 विप्रतिपेपात्क्रिया प्रकरणे स्यात् ॥२२॥ पञ्चभिर्बन्धयतीति तासां  
 मन्त्रविकार द्युतिसयोगात् ॥२३॥ अभ्यासात् प्रधानस्य ॥२४॥  
 । २५॥ अपि वा प्रतिमन्त्रत्वात्प्राकृता-  
 नामहानि स्यादन्यायस्य कृतेऽभ्यासः ॥२६॥ पौर्वापर्यत्वाभ्यासे  
 नोपपद्यते नैमित्तिकत्वात् ॥२७॥ तस्युपकृत्यं च वर्धयति ॥२८॥

न चाविशेषाद्द्वयपदेश स्यात् ॥२६॥ अग्न्याघेयस्य नैमित्तिके गुण-  
 विकारे दक्षिणादानमधिक स्याद् वाक्यसयोगात् ॥३०॥ शिष्टत्वा-  
 च्चेतरासा यथास्थानम् ॥३१॥ विकारस्त्वप्रकरणे हि काम्यानि  
 ॥३२॥ शङ्कते च निवृत्तेरुभयत्व हि श्रूयते ॥३३॥ वासा वत्सञ्च  
 सामान्यात् ॥३४॥ अर्थापत्तेस्तद्धर्म स्यान्निमित्ताख्याभिसयोगात्  
 ॥३५॥ दाने पाकोऽर्थलक्षण. ॥३६॥ पाकस्य चान्नकारितत्वात्  
 ॥३७॥ तथाभिघारणस्य ॥३८॥ द्रव्य विधिसन्निधौ सट् ख्या तेषा  
 गुणत्वात्स्यात् ॥३९॥ समत्वात्तु गुणानामेकस्य श्रुतिसयोगात्  
 ॥४०॥ यस्य वा सन्निधाने स्याद्वाक्यतो ह्यभिसम्बन्ध. ॥४१॥  
 असयुक्तास्तु तुल्यवदितराभिविधीयन्ते, तस्मात्सर्वाधिकार स्यात्  
 ॥४२॥ असयोगाद्विधिश्रुतावेकजाताधिकार स्याच्छ्रुत्याकोपा-  
 त्कतो ॥४३॥ शब्दार्थश्चापि लोकावत् ॥४४॥ सा पशूनामुत्पत्तितो  
 विभागात् । ४५॥ अनियमोऽविशेषात् ॥४६॥ भागित्वाद्वा गवा  
 स्यात् ॥४७॥ प्रत्ययात् ॥४८॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥४९॥ तत्र दान  
 विभागेन प्रदानाना पृथक्त्वात् ॥५०॥ परिक्रयाच्च लोकवत् ॥५१॥  
 विभाग चापि दर्शयति ॥५२॥ सम स्यादश्रुतित्वात् ॥५३॥ अपि  
 वा कर्मवेषम्यात् ॥५४॥ अतुत्या स्युः परिक्रये विषमाख्या,  
 विधिश्रुतौ परिक्रयान्न कर्मण्युपपद्यते, दर्शनाद्विशेषस्य तथाभ्युदये  
 ॥५५॥ तस्य धेनुरिति गवा प्रकृतौविभक्त चोदितत्वात्तत्सामान्या-  
 त्तद्विकार स्याद्यथेष्टिर्गुणशब्देन ॥५६॥ सर्वस्य वा, क्रतुसयोगादे-  
 कत्व दक्षिणार्थस्य, गुणाना कार्येकत्वादर्थे विकृतौ श्रुतिभूत स्यात्त-  
 या समवायाद्वि कर्मभि ॥५७॥ चोदनानामनाश्रयाल्लिङ्गेन  
 नियम स्यात् ॥५८॥ एका पञ्चेति धेनुवत् ॥५९॥ त्रिवत्सश्च  
 ॥६०॥ तथा लिङ्गदर्शनम् ॥६१॥ एके तु श्रुतिभूतत्वासङ्ख्या  
 गवा लिङ्गविशेषेण ॥६२॥ प्राकाशौ च तथेति चेत् ॥६३॥ अपि  
 त्ववयवार्थत्वाद्विभक्तप्रकृतित्वाद्गुरोदन्ताविकार स्यात् ॥६४॥  
 धेनुवच्चाश्वदक्षिणा, स ब्रह्मण इति, पुरुषापनयो यथा हिरण्यस्य

॥६५॥ एके तु कर्तृसयोगात्स्वम्बतस्यलिङ्गविशेषेण ॥६६॥ अपि वा तदधिकाराद्विरध्यवद्विकारः स्यात् ॥६७॥ तथा च सोमचमसं ॥६८॥ सवविकारो वा ऋत्स्वर्थे पशूनां प्रतिषेधात् ॥६९॥ ब्रह्मवा नेऽविशिष्टमिति चेत् ॥७०॥ उत्सर्गस्य ऋत्स्वत्वात्प्रतिषिद्धस्य कमत्वात्त च गौण प्रयोजनमर्थं स वक्षिणानां स्यात् ॥७१॥ यदि तु ब्रह्मणस्तद्वृत्तं तद्विकारः स्यात् ॥७२॥ सर्वं वा पुर्यापमयाणासां ऋतुप्रधानत्वात् ॥७३॥ मज्जुर्मुक्तेऽध्वर्योर्दक्षिणा विकारः स्यात् ॥७४॥ अपि वा श्रुतिभूतत्वात्सर्वासां तस्य भागो नियम्यते ॥ ७५ ॥

॥ तृतीयं पाद समाप्तं ॥

## चतुर्थं पाद

प्रकृतिलिङ्गासयोगात्कर्मसंस्कार विकृताधिकं स्यात् ॥१॥ चोदनालिङ्गसयोमे तद्विकारः प्रतीयेत प्रकृतिसन्निधानात् ॥२॥ सर्वत्र तु ब्रह्मन्नातमधिकं स्यात्प्रकृतिवत् ॥३॥ अधिकवर्धकवाक्यत्वात् ॥४॥ लिङ्गवर्धनाच्च ॥५॥ प्राचापत्येषु चाम्नानात् ॥६॥ आमने लिङ्गवर्धनात् ॥ ॥ उपरोषु शरवत्स्यात्प्रकृति लिङ्गसयोगात् ॥८॥ आनर्थक्यात्त्वधिकं स्यात् ॥९॥ संस्कारे चाभ्यसयोगात् ॥१०॥ प्रयाजवदिति शेषान्नित्यत्वात् ॥११-१२॥ आच्छादने त्वैकाग्र्यत्वात्प्रकृतस्य विकारः स्यात् ॥१३॥ अधिकं वाऽप्यर्थत्वात् ॥१४॥ समुच्चयं च वक्ष्यति ॥१५॥ सामस्वर्षान्तरभूतेरविकारः प्रतीयेत ॥१६॥ अर्थं त्वश्रुतमात्रेण शेषत्वात्प्रकृतस्य विकारः स्यात् ॥१७॥ सर्वेषामधिकत्वात् ॥१८॥ एकस्य वा श्रुतिसामर्थ्यात्प्रकृतेरविकारात् ॥१९॥ स्तोमविवृद्धौ त्वधिकं स्यादविवृद्धौ द्वयविकारः स्यादितरस्याभूतित्वात् ॥२०॥ पावमाने स्यात्तस्मिन्नावापोद्वापवर्धनात् ॥२१॥ वचनानि त्वपूर्वत्वात् ॥२२॥

विधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यात्तेन चोदना ॥२३॥ शेषाणा वा चोदनैकत्वात्तस्मात् सर्वत्र श्रूयते ॥२४॥ तथोत्तरस्या ततो तत्प्रकृतित्वात् ॥२५॥ प्राकृतस्य गुणश्रुतौ सगुरोनाभिधानं स्यात् ॥२६॥ अविकारो वाऽर्थशब्दानपायात् स्याद् द्रव्यवत् ॥२७॥ आरम्भा समवायाद्वा चोदितेनाभिधानं स्यादर्थस्य श्रुतिसमवायित्वादवचने च गुणशासनमनर्थकं स्यात् ॥२८॥ द्रव्येष्वास्मभगामित्वादर्थेऽविकारं सामर्थ्यात् ॥२९॥ वृधन्वान्पवमानवद्विशेषनिर्देशात् ॥३०॥ मन्त्रविशेषनिर्देशात् देवताविकारं स्यात् ॥३१॥ विधिनिगमभेदात्प्रकृतौ तत्प्रकृतित्वाद्विकृतावपिभेदं स्यात् ॥३२॥ यथोक्तं वा विप्रनिपत्तेर्न चोदना ॥३३॥ स्विष्टकृद्देवतान्यत्वे तच्छब्दत्वान्निवर्त्तेत् ॥३४॥ सयोगे वाऽर्थपत्तेरभिधानस्य कर्मजत्वात् ॥३५॥ सगुणस्य गुणलोपे निगमेषु गुणास्थाने यावदुक्तं स्यात् ॥३६॥ सर्वस्य वैकर्म्यात् ॥३७॥ स्विष्टकृदावापिकोऽनुयाजे स्यात्, प्रयोजनवदङ्गानामर्थसयोगात् ॥३८॥ अन्वाहेति च शब्दवत् कर्मं स्याच्चोदनान्तरात् ॥३९॥ सस्कारो वा चोदितस्य शब्दस्य वचनार्थत्वात् ॥४०॥ स्याद् गुणार्थत्वात् ॥४१॥ मनोताया तु वचनादविकारं स्यात् ॥४२॥ पृष्ठार्थेऽन्यद्रथन्तरात्तद्योनिपूर्वत्वात् स्याद्वा प्रविभक्तत्वात् ॥४३॥ स्वयोनी वा सर्वाख्यत्वात् ॥४४॥ यूपवदिति चेत् ॥४५॥ न कर्मसयोगात् ॥४६॥ कार्यत्वाद्दुत्तरयोर्यथाप्रकृति ॥४७॥ समानदेवते वा तृचस्याविभागात् ॥४८॥ ग्रहाणां देवतान्यत्वे स्तुतशस्त्रयो कर्मत्वादविकारं स्यात् ॥४९॥ उभयपानात्पृषदाज्ये दध्नोऽप्युपलक्षणं निगमेषु पातव्यस्योपलक्षणत्वात् ॥५०॥ न वा परार्थत्वाद्यज्ञपतिवत् ॥५१॥ स्याद्वा आवाहनस्य तादर्थ्यात् ॥५२॥ न वा सस्कारशब्दत्वात् ॥५३॥ स्याद्वा द्रव्याभिधानात् ॥५४॥ दध्नस्तु गुणभूतत्वादाज्यपानिगमात् स्युर्गुणत्वं श्रुतेराज्यप्रधानत्वात् ॥५५॥ दधि वा स्यात्प्रधानमाज्ये प्रथमान्त्यसयोगात् ॥५६॥ अपि वाऽऽज्यप्रधानत्वाद्गुणार्थं व्यप-

बेधो भक्त्या संस्कारसम्यक् स्यात् ॥१७॥ अपि याऽऽख्याविकारत्वा  
त्तेन स्यादुपसङ्गणम् ॥१८॥ न वा स्याद्गुणघास्यत्वात् ॥१९॥

॥ चतुर्थं पादं समाप्तं ॥

## पञ्चम पाद

आमुपुष्पवतामेकदेशग्रहणोप्यागमवदन्त्यद्योप स्यात् ॥१॥

निष्कृष्टवचनात् ॥२॥ विमल्यो वा समत्वात् ॥३॥ अमायुपसर्वनो  
ऽन्ते स्यात् ॥४॥ तिनन्तमविशिष्टं सङ्ख्याया हि तद्वचनम् ॥५॥  
आदितो वा प्रवृत्ति स्यादारम्भस्य सवावित्वाद्बचनावन्त्यविधि  
स्यात् ॥६॥ एकत्रिके कृपादिषु माष्यदिनछम्बसां भूतिभूतत्वात्  
॥७॥ आदितो वा तन्मायत्वादिउरस्यानुमानिकत्वात् ॥८॥ यथा  
निवेशश्च प्रकृतिवत्संठषामाप्रविकारत्वात् ॥९॥ विकस्तृचे धुर्ये  
स्यात् ॥१०॥ एकस्यां वा स्तोमस्यावृत्तिभर्मत्वात् ॥११॥ षोडशासु  
त्वपुवत्वात्स्त्रिंशत् न घमनियमः स्यात् ॥१२॥ प्राप्तिस्तु रात्रिभ्य  
सम्बन्धात् ॥१३॥ अपूर्वास्तु तु संख्यासु विकस्य स्यात्सर्वासामर्भ  
वत्त्वात् ॥१४॥ स्तोमविवृद्धौ प्राकृतानामभ्यासेन सङ्ख्यापूरणम  
विकारात्सङ्ख्यायां गुणसम्बन्धादन्त्यस्य चाश्रुतित्वात् ॥१५॥  
आगमेन वाऽभ्यासस्याश्रुतित्वात् ॥१६॥ सङ्ख्यायाश्च पूषकत्व  
निवेशात् ॥१७॥ पराकम्बत्वात् ॥१८॥ उक्ताविकारात् ॥१९॥  
अश्रुतित्वाविति चेत् ॥२०॥ स्यादर्भचोदितानां परिमाणज्ञात्वम्  
॥२१॥ आवापवचनं चाभ्यासे नोपयद्यते ॥२२॥ साम्ना शोत्पति  
सामर्थ्यात् ॥२३॥ धुर्येष्वपीति श्रुत् ॥२४॥ नावृत्तिभर्मत्वात्  
॥२५॥ बहिष्पवमाने तु ष्टयागम सामैकत्वात् ॥२६॥ अभ्यासेन  
तु सङ्ख्यापूरणं सामिधेनीष्वभ्यासप्रकृतित्वात् ॥२७॥ बहिषेया  
श्रुति चेत् ॥२८॥ स्यात्सर्भत्वात् प्रकृतिवदन्त्यस्येताऽऽसङ्ख्या-  
पूरणात् ॥२९॥ मावदुक्तं वा कृतपरिमाणत्वात् ॥३०॥ बहिष्का

नाञ्च दर्शनात् ॥३१॥ कर्मस्वपीति चेत् ॥३२॥ न चादितत्वात्  
॥३३॥ षोडशिनो वैकृतत्व तत्र कृत्स्नविधानात् ॥३४॥ प्रकृतौ  
चाऽभावदर्शनात् ॥३५॥ अयज्ञवचनाच्च ॥३६॥ प्रकृतौ वा शिष्ट-  
त्वात् ॥३७॥ प्रकृतिदर्शनाच्च ॥३८॥ आम्लान परिसङ्ख्याथम्  
॥३९॥ उक्तमभावदर्शनम् ॥४०॥ गुणादयज्ञत्वम् ॥४१॥ तस्या-  
ग्रयणाद्ग्रहणम् ॥४२॥ उक्त्याच्च वचनात् ॥४३॥ तृतीयसवने  
वचनात्स्यात् ॥४४॥ अनभ्यासे परावच्छेदस्य तादर्थ्यात् ॥४५॥  
उक्त्यविच्छेदवचनाच्च ॥४६॥ आग्रयणाद्वा परावच्छेदस्य देशवा-  
चित्वात्पुनराधेयवत् ॥४७॥ विच्छेद स्तोमसामान्यात् ॥४८॥  
उक्त्याऽग्निष्टोमसयागादस्तुतशस्त्र स्यात्सति हि सस्थान्यत्वम्  
॥४९॥ सस्तुतशस्त्रो वा तदङ्गत्वात् ॥५०॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥५१॥  
वचनात्सस्थान्यत्वम् ॥५२॥ अभावादतिरात्रेषु गृह्यते ॥५३॥  
अन्वयो वाऽनारम्य विधानात् ॥५४॥ चतुर्थे चतुर्थेऽहन्यहीनस्य  
गृह्यते, इत्यभ्यासेन प्रतीयेत भोजनवत् ॥५५॥ अपि वा सङ्ख्या-  
वत्त्वान्नाहीनेषु गृह्यते, पक्षवदेकस्मिन्सङ्ख्यार्थभावान् ॥५६॥  
भोजने च तत्सङ्ख्य स्यात् ॥५७॥ जगत्साम्नि, सामाभावाद्दत्त,  
साम तदाख्य स्यात् ॥५८॥ उभयसाम्नि, नैमित्तिक विकल्पेन  
समत्वात्स्यात् ॥५९॥ मुख्येन वा नियम्यते ॥६०॥ निमित्त विधा-  
ताद्वा क्रतुयुक्तस्य कर्म स्यात् ॥६१॥ ऐन्द्रावायवस्याग्रवचनादा-  
दित प्रतिकर्ष स्यात् ॥६२॥ अपि वा धर्मविशेषात्तद्धर्माणा स्व-  
स्थाने प्रतिकरणादग्रत्वमुच्यते ॥६३॥ धारासयोगाच्च ॥६४॥  
कामसयोगे तु वचनादादित प्रतिकर्ष स्यात् ॥६५॥ तद्देशाना  
वाऽग्रसयोगात्तद्युक्ते कामशास्त्र स्यान्नित्यसयोगात् ॥६६॥ परेषु  
चाग्रशब्द पूर्ववत् स्यात् तदादिषु ॥६७॥ प्रतिकर्षो वा नित्यार्थे-  
नाग्रस्य तदसयोगात् ॥६८॥ प्रतिकर्षञ्च दर्शयति ॥६९॥ पुरस्ता-  
दैन्द्रवायवादग्रस्य कृतदेशत्वात् ॥७०॥ तुल्यधर्मत्वाच्च ॥७१॥  
तथा च लिङ्गदर्शनम् ॥७२॥ सादन चापि शेषत्वात् ॥७३॥

लिङ्गदक्षनाञ्च ॥७४॥ प्रदानं घापि सादनवत् ॥७५॥ न वा  
 प्रधानत्वाच्छेषत्वात्सादन तथा ॥७६॥ ध्यनोकार्या न्यायाक्तेष्व  
 नानं गुणार्थं स्यात् ॥७७॥ अपि वाऽऽह्मणोऽवन्निवत्समान विधानं  
 स्यात् ॥७८॥ द्वादश्याहस्य व्यूढसमूहत्वं पृथ्वस्तमानविधानं स्यात्  
 ॥७९॥ व्यूढो वा लिङ्गदर्शनात्समूहविकार स्यात् ॥८०॥ काम  
 संयोगात् ॥८१॥ तस्योभयथा प्रवृत्तिरकस्म्यति ॥८२॥ एकाद  
 शिमीवत् ध्यमीका प्रवृत्ति स्यात् ॥८३॥ स्वस्मानविवृद्धिर्वाऽऽह्म  
 मप्रत्यक्षसङ्घस्यत्वात् ॥८४॥ पृष्ठजावृत्तौ चाप्रयत्नस्य दर्शनात्  
 न्यस्तिस्रो परिवृत्तौ पुनरेन्द्रबायस स्यात् ॥८५॥ बधनात्परिवृत्ति  
 रेकादधिनेषु ॥८६॥ लिङ्गवर्तनाञ्च ॥८७॥ उन्वोऽप्यतिक्रमात्  
 व्यूढे, मक्षपवमानपरिधिकपालमन्त्राणां यथोत्पत्तिमचनमूहवत्स्यात्  
 ॥ ८८ ॥

॥ पंचमः चरः समाप्तः ॥

## षष्ठः पादः

एकैर्बन्धानानि यत्र स्युः स्याभ्यायवत् ॥१॥ तृषे वा  
 लिङ्गदर्शनात् ॥२॥ स्वदृशं प्रति वीक्षणं कालमात्र परापत्वात्  
 ॥३॥ पृष्ठस्य युगपद्विषेरेकाहवद्विसामत्थ्यम् ॥४॥ विभक्ते  
 वाऽऽसमस्त विधानात् तद्विभागेऽप्रतिपिद्यम् ॥५॥ समासस्त्वैकाद  
 शिनेषु तत्प्रकृतित्वात् ॥६॥ विहारप्रतिषेधाञ्च ॥७॥ अतितो  
 वा लोकावविभाग स्यात् ॥८॥ विहारप्रकृतित्वाञ्च ॥९॥ याव  
 न्छस्य तावद्विहारस्यानुपहीतस्य विज्ञेये च तदासरो ॥१०॥  
 न्यस्तवति चेतु ॥११॥ न समत्वात्प्रयागवत् ॥१२॥ सर्वपृष्ठे  
 पृष्ठशब्दालोपा स्यावेकदेशस्य पृष्ठस्य कृतवेशत्वात् ॥१३॥ विषेस्तु  
 विप्रकर्षं स्यात् ॥१४॥ वैकल्पसामा ऋतुसंयोगाद्विषुद्वेषेऽसामा  
 स्यात् ॥१५॥ पृष्ठार्थे वा प्रकृतिसिङ्गसंयोगात् ॥१६॥ पितृवृत्ति



चेत् ॥१७॥ न प्रकृतावकृत्स्नसयोगात् ॥१८॥ विधित्वग्नोति चेत्  
 ॥१९॥ न स्याद्विशये तन्न्यायत्वात्कर्माविभागात् ॥२०॥ प्रकृतेश्चा-  
 विकारात् ॥२१॥ त्रिवृति सङ्ख्यात्वेन सर्वसङ्ख्याविकार स्यात्  
 ॥२२॥ स्तोमस्य वा तल्लिङ्गत्वात् ॥२३॥ उभयसास्नि विश्व-  
 जिद्विभाग स्यात् ॥२४॥ पृष्ठार्थे वाऽतदर्थत्वात् ॥२५॥ लिङ्ग-  
 दर्शनाच्च ॥२६॥ पृष्ठे रसभोजनमावृत्तेऽस्थिते त्रयस्त्रिंशोऽहनि  
 स्यात्तदानन्तर्यात् प्रकृतिवत् ॥२७॥ अन्ते वा कृतकालत्वात्  
 ॥२८॥ अभ्यासे च तदभ्यास कर्मण पुन प्रयोगात् ॥२९॥  
 अन्ते वा कृतकालत्वात् ॥ ३० ॥ आवृत्तिस्तु व्यवये  
 कालभेदात् ॥ ३१ ॥ मधु न दीक्षिता ब्रह्मचारित्वात्  
 ॥३२॥ प्राश्येतवायज्ञार्थत्वात् ॥३३॥ मानसमहरन्तर स्याद् द्वाद-  
 शाहे व्यपदेशात् ॥३४॥ तेन च सस्तवात् ॥३५॥ अहरन्ताच्च  
 परेण चोदना ॥३६॥ पक्षे सङ्ख्या सहस्रवत् ॥३७॥ अहरङ्गवा-  
 शुवच्चोदनाभावात् ॥३८॥ दशमविसर्गवचनाच्च ॥३९॥ दशमेऽ-  
 हनीति च तद्गुणशास्त्रात् ॥४०॥ सङ्ख्यासामञ्जस्यात् ॥४१॥  
 पश्वतिरेके चैकस्य भावात् ॥४२॥ स्तुतिव्यपदेशमङ्गेनाविप्रति-  
 षिद्ध व्रतवत् ॥४३॥ वचनाददन्तत्वम् ॥४४॥ सत्रमेक प्रकृतिवत्  
 ॥४५॥ बहुवचनात्तु बहूना स्यात् ॥४६॥ अपदेश स्यादिति चेत्  
 ॥४७॥ नैकव्यपदेशात् ॥४८॥ सन्निवाप च दर्शयति ॥४९॥ बहूना-  
 मिति चैकस्मिन्विशेषवचने व्यर्थम् ॥५०॥ अन्ये स्युर्ऋत्विजः  
 प्रकृतिवत् ॥५१॥ अपि वा यजमाना स्युर्ऋत्विजामभिधान-  
 सयोगालोषा स्याद्यजमानत्वम् ॥५२॥ कर्तृसंस्कारो वचनादाघात-  
 वदिति चेत् ॥५३॥ स्याद्विशये तन्न्यायत्वात्प्रकृतिवत् ॥५४॥ स्वा-  
 म्याख्या स्युर्गृहपतिवदिति चेत् ॥५५॥ न प्रसिद्धग्रहणत्वादसयुक्तस्य  
 तद्धर्मेण ॥५६॥ बहूनामिति तुल्येषु विशेषवचन नोपपद्यते ॥५७॥  
 दीक्षिताऽदीक्षित व्यपदेशश्च नोपपद्यतेऽर्थयोर्नित्यभावित्वात्  
 ॥५८॥ अदीक्षणात्वाच्च ॥५९॥ द्वादशाहस्य सत्रत्वमासनोपाधि-

षोडशेन यजमानबहुत्वेन च सत्रशान्दाभिसंयोगात् ॥६॥ यत्र  
 तिभोदनावहीनत्वं स्वामिनां चाऽस्थितपरिमाणत्वात् ॥६१॥  
 अहीने दक्षिणाघास्त्र गुणत्वात् प्रत्यहं कर्मभेद स्यात् ॥६२॥  
 सर्वस्य वैकर्म्यात् ॥६३॥ पृषदाज्यबद्धांशुं गुणसास्त्र स्यात्  
 ॥६४॥ ज्योतिष्टाम्यस्तु दक्षिणा सर्वासामकर्मरत्नारप्रकृतिवत्  
 तस्मात् सासां विकारः स्यात् ॥६५॥ द्वावघाहे तु षण्णारप्रत्यह  
 दक्षिणाभेदस्तत्प्रकृतित्वात्परेषु सासां सङ्ख्याविकार स्यात्  
 ॥६६॥ परिक्वाभिमागाद्वा समस्तस्य विकारः स्यात् । ६७॥ भेदस्तु  
 गुणसंयोगात् ॥६८॥ प्रत्यहं सवसस्कार प्रकृतिवत् सर्वासां सर्व  
 षोपत्वात् ॥६९॥ एकार्यत्वात् ति भेत ॥७०॥ उत्पत्ती कामभेदात्  
 ॥७१॥ विभज्य तु संस्कारबचनाद्द्वावघाहवत् ॥७२॥ सिङ्ग म  
 द्रव्यनिर्देशे सत्रच प्रत्यय स्याद्विभक्त्य सर्वगाभित्वात् ॥७३॥  
 याधवर्षे चाऽर्ष्यषोपत्वावतोऽर्षेण परिमार्षं स्यात्तस्मिन्श्च सिङ्ग म  
 सामर्ष्यम् ॥७४॥ आग्नेयं कृत्स्नवि च ॥७५॥ ऋषोपस्य प्रवान-  
 त्वावहर्गणे सवस्य प्रतिपत्ति स्यात् ॥७६॥ वाससि मानापायहरणे  
 प्रकृष्टी सोमस्य बचनात् ॥७७॥ सत्राहर्गणेऽप्याद्वास प्रकृति स्यात्  
 ॥७८॥ मानं प्रत्युत्पादरेत्प्रकृष्टा तेन दद्यादादुपायहरणस्य ॥७९॥  
 हरणे वा धृत्यसमायात्राधिकृतो तेन ॥८०॥

॥ पञ्च पाद समाप्त ॥

## सप्तम पाद

पदाथकृद्बिष्ट्व समस्तचोदितत्वात् ॥१॥ प्रत्यहं वा  
 ग्रहबद्धं माना पृषमरुत्पत्तत्वात् ॥२॥ हविर्मेदान् कमणाऽभ्यास  
 स्तस्मात् तेभ्योऽपदानं स्यात् ॥३॥ आग्नेयभागबद्धा निर्देशात्परिसङ्  
 क्थास्यात् ॥४॥ तपां वा द्वयवदानत्वं दिवसत्रभिनिर्विष परो  
 पश्चाद्बदानत्वात् ॥५॥ असमिरोत्कृष्टविषप्रतिषेधश्च तदन्यपरिसङ्

ख्यानेऽनर्थक स्यात्, प्रदानत्वात्तेषां निरवदानप्रतिषेध स्यात् ॥६॥ अपि वा परिसख्या स्यादनवदानीयशब्दत्वात् ॥७॥ अत्राह्नयो च दर्शनात् ॥८॥ शृताशृतोपदेशाच्चतेषामुत्सर्गवदयज्ञशेषत्व सर्वेषां न श्रवणं स्यात् ॥९॥ इज्याशेषात्स्विष्टकृदिज्येत प्रकृतिवत् ॥१०॥ त्र्यङ्गैर्वा शरवद्विकारः स्यात् ॥११॥ अध्यूधनी होतस्त्र्यङ्वदिडादविकारः स्यात् ॥१२॥ शेषे वा समवेति, तस्माद्ग्रथवन्नियमः स्यात् ॥१३॥ अशास्त्रत्वात् नैव स्यात् ॥१४॥ अपि वा दानमात्रं स्वाद्भक्षशब्दानभिसम्बन्धात् ॥१५॥ दातुस्त्वविद्यमानत्वादिडाभक्षविकारः स्याच्छ्रेयः प्रत्यविशिष्टत्वात् ॥१६॥ अग्नीधश्च वनिष्ठरध्यूधनीवत् ॥१७॥ अप्राकृतत्वान्मैत्रावरुणस्याभक्तत्वम् ॥१८॥ स्याद्वा होत्रध्वय्युर्विकारत्वात्तयो कर्माभिसम्बन्धात् ॥१९॥ द्विभागः स्याद् द्विकर्मत्वात् ॥२०॥ एकत्वाद्द्वैकभागः स्याद् भागस्याश्रुतिभूतत्वान् ॥२१॥ प्रतिप्रस्थातुश्च वपाश्रवणात् ॥२२॥ अभक्षो वा कर्मभेदात्तस्या सर्वप्रदानत्वात् ॥२३॥ विकृतौ प्राकृतस्य विधेर्ग्रहणात्पुनः श्रुतिरनर्थकः स्यात् ॥२४॥ अपि वाऽऽग्नेयवद्विद्विशब्दत्वः स्यात् ॥२५॥ न वा शब्दपृथक्त्वात् ॥२६॥ अधिकं वाऽर्थवत्त्वात् स्यादर्थवाद्गुणाभावे वचनादविकारे, तेषु हि तादर्थ्यं स्यादपूर्वत्वात् ॥२७॥ प्रतिषेधः स्यादिति चेत् ॥२८॥ नाश्रुतत्वात् ॥२९॥ अग्रहणादिति चेत् ॥३०॥ न तुल्यत्वात् ॥३१॥ तथा तद्ग्रहणो स्यात् ॥३२॥ अपूर्वता तु दर्शयेद्ग्रहणस्यार्थवत्त्वात् ॥३३॥ ततोऽपि यावदुक्तं स्यात् ॥३४॥ स्विष्टकृतिभक्षप्रतिषेधः स्यात्तुल्यकारणत्वात् ॥३५॥ अप्रतिषेधो वा, दर्शनादिडायाः स्यात् । ॥३६॥ प्रतिषेधो वा विधिपूर्वस्य दर्शनात् ॥३७॥ शय्विडान्तत्वे विकल्पस्यात् परेषु पत्न्यनुयाजप्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात् ॥३८॥ नित्यानुवादो वा कर्मणः स्यादशब्दत्वात् ॥३९॥ प्रतिषेधः वच्चोत्तरस्य परस्तात् प्रतिषेधः स्यात् ॥४०॥ प्राप्तेर्वा पूर्वस्य वचनादतिक्रमः स्यात् ॥४१॥ प्रतिषेधस्य त्वरायुक्तत्वात्तस्य च नान्यदेशत्वम्

॥४२॥ उपसत्सु यावदुक्तमकर्म स्यात् ॥४३॥ शीघ्रेण वाज्जुग  
 त्वाच्छेषप्रतिषेध स्यात् ॥४४॥ अप्रतिषेधो वा प्रतिषिध्य प्रति-  
 प्रसववत् ॥४५॥ अनिज्या वा क्षेपस्य मुख्यदेवतानभीज्यत्वात्  
 ॥४६॥ अत्रश्रुते बहिष प्रतिषेधाच्छेषकर्म स्यात् ॥४७॥ आभ्य  
 भागयोर्बागुणत्वाच्छेषप्रतिषेध स्यात् ॥४८॥ प्रमाजानां त्वे एवश  
 प्रतिषेधादवाक्यक्षेपत्व सस्मान्नित्यानुबाव स्यात् ॥४९॥ आभ्य  
 भागयोर्ग्रहणं नित्यानुबावो वा गृहमेधीयवत्स्यात् ॥५०॥ विरोधिना  
 मेकश्रुती नियम स्याद्ग्रहणस्यार्थवत्त्वाच्छरदकञ्च श्रुतितो विशिष्ट-  
 त्वात् ॥५१॥ उभयप्रदेशादिति चेत् ॥५२॥ शरेष्वपीति चेत्  
 ॥५३॥ विरोध्यग्रहणात्तथा शरेष्विति चेत् ॥५४॥ सचेतरस्मिन्  
 ॥५५॥ श्रुत्यामर्थक्यमिति चेत् ॥५६॥ ग्रहणस्यार्थवत्त्वावुभयोर  
 प्रतिपत्ति स्यात् ॥५७॥ सर्वासाञ्च गुणानामर्थवत्त्वाद् ग्रहणम  
 प्रवृत्तो स्यात् ॥५८॥ अधिकं स्यादिति चेत् ॥५९॥ नार्थान्नात्  
 ॥६०॥ तवेकार्थविकारे प्राकृतस्याप्रवृत्ति प्रवृत्तौ हि विकल्प  
 स्यात् ॥६१॥ यावच्छ्रुतीति चेत् ॥६२॥ न प्रकृतावच्छेदत्वात्  
 ॥६३॥ विहितौ त्वनियम स्यात्पृषदाज्यवद्ग्रहणस्य गुणार्थत्वावु  
 भयोश्च प्रविष्टत्वाद्गुणज्ञासन्नं यदिति स्यात् ॥६४॥ ऐकार्थ्याद्वा  
 नियम्येत अ तितो विशिष्टत्वात् ॥६५॥ विरोधित्वाच्च शोभवत्  
 ॥६६॥ कृतोश्च तद्गुणत्वात् ॥६७॥ विरोधिनाञ्च तच्छ्रुताव  
 च्छेदत्वात्तद्विकल्प स्यात् ॥६८॥ पुषदाज्ये समुच्चयाद्ग्रहणस्य  
 गुणार्थत्वम् ॥६९॥ यद्यपि चतुरवत्तीति तु नियमे नोपपद्यते  
 ॥७०॥ श्रुतवन्तरे वा तन्न्यायत्वात्कर्मभेदात् ॥७१॥ यथाश्रुतीति  
 चेत् ॥७२॥ न शोवतीकत्वात् ॥७३॥

॥ अथम पाद समाप्त ॥

## अष्टम पाद

प्रतिषेध प्रवेद्येऽनारम्य विधाने प्राप्तप्रतिषिद्धत्वात्तद्विकल्प

स्यात् ॥१॥ अर्थप्राप्तवदिति चेत् ॥२॥ न तुल्यहेतुत्वाद्दुभय शब्द-  
लक्षणम् ॥३॥ अपि तु वाक्यशेषः स्यादन्यायत्वाद्विकल्पस्य, विधी-  
नामेकदेश स्यात् ॥४॥ अपूर्वे चार्थवादः स्यात् ॥५॥ शिष्ट्वा तु  
प्रतिषेध स्यात् ॥५॥ न चेदन्य प्रकल्पयेत्प्रबल्लुप्तावर्थवादं स्यादा-  
तर्थक्यात्परसामर्थ्यात् ॥७॥ पूर्वैश्च तुल्यकालत्वात् ॥८॥ उपवादश्च  
तद्वत् ॥९॥ प्रतिषेधादकमेति चेत् ॥१०॥ न शब्दपूर्वत्वात् ॥११॥  
दीक्षितस्य दान-होम-पाक प्रति षेधेऽविशेषात्सर्व-दान-होम-पाक-  
प्रतिषेध स्यात् ॥१२॥ अक्रतुयुक्तानां वा धर्मं स्यात्, क्रतो  
प्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥१३॥ तस्य वाऽप्यानुमानिकमविशेषात् ॥१४॥  
अपि तु वाक्यशेषत्वादितरपर्युदास स्यात्, प्रतिषेधे विकल्पः  
स्यात् ॥१५॥ अविशेषेण यच्छास्त्रमन्यायत्वाद्विकल्पस्य तत्सन्दिग्ध-  
माराद्विशेषशिष्ट स्यात् ॥१६॥ अप्रकरणे तु यच्छास्त्र विशेषे  
श्रूयमाणमविकृतमाज्यभागवत्, प्राकृतप्रतिषेधार्थम् ॥१७॥ विकारे  
तु तदर्थं स्यात् ॥१८॥ वाक्यशेषो वा क्रतुनाऽग्रहणात् स्यादनारभ्य  
विधानस्य ॥१९॥ मन्त्रेष्ववाक्यशेषत्व गुणोपदेशात् स्यात् ॥२०॥  
अनाम्नाते दर्शनात् ॥२१॥ प्रतिषेधाच्च ॥२२॥ अग्न्यतिग्राह्यस्य  
विकृतावुपदेशादप्रवृत्ति स्यात् ॥२३॥ मासि ग्रहणं च तद्वत् ॥२४॥  
ग्रहणं वा तुल्यत्वात् ॥२५॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥२६॥ ग्रहणं समान-  
विधानं स्यात् ॥२७॥ मासि ग्रहणमभ्यासप्रतिषेधार्थम् ॥२८॥  
उत्पत्तितादर्थ्याच्चित्पुरवत्, प्रधानस्य होमसयोगादधिकमाज्यम  
तुल्यत्वाल्लोकवदुत्पत्तेर्गुणभूतत्वात् ॥२९॥ तत्संस्कारश्रुतेश्च ॥३०॥  
ताभ्यां वा सह स्विकृतं सहत्वे, द्विरभिधारणेन तदाप्तिवचनात्  
॥३१॥ तुल्यवच्चाभिधाय सर्वेषुभवत्यनुक्रमणात् ॥३२॥ साप्तदश्य-  
वन्नियम्येत ॥३३॥ हविषो वा गुणभूतत्वात्तथाभूतविवक्षा स्यात्  
॥३४॥ पुरोडाशाभ्यामित्यधिकृतानां पुरोडाशयोरुपदेशस्तच्छ्र-  
ुतित्वाद्द्वैश्वस्तोमवत् ॥३५॥ न त्वनित्याधिकारोऽस्ति, विधेर्नि-  
(धौ नि-) त्येन सम्बन्धस्तस्मादवाक्यशेषत्वम् ॥३६॥ सति च नैक  
देशेनकर्तुं, प्रधानभूतत्वात् ॥३७॥ कृत्स्नत्वात्तु तथा स्तोमे ॥३८॥

क्तु स्यादिति चेत् ॥१६॥ न गुणावत्त्वात्प्राप्ते न चोपदेशार्थ  
 ॥१७०॥ कर्मणोस्तु प्रकरणे तुल्यायत्वाद् गुणानां लिङ्गेन कास-  
 शास्त्र स्यात् ॥१७१॥ यदि तु साध्याय्य सोमयाचिनो न तान्यां  
 समवायोऽस्ति विभक्त कास्त्वात् ॥१७२॥ अपि वा विहितत्वाद्  
 गुणार्थायां पुन भूतो सन्वेहे श्रुतिद्विदेवतायां स्याद्यथाऽनभिप्रेत  
 स्तथाऽऽग्नेयो वर्धनायेकवेवते ॥१७३॥ विधि तु वावरायण ॥१७४॥  
 प्रतिपिड्यविज्ञानाद्वा ॥१७५॥ तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥१७६॥ उपांशु  
 याज्रमन्तरा यजतीति हविर्लिङ्गाश्रुतित्वाद्यथाकामी प्रधीयेत्  
 ॥१७७॥ औवाद्वा सर्वसयोगात् ॥१७८॥ तद्वन्ध देवतायां स्यात्  
 ॥१७९॥ तान्त्रोणां प्रकरणात् ॥१८०॥ धर्माद्वा स्यात्प्रजापति ॥१८१॥  
 वेवतायास्त्वनिर्वचनं तत्र सन्धस्वेह सृष्टुत्वं तस्मादिहाधिकारेण  
 ॥१८२॥ विष्णुर्वा स्यादौनाम्नानावमावास्याहविष्यत्वात् ॥१८३॥  
 तत्र वर्धनात् ॥१८४॥ अपि वा पौषमास्यां स्यात् प्रभानस्य  
 संयोगाद्, गुणस्वात्मत्रो यथाप्रधान स्यात् ॥१८५॥ आनन्तर्यं च  
 साध्याय्यस्य पुरोवायेन वार्षियस्यमावास्याधिकारे ॥१८६॥ अग्नीपो-  
 मविधानात्, पौषमास्यामुमयत्र विधीयते ॥१८७॥ प्रतिपिड्य  
 विधानाद्वा विष्णुः समानदेव स्यात् ॥१८८॥ तथा चान्यार्थवर्धनम्  
 ॥१८९॥ न चानङ्गं सकृत्सृष्टातुमयत्र विधीयेतासम्बन्धात् ॥१९०॥  
 गुणानां च परार्थत्वात्प्रवृत्तौ विधिलिङ्गानि वर्धयति ॥१९१॥  
 विकारे चाश्रुतित्वात् ॥१९२॥ द्विपुरोऽगामा स्मादन्तर (ऋगुणा )  
 यत्वात् ॥१९३॥ अजातिकरणायत्वाच्च ॥१९४॥ तदर्थमिति चेत्  
 तत्प्रधानानत्वात् ॥१९५॥ अत्रिष्टन च सम्भवात् ॥१९६॥ उत्पत्तेस्तु नि-  
 बेश स्यात्गुणस्यानुपरोभेनार्थस्य विद्यमानत्वाद्भिषामावतरार्थस्य  
 नैमित्तिकत्वात् तदभावेऽप्यौ स्यात् ॥१९७॥ उभयोस्तु विधानात्  
 ॥१९८॥ गुणानाञ्च परार्थत्वादुपबेपद् यदेति स्यात् ॥१९९॥  
 ॥२००॥ अनपायश्च कास्य लक्षणं हि पुरावाद्यौ ॥२०१॥ प्रथमार्थ  
 मजामित्यम् ॥२०२॥

# एकादशोऽध्याय

## प्रथम पाद

प्रयोजनाभिसम्बन्धात्पृथक् सता तत स्यादककर्म्यमेक-  
शब्दाभिसयोगात् ॥१॥ शेषवद्वा प्रयोजन प्रतिकर्म विभज्येत ॥२॥  
अविधानात्तु नैव स्यात् ॥३॥ शेषस्य हि परार्थत्वाद्विधानात्प्र-  
तिप्रधानभाव स्यात् ॥४॥ अज्ञानान्तु शब्दभेदात्क्रतुवत्स्यात्  
फलान्यत्वम् ॥५॥ अर्थभेदस्तु तत्रायहैकार्थ्यादैक कर्म्यम् ॥६॥  
शब्दभेदानेति चेत् ॥७॥ कर्मार्थत्वात्प्रयोगे ताच्छब्द स्यात्तदर्थ-  
त्वात् ॥८॥ कर्तृविधेर्नार्थत्वाद्गुणप्रदानेषु ॥९॥ आरम्भस्य  
शब्दपूर्वत्वात् ॥१०॥ एकेनापि समाप्येत कृतार्थत्वाद्, यथा  
क्रत्वन्तरेषु प्राप्तेषु चोत्तरावत्स्यात् ॥११॥ फलाभावादिति चेत्  
॥१२॥ न कर्मसयोगात्प्रयोजनमशब्ददोष स्यात् ॥१३॥ एकशब्दा-  
दिति चेत् ॥१४॥ नार्थपृथक्त्वात्समत्वाद्गुणत्वम् ॥१५॥ विधेस्त्वेक-  
श्रुतित्वादपर्यायविधानान्नित्यवच्छ्रितभूताभिसयोगादर्थेन युग-  
पत्प्राप्तेर्यथाक्रम स्वशब्दो निवीतवत्तस्मात्सर्वप्रयोगे प्रवृत्तिः स्यात्  
॥१६॥ तथा कर्मोपदेश स्यात् ॥१७॥ क्रत्वन्तरेषु पुनर्वचनम्  
॥१८॥ उत्तरास्वश्रुतित्वाद्विशेषाणा कृतार्थत्वात्स्वदोहे यथाकामी  
प्रतीयेत ॥१९॥ कर्मण्यारम्भाभाव्यत्वात्कृषिवत् प्रत्यारम्भ फलानि  
स्यु ॥२०॥ अधिकारश्च सर्वेषा कार्यत्वाद्दुपपद्यते विशेष ॥२१॥  
सकृत् स्यात्कृतार्थत्वाद्भ्रवत् ॥२२॥ शब्दार्थश्च तथा लोके  
॥२३॥ अपि वा सप्रयोगे यथा कामी प्रतीयेताश्रुतित्वाद्विधिपु-  
वचनानि स्यु ॥२४॥ एकशब्दात्तथाङ्गेषु ॥२५॥ लोके कर्माऽर्थ-  
लक्षणम् ॥२६॥ क्रियाणामर्थशपत्वात्प्रत्यक्षम् (त्यक्षोऽ) तस्तन्नि-

वृत्त्याश्रयणं स्यात् ॥२७॥ धर्ममाये स्वदशनाच्छब्दार्थेनापवग-  
 स्यात् ॥२८॥ ऋतुवृत्तानुमानेनाभ्यासे फलभूमा स्यात् ॥२९॥  
 सकृदा कारणे कत्वात् ॥३०॥ परिमार्ण चानियमेन स्यात् ॥३१॥  
 फलारम्भनिवृत्ते ऋतुषु स्यात् फलान्यत्वम् ॥३२॥ अर्थवास्तु नेक  
 त्वादभ्यासः स्वादनवका यथा भोजनमेकस्मिन्नर्थस्मापरिमाण  
 त्वात्प्रधाने च क्रियार्थत्वावनियम स्यात् ॥३३॥ पृथक्त्वाद्भिन्नमित्  
 परिमाणं स्यात् ॥३४॥ अनभ्यासो वा प्रयोगमथनेकरत्वात्सबस्य  
 युगपच्छास्त्रादपश्च त्वाच्च कर्मणः स्यात्क्रियार्थत्वात् ॥३५॥  
 अभ्यासो वा छेदमसम्भार्याश्रयानेषु बधनात्सकृत्त्वस्य ॥३६॥  
 अनभ्यासस्तु वाच्यत्वात् ॥३७॥ बहुमपनेन सर्वशक्तेर्विद्वत्स्य  
 स्यात् ॥३८॥ इष्टः प्रयोग इति चत् ॥३९॥ तथेह ॥४०॥ भक्त्येति  
 चेत ॥४१॥ तथेतरस्मिन् ॥४२॥ प्रथमं वा निमम्येत् कारणाव  
 त्किञ्चन स्यात् ॥४३॥ अत्यर्थाविधेयात् ॥४४॥ तथा चान्याप  
 दशनम् ॥४५॥ प्रकृत्या च पूर्ववत्तदासत्ते ॥४६॥ उत्तरासु न  
 यावत्समपूर्वत्वात् ॥४७॥ यावत्सं वाङ्मयविधानेनामुवाच स्यात्  
 ॥४८॥ साकल्यविधानात् ॥४९॥ वक्ष्यत्वाच्च ॥५०॥ अग्निहोत्रे  
 चाक्षेपवदवागुनियमः ॥५१॥ तथा पयः प्रतिवेद्यं कुमारणात्  
 ॥५२॥ सर्वंप्रापिष्यापि लिङ्गं न सयुज्य देवतामिसयोगात् ॥५३॥  
 प्रधानकर्मण्यत्वात्प्रधानां तदर्थत्वात् कर्मभेदः प्रयोगे स्यात् ॥५४॥  
 कर्मकापश्च योगपद्य स्यात् ॥५५॥ तुस्यान्तां तु यौमपद्यमकराद्यो  
 पवेशान् स्याद्विधापाग्रहणात् ॥५६॥ केषाञ्च्यदिव्यवायः स्यात् ॥५७॥  
 तथा चान्यार्थदर्शनं कामुकायन ॥५८॥ तन्न्यामत्वात्सर्वतेरानु  
 पूर्व्यं स्यात् सन्कारस्य तदर्थत्वात् ॥५९॥ असत्पृष्टोर्नपि तादर्थ्यात्  
 ॥६०॥ विभवाद्वा प्रवीचत् ॥६१॥ अर्थात् लोके विधि प्रति  
 प्रधानं स्यात् ॥६२॥ सकृदिव्या कामुकायन परिमाणविरोधात्  
 ॥६३॥ विधेस्त्वित्तरार्थत्वात् सकृदिव्याद्युत्थिव्यतिक्रम स्यात्  
 ॥६४॥ विधिवत्प्रकरणाविभागे प्रयोगः बाह्यपण ॥६५॥ स्व



चिद्विधानान्नेति चेत् ॥३६॥ न विधेश्चोदितत्वात् ॥६७॥ व्याख्यात तुल्याना योयपद्यनगृह्यमाणविशेषाणाम् ॥६८॥ भेदस्तु कालभेदाच्चोदनाव्यवायान् स्याद्विशिष्टाना विधि प्रधानकालत्वात् ॥६९॥ तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥७०॥ विधिरिति चेन्न वर्तमानापदेशान् ॥७१॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

एकदेशकालकृत्व मुख्यानामेकशब्दोपदेशात् ॥१॥ अविधिश्चेत्कर्मणामनभिसम्बन्ध प्रतीयेत, तल्लक्षणार्थाभिसयोगाद्विधित्वाच्चेतरेषा प्रतिप्रधान भाव स्यात् ॥२॥ अङ्गेषु च तद्भाव प्रधान प्रति निर्देशात् ॥३॥ यदि तु कर्मणो विधिसम्बन्ध स्यादैकशब्दात्प्रधानार्थाभिसयोगात् ॥४॥ तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥५॥ श्रुतिश्चेत्पा प्रधाननत्कर्मश्रुते परार्थत्वात्कर्मणोऽश्रुति त्वाच्च ॥६॥ अङ्गानि तु विधानत्वात्प्रधानेनोपदिश्येरस्तस्मात्स्यादैकदेशत्वम् ॥७॥ द्रव्यदेवत तथेति चेत् ॥८॥ न चोदनाविधिशेषत्वात्त्रियमार्थो विशेषः ॥९॥ तेषु समवेताना समवायात्तन्त्रमङ्गानि भेदस्तु तद्भेदात्कर्मभेद प्रयागे स्यात्तेषा प्रधानशब्दत्वात्तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥१०॥ इष्टिराजसूयचातुर्मास्येष्वैककर्म्यात् अङ्गाना तन्त्रभाव स्यात् ॥११॥ कालभेदान्नेति चेत् ॥१२॥ नैकदेशत्वात्पशुवत् ॥१३॥ अपि वा कर्मपृथक्त्वात्तेषा तन्त्रविधानात्सङ्गानामुपदेश स्यात् ॥१४॥ तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥१५॥ तथा तदवयवेषु स्यात् ॥१६॥ पशौ तु चोदनैकत्वात्तन्त्रस्य विप्रकर्ष स्यात् ॥१७॥ तथा स्यादध्वरकल्पेऽपि विशेषकालत्वात् ॥१८॥ इष्टिरिति चैकवच्छ्रुतिः ॥१९॥ अपि वा कर्मपृथक्त्वात्तेषा च तन्त्रविधानात्साङ्गानामुपदेश स्यात् ॥२०॥ प्रथमस्य वा कालवचनम् ॥२१॥

फलैकत्वाविष्टिगन्धो मयान्यत्र ॥२२॥ ब्रह्माहोमस्तम्भमेकवेधतेषु  
 स्यात् प्रदानस्यैककामत्वात् ॥२२॥ काष्ठभेदास्त्वावृत्तिर्देवता भेदे  
 ॥२४॥ अन्ते युपावृत्तिस्तद्वत् ॥२५॥ इतरप्रतिषेधो वा अनुवाद  
 मात्रमन्तिकस्य ॥२६॥ अष्टास्पत्वाच्च देशानाम् ॥२७॥ अथमृचे  
 प्रधानेऽग्निविकारः स्यान्न हि तद्यत्तुरन्तिसंयोग ॥२८॥ द्रव्य  
 देयतावत् ॥२९॥ साङ्गो वा प्रयोगवचनैकत्वात् ॥ ॥ सिङ्ग  
 वर्तनाच्च ॥३१॥ षड्विभागान्च देवदानपत्नय ॥३२॥ दक्षिणे-  
 ज्जगौ वरुणप्रधासेप देशभेदात्सव विच्छिद्यसे ॥३३॥ अश्वोवनेति  
 चेत् ॥३४॥ स्यात्पौर्णमासीवत् ॥३५॥ प्रयोगश्चादनेति चेत् ॥३६॥  
 त-(अ) येह ॥३७॥ आसावनमिति चेत् ॥३८॥ नोत्तरेर्नैकवाक्य-  
 त्वात् ॥३९॥ अवाक्यत्वात् ॥४०॥ आम्नामवचन तद्वत् ॥४१॥  
 कर्मभेदस्तथेति चेत् ॥४२॥ न समवायात् ॥४३॥ सिङ्गवर्तनाच्च  
 ॥४४॥ वदिसंयोगाविति चेत् ॥४५॥ न देशमात्रत्वात् ॥४६॥  
 एकान्तित्वावपरेषु तन्मैः स्यात् ॥४७॥ नामा वा कस भेदात्  
 ॥४८॥ पर्यन्ति कृतानामुत्सर्गे प्राजापस्यामां कर्मोत्सर्गः श्रुति  
 सामाग्यादारभ्यवत्सस्माद्ब्रह्मसाम्नि शोदनापृथक्त्व स्यात् ॥४९॥  
 संस्कारप्रतिषेधो वा वाक्यैकत्वे क्तुसामान्यात् ॥५०॥ अपानां  
 शानभिचारणस्य वर्तनात् ॥५१॥ पञ्चशारदीयास्तथेति चेत्  
 ॥५२॥ न शोदनैकवाक्यत्वात् ॥५३॥ संस्काराणां च वर्तनात्  
 ॥५४॥ वक्ष्येये क्रमप्रतिष्ठातिप्रतिकर्षस्तत प्राञ्चाः तस्मान्  
 उत्त्र स्यात् ॥५५॥ समानवचनं तद्वत् ॥५६॥ अप्रतिकर्षो वाऽत्र  
 हेतुत्वात्सहस्रं विधीयते ॥५७॥ पूर्वस्मिन्नाममृपस्य वर्तनात्  
 ॥५८॥ वीक्षाणां शोत्तरस्य ॥५९॥ समानं काष्ठसामान्यात् ॥६०॥  
 निष्कासस्यावभृथे तदेकवेदात्वात् पशुवत्प्रदानविप्रकर्ष स्यात् ॥६१॥  
 अपनयो वा प्रसिद्धमभिसंयोगात् ॥६२॥ प्रतिपत्तिरिति चेत्  
 कर्मसंयोगात् ॥६३॥ उदयनीये च तद्वत् ॥६४॥ प्रतिपत्तिरिति

कर्मसयोगात् ॥६५॥ अर्थकर्म वा ज्ञेयत्वाच्छ्रपणवत्तदर्थेन विधानात् ॥६६॥

॥ द्वितीय पाद समाप्त ॥

## तृतीय पाद

अङ्गानां मुख्यकालत्वाद्वचनादन्यकालत्वम् ॥१॥ द्रव्यस्या-  
कर्मकालनिष्पत्तेः प्रयोगः सर्वार्थः स्यात्स्वकालत्वात् ॥२॥ यूप-  
श्चाकर्मकालत्वात् ॥३॥ एक यूपः च दर्शयति ॥४॥ सस्कारास्त्वा-  
वर्तेरन्नर्थकालत्वान् ॥५॥ तत्कालास्तु, यूपकर्मत्वात्तस्यधर्मविधाना-  
त्सर्वार्थानां च वचनादन्यकालत्वम् ॥६॥ सकृन्मानः च दर्शयति  
॥७॥ स्वहस्तन्त्रापवर्गः स्यादस्वकालत्वात् ॥८॥ साधारणो वाऽनु-  
निष्पत्तिस्तस्य साधारणत्वात् ॥९॥ सोमान्ते च प्रतिपत्तिदर्शनात्  
॥१०॥ तत्कालो वा प्रस्तरवत् ॥११॥ न वोत्पत्तिः वाक्यत्वात्प्रदे-  
शात् प्रस्तरे तथा ॥१२॥ अहर्गणो विपाणाप्रासनः धर्मविप्रतिषेधा-  
दन्त्ये प्रथमे वाहनि विकल्पः स्यात् ॥१३॥ पाणोस्त्वश्रुतिभूतत्वा-  
द्विपाणानियमः स्यात्प्रातः सवनमध्यत्वाच्छिष्टे चाभिप्रवृत्तत्वात्  
॥१४॥ वाग्विसर्गो हविष्कृता वीजभेदे तथा स्यात् ॥१५॥ पशौ  
च पुरोडाशे समानतन्त्र भवेत् ॥१६॥ अग्नियोगः सोमकाले तदर्थ-  
त्वात् सकृतकर्मणः परेषु साङ्गस्य, तस्मात्सर्वापवर्गे विमोकः स्यात्  
॥१७॥ प्रधानापवर्गे वा तदर्थत्वात् ॥१८॥ अवभृथे च तद्वत्प्रधा-  
नार्थस्य प्रतिषेधोऽपवृक्तार्थत्वात् ॥१९॥ अहर्गणो च प्रत्यहः स्यात्त-  
दर्थत्वात् ॥२०॥ सुब्रह्मण्या तु तन्त्र दीक्षावदन्यकालत्वात् ॥२१॥  
तत्कालात्त्वावर्तेतः प्रयोगतो विशेषसम्बन्धात् ॥२२॥ अप्रयोगाङ्ग-  
मिति चेत् ॥२३॥ स्यात्प्रयोगनिर्देशात्कृतृ भेदवत् ॥२४॥ तद्भूत-  
स्थानादग्निवदितः चेत्तदपवर्गस्तदर्थत्वात् ॥२५॥ अग्निवदिति चेत्  
॥२६॥ न प्रयोगसाधारण्यात् ॥२७॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥२८॥ तद्वि-  
तथेति चेत् ॥२९॥ नाशिष्टत्वादितरन्यायत्वाच्च ॥३०॥ विध्ये-

कस्वादिति चेत् ॥३१॥ न कृत्स्नस्य पून प्रयोगात् प्रधानत्वात्  
 ॥३२॥ लौकिकेषु यथाकामी संस्कारानर्थसोपात् ॥३३॥ यज्ञायु-  
 धानि धार्येन्द्रप्रतिपत्तिविधानाहनीयवत् ॥३४॥ यज्ञमानसस्वारो  
 वा तदर्थं अयते तत्र यथाकामी तदयत्वात् ॥३५॥ मुख्यस्य धारणं  
 वा मरणस्यानियतरवात् ॥ ३६॥ यो वा यज्ञनीयेऽङ्गनि म्रियेत  
 सोऽधिकृतः स्यादुपवेषवत् ॥३७॥ न शास्त्रसंक्षयत्वात् ॥३८॥  
 उत्पत्तिर्वा प्रयोजकत्वादाक्षिरवत् ॥३९॥ शब्दासामञ्जस्यमिति  
 चेत् ॥४०॥ तथाऽऽक्षिरे ॥४१॥ शास्त्रात् विप्रयोगस्तत्र कद्रव्य  
 चिकीर्षा प्रकृतावधेहापूर्वायवद्भूतोपवेश ॥४२॥ प्रकृत्यर्थत्वात्पीप  
 मास्या क्रियेरन ॥४३॥ अन्वयाधेये चाऽधिप्रतिषेधात्तानि धारयन्म  
 रणस्यानिमित्तित्वात् ॥४४॥ प्रतिपत्तिर्वा यथाऽन्येषाम् ॥४५॥  
 उपरिष्टात्सामानां प्राणापत्यैश्चरन्तीति सर्वेषामविक्षेपादवाच्यो  
 हि प्रकृतिकाष्ठ ॥४६॥ अङ्गविपर्ययां विना वचनामिति चेत्  
 ॥४७॥ उत्कर्षं संयोगात्काममात्रमितिरथ ॥४८॥ प्रकृतिकाष्ठा  
 सत्ते शास्त्रवचामिति चेत् ॥४९॥ न अतिप्रतिषेधात् ॥५०॥  
 विकारस्थान इति चेत् ॥५१॥ न बोधनापृथक्त्वात् ॥५२॥ उत्कर्षं  
 सूक्ष्मत्वात्कस्य न सोमदेवतानामुत्कर्षं पस्वनङ्गत्वाद्यथा निष्कर्षेऽ-  
 नन्वय ॥५३॥ यावत्समोगाद्धोत्कर्षं समानतत्त्वादर्थसोपाद  
 नन्वय ॥५४॥

॥ तृतीय पाद समाप्त ॥

## चतुर्थ पाद

चोवनैकत्वाद्वाजसुयेऽनुपपत्तदेशकालानां समयभावात्तन्न  
 महगानि ॥१॥ प्रतिवक्षिणं वा कर्तृ सम्बन्धादिष्ठिवदङ्गभूतत्वात्स  
 मुवापो हि सतिर्षु स्या तदेकत्वादेकसङ्गोपवेश स्यात् ॥२॥ तथा  
 चान्यापदसंनम् ॥३॥ अनियम स्यादिति चेत् ॥४॥ नोपदिष्ट-

त्वात् ॥१॥ लाघवातिपत्तिश्च ॥६॥ प्रयोजनैकत्वात् ॥७॥ विशेष-  
 पार्था पुन. श्रुति ॥८॥ अवेष्टौ चैकतन्त्र्य स्याल्लिङ्गदर्शनात्  
 ॥९॥ वचनात्कामसयोगेन ॥१०॥ क्रत्वार्थायामिति चेन्न वर्ण-  
 सयोगात् ॥११॥ पवमानहवि ष्वैकतन्त्र्य प्रयोगवचनैकत्वात्  
 ॥१२॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥१३॥ वचनात्तु तन्त्रभेद. स्यात् ॥१४॥  
 सहत्वे नित्यानुवाद स्यात् ॥१५॥ द्वादशाहे तत्प्रकृतित्वादेकैक-  
 महरपवृज्येत कर्मपृथक्त्वात् ॥१६॥ अह्ला वा श्रुतिभूतत्वात्तत्र  
 साङ्ग क्रियेत यथा माष्यन्दिने ॥१७॥ अपि वा फलकर्तृ सम्बन्ध-  
 न्धात् सह प्रयोग स्यादाग्नेयान्नीपोमीयवत् ॥१८॥ साङ्गकाल-  
 श्रुतित्वाद्वा स्वस्थाना विकार स्यात् ॥१९॥ तदपेक्ष च द्वादशत्वम्  
 ॥२०॥ दीक्षोपसदा च सङ्ख्या पृथक् पृथक् प्रत्यक्षसयोगात्  
 ॥२१॥ तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥२२॥ चोदनापृथक्त्वे त्वैकतन्त्र्य  
 समवेताना कालययोगात् ॥२३॥ भेदस्तु, तद्भेदात्कर्मभेद, प्रयोगे  
 स्यात्तेषा प्रधानशब्दत्वात् ॥२४॥ तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥२५॥  
 श्व सुत्यावचन तद्वत् ॥२६॥ पश्वतिरेकश्च ॥२७॥ सुत्याविवृद्धौ  
 सुब्रह्मण्याया सर्वेषामुपलक्षण प्रकृत्यन्वयादावाहनवत् ॥२८॥ अपि  
 वेन्द्राभिधानत्वात्सकृत्स्यादुपलक्षण कालस्य लक्षणात्त्वाद् विभा-  
 गाच्च ॥२९॥ पशुगणे कुम्भीशूलवपाश्रपणोना प्रभुत्वात्तन्त्रभाव  
 स्यात् ॥३०॥ भेदस्तु सन्देहाद्देवतान्तरे स्यात् ॥३१॥ अर्थाद्वा  
 लिङ्गकर्म स्यात् ॥३२॥ अयाज्यत्वाद्दसाना भेद स्यात्स्वयाज्या-  
 प्रदानत्वात् ॥३३॥ अपि वा प्रतिपत्तित्वात्तन्त्र स्यात् स्वत्वस्या-  
 श्रुतिभूतत्वात् ॥३४॥ सकृदिति चेत् ॥३५॥ न कालभेदात्  
 ॥३६॥ जात्यन्तरेषु भेद पक्तिवैषम्यात् ॥३७॥ वृद्धिदर्शनाच्च  
 ॥३८॥ कपालानि च कुम्भीवत्तुल्यसङ्ख्यानाम् ॥३९॥ प्रति-  
 प्रधान वा प्रकृतिवत् ॥४०॥ सर्वेषा चाभिप्रथन स्यात् ॥४१॥  
 एकद्रव्ये सस्काराणा व्याख्यातमेककर्मत्वम् ॥४२॥ द्रव्यान्तरे  
 कृतार्थत्वात्तस्य पुन प्रयोगान्मन्त्रस्य च तद्गुणत्वात् पुन प्रयोग

स्यात्तदर्थेन विधानात् ॥४३॥ निर्वपणरूपम स्तरपाज्यग्रहणेषु च  
 एकद्रव्यवत्प्रयोजनैकत्वात् ॥४४॥ द्रव्यान्तरवदा स्यात्तत्संस्कारात्  
 ॥४५॥ वेदिप्रोक्षणौ मन्त्राम्यास कर्मणः पुनः प्रयोगात् ॥४६॥  
 एकस्य वा गुणविभिन्न व्यैकत्वात् तस्मात्संस्कृतप्रयोगः स्यात् ॥४७॥  
 कर्षूयने प्रत्यङ्ग कर्ममेवात् स्यात् ॥४८॥ अपि च घोषनैककास-  
 नैककर्म्यं स्यात् ॥४९॥ स्यन्मदीतरणाभिनर्पणामेध्यप्रतिमः प्रणेषु  
 चैवम् ॥५०॥ प्रमाणे त्वापनिवृत्ते ॥५१॥ उपरवमन्त्रस्तत्र  
 स्यात्सोक्तवत् धहुवचनात् ॥५२॥ न सन्निपातित्वात्सन्निपाति-  
 कर्मणा विशेषग्रहणौ कारीकत्वात्संस्कृतं वचनम् ॥५३॥ हविष्कृत-  
 ध्रिगुपुरोऽनुवाक्यामनोतस्यावृत्तिः काष्ठमेवास्यात् ॥५४॥ अग्नि-  
 योश्च विपर्ययात् ॥५५॥ करिष्यद्वचनात् ॥५६॥

॥ चतुर्थं पाद समाप्त ॥

॥ एकादशोऽध्यायः समाप्त ॥

## द्वादशोऽध्याय

### प्रथम पाद

तन्निवसमाये चावनात् समानामेकतन्त्रत्वम तुल्येषु तु  
 भेदः स्यात् विधिप्रक्रमतादध्यावर्ध्मं श्रुतिकासनिर्देशात् ॥१॥ गुण-  
 कासविकाराच्च तन्त्रभेदः तन्त्रभेदः स्यात् ॥२॥ तन्त्रमध्ये विधा-  
 नाद्वा मुख्यतन्त्रेषु सिद्धिः स्यात्तन्त्रापस्याविधिहत्वात् ॥३॥ विधा-  
 राच्च न भेदः स्यादवर्ध्मस्याविकृतत्वात् ॥४॥ एकेषां चाद्यकत्वात्  
 ॥५॥ एकाग्निवचनं वर्धनम् ॥६॥ अग्निनेः परतन्त्रत्वापत्तेः स्वतन्त्र-  
 प्रतिषेधः स्यात् ॥७॥ मानार्थत्वात्सीमे वर्धपूर्णमासप्रकृतीनां यदि  
 कर्म स्यात् ॥८॥ अकर्म वा कृतद्रुपा स्यात् ॥९॥ पाशेषु च प्रसमा-

स्याद्धोमार्थत्वात् ॥१०॥ न्याय्यानि वा प्रयुक्तत्वादप्रयुक्ते प्रसङ्ग  
 स्यात् ॥११॥ शामित्रे च पशुपुरोडाशो न स्यादितरस्य प्रयुक्त-  
 त्वात् ॥१२॥ श्रपण चाग्निहोत्रस्य शालामुखीये न स्यात्प्राज-  
 हितस्य विद्यमानत्वात् ॥१३॥ हविर्घाने निर्वपणार्थं साधयेता  
 प्रयुक्तत्वात् ॥१४॥ अप्रसिद्धिर्वाऽन्यदेशत्वात् प्रधानवैगुण्याद-  
 वैगुण्ये प्रसङ्ग स्यात् ॥१५॥ अनसा च दर्शनात् ॥१६॥ तद्युक्त  
 च कालभेदात् ॥१७॥ मन्त्राश्च सन्निपातित्वात् ॥१८॥ धारणार्थ-  
 त्वात्सोमेऽन्यन्वाधान न विद्यते ॥१९॥ तथा व्रतमुपेतत्वात् । २०॥  
 विप्रतिषेधाच्च ॥२१॥ सत्यवदिनि चेत् ॥२२॥ न सयोगपृथक्-  
 त्वात् ॥२३॥ गृहार्थं च पूर्वमिष्टेस्तदर्थत्वात् ॥२४॥ शेषवदिति  
 चेत् ॥२५॥ न वैश्यदेवो हि ॥२६॥ स्याद्व्यपदेशात् ॥२७॥ न  
 गुणार्थत्वात् ॥२८॥ सन्नहनञ्च वृत्तत्वात् ॥२९॥ अन्यविधानादा-  
 रण्यभोजन न स्यादुभय हि वृत्त्यर्थम् ॥३०॥ शेषभक्षास्तथेति  
 चेन्नान्यार्थत्वात् ॥३१॥ भृतत्वाच्च परिक्रय ॥३२॥ शेषभक्षा-  
 स्तथेति चेत् ॥३३॥ न कर्मसयोगात् ॥३४॥ प्रवृत्तवरणात्प्रतितन्त्र  
 वरणं होतुं क्रियेत ॥३५॥ ब्रह्मापीति चेत् ॥३६॥ न प्राङ्नि-  
 मात्तदर्थं हि ॥३७॥ निर्दिष्टस्येति चेत् ॥३८॥ नाश्रुतत्वात् ॥३९॥  
 होतुस्तथेति चेत् ॥४०॥ न कर्मसयोगात् ॥४१॥ यज्ञोत्पत्त्युपदेशे  
 निष्ठितकर्मप्रयोगभेदात्प्रतितन्त्रं क्रियेत ॥४२॥ न वा कृतत्वात्त-  
 दुपदेशो हि ॥४३॥ देशपृथक्त्वान्मन्त्रोऽभ्यावर्तते ॥४४॥ सन्नहन-  
 हरणे तथेति चेत् ॥४५॥ नान्यार्थत्वात् ॥४६॥

॥ प्रथम पाद समाप्त ॥

## द्वितीय पाद

विहारो लौकिकानामर्थं साधयेत् प्रभुत्वात् ॥१॥ मासपाक-  
 प्रतिषेधश्च तद्वत् ॥२॥ निर्देशाद्वा वैदिकानां स्यात् ॥३॥ सति





## तृतीय पाद

विश्वजिति वत्सत्वङ् नामधेयादितरथा तन्त्रभूयस्त्वादहत  
 स्यात् ॥१॥ अविरोधो वा उपरिवासो हि वत्सत्वक् ॥२॥ अनु-  
 निर्वाप्येषु भूयस्त्वेन तन्त्रनियम स्यात् ॥३॥ आगन्तुकत्वाद्वा स्व-  
 धर्मा स्याच्छ्रुतिविशेषादितरस्य च मुख्यत्वात् ॥४॥ स्वस्थान-  
 त्वाच्च ॥५॥ स्विष्टकृच्छ्ररवणान्नेति चेत् ॥६॥ विकार. पवमान-  
 वत् ॥७॥ अविकारो वा प्रकृतिवच्चोदना प्रति भावाच्च ॥८॥  
 एककर्मणि शिष्टत्वाद्गुणाना सर्वकर्म स्यात् ॥९॥ एकार्थास्तु  
 विकल्पेरन् समुच्चये ह्यावृत्ति स्यात्प्रधानस्य ॥१०॥ अभ्यस्येतार्थ-  
 वत्त्वादिति चेत् ॥११॥ नाश्रुतित्वात् ॥१२॥ सति चाभ्यासशास्त्र-  
 त्वात् ॥१३॥ विकल्पवच्च दर्शयति ॥१४॥ कालान्तरेथवत्व स्यात्  
 ॥१५॥ प्रायश्चित्तेषु चैकार्थ्यान्निष्पन्नेनाभिसयोगस्तस्मात्सर्वस्य  
 निर्घात ॥१६॥ समुच्चयस्त्वदोष निर्घातार्थेषु ॥१७॥ मन्त्राणा  
 कमसयोगात्स्वधर्मेण प्रयोग स्याद्धर्मस्य तन्निमित्तत्वात् ॥१८॥  
 विद्या प्रति विधानाद्वा सर्वकाल प्रयोग स्यात्कर्मार्थित्वात् प्रयोगस्य  
 ॥१९॥ भापास्वारोपदेशेषु ऐरवत्प्रवचनप्रतिषेध स्यात् ॥२०॥  
 मन्त्रोपदेशो वा न भाषिकस्य प्रायापत्तेर्भाषिकश्रुति ॥२१॥  
 विकार कारणाग्रहणे ॥२२॥ तन्न्यायत्वाददृष्टोऽप्येवम् ॥२३॥  
 तदुत्पत्तेर्वा प्रवचनलक्षणत्वात् ॥२४॥ मन्त्राणा करणार्थत्वान्म-  
 न्त्रान्तेन कर्मादिसन्निपात स्यात्सर्वस्य वचनार्थत्वात् ॥२५॥  
 तन्तवचनाद्वारायामादिसयोग ॥२६॥ कर्मसन्तानो वा नाना-  
 कर्मत्वादितरस्याशक्यत्वात् ॥२७॥ आघारे च दीर्घवारत्वात्  
 ॥२८॥ मन्त्राणा सन्निपातित्वादेकार्याना विकल्प स्यात् ॥२९॥  
 सङ्ख्याविहितेषु समुच्चयोऽसन्निपातित्वात् ॥३०॥ ब्राह्मणविहि-  
 तेषु च सङ्ख्यावन् सर्वेषामुपदिष्टत्वात् ॥३१॥ याज्यावपट्कार-  
 योश्च समुच्चयदर्शन तद्वत् ॥३२॥ विकल्पो वा समुच्चयस्याश्रुति-

त्वान् ॥३॥ गुणापरत्वादुपदेशस्य ॥३४॥ यदृकार मानापरत्वा-  
 त्समुच्चय ॥३५॥ होत्रास्तु विद्वत्कारणं कार्यत्वात् ॥३६॥ समुच्चया  
 या क्रियमाणानुषादित्वात् ॥३७॥ समुच्चयं च दर्शयति ॥३८॥

॥ तुभ्यं चार समास्य ॥

## चतुर्थं पाद

जपात्पा क्रमसमुच्चये स्तुभाधीरनिधानादथ याजमानपु  
 सुशुभ्य स्मादादौ वृषात्पार् ॥१॥ समुच्चयं च दशमति ॥२॥  
 पाग्यानुवाक्यानु तु विपश्म स्याद्पठानुपठयार्थत्वात् ॥३॥  
 निन्ददत्तनात् ॥४॥ अथोपु तु विद्वत्स्य स्यादेकार्थत्वात् ॥५॥  
 समुच्चयो वा प्रयोगे द्रव्यसमवायान् ॥६॥ समुच्चयश्च दर्शयति ॥७॥  
 मस्तारे च तत्प्रधानत्वात् ॥८॥ सत्यासु तु विद्वत्स्य स्याच्छ्रुति  
 विप्रतिषेधात् ॥९॥ द्रव्यधिकारं तु पूर्ववदथक्रमत्वात् तथा विपश्म  
 नियम प्रधानत्वात् ॥१०॥ द्रव्यत्वज्ञाप समुच्चया द्रव्यस्य क्रमं  
 निरूपय प्रतिपद्यु क्रमभेदात् च सति यथाप्रकृति ॥११॥ कपात्स्यपि  
 त्थेति चेत् ॥१२॥ न क्रमण परायत्वात् ॥१३॥ प्रतिपत्तित्तु  
 रोपत्वात् ॥१४॥ तत्वेऽपि पूर्ववदथात्त्वात् ॥१५॥ विद्वत्स्ये त्वर्थ  
 क्रम नियमप्रधानत्वात् यद्यं च क्रमकायसमवायात्समारो-  
 नाथरमत्वात् ॥१६॥ उभाया काम्यनित्यसमुच्चया नियोगे  
 कामवदत्तनात् ॥१७॥ असति चासत्कृतप क्रमत्वात् ॥१८॥ तस्य  
 च देवतार्थत्वात् ॥१९॥ यिनात्वा वा तदुपलक्षेण ॥२०॥ अथनाह  
 सत्कृत्येपु क्रमत्वात् ॥२१॥ ससर्गे चापि दोषत्वात् ॥२२॥ अथनाह  
 दिति चत् ॥२३॥ तदन्तरत्विन् ॥२४॥ तत्सर्गे चापि परिग्रह क्रमण  
 कृतत्वात् ॥२५॥ स आह्वनीयत्वादाहुति संयोगात् ॥२६॥ अग्नौ  
 वोदत्वाद्ग्रहणत्वात् ॥२७॥ तस्मिन्संस्कारकर्मं सिद्धत्वात् ॥२८॥  
 स्यात्ता परिनुप्यरत् ॥२९॥ नित्यकारणो विकल्पो न ह्यकस्मा-

त्प्रतिषेध. स्यात् ॥३०॥ नित्यधारणाद्वा प्रतिषेधो गतश्रिय ॥३१॥  
 परार्थान्येको यजमानगणे ॥३२॥ अनियमोऽविशेषात् ॥३३॥  
 मुख्यो वाऽविप्रतिषेधात् ॥३४॥ सत्रे गृहपतिरसयोगाद्धौत्रवत्  
 ॥३५॥ आमनायवचनाच्च ॥३६॥ सर्वे वा तदर्थत्वात् ॥३७॥ गृह-  
 पतिरिति च समाख्या सामान्यात् ॥३८॥ विप्रतिषेधे परम् ॥३९॥  
 हौत्रे परार्थत्वात् ॥४०॥ वचन परम् ॥४१॥ प्रभुत्वादात्त्विय  
 सर्ववर्णाना स्यात् ॥४२॥ स्मृतेर्वा स्याद् ब्राह्मणानाम् ॥४३॥ फल-  
 चमसविधानाच्चेतरेषाम् ॥४४॥ सान्नाय्येऽप्येव प्रतिषेध सोम-  
 पीथहेतुत्वात् ॥४५॥ चतुर्धाकरणे च निर्देशात् ॥४६॥ अन्वाहार्ये  
 दर्शनात् ॥४७॥

॥ चतुर्थं पाद समाप्त ॥

॥ द्वादशोऽध्याय समाप्त ॥

पूर्वमीमासादर्शन सम्पूर्णम्

## सारांश

‘मीमांसा-दर्शन’ कर्मशास्त्र मुख्य धर्म का प्रतिपादन करता हुआ भारतीय-संस्कृति के इतिहास के एक काळ-विशेष का विश्लेषण करता है। जिस समय यह प्रकाशी ने यहाँ के जन-जीवन में पूरी तरह से बर छिया या और प्रत्येक बड़ा तथा छोटा व्यक्ति किसी न किसी रूप में यज्ञ में भाग लेकर अपने परलोक को सुधारने की कामना रखता था जब कि इस देश के एक बड़े भू-भाग में “स्वर्ग कामोन्मत्त” ( स्वर्ग प्राप्ति के लिये यज्ञ करो ) की धोपचा शुरू रही थी वह एक अस्तित्व समय का जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सामारण ग्रामों और कस्बों में भी यज्ञ-भूमि जलवा दिखलाई पड़ता था और सर्वत्र स्वाहा की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। देश का वातावरण आहुति रूप में शष्पी बाले बाली सामग्री से सुगन्धित बना रहता था और सब एक धार्मिक उत्साह तथा यज्ञ सम्बन्धी उत्सवों की बहुल-पहुँक दिखलाई पड़ती रहती थी।

उस समय यज्ञानुष्ठान कराना यज्ञों का सञ्चालन करना एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित कर्म ही मया था। छोम की छोल कर इसके लिये कार्य करते थे जनेको तो सर्वत्र शान कर देते थे। यज्ञायज्ञ इत्येव्यं समय-समय पर प्रयाग जाकर विशाल यज्ञ करना और अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा प्रत्येक वस्तु यज्ञ दक्षिणा रूप में शान कर देना इतिहास प्रसिद्ध बात है। यज्ञ की सामारण दक्षिणा मीमांसा-दर्शन में ही १२ ही रूपय लिखी है जो आजकल के हिसाब से एक लाख रु० अथवा समझी जा सकती है। एक यज्ञ में १० न कराने वाले अतिथि नियत क्रिय जाने व और इनके धार्मिक सामारण कार्य करने वाले बनेक श्रेण्ड भी रहते थे। बड़े उ० यज्ञ व यज्ञाग यज्ञों की भीड़ भी इतदी ही जाती था। जिस प्रकार आजकल धर्मशास्त्र प्रद्विनी धार्मिक संस्थाओं व धार्मिक अधिपत्य आदि के अन्तर पर मन की ती धीड़ भाड़ और

चहल-पहल हो जाती है, वैसे ही दृश्य उस समय भी दिखाई पड़ता था ।

यज्ञों में विकृतियों का प्राबुध्भाव—

पर जब यज्ञों का प्रचार खूब बढ़ गया और उनमें बड़े लोग पर्याप्त दक्षिणा देने लगे तो काल-प्रभाव से उनमें कुछ विकृतियाँ भी उत्पन्न होने लगी और उसने एक पेशे का रूप धारण कर लिया । बड़े-बड़े पण्डित यदि किसी यज्ञ के संचालन को बुलाये जाते तो वे उसमें अपने ही कुटुम्बियों, सम्बन्धियों, इष्ट-मित्रों को ऋत्विज के रूप में रखने का प्रयत्न करते और दूसरे लोगों को जहाँ तक सम्भव होता रोकने की चेष्टा करते । इस प्रकार यज्ञों का धार्मिक भाव और सात्त्विक वातावरण बदल कर वे प्रतियोगिता और स्वार्थ साधन के अखाड़े बनने लग गये ।

इसका एक कुफल यह हुआ कि यज्ञ कराने वालों का ध्यान कर्म-काण्ड के यथातथ्य होने के बजाय आपापूती और तरह-तरह से दक्षिणा की रकम के बढ़ाने पर अधिक जाने लगा । वे लोग जैसी परिस्थिति देखते वैसे ही कार्य करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे । विशेष धनवान यजमानों से रुपया वसूल करने के लिये वे विधिविधान का बहुत अधिक विस्तार कर डालते और पचासो छोटी-छोटी यज्ञ के अन्तर्गत क्रियाओं के लिये पृथक-पृथक दक्षिणा लेने का प्रयत्न किया करते थे ।

यज्ञ कराने वालों की मनोवृत्ति के इस प्रकार सकोर्ण और स्वार्थ-परायण बन जाने से यज्ञ-विधि तथा उनकी प्रधान और गौण क्रियाओं के सम्बन्ध में तरह-तरह के मतभेद पैदा हो गये और कितने ही स्थानों में वे एक दूसरे से भिन्न प्रकार से क्रियाएँ कराने लगे । कितने ही हीन-मनोवृत्ति के तथा कर्तव्यशून्य पण्डित अपने धनदाता यजमान की खुशी का ही सब से अधिक ध्यान रखते थे और उनकी सुविधानुसार क्रियाओं में अन्तर कर देते थे । परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार सौ, दो सौ वर्ष

तक मगयाती पसने से यज्ञ के स्वरूप तथा उसकी मुख्य क्रियाओं में बहुत अन्तर पड़ गया और इससे यज्ञ-कर्म की भी व्यवस्था होने लगी गई ।

इस परिस्थिति में महर्षि जैमिनि का आधिर्भाव हुआ । वे वेदान्त-वर्षन के रचयिता महर्षि आचारायण के शिष्य थे पर स्वतंत्र विचारक होने के कारण कितनी ही बातों में उनका अपने गुरु से मतभेद भी था और उन्होंने उनसे पुनः एक स्वतंत्र वर्षन-मार्ग की स्थापना की । उन्होंने कर्मकाण्ड को धर्म का मूल माना बतलाया और उसका मुख्य स्रोत वेद को कहा । उन्होंने यह घोषणा की धर्म की जो कुछ व्याख्या वेद में की गई है उसी को स्वीकार करना और तदनुसार व्यवहार करना मनुष्य का कर्तव्य है और इसी से वह स्वर्ग तथा मुक्ति का अधिकारी हो जाता है ।

मीमांसा-वर्षन के मुख्य सिद्धान्त—

महर्षि जैमिनि का धर्म के सम्बन्ध में क्या सिद्धान्त है और वे उसकी सिद्धि का क्या उपाय बतलाते हैं इसका कुछ परिचय पाठकों को आरम्भिक क अध्यायी की टीका और उनके अन्त में की गई टिप्पणियों से मिल सकता है । पर इस वर्षन की सच्चा समझाना अबका प्रस्तोत्तर की प्रकाशी ऐसी अनोखी है और उसमें शिष्यों सम्बन्धी मतभेद को हर जगह इतना उठाना पया है कि साधारण पाठक मूल विषय का धर्म बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर सकता है । यह प्रकाशी सास्त्रार्थ की दृष्टि से तो विलेप उपयोगी है पर का<sup>२</sup> भी पाठक उसके कारण कुछ मुकद्दमा ही में पड़ जाता है और प्रयत्न करने पर भी उसका सार सहज में नहीं समझ पाता । इस कठिनाई को दूर करने के लिये हम 'सर्वे वर्षन सर्वह' से मीमांसा-वर्षन के मुख्य प्रचारक कुमारिक भट्ट और उनके प्रमुख शिष्य प्रभाकर के मत का सार यहाँ देते हैं—

'सृष्टि रक्षता' मे ।। पश्याय मुख्य है—इत्य मून कर्म

सामान्य और परतन्त्रता । ये पाँचो पदार्थ शक्ति, सादृश्य और सख्या के विचार से आठ प्रकार के हैं । मुक्ति केवल वेद मे कहे हुये कर्मों का पालन करने से ही हो सकता है । जो फल की कामना से कर्म करते है अथवा जो निपिद्ध कर्म करते हैं वे बन्धनो मे फँसे रहते है । वेद के चार मुख्य भाग हैं—विधि, अर्थवाद, मन्त्र और नामधेय । इन सब मे प्रधान विधि है, जिससे धर्म और अधर्म का बोध होता है । संसार मे जानने योग्य 'आत्मा' ही है । वह बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर तीनों से भिन्न है । वह विभु ( व्यापक ), तथा द्रुव ( परिवर्तन रहित ) है । जब हम किसी बाह्य विषय के अर्थ पर ध्यान देते हैं तो वह आत्मा हर क्षेत्र मे अलग-अलग प्रतीत होता है । जैसे यह कहा जाय कि "मैं घड़े को जानता हूँ" तो इसमे तीन प्रकार का ज्ञान प्रकट होता है । ( १ ) घड़ा तो विषय है, ( २ ) ज्ञाता मैं हूँ, ( ३ ) ज्ञान जो स्वयं प्रकाशवान है ।

“कुछ लोग कहते हैं कि जिस प्रकार ससार से मुक्ति प्राप्त करने क निमित्त दुख का नाश होना आवश्यक है उसी प्रकार दुख द्वारा उत्पन्न किये हुये सुख का भी नाश होना आवश्यक है । पर निर्गुण भाव वाले को मुक्ति के नित्यानन्द का अनुभव भी नहीं हो सकता । इसलिये जो सामान्य मनुष्य कर्मों मे लिप्त है उनकी बुद्धि मे भेद न करना चाहिये । सन्यासियों का मार्ग और है और कर्म मे लिप्त मनुष्यों का मार्ग उससे भिन्न है । इसलिये वेदो मे बताये यज्ञ आदि कर्म अवश्य करने चाहिये, यदि ऐसा न किया जायगा तो जो लोग कर्म के अधिकारी बना कर उत्पन्न किये गये हैं उनकी पाप लगेगा । जो कर्म का आश्रय लेकर ही रहते हैं वे अपूर्व सुख पायेंगे । जो इन कर्मों को करता है वही देवता है ।”

वेदान्त तथा अन्य उपनिषदो का यह मत है कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य को सब प्रकार के कर्म पूर्णतः त्याग देना चाहिये, क्योंकि

सब प्रकार के कर्म बन्धककारक हैं। यदि पाप कर्मों से नरक जाना पड़ता है तो पुण्य-कर्मों का फल स्वर्ग प्राप्ति होता है। इस दृष्टि से पुण्य कर्म प्रार्थनीय हैं पर उनको करते हुये भी मनुष्य को बन्धन से व्यवस्थित रहना पड़ता है। इसलिये 'श्रीमोक्ष-शास्त्र' का सिद्धान्त है कि मनुष्य वेद विहित कर्म तो अवश्य करे, उनको त्यागने से तो पाप छूटता है पर वे निष्काम भावना से किये जायें। इस विषय में कुमारिक भट्ट का यह इस प्रकार है—

त्यक्त्वा काम्यनिषिद्धं च विहितानुष्ठानप्रदः ।  
 मुक्तान्तं करणो ज्ञानी परं निर्वाणं भुञ्जति ॥  
 काम्यकर्माणि कुर्वाणः काम्यं कर्मानुष्मता ।  
 अनिर्वाणोपमोक्तस्य भूयः काम्यफलं नरैः ॥  
 कुमि कीटादि क्लेशेन अनिश्च तु निषिद्धकृतः ।  
 निषिद्धं फलं भोमी त्याज्योऽप्यो नरकं व्रजेत् ॥  
 अतो विचार्य विज्ञेयो कर्मान्मर्मां विपश्चिता ।  
 शोभतेऽपि प्रमाणां तौ च प्रत्यक्षादिषोचरो ॥

अर्थ—“जो मनुष्य वेद विहित कर्मों को करता रहता है और काम्य-कर्म ( फल की इच्छा से किये जाने वाले कर्म ) तथा निषिद्ध कर्मों ( शास्त्रों में निषेध किये हुए कर्म ) को त्याग देता है वह बन्धन-कारण के मुक्त हो जाने से निर्वाण ( मुक्ति ) को प्राप्त होता है। स्वर्ग या नरक आदि फल पाने की इच्छा से या 'काम्य कर्म' किये जाते हैं, उनका फल किसी घण्टि में जन्म होने पर ही भोग्य या सक्रम्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक काम्य कर्म करते रहोगे तब तक बंधन पारण करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार निषिद्ध ( बुरे ) कर्मों के करने पर प्राणी कीड़े मकोड़े पशु-पक्षी का जन्म कारण कर उनके कर्मों को भी भोग्य ही और जन्म नरक को प्राप्त हो जायगा। इसलिये जो बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में अपना बन्धन चाहते हैं उनको कर्म-धर्म



के विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । इस सम्बन्ध का ज्ञान वेदों से ही हो सकता है, पत्यक्त प्रमाणों से इसका कोई पता नहीं लग सकता ।”

वाग्ने चल कर वन गया है कि “वेद का वह जस जो मनुष्यों को किसी अयोग्य काम के करने से रोक्ता है या किसी काम की प्रेरणा देता है, विधि या चोखना कहलाता है । वह आज्ञा अथवा प्रेरणा के रूप में कहा गया है ।”

“वेद के जो वाक्य किसी निषिद्ध बात की निन्दा और विहित बात की प्रशंसा करते हैं वे अर्चनाद कहलाते हैं । ऐसे वाक्यों से ‘विधि’ का समर्थन, पुष्टि होती है इसलिये उनको भी प्रामाणिक माना जाता है ।”

“वेदों का तीसरा अङ्ग मन्त्र है जिसका प्रयोग यज्ञ करते समय किया जाता है और जिससे यज्ञ की अनुष्ठेय बातों पर प्रकाश पड़ता है । अनुष्ठेय का आशय उस बात से है जिसके लिये यज्ञ किया जाता है । चौथा भाग नामधेय कहा जाता है । उसमें यागों के नाम और उनकी व्धारणा आदि का समावेश होता है ।”

कुमारिल ने वेदों के अनादि और अपौरुषेय होने पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि उस समय बौद्ध लोगों से मुख्य विवाद इसी विषय पर था कि ‘वेदों के प्रमाण को क्यों स्वीकार किया जाय ?’ बौद्ध मत वाले स्पष्टतया वेदों की सत्यता और प्रामाणिकता से इनकार करते थे । इसका वर्णन “सर्व दर्शन सग्रह” में इस प्रकार किया गया है—

दूषन्त्यनुमानाम्या बौद्धा वेदमपिस्फुटम् ।

तन्मूललब्ध धमदिरपलपस्तुसिध्यति ॥

वेदोऽप्रमाण वाक्यत्वान्पथ्या पुरुष वाक्यवत् ।

अथानाप्त प्रणीतत्वाद्गुणमत्तानां यथा वच ॥

वर्णात्— 'बौद्ध भोग मनमाने बपू से स्पष्टतया बेहो पर बोपापेय्य करते हैं। इससे जो बर्म कम बेहो के अनुसार किसे बातें हैं उसको भी खण्डित करते हैं। वे कहते हैं कि वेद प्रमाण नहीं है क्योंकि वे उसी प्रकार के वाक्य हैं जैसे एस्ते मे बछने बाधे सामान्य मनुष्यों के हुवा करते हैं। वे बात पुत्रों के नहीं बरन् पागलों की-सी बातें मान पकते हैं।"

इसका उत्तर देते हुये कुमारिक कहते हैं कि बौद्धों के बिये हुये ये बोलों हेतु ठीक नहीं हैं और एतसे बेहो का खण्डन नहीं हो सकता। यह कोई युक्ति नहीं है कि बेहो में वाक्य है इससे वे प्रामाणिक नहीं हो सकते। यह कथन भी अनुपयुक्त है कि वेद बात पुरुषों के वाक्य नहीं इससे अप्रामाणिक हैं। यदि बात ने कोई साधारण बात कही हो तो उसे प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं किन्तु वेद तो उपबन्ध-वाक्य हैं, उन पर साधारण मनुष्यों के वाक्यों की बलीख काम नहीं हो सकती। वेद तो निरर्थक हैं उनके विषय में बात-वाक्य होने का प्रश्न उठाना निरर्थक है। जो बौद्ध आदि की बातें साधारण मनुष्यों के वाक्यों के सम्बन्ध में कही जा सकती हैं बेहो के सम्बन्ध में उनका विचार करना व्यर्थ है। जाये बल कर कुमारिक बेहो के स्वक्य का वर्णन इस प्रकार करते हैं—

वेदस्या षोडशेयत्वाद् बौधार्थक्येव नास्तिनाः ।  
 वेदस्या षोडशेयत्वं केचिर्द्रव्यापिनाद्यस्य ॥  
 ब्रह्मवर्तीश्वरोत्तरात्मन्व्यमानाः प्रमाणात्ताम् ।  
 पौरुषेयो भवेद्बेहो वाक्यत्वाद्भारताविद्यत् ॥  
 सर्वेश्वर प्रणीतत्वे प्रामाण्यमपि सुस्मिताम् ।  
 प्रमाण्यं विद्यतेति षोडशेयपुण्यते ॥  
 वेदेकानुरतावाच्यं तद्वाच्यं च सुबुद्ध्या ।  
 वेदस्य नित्यता प्रोक्त्य प्रामाण्येनाप्युच्यते ॥

वर्णात्— बेहो पर एष्टा करते की कोई बुझावण इतकिये

नहीं कि वे अपौरुषेय हैं। कुछ नैयायिक (न्याय-दर्शन के अनुयायी) वेदों को प्रामाणिक तो मानते हैं, पर वे उनको अपौरुषेय स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि जैसे महाभारत आदि को विन्ही मनुष्यों ने रचा है उसी प्रकार वेद भी पौरुषेय हैं। पर उनका कथन ठीक नहीं है। वेदों का बनाने वाला कोई नहीं पाया जाता। वेदों को 'नित्य' कहा जाता है और यही उनको अपौरुषेय (ईश्वर द्वारा रचित) और प्रमाण स्वरूप मानने के लिये पर्याप्त है।" इस पर आक्षेप-कर्ता पुनः शङ्का उपस्थित करते हैं—

सर्वेश्वर प्रणीतत्व प्रमाण्यस्यैव कारणम् ।  
 तदयुक्तं प्रमाणेन केनात्रेश्वर कल्पना ॥  
 स यद्यागम कल्पस्यात्रित्योऽनित्य किमागम ।  
 नित्यश्चेत्त प्रतीशस्य केय कर्तृत्व कल्पना ॥  
 अनित्यागमपक्षे स्यादन्योऽन्याश्रयदूषिताम् ।  
 आगमस्य प्रमाणत्वमीश्वरोक्तयेश्वरस्तत ॥  
 आगमात्सिद्ध्यतोत्येवमन्योऽन्याश्रय दूषणम् ।  
 स्वत एव प्रमाणत्वमतो वेदस्य सुस्थितम् ॥

अर्थात्—“यह दलील देना कि वेदों का प्रमाण इनके ईश्वर प्रणीत होने पर निर्भर है, ठीक नहीं माना जा सकता। इस सम्बन्ध में पहली शङ्का तो यह है कि ईश्वर की कल्पना किस आधार पर करते हो? अगर कहो कि ईश्वर के होने का प्रमाण वेदों से मिलता है तो यह बतलाओ कि वेद नित्य है अथवा अनित्य? यदि वे नित्य हैं तो उनको ईश्वर द्वारा बनाये जाने की बात कैसे कह सकते हैं? यदि वेदों को अनित्य कहते हों तो इसमें अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा, क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता के लिये उनका ईश्वर द्वारा बनाया जाना आवश्यक है और ईश्वर की सिद्धि के लिये वेदों का ही प्रमाण दिया जाता है। इस प्रकार वेद और ईश्वर की सत्यता एक दूसरे पर ही निर्भर होने



भी धर्म को नहीं बता सकते । प्रत्यक्ष इन्द्रियो के साथ सयोग होने से वर्तमान की बात बताता है । प्रत्यक्ष से भूत अथवा भविष्यत् की बात मालूम नहीं होती । चूँकि धर्म के साथ किसी अन्य चीज का नित्य सम्बन्ध नहीं है अतः अनुमान से भी धर्म-अधर्म का ज्ञान नहीं हो सकता । चूँकि धर्म का किसी अन्य वस्तु से सादृश्य नहीं है इससे उपमान भी धर्म-अधर्म के जान सकने में सहायक नहीं हो सकता । यदि अर्थापत्ति के आधार पर यह कहा जाय कि धर्म सुख का कारण है और अधर्म दुःख का, तो यह ठीक है, पर इसका भी सदा के लिये सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता और जब बात बीत गई तो उसके जानने से क्या लाभ ? अर्थात् यदि सुख के प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह विदित हुआ कि सुख धर्म के कारण हुआ तो ऐसे ज्ञान से क्या परिणाम निकल सकता है ? 'अभाव' प्रमाण भी धर्म-अधर्म का बोध कराने में असमर्थ है, क्योंकि वह तभी काम करता है जब पाँचों प्रमाण न करे । इस प्रकार अन्य सब साधनों के व्यर्थ हो जाने पर यज्ञी सिद्ध होता है कि धर्म और अधर्म का बोध वेदों द्वारा ही सम्भव है ।”

इस प्रकार उस समय के प्रचलित अन्य मतों की समीक्षा करके कुमारिल 'मीमांसा' का सिद्धान्त इन शब्दों में व्यक्त करते हैं ।

“वेदों में बताये हुये कर्म ही मोक्ष देने वाले हैं अन्य नहीं । इस लिये जिमको मोक्ष की इच्छा हो उसे चाहिये काम्य और निषिद्ध कर्मों से बचा रहे । पाप से बचने की इच्छा से नित्य और नैमित्तिक कर्तव्यों को करना चाहिये । यह जो कहा गया है कि 'आत्मा को जानना चाहिये' यह ज्ञान आत्मा को प्रत्याहार और अन्य विहित कर्म करने से स्वयं ही मन तथा इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है । आत्मा भिन्न और अभिन्न ( सत् और असत् ) दोनों है, वह जीव रूप से भिन्न है और परमात्मा रूप से अभिन्न है । जीव रूप से सत् है और परमात्मा रूप से असत् है ।”

इस प्रकार ब्रह्म-सत्ता का निरूपण करके कुमारिष्ठ 'मीमांसा' के अनुसार मोक्ष के उद्देश्य की प्राप्ति का कथन करते हैं, क्योंकि वही प्रत्येक सिद्धान्त व्यवसाय-प्रणाली का अन्तिम लक्ष्य है—

परान्वादानुभूतिः स्वप्नोन्नेतु विषयाहते ।  
विषयेषु विरक्तास्त्युलित्यानन्वानुभूतितः ।  
मच्छस्य पुनरापूर्ति मोक्षमेव मुमुक्षवः ॥

अर्थात्— 'मोक्ष होने पर विषयों का वस्तु हो जाता है और परमाण्व का अनुभव होता है । नित्यानन्द का अनुभव करने वाला मुमुक्षु विषयों से विरक्त हो कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वहाँ से फिर लौटना नहीं होता ।'

आचार्य प्रभाकर का मत—

मीमांसा-शास्त्र के दूसरे प्रसिद्ध आचार्य प्रभाकर 'अपठ' को सत्ता को वास्तविक मानते हैं और इस दृष्टि से उनका मत व्याय तथा वैशेषिक से भिन्नता है । वैशेषिक के समान ही ये भीसिद्ध मुख मानते हैं यद्यपि जगत् से जो पार को हटाकर उनके स्वानन्द स्वयं गुणों का नामोन्नेतु किया गया है । कुमारिष्ठ के ५ के बजाय प्रभाकर ने ५ पदार्थ माने हैं—ब्रह्म, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, सत्त्वा, शक्ति और सद्भाव्यता । प्रभाकर का 'शक्ति एक विशेष पदार्थ है क्योंकि उसका कथन है कि सभी वस्तुओं में एक शक्ति पाई जाती है और उसके रहने पर ही वह अपना कार्य करती है । जैसे अग्नि में बजाने की शक्ति है पर जब तक वह शक्ति अवकृत नहीं रहती है तब तक उसका अस्तित्व होने पर भी बजाने का कार्य नहीं हो सकता ।

कर्म को प्रत्यक्ष मोक्षरत्न मानकर इन्होंने 'अनुमेय' माना है । किसी क्रिया के होते समय यद्यपि हम क्रिया को जानें से नहीं देख सकते पर उस वस्तु का एक स्वानन्द से संयोग और दूसरी से

वियोग, होते हमको दिखाई देता है। इसी से हम कर्म के होने का अनुमान कर लेते हैं।

कर्म को ही प्रधान मानकर प्रभाकर ने भी मानवीय पुरुषार्थ का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को ही स्वीकार किया है पर उनका 'मुक्ति-निरूपण' कुमारिल से भिन्न है। उनके कथन का सारांश यह है—

करणो परमान्मुवितमाह वैशेषिको यथा ।  
 दुस्तहापार ससार सागऐत्तरणोत्सुकः ॥  
 प्रयत्न सुख दु खेच्छा धर्माधर्मादिनाशत ।  
 पाषाणवदस्थान मात्मनो मुवितमिच्छति ॥  
 दु ख साध्य सुखोच्छेदो दु खोच्छेद वविष्यते ।  
 नित्यानन्दानुभूतिश्च निर्गुणस्य न चेष्यते ॥

“वैशेषिक के मतानुसार 'करण' (साधन) के नाश होने से मुक्ति होती है। वह दुस्तह अपार ससार-सागर को पार करने के लिये प्रयत्न, सुख, दुख, इच्छा, धर्म, अधर्म का नाश करके पत्थर के समान (निर्गुण) मुक्ति चाहते हैं। वास्तव में जिस प्रकार दुख का नाश होना चाहिये उसी प्रकार दुख में से उद्भूत सुख का भी अन्त कर देना आवश्यक है। निर्गुण जीव को किसी प्रकार के आनन्द की अनुभूति नहीं हो सकती।”

तीसरे आचार्य मुरारि मिश्र का मत उपरोक्त दोनों से बहुत पृथक है। वे वास्तव में एक 'ब्रह्म' की सत्ता को ही मानते हैं। इस लिये कितने ही विद्वान इनके मत को 'ब्रह्म-मीमांसा' के नाम से पुकारते हैं। ये स्वर्ग को कही पृथक नहीं बतलाते वरन् सुख की पराकाष्ठा को ही स्वर्ग कहते हैं।

देवता और स्वर्ग का स्पष्टीकरण—

इस तरह मीमांसा शास्त्र मानव-जीवन, विशेषत भारतीय-समाज से सम्बन्धित अनेक गूढ समस्याओं का साधन करता है। उसने

देवताओं के नाम पर कई प्रकार के यज्ञों की प्रेरणा की है पर इससे उसका उद्देश्य उरु-उरु के छोटे-बड़े व्यक्तियुक्त देवी देवताओं की साम्यता का प्रसार करना नहीं है। वरन् वह इन्द्र वायु, अग्नि आदि अनेक देवताओं को आहुति देना हुआ भी उनका उद्देश्य एक ही ईश्वरी-शक्ति से बतलाता है। यज्ञ के प्रभाव से जनता में जो बहुदेववाद की धारणा फैल गई थी और जिसने धीरे-धीरे अल्प-विश्वास का रूप ग्रहण कर लिया था मीमांसा ने उसके निराकरण की चेष्टा की है। जैसे कई प्रकार की ईश्वरी शक्तियों में प्रकाश प्रधान है उसार के अधिकार काम उसी से बसते हैं और उसी से प्राणियों का जीवन तथा उनकी प्रवृत्ति संभव होती है। उसी से हम को सब प्रकार के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिये वेद में भी परमात्मा का सर्व प्रथम रूप अग्नि ही बतलाया और उसकी उपासना करने का आदेश दिया। भारतवर्ष के वातावरण में वर्षा का महत्व भी बहुत अधिक है और वह जीवन धारण के लिये अन्न की उत्पत्ति के लिये अनिवार्य है इसलिये इन्द्र का भी उरु-उरु से आवाहन किया गया। पर साथ ही यह भी प्रकट किया जाता रहा कि लोग इन विभिन्न शक्तियों के मूल में स्थिति 'ब्रह्म' को भी बाद रखें।

स्वर्ग के सम्बन्ध में भी मीमांसा को स्थिति स्पष्ट है। उसमें अगह-अगह स्वर्ग की प्राप्ति के लिये यज्ञों का विधान है। यदि अधिक गहराई से जाँच की जाय तो समस्त मीमांसा-दर्शन का सार ही स्वर्ग है क्योंकि 'बर्ध पौर्णमास' 'अ्योतिष्ठाम' जैसे सभी यानों का फल स्वर्ग बतलाया गया है। पर जो लोग उसका अर्थ जानासके किसी को न स्थिति कोई विशेष भोग या प्राप्त बर्तन मानते हैं वे भ्रम में पड़े हैं। इसका विवेचन करते हुये भाष्यकार दादर स्वामी ने लिखा है—

ननु, स्वर्ग एतेषु लोके प्रसिद्धे विशिष्टेये यस्मिन् न उत्तमं न नीतं न शूद्र, न वृष्णा न अरति न अग्निः। पुष्यं ह्यतः प्रियं तमं



गच्छान्ति नान्ये । अत्र उच्यते यदि तत्र केचित् अमृता गच्छान्ति, तत आगच्छन्ति अजानित्वा, तर्हि स प्रत्यक्षी एवञ्जातीयकः नतु अनुमानात् गम्यते ।”

अर्थात्—“पूर्व-पक्षी कहता है कि ‘स्वर्ग’ शब्द उस देश के लिये प्रयुक्त हुआ है जहाँ न अधिक गर्मी न सर्दी, न भूख, न प्यास, न भोगों में अरुचि, न ग्लानि होती है । पुण्यात्मा लोग वहाँ जाते हैं, अन्य नहीं । इसका समाधान करते हुये भाष्यकार कहते हैं कि यदि उस देश में जीवित व्यक्ति जाते हो और वहाँ से लौट कर आ जाते हो तो उसे प्रत्यक्ष माना जा सकता है, पर जहाँ तक बुद्धि काम करती है वहाँ तक यही कहना पड़ता है ऐसा कोई देश नहीं है ।” इस पर पूर्व-पक्षी फिर कहते हैं कि “कुछ सिद्ध पुरुष उसे देख आये हैं और उसका वर्णन सुनाते हैं ।” पर सिद्धान्ती कहता है कि ऐसे सिद्धों का कोई प्रमाण नहीं मिलता जो इसी देह से स्वर्ग चले जायें और आकर कथन करें । जो आख्यायिकाये इस सम्बन्ध में सुनी जाती हैं वे मनुष्यों द्वारा ही रचित हैं, इससे विश्वसनीय नहीं है ।

इस प्रकार ‘मीमांसा-दर्शन’ का उद्देश्य ऐसे धार्मिक विषयों तथा समस्याओं पर विचार करना है जिनके सम्बन्ध में लोगों में कई प्रकार के भ्रम तथा मतभेद फैले हुये हैं । ‘मीमांसा’ शब्द का अर्थ ही ‘विचार करना’ है । विद्वानों का कथन है कि ‘मीमांसा-दर्शन’ का ज्ञान प्राप्त किये बिना वैदिक-वाक्यों का वास्तविक आशय जान सकना संभव नहीं है । कौन-सा वाक्य अर्थवाद है और कौन-सा विधि-वाक्य है इसका निर्णय मीमांसा-शास्त्र से हो सकता है । कुछ लोग अर्थवाद के वाक्यों को निरर्थक कहते हैं, क्योंकि उनमें इन कर्मकाण्डों की प्रशंसा मात्र पाई जाती है । पर यह विचार ठीक नहीं, वास्तव में अर्थवाद के वाक्य विधि-वाक्यों के स्तुति रूप और सहायक होते हैं । उनसे लोगों में उत्साह और श्रद्धा

उत्पन्न होते हैं और नमों के करने की प्रेरणा मिच्छती है । इस दृष्टि से विचार करने पर मीमांसा 'वर्म प्रेरणा चार्मिक-भङ्गा का प्रसार करने वाला सिद्ध होता है ।

**कर्मकाण्ड का सर्वोपरि महत्त्व—**

मीमांसा-वचन' के दो प्रधान नियम हैं । उसका अधिकार भाग तो कर्म काण्ड की विधियों में उत्पन्न होमों परस्पर विरोधी बातों का निराकरण करने में लगाया गया है । इसके लिये महर्षि धर्मिनि ने एक विशेष पद्धति का आविष्कार किया है जिसमें व्याकरण के नियमों से बहुत सहायता ली गई है । हमारे विभाग में कर्मकाण्ड के सिद्धान्तों की यथावश्यकता को सिद्ध करने के लिये तर्क और प्रमाणों की व्यवस्था की गई है । इसके लिये मीमांसा-वर्षण कई मुख्य सिद्धान्तों को उपस्थित करके कर्मकाण्ड की वास्तविकता पर प्रकाश डालता है । (१) सर्वप्रधान प्रमाण आत्मा की अमरता का है । मृत्यु के पश्चात् भी आत्मा की सत्ता स्थिर रहती है और वह अपने बुधाद्युक्त कर्मों का फल इसी लोक या परलोक में भोगती है । (२) मनुष्य के कर्मों का फल उसी समय नष्ट नहीं हो जाता बल्कि वह किसी अनिर्बचनीय शक्ति द्वारा विधि मीमांसा के आचार्यों ने 'अपूर्व' कहकर पुकारा है, जब तक स्थिर रहता है जब तक आत्मा उसका फल उपयोग न करके । (३) तीसरा सिद्धान्त है वेद में अदृष्ट भङ्गा और उसे स्वतः प्रमाण स्वीकार करना । संसार में अन्य सब प्रकार का ज्ञान अनुभूत कृत होने से भ्रान्त है, पर वेद अपौरुषेय और अनादि होने से निर्भ्रान्त है और कर्म का निर्णय एक माप उसी के सिद्धान्तों के आधार पर किया जा सकता है । (४) चौथा बात है संसार और मानव-जीवन की वास्तविकता । मीमांसा इस दृश्य जगत् को वेदान्त की तरह 'मामा जगत्वा 'स्वप्न' की तरह नहीं मानता बल्कि उसकी दृष्टि में वह सर्वथा सत्य और अमर्य है । यदि इसे वास्तविक न

माना जाय तो मनुष्य में इसमें रहते हुये कर्म की प्रेरणा ही कैसे उत्पन्न होगी ?

दार्शनिक दृष्टिकोण के विचार से मीमांसा अध्यात्मवाद के बजाय भौतिकवाद की ओर विशेष ध्यान देता है। वह न्याय और वैशेषिक के समान परमाणुवादी है, अर्थात् इस जगत के बनाने बिगाड़ने का खेल प्रकृति अनादि काल से करती चली आती है और सदैव करती रहेगी। इस तथ्य को हम अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इस लिये उसे 'माया' या 'स्वप्न' या भ्रम कहना ठीक नहीं। यह सब यथार्थ है और इस पर दृढ़ विश्वास रखकर हमको तदनुसार कार्य करना उचित है। वास्तव में जगत को माया या भ्रम कहना एक ऐसी बात है कि जिसका न तो कोई एक अर्थ समझा जा सकता है और न जो व्यवहार में आ सकता है। 'मायावादी' और 'भ्रमवादी' भी जगत के सब कार्यों को तो उसी तरह पूरी तल्लीनता से करते रहते हैं जैसे कि यथार्थवादी करते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो उनका जीवन निर्वाह और अपने अस्तित्व को स्थिर रखना असम्भव हो जाय। इसलिये चाहे हमारी विचार-धारा पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा के सम्बन्ध में पूर्णतया स्पष्ट न हो तो भी हमको ससार का कार्य और व्यवहार सत्य समझ कर ही करना आवश्यक है।

पर मीमांसा के परमाणुवादी, दृष्टिकोण और नास्तिकों के भौतिकवाद में बड़ा अन्तर है। जहाँ चार्वाक आदि का नास्तिकवाद मनुष्य को अनात्मवादी और भोगवादी बनाता है वहाँ मीमांसा वैदिक-आत्मवाद का प्रबल समर्थक है। वह वेदान्त की तरह जीवमान को एक तो नहीं मानता वरन् सब जीवों की सत्ता पृथक् बतलाता है, तो भी परलोक तथा मोक्ष में उसकी दृढ़ आस्था है और इसी आधार पर धर्माचरण का प्रतिपादन करता है। धर्म की प्राप्ति के लिये जिन शम, दम, तितिक्षा, ब्रह्मचर्य आदि गुणों की आवश्यकता है उनको भी मीमांसा स्वीकार करता है।

इस सम्पन्न में यह वेदान्त सिद्धान्त के साथ सहमत है और कुपारिण  
मट्टने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया है। उग्टूने अपने 'मान मेयो-  
वय' ग्रन्थ में किया है—

कुर्वाणस्यात्मभीमांसा वेदान्तोक्तेन ब्रह्मता ।  
मुक्ति सम्पद्यते सद्यो नित्यात्मन्व प्रकाशित्वा ॥

वर्णम्— वेदान्त द्वारा प्रवर्तित मार्ग से आत्मा की भीमांसा करनी  
चाहिये। वेदान्त में आत्म-साधन के बिले तीन उपायों—अवयव मनन  
निदिभ्यासन का वर्णन किया गया है जगका अवलम्बन करना चाहिये।  
इसी उपाय से नित्यात्मन्व प्रकाशक मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है।

भीमांसा-वर्णन समाप्त

